प्रस्ताव 30

यह प्रयास कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद II की धारा 8 के अनुसार लोगों को प्रस्तुत किया गया है।

इस प्रयास द्वारा कैलिफोर्निया संविधान में एक धारा जोड़ी गई है; इसलिए जोड़ने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधानों को *इटैलिक टाईप* में प्रकाशित किया गया है ताकि यह पता चले कि वे नए हैं।

प्रस्तावित कानून

स्कूल व स्थानीय सार्वजनिक सुरक्षा बचाव अधिनियम 2012

खंड 1. शीर्षक।

इस प्रयास को "स्कूल व स्थानीय सार्वजनिक सुरक्षा बचाव अधिनियम 2012" के तौर पर जाना जाएगा एवं उल्लेखित किया जा सकता है।

खंड 2. परिणाम।

(a) केवल पिछले चार वर्षों के दौरान ही, कैलिफोर्निया को शिक्षा, पुलिस व अग्नि सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल व अन्य महत्वपूर्ण राज्य व स्थानीय सेवाओं में से $56 बिलियन से अधिक की राशि घटानी पड़ी। फंडिंग में इस कटौती ने अध्यापकों को नौकरी छोड़ने, स्कूल में कक्षाओं का आकार बढ़ाने, कॉलेज फीस बढ़ाने, पुलिस सुरक्षा कम होने, आग लगने पर बचाव उपाय देरी से शुरू होने, जेलों में क्षमता से अधिक लोग होने की बिगड़ी हुई खतरनाक स्थिति और पैरोल पर छूटने वाले लोगों पर निगरानी काफी कम करने पर मजबूर कर दिया।

(b) महत्वपूर्ण सेवाओं में इन कटौतियों ने कैलिफोर्निया के वरिष्ठ नागरिकों, मध्यमवर्गीय कामकाजी परिवारों, बच्चों, कॉलेज के छात्रों और छोटे व्यवसायों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। हम शिक्षा और हमारे लिए जरूरी अन्य सेवाओं में अब अधिक कटौती सहन नहीं कर सकते हैं। हम शिक्षा और हमारे लिए जरूरी अन्य सेवाओं में अब अधिक कटौती सहन नहीं कर सकते हैं।

(c) कई वर्षों की कटौतियों और मुश्किल विकल्पों के बाद, अब राज्य की स्थिति बदलना आवश्यक हो गया है। नए कर राजस्व उत्पन्न करना हमारे भविष्य में निवेश करना है जो कैलिफोर्निया को विकास और सफलता की राह पर दोबारा ले आएगा।

(d) स्कूल व स्थानीय सार्वजनिक सुरक्षा बचाव अधिनियम 2012 कैलिफोर्निया की कर व्यवस्था को अधिक न्यायोचित बना देगा। जब कामकाजी परिवार जीवन चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हों और हमारे बीच मौजूद धनी लोग आय में वृद्धि का रिकॉर्ड बना रहे हों तो धनी लोगों को उनके उपयुक्त हिस्से का भुगतान करने के लिए कहना बिलकुल सही है।

(e) स्कूल व स्थानीय सार्वजनिक सुरक्षा बचाव अधिनियम 2012 उन लोगों पर आय कर लगाता है जो आय पैमाने के सबसे ऊंचे सिरे पर मौजूद हैं—वे लोग जो इसे सबसे ज्यादा वहन कर सकते हैं। 2011 की शुरुआत में लागू दर से बिक्री कर की कुल दर को कम रखते हुए, यह अस्थायी रूप से पिछले वर्ष लागू कुछ बिक्री कर को भी दोबारा लागू करता है।

(f) इस प्रयास के नए कर अस्थायी हैं। कैलिफोर्निया संविधान के अंतर्गत ¼ प्रतिशत बिक्री कर वृद्धि चार वर्षों में समाप्त हो जाती है और सर्वाधिक धनवानों के लिए आय कर वृद्धि सात वर्षों में समाप्त होती है।

(g) कैलिफोर्निया संविधान में नए कर राजस्व के सीधे स्थानीय स्कूल डिस्ट्रिक्ट व कम्यूनिटी कॉलेज में जाने की गारंटी दी गई है। शहरों व काउंटियों को सार्वजनिक सुरक्षा कार्यक्रम जैसे स्थानीय पुलिस व बाल रक्षा सेवाओं के लिए निरंतर फंड देने की गारंटी दी गई है। बजट को संतुलित रखने और वरिष्ठ नागरिकों, कामकाजी परिवारों, और छोटे व्यवसायों के लिए सेवाओं में अधिक संकटकारी कटौतियां करने से बचाने के लिए राज्य धन को मुक्त रखा गया है। इससे प्रत्येक को लाभ मिलता है। इससे प्रत्येक को लाभ मिलता है।

(h) यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह धन वहां जाए जहां इसे भेजने की मतदाता की इच्छा है, इन्हें विशेष खातों में रखा जाता है जिसे विधायिका (लेजिस्लेचर) छू भी नहीं सकती है। इन नए राजस्व में से किसी को भी राज्य की नौकरशाही या प्रशासनिक लागत पर खर्च नहीं किया जा सकता है।

(i) इन फंड को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्र ऑडिट के अंतर्गत रखा जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो कि इन्हें केवल स्कूलों व सार्वजनिक रक्षा के लिए ही खर्च किया जाए। यदि चुने हुए अधिकारी फंड का दुरुपयोग करते हैं तो वे अभियोग चलाए जाने व आपराधिक दंड पाने के अधीन होंगे।

खंड 3. उद्देश्य व अभिप्राय।

(a) इस प्रयास का मुख्य उद्देश्य धनी लोगों से उनके करों का समुचित हिस्सा देने के लिए कहकर स्कूलों व स्थानीय सार्वजनिक सुरक्षा की रक्षा करना है। इस प्रयास द्वारा फंड को राज्य के नियंत्रण से बाहर लाया जाता है और उन्हें विशेष खातों में रखा जाता है जोकि राज्य संविधान में विशेष रूप से स्कूलों व स्थानीय सार्वजनिक सुरक्षा के लिए समर्पित होते हैं।

(b) यह प्रयास व्यापक राज्य बजट योजना पर निर्मित है जिसने राज्य खर्च में कई बिलियन डॉलर की स्थायी कटौती की है।

(c) इस प्रयास में स्कूलों, कम्यूनिटी कॉलेज, और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए ठोस, विश्वसनीय फंडिंग की गारंटी दी जाती है जबकि साथ ही बजट के संतुलन को कायम रखा जाता है और वरिष्ठ नागरिकों, मध्यमवर्गीय कामकाजी परिवारों, बच्चों व छोटे व्यवसायों की सेवाओं में संकटकारी कटौतियों को बढ़ने से रोका जाता है।

(d) इस प्रयास द्वारा स्थानीय सार्वजनिक सुरक्षा कार्यक्रमों को राज्य से स्थानीय नियंत्रण में हस्तांतरित करने और राज्य राजस्वों को स्थानीय सरकार को हस्तांतरित करने को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की जाती है ताकि इन कार्यक्रमों के लिए भुगतान हो। हस्तांतरण के बगैर स्कूलों को संभवत: प्राप्त होने वाले फंड की अपेक्षा अधिक फंड प्रदान करके यह स्कूलों को नुकसान नहीं पहुंचने देने की गारंटी देता है।

(e) यह प्रयास गारंटी देता है कि इसके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले नए राजस्वों को सीधे स्कूल डिस्ट्रिक्ट में कक्षा के व्ययों के लिए भेजा जाएगा न कि प्रशासनिक लागत के लिए। इस स्कूल फंडिंग को निलंबित या रोका नहीं जा सकता है चाहे राज्य बजट में कुछ भी हो जाए।

(f) इस प्रयास से मिलने वाले समस्त राजस्व का प्रत्येक वर्ष स्थानीय ऑडिट किया जाता है, और यह सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र कंट्रोलर द्वारा ऑडिट किया जाता है कि उनका उपयोग केवल स्कूलों व स्थानीय सार्वजनिक सुरक्षा के लिए हो।

खंड 4. कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद XIII में धारा 36 जोड़ी गई है, जो इस प्रकार है:

खंड 36. (a) इस धारा के उद्देश्यों के लिए:

(1) "सार्वजनिक सुरक्षा सेवाओं" में निम्नलिखित शामिल होती है:

(A) कानून प्रवर्तन कर्मियों, आपराधिक कार्यवाहियों के लिए नियुक्त वकील और कोर्ट के सुरक्षा स्टाफ सहित, सार्वजनिक सुरक्षा अधिकारियों को नियुक्त करना व प्रशिक्षण देना।

(B) स्थानीय जेलों की व्यवस्था करना और अवयस्क व वयस्क अपराधियों के लिए आवास, उपचार व सेवाएं प्रदान करना तथा निगरानी करना।

(C) बाल दुर्व्यवहार, अपेक्षा या उत्पीड़न को रोकना; दुर्व्यवहार, अपेक्षा या उत्पीड़न के शिकार बच्चों व युवाओं अथवा दुर्व्यवहार, अपेक्षा या उत्पीड़न के जोखिम वाले बच्चों व युवाओं और उनके परिवारों को सेवाएं प्रदान करना; गोद लेने संबंधी सेवाएं प्रदान करना; और वयस्क सुरक्षा सेवाएं प्रदान करना।

(D) बच्चों व वयस्कों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रदान करना ताकि स्कूल में विफल होने, स्वयं या दूसरों को नुकसान पहुंचाने, बेघर होने और जेलों या अस्पताल आदि संस्थाओं में भर्ती होने की रोकी जाने योग्य घटनाओं को कम किया जाए।

(E) दवाओं के दुरुपयोग को रोकना, उपचार करना व इससे ठीक कराने संबंधी सेवाएं देना।

(2) "2011 रिअलाईनमेंट लेजिस्लेशन" से मतलब 30 सितंबर, 2012 को या उससे पहले बनाए गए कानून से है ताकि राज्य बजट योजना को लागू किया जाए जिसे 2011 रिअलाईनमेंट शीर्षक दिया गया है और इसमें रिपोर्ट करने संबंधी जिम्मेदारियों सहित, स्थानीय एजेंसियों को सार्वजनिक सुरक्षा सेवाओं की जिम्मेदारी सौंपने की शर्त शामिल है। यह कानून स्थानीय एजेंसियों को संघीय कानून और फंडिंग आवश्यकताओं के अनुरूप सार्वजनिक सुरक्षा सेवाओं को तैयार, व्यवस्था और प्रदान करने पर अधिकतम लचीलापन और नियंत्रण, इस कानून के अनुसार प्रदान करेगा। हालांकि, 2011 रिअलाईनमेंट लेजिस्लेशन में शुरुआती नियमित जांच, रोग-निदान और उपचार (EPSDT) कार्यक्रम और मानसिक स्वास्थ्य प्रबंधित देखभाल के अतिरिक्त, 1 जनवरी 2012 के बाद स्थानीय एजेंसियों को सौंपा गया कोई भी नया कार्यक्रम शामिल नहीं होगा।

(b) (1) उपश्रेणी (d) में उल्लेखित प्रावधान के अतिरिक्त, जो वित्तीय वर्ष 2011–12 में आरंभ हुए और उसके बाद जारी रहे, निम्नलिखित राशि को लोकल रेवेन्यू फंड 2011 में जमा किया जाएगा जैसा कि गवर्नमेंट कोड्स की धारा 30025 में प्रावधान किया गया है, जो इस प्रकार है:

(A) रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कोड, की धारा 6051.15 और 6201.15 में वर्णित करों से प्राप्त समस्त राजस्व, रिफंड घटाकर, जैसी कि उक्त धाराओं की 1 जुलाई, 2011 को व्याख्या हुई।

(B) रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कोड, की धारा 11005 में वर्णित वाहन लाइसेंस फीस से प्राप्त समस्त राजस्व, रिफंड घटाकर, जैसी कि उक्त धारा की 1 जुलाई, 2011 को व्याख्या हुई।

(2) 1 जुलाई 2011 को या इसके बाद, पैराग्राफ (1) के अनुसार जमा कराए गए राजस्वों को जनरल फंड के राजस्व या कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद XVI की धारा 8 के उद्देश्यों के लिए लागू करों की आय नहीं माना जाएगा।

(c) (1) लोकल रेवेन्यू फंड 2011 में जमा फंड का निरंतर उपयोग एकमात्र रूप से स्थानीय एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा सेवाओं के प्रावधानों को फंड देने के लिए किया जाता है। 2011 रिअलाईनमेंट लेजिस्लेशन के पूर्ण क्रियान्वयन के लंबित रहते हुए, स्थानीय एजेंसियों की ओर से कार्यक्रम के लिए राज्य को प्रतिपूर्ति करने के लिए भी फंड का उपयोग किया जा सकता है। फंड आवंटन की पद्धति 2011 रिअलाईनमेंट लेजिस्लेशन में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार होगी।

(2) काउंटी कोषाध्यक्ष, शहरी व काउंटी कोषाध्यक्ष, या अन्य उपयुक्त अधिकारी प्रत्येक काउंटी या शहर व काउंटी के राजकोष में काउंटी लोकल रेवेन्यू फंड 2011 बनाएगा। प्रत्येक काउंटी लोकल रेवेन्यू फंड 2011 में मौजूद धन का उपयोग एकमात्र रूप से स्थानीय एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा सेवाओं की व्यवस्था के फंड के लिए किया जाएगा जैसा कि 2011 रिअलाईनमेंट लेजिस्लेशन में वर्णित है।

(3) अनुच्छेद XIII B की धारा 6, या किसी भी अन्य संवैधानिक प्रावधान के बावजूद, 2011 रिअलाईनमेंट लेजिस्लेशन, या अपनाए गए किसी भी विनियम या इस कानून को लागू करने के लिए जारी किसी भी कार्यकारी आदेश या प्रशासनिक निर्देश द्वारा लागू स्थानीय एजेंसी के किसी नए कार्यक्रम या सेवा के उच्च स्तर का आदेश, इस प्रकार का आदेश नहीं बनेगा जिसके लिए राज्य को उस धारा के अर्थ के भीतर फंड द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। कोई भी आवश्यकता जिसका स्थानीय एजेंसी गवर्नमेंट कोड्स के शीर्षक 5 के प्रभाग 2 के भाग 1 के अध्याय 9 (धारा 54950 से शुरू करते हुए) के अनुसार अपनी सार्वजनिक सुरक्षा सेवाओं संबंधी जिम्मेदारियों को पूरा करने, या किसी अन्य संबंध में पालन करती है, अनुच्छेद XIII B की धारा 6 के अंतर्गत प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश नहीं होगा।

(4) (A) 30 सितंबर, 2012 के बाद बना कानून जिसका समग्र प्रभाव 2011 रिअलाईनमेंट लेजिस्लेशन के अनुसार कार्यक्रमों या सेवाओं के स्तरों के लिए स्थानीय एजेंसी द्वारा पहले से वहन किए जा रहे व्ययों को बढ़ाने पर पड़ता है, केवल उसी सीमा तक स्थानीय एजेंसी पर लागू होंगे जिस सीमा तक राज्य द्वारा व्यय वृद्धि के लिए वार्षिक फंडिंग उपलब्ध कराई जाती है। स्थानीय एजेंसियां उस स्तर से अधिक, इस उप-पैराग्राफ में वर्णित, कानून द्वारा आवश्यक कार्यक्रमों या सेवाओं के स्तरों को बढ़ाने के लिए बाध्य नहीं है जिसके लिए फंड प्रदान किया गया है।

(B) 9 अक्टूबर, 2011 के बाद लागू किए गए विनियम, कार्यकारी आदेश, या प्रशासनिक निर्देश जो 2011 रिअलाईनमेंट लेजिस्लेशन लागू करने के लिए आवश्यक नहीं हैं, और जिनका समग्र प्रभाव 2011 रिअलाईनमेंट लेजिस्लेशन के अनुसार कार्यक्रमों या सेवाओं के स्तरों के लिए स्थानीय एजेंसी द्वारा पहले से वहन किए जा रहे व्ययों को बढ़ाने पर पड़ता है, केवल उसी सीमा तक स्थानीय एजेंसी पर लागू होंगे जिस सीमा तक राज्य द्वारा व्यय वृद्धि के लिए वार्षिक फंडिंग उपलब्ध कराई जाती है। स्थानीय एजेंसियां उस स्तर से अधिक, इस उप-पैराग्राफ में वर्णित, नए विनियमों, कार्यकारी आदेशों, या प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमों या सेवाओं के स्तरों को बढ़ाने के लिए बाध्य नहीं है जिसके लिए फंड प्रदान किया गया है।

(C) उप-पैराग्राफ (A) और (B) में वर्णित, उस स्तर से ऊपर जिसके लिए फंडिंग प्रदान की गई है, स्थानीय एजेंसियों द्वारा प्रदान किए जाने वाला कोई भी नया कार्यक्रम या सेवा के उच्चतर स्तर के लिए न तो राज्य द्वारा फंड की वित्तीय सहायता देना आवश्यक होगा और न ही यह अन्य प्रकार से अनुच्छेद XIII B की धारा 6 के अधीन होगा। यह पैराग्राफ अनुच्छेद XIII B की धारा 6 की उपश्रेणी (a) के पैराग्राफ (2) के अंतर्गत वित्तीय सहायता से मुक्त वर्तमान कानून पर लागू नहीं होगा जैसा कि इस पैराग्राफ की 2 जनवरी, 2011 को व्याख्या की गई।

(D) राज्य द्वारा संघीय सरकार को कोई भी ऐसी योजनाएं या अधित्याग, या उन योजनाओं या अधित्यागों में संशोधन नहीं किए जाएंगे जिनका समग्र प्रभाव 2011 रिअलाईनमेंट लेजिस्लेशन के अनुसार कार्यक्रमों या सेवाओं के स्तरों के लिए स्थानीय एजेंसी द्वारा पहले से वहन किए जा रहे व्ययों को बढ़ाने पर पड़ता है, सिवाय उस सीमा तक जिस सीमा तक ये योजनाएं, अधित्याग या संशोधन संघीय कानूनों द्वारा आवश्यक किए जाते हैं, अथवा राज्य बढ़े हुए व्यय के लिए वार्षिक फंडिंग प्रदान करता है।

(E) राज्य के लिए इस पैराग्राफ के अनुसार ऐसे आदेश के लिए फंड की वित्तीय सहायता देना आवश्यक नहीं होगा जिसे राज्य द्वारा स्थानीय एजेंसी के अनुरोध पर या संघीय कानून का पालन करने के लिए लागू किया गया है। इस पैराग्राफ के अनुसार आवश्यक राज्य फंड उपश्रेणी (b) और (d) में वर्णित स्रोतों से पृथक स्रोत से लिये जाएंगे, यथामूल्य, संपत्ति कर, या लोकल रेवेन्यू फंड के सेल्स टैक्स एकाउंट के सोशल सर्विसेज सबएकाउंट।

(5) (A) उप-पैराग्राफ (C) से लेकर (E) तक वर्णित, उपश्रेणी (a) के पैराग्राफ (1) सहित, और 2011 रिअलाईनमेंट लेजिस्लेशन में शामिल कार्यक्रमों के लिए, यदि संघीय अधिनियमों, या विनियमों में उत्तरवर्ती परिवर्तन होते हैं जो उन स्थितियों को बदलते हैं जिनके अंतर्गत 2011 रिअलाईनमेंट लेजिस्लेशन में वर्णित प्रावधानों के अनुसार समान राशि के संघीय फंड प्राप्त किए जाते हैं, और जिनका समग्र प्रभाव स्थानीय एजेंसी द्वारा किए जाने वाले व्ययों के बढ़ने पर पड़ता है, तो राज्य द्वारा उन व्ययों के राज्य द्वारा निर्धारित गैर-संघीय हिस्से का कम से कम 50 प्रतिशत वार्षिक रूप से प्रदान किया जाएगा।

(B) जब राज्य संघीय न्यायिक क्षेत्र या प्रशासनिक कार्यवाही में की गई किसी शिकायता का एक पक्ष होता है जिसमें उप-पैराग्राफ (C) से लेकर (E) तक वर्णित, उपश्रेणी (a) के पैराग्राफ (1) सहित और 2011 रिअलाईनमेंट लेजिस्लेशन में शामिल या एक या अधिक कार्यक्रम शामिल होते हैं, और कोई निपटारा या न्यायिक अथवा प्रशासनिक आदेश होता है जिसमें आर्थिक दंड के रूप में व्यय लगाया जाता है या जिसका समग्र प्रभाव 2011 रिअलाईनमेंट लेजिस्लेशन के अनुसार कार्यक्रमों या सेवाओं के स्तरों के लिए स्थानीय एजेंसियों द्वारा पहले से वहन किए जा रहे व्ययों के बढ़ने में होता है, तो राज्य द्वारा उन व्ययों के राज्य द्वारा निर्धारित गैर-संघीय हिस्से का कम से कम 50 प्रतिशत वार्षिक रूप से प्रदान किया जाएगा। राज्य द्वारा भुगतान करना आवश्यक नहीं है यदि राज्य निर्धारित करता है कि निपटारा या आदेश एक या अधिक ऐसी स्थानीय एजेंसियों से संबंधित है जो मंत्रालय संबंधी कर्तव्य निभाने में विफल रही, अच्छी मंशा के साथ कानूनी बाध्यता पूरी करने में विफल रही है या लापरवाह अथवा असावधान तरीके से काम कर रही है।

(C) इस पैराग्राफ में बताए गए राज्य फंड उपश्रेणी (b) और (d) में वर्णित स्रोतों से पृथक स्रोत से लिये जाएंगे, यथामूल्य, संपत्ति कर, या लोकल रेवेन्यू फंड के सेल्स टैक्स एकाउंट के सोशल सर्विसेज सबएकाउंट।

(6) यदि राज्य या स्थानीय एजेंसी इस धारा के अंतर्गत या 2011 रिअलाईनमेंट लेजिस्लेशन के अंतर्गत कोई कर्तव्य या बाध्यता पूरी करने में विफल रहती है तो किसी उपयुक्त पक्ष द्वारा न्यायिक राहत मांगी जा सकती है। इन कार्यवाहियों को अन्य सभी दीवानी मामलों के ऊपर प्राथमिकता प्राप्त होगी।

(7) काउंटी लोकल रेवेन्यू फंड 2011 में जमा किए गए फंड को इस तरीके से व्यय किया जाएगा जिसे संघीय समान राशि के फंड के लिए राज्य की पात्रता बनाए रखने, और सार्वजनिक सुरक्षा सेवाओं के राज्य के प्रावधान नियंत्रित करने वाले लागू संघीय मानकों का राज्य द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।

(8) काउंटी लोकल रेवेन्यू फंड 2011 में जमा किए गए फंड को स्थानीय एजेंसी द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा सेवाओं के लिए अन्य फंडिंग का स्थान लेने के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

(d) यदि उपश्रेणी (b) में वर्णित करों को कम किया जाता है या निष्प्रभावी बनाया जाता है तो राज्य द्वारा लोकल रेवेन्यू फंड 2011 में जमा राशि के समान या उपश्रेणी (b) में वर्णित करों द्वारा अन्य प्रकार से प्रदान किये जाने वाली कुल राशि से अधिक प्रदान की जाएगी। इस राशि को निश्चित करने का तरीका 2011 रिअलाईनमेंट लेजिस्लेशन में बताया जाएगा और राज्य उस समय तक यह राशि स्थानीय एजेंसियों को देने के लिए बाध्य होगा तब तक कि 2011 रिअलाईनमेंट लेजिस्लेशन द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा सेवा की जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए आवश्यक होता है। यदि राज्य वार्षिक आधार पर यह राशि देने में विफल रहता है तो कंट्रोलर द्वारा इस राशि को जनरल फंड से समानुपातिक आधार पर मासिक हिस्सों में लोकल रेवेन्यू फंड 2011 में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इसके बाद, कंट्रोलर इस राशि को उस तरीके से स्थानीय एजेंसियों को वितरित करेगा जो 2011 रिअलाईनमेंट लेजिस्लेशन में निर्देशित किया गया है। इस उपश्रेणी के अंतर्गत जनरल फंड के धन के लिए राज्य की बाध्यताएं निम्न प्राथमिकता में होंगी जबकि पहली प्राथमिकता अनुच्छेद XVI की धारा 8 के अंतर्गत धन अलग रखने और दूसरी प्राथमिकता अनुच्छेद XVI की धारा 1 में वर्णित मतदाताओं द्वारा स्वीकृत ऋणों व देयताओं का भुगतान करने की होगी।

(e) (1) यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्थानीय सार्वजनिक सुरक्षा सेवाओं को महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया में सार्वजनिक शिक्षा को नुकसान न पहुंचे, एतद्वारा जनरल फंड में एजुकेशन प्रोटेक्शन एकाउंट बनाया गया है ताकि इस धारा के अनुसार लागू करों में उत्तरोत्तर वृद्धि से प्राप्त राजस्व को प्राप्त व वितरित किया जाए, जैसा कि उपश्रेणी (f) में निर्दिष्ट किया गया है।

(2) (A) 30 जून, 2013 से पहले, और 2014 से 2018 तक प्रत्येक वर्ष 30 जून से पहले, कुल मिलाकर, वित्त निदेशक द्वारा अतिरिक्त राजस्व, रिफंड घटाकर, की कुल राशि का अनुमान लगाया जाएगा जो उपश्रेणी (f) में दी गई कर दरों में उत्तरोत्तर वृद्धि से प्राप्त की जाएगी तथा जो अगले वित्तीय वर्ष के दौरान एजुकेशन प्रोटेक्शन एकाउंट में हस्तांतरण हेतु उपलब्ध होगी। वित्त निदेशक द्वारा अतिरिक्त राजस्व, रिफंड घटाकर, के लिए भी ऐसा ही अनुमान 10 जनवरी, 2013 को लगाया जाएगा जो वित्तीय वर्ष 2012–13 की समाप्ति तक प्राप्त होगा।

(B) 2013–14 से लेकर 2018–19 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष की पहली तीन तिमाही में से प्रत्येक तिमाही के अंतिम 10 दिनों के दौरान, कंट्रोलर द्वारा उस वित्तीय वर्ष के उप-पैराग्राफ (A) के अनुसार अनुमानित कुल राशि के एक-चौथाई हिस्से को एजुकेशन प्रोटेक्शन एकाउंट में हस्तांतरित किया जाएगा, सिवाय उस स्थिति के जबकि इस राशि को उप-पैराग्राफ (D) के अनुसार समायोजित किया जा सकता है।

(C) 2012–13 से लेकर 2020–21 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, कुल मिलाकर, वित्त निदेशक एजुकेशन प्रोटेक्शन एकाउंट के लिए लागू प्रावधान के अनुसार निम्नलिखित राशियों को एकसाथ जोड़कर समायोजन की गणना करेगा, जैसा कि उप-पैराग्राफ (D) में बताया गया है:

(i) 2012–13 से लेकर 2018–19 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में, कुल मिलाकर, वित्त निदेशक उप-पैराग्राफ (A) के अनुसार वित्तीय वर्ष के लिए लगाए गए अनुमान की दोबारा गणना करेगा, और उस वित्तीय वर्ष के लिए एजुकेशन प्रोटेक्शन एकाउंट में पहले हस्तांतरित की गई राशियों में से इस नवीनतम अनुमान को घटा देगा।

(ii) जून 2015 में और 2016 से 2021 तक प्रत्येक जून में, कुल मिलाकर, वित्त निदेशक द्वारा दो वर्ष पहले समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए उपश्रेणी (f) में बताई कर दरों में उत्तरोत्तर वृद्धि से प्राप्त अतिरिक्त राजस्व की राशि, रिफंड घटाकर, का अंतिम निर्धारण करेगा। दो वर्ष पहले समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए उपवाक्य (i) में गणना की गई नवीनतम अनुमानित राशि को इस अंतिम निर्धारण की राशि से घटा दिया जाएगा।

(D) यदि उप-पैराग्राफ (C) के अनुसार निर्धारित राशि सकारात्मक है तो कंट्रोलर द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले 10 दिनों के भीतर उस राशि के समान राशि एजुकेशन प्रोटेक्शन एकाउंट में हस्तांतरित की जाएगी। यदि यह राशि नकारात्मक है तो कंट्रोलर द्वारा उस समय तक एजुकेशन प्रोटेक्शन एकाउंट में उत्तरवर्ती तिमाही हस्तांतरण को निलंबित या कम कर दिया जाएगा जब तक कि कुल कमी यहां वर्णित नकारात्मक राशि के बराबर नहीं हो जाती है। उप-पैराग्राफ (C) के उपवाक्य (i) के अनुसार की गई किसी भी गणना के उद्देश्यों के लिए, तिमाही हस्तांतरण की राशि को इस उप-पैराग्राफ के अनुसार किए गए किसी निलंबन या कमी को दर्शाने के लिए संशोधित नहीं किया जाएगा।

(3) एजुकेशन प्रोटेक्शन एकाउंट की समस्त राशि का एतद्वारा स्कूल डिस्ट्रिक्ट, काउंटी के शिक्षा कार्यालयों, चार्टर स्कूलों, और कम्यूनिटी कॉलेज डिस्ट्रिक्ट की सहायता के लिए निरंतर उपयोग किया जाता है जैसा कि इस पैराग्राफ में निर्धारित किया गया है।

(A) इस पैराग्राफ के अनुसार उपयोग किए गए धन का ग्यारह प्रतिशत कैलिफोर्निया कम्यूनिटी कॉलेजेस के बोर्ड ऑफ गर्वनर द्वारा कम्यूनिटी कॉलेज डिस्ट्रिक्ट को तिमाही आवंटन किया जाएगा ताकि एजुकेशन कोड की धारा 84750.5 के अनुसार निर्धारित राशियों के अनुपात में सामान्य उद्देश्य फंडिंग प्रदान की जाए, जैसी कि इस धारा के लिए मतदाता स्वीकृति द्वारा इस संहिता की धारा की व्याख्या की गई है। इस उप-पैराग्राफ के अनुसार गणना की गई आवंटित राशि की उस कमी को एजुकेशन कोड की धारा 84751 की उपश्रेणियों (a), (c) और (d) में निर्दिष्ट राशियों द्वारा पूरा किया जाएगा, जैसी कि इस धारा के लिए मतदाता स्वीकृति द्वारा इस संहिता की धारा की व्याख्या की गई है, जो एजुकेशन कोड की

धारा 84750.5 के अनुसार निर्धारित राशियों से अधिक होती है, जैसी कि इस धारा के लिए मतदाता स्वीकृति द्वारा इस संहिता की धारा की व्याख्या की गई है, बशर्ते कोई भी कम्यूनिटी कॉलेज डिस्ट्रिक्ट प्रत्येक पूर्णकालिक समकक्ष छात्र के लिए एक सौ डॉलर ($100) से कम प्राप्त नहीं करेगा।

(B) इस पैराग्राफ के अनुसार उपयोग किए जाने वाले धन का उन्यासी प्रतिशत सुपरिटेंडेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन द्वारा क्रमश: स्कूल डिस्ट्रिक्ट, काउंटी ऑफिस ऑफ एजुकेशन को सामान्य उद्देश्य फंडिंग के लिए, और चार्टर स्कूलों को राज्य की सामान्य उद्देश्य फंडिंग के लिए एजुकेशन कोड की धारा 2558 और 42238 के अनुसार गणना की गई राजस्व सीमा और काउंटी के शिक्षा कार्यालयों, स्कूल डिस्ट्रिक्ट और चार्टर स्कूलों के लिए एजुकेशन कोड की धारा 47633 के अनुसार गणना की गई राशियों के अनुपात में प्रदान किया जाएगा, जैसी कि मतदाता स्वीकृति द्वारा इस संहिता की धारा की व्याख्या की गई है। इस प्रकार गणना की गई राशि की कमी एजुकेशन कोड की धारा 2558 की उपश्रेणी (c) में निर्दिष्ट राशियों, क्रमश: काउंटी के शिक्षा कार्यालयों, स्कूल डिस्ट्रिक्ट, और चार्टर स्कूलों के लिए एजुकेशन कोड की धारा 42238 और धारा 47635 की उपश्रेणी (h) के पैराग्राफ (1) से लेकर (7) तक के ज़रिए पूरी की जाएगी, जैसी कि मतदाता स्वीकृति द्वारा इस संहिता की धारा की व्याख्या की गई है जो क्रमश: काउंटी के शिक्षा कार्यालयों, स्कूल डिस्ट्रिक्ट, और चार्टर स्कूलों के लिए एजुकेशन कोड की धारा 2558, 42238 और धारा 47633 के अनुसार गणना की राशियों से अधिक होती है, जैसी कि मतदाता स्वीकृति द्वारा इस संहिता की धारा की व्याख्या की गई है, बशर्ते कोई भी काउंटी के शिक्षा कार्यालय, स्कूल डिस्ट्रिक्ट, और चार्टर स्कूल औसत दैनिक उपस्थिति के लिए प्रति इकाई दो सौ डॉलर ($200) से कम प्राप्त नहीं करेगा।

(4) उपश्रेणी स्वत: प्रभावी है और इसके लिए किसी कानून के प्रभावी होने की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद XVI की धारा 8 के पैराग्राफ (h) को लागू करके, अनुच्छेद IV की धारा 12 के अनुसार वार्षिक बजट बिल बनाने के लिए विधायिका व गर्वनर की विफलता के कारण, या विधायिका या गर्वनर द्वारा की गई किसी कार्रवाई या काम करने में विफलता के कारण कैलिफोर्निया कम्यूनिटी कॉलेजेस के बोर्ड ऑफ गर्वनर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन द्वारा एजुकेशन प्रोटेक्शन एकाउंट में धन के वितरण में देरी नहीं की जाएगी या यह अन्य प्रकार से प्रभावित नहीं होगी।

(5) कानून के किसी भी अन्य प्रावधान के बावजूद, एजुकेशन प्रोटेक्शन एकाउंट में जमा धन विधायिका, गर्वनर, या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी द्वारा किए जाने वाले किसी भी व्यय के भुगतान के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

(6) कम्यूनिटी कॉलेज डिस्ट्रिक्ट, काउंटी ऑफिस ऑफ एजुकेशन, स्कूल डिस्ट्रिक्ट, या चार्टर स्कूल के पास यह निर्धारित करने का एकल अधिकार होगा कि एजुकेशन प्रोटेक्शन एकाउंट से प्राप्त धन को स्कूल या इसके न्यायाधिकार क्षेत्र में आने वाले स्कूलों पर किस प्रकार खर्च किया जाए, बशर्ते कि उपयुक्त शासी निकाय या निकाय द्वारा शासी निकाय या निकाय की सार्वजनिक बैठक के खुले सत्र में इस खर्च का निर्धारण किया जाए और एजुकेशन प्रोटेक्शन एकाउंट के किसी भी फंड का उपयोग वेतन या प्रशासकों के लाभ या किसी अन्य प्रशासनिक लागत के लिए नहीं किया जाएगा। प्रत्येक कम्यूनिटी कॉलेज डिस्ट्रिक्ट, काउंटी ऑफिस ऑफ एजुकेशन, स्कूल डिस्ट्रिक्ट, या चार्टर स्कूल अपनी इंटरनेट वेबसाइट पर प्रतिवर्ष इसका हिसाब-किताब प्रकाशित करेगा कि एजुकेशन प्रोटेक्शन एकाउंट से कितना धन प्राप्त हुआ और उस धन में से कितना खर्च किया गया।

(7) कानून की अन्य सभी आवश्यकताओं के अतिरिक्त, यह निश्चित व सत्यापित करने के लिए कम्यूनिटी कॉलेज डिस्ट्रिक्ट, काउंटी ऑफिस ऑफ एजुकेशन, स्कूल डिस्ट्रिक्ट, या चार्टर स्कूलों का वार्षिक स्वतंत्र वित्तीय व अनुपालन ऑडिट किया जाएगा कि क्या एजुकेशन प्रोटेक्शन एकाउंट से प्राप्त फंड इस धारा के अनुसार समुचित रूप से वितरित किए गए व खर्च किए गए। इस धारा की ऑडिट संबंधी अतिरिक्त आवश्यकता का पालन करने के लिए इन निकायों द्वारा खर्च किए गए व्ययों का भुगतान एजुकेशन प्रोटेक्शन एकाउंट की फंडिंग से किया जा सकता है और इस धारा के उद्देश्यों के लिए इन्हें प्रशासनिक लागत नहीं माना जाएगा।

(8) इस धारा के अनुसार एजुकेशन प्रोटेक्शन एकाउंट में जमा करने के लिए उपश्रेणी (f) के अनुसार प्राप्त किए गए राजस्व, रिफंड घटाकर, को अनुच्छेद XVI की धारा 8 के उद्देश्यों के लिए "जनरल फंड राजस्व", "करों से प्राप्त जनरल फंड आय" और "स्कूल डिस्ट्रिक्ट और कम्यूनिटी कॉलेज डिस्ट्रिक्ट की सहायता के लिए राज्य द्वारा उपयोग किया जाने वाला धन" माना जाएगा।

(f) (1) (A) रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कोड के डिवीजन 2 के भाग 1 (धारा 6001 के साथ शुरू होने वाले) द्वारा लागू करों के अतिरिक्त, मूर्त व्यक्तिगत संपत्ति को खुदरा में बेचने के अधिकार के लिए, 1 जनवरी, 2013 को या उसके बाद और 1 जनवरी, 2017 को या उससे पहले इस राज्य में खुदरा पर बेची गई समस्त मूर्त व्यक्तिगत संपत्ति पर किसी भी रिटेलर की सकल प्राप्ति के 1/4 प्रतिशत दर से सभी रिटेलर पर एतद्वारा एक कर लगाया जाता है।

(B) रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कोड के डिवीजन 2 के भाग 1 (धारा 6001 के साथ शुरू होने वाले) द्वारा लागू करों के अतिरिक्त, 1 जनवरी, 2013 को या उसके बाद और 1 जनवरी, 2017 को या उससे पहले इस राज्य में किसी भी रिटेलर से खरीदी गई मूर्त व्यक्तिगत संपत्ति के भंडारण, उपयोग या अन्य उपभोग पर, इस राज्य में संपत्ति की बिक्री कीमत के 1/4 प्रतिशत की दर से भंडारण, उपयोग या अन्य उपभोग के लिए एतद्वारा उत्पाद कर लगाया जाता है।

(C) इस धारा के प्रभावी होने की तिथि पर या इसके बाद लागू किसी भी संशोधन सहित, इस पैराग्राफ के अनुसार लगाए गए करों पर बिक्री व उपयोग कर कानून लागू होगा।

(D) यह पैराग्राफ 1 जनवरी, 2017 को निष्प्रभावी हो जाएगा।

(2) 1 जनवरी, 2012 को या इसके बाद और 1 जनवरी, 2019 को या इससे पहले आरंभ होने वाले किसी भी कर योग्य वर्ष के लिए, रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कोड की धारा 17041 के अनुसार लागू कर के संबंध में, आय कर दायरा और रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कोड की धारा 17041 की उपश्रेणी (a) के पैराग्राफ (1) में निर्धारित 9.3 प्रतिशत दर को निम्निलखित में से प्रत्येक द्वारा संशोधित किया जाएगा:

(A) (i) कर योग्य आय के उस हिस्से के लिए जो दो सौ पचास हजार डॉलर ($250,000) से अधिक परंतु तीन सौ हजार डॉलर ($300,000) से कम है, कर की दर दो सौ पचास हजार डॉलर ($250,000) से अधिक अतिरिक्त राशि का 10.3 प्रतिशत होती है।

(ii) तीन सौ हजार डॉलर ($300,000) से अधिक परंतु पांच सौ डॉलर ($500,000) से कम, कर योग्य आय के इस हिस्से के लिए कर की दर तीन सौ हजार डॉलर ($300,000) से अधिक अतिरिक्त राशि का 11.3 प्रतिशत होती है।

(iii) पांच सौ डॉलर ($500,000) से अधिक कर योग्य आय के इस हिस्से के लिए कर की दर पांच सौ डॉलर ($500,000) से अधिक अतिरिक्त राशि का 12.3 प्रतिशत होती है।

(B) उपपैराग्राफ़ (A) के उपवाक्य (i), (ii) और (iii) में निर्दिष्ट आय कर के दायरे की दोबारा गणना की जाएगी, जैसा कि अन्य प्रकार से केवल 1 जनवरी, 2013 को या इसके बाद आरंभ होने वाले कर योग्य वर्ष के लिए रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कोड की धारा 17041 की उपश्रेणी (h) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार दिया गया है।

(C) (i) रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कोड की धारा 19136 की उपश्रेणी (g) के उद्देश्यों के लिए, इस पैराग्राफ को उस तिथि को मान्य माना जाएगा जिस तिथि को यह प्रभावी होता है।

(ii) रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कोड के डिवीजन 2 के भाग 10 (धारा 17001 से आरंभ) और भाग 10.2 (धारा 18401 से आरंभ) के उद्देश्यों के लिए, इस पैराग्राफ

द्वारा निर्धारित व लागू संशोधित कर दायरे व कर की दरों को रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कोड की धारा 17041 के अंतर्गत निर्धारित व लागू माना जाएगा।

(D) यह पैराग्राफ 1 दिसंबर, 2019 को निष्प्रभावी हो जाएगा।

(3) 1 जनवरी 2012 को या उसके बाद, और 1 जनवरी, 2019 से पहले रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कोड की धारा 17041 के अनुसार लागू कर के संबंध में, रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कोड की धारा 17041 के की उपश्रेणी (c) के पैराग्राफ (1) में निर्धारित आय कर के दायरे और 9.3 प्रतिशत की दर को निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया जाएगा:

(A) (i) कर योग्य आय के उस हिस्से के लिए जो दो सौ पचास हजार डॉलर ($340,000)से अधिक परंतु चार सौ आठ हजार डॉलर ($408,000) से कम है, कर की दर तीन सौ चालीस हजार डॉलर ($340,000)से अधिक अतिरिक्त राशि का 10.3 प्रतिशत होती है।

(ii) चार सौ आठ हजार डॉलर ($408,000) से अधिक परंतु छह सौ अस्सी डॉलर ($680,000) से कम, कर योग्य आय के इस हिस्से के लिए कर की दर चार सौ आठ हजार डॉलर ($408,000) से अधिक अतिरिक्त राशि का 11.3 प्रतिशत होती है।

(iii) छह सौ अस्सी डॉलर ($680,000) से अधिक कर योग्य आय के इस हिस्से के लिए कर की दर छह सौ अस्सी डॉलर ($680,000) से अधिक अतिरिक्त राशि का 12.3 प्रतिशत होती है।

(B) उप पैराग्राफ़ (A) के उपवाक्य (i), (ii) और (iii) में निर्दिष्ट आय कर के दायरे की दोबारा गणना की जाएगी, जैसा कि अन्य प्रकार से केवल 1 जनवरी, 2013 को या इसके बाद आरंभ होने वाले कर योग्य वर्ष के लिए रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कोड की धारा 17041 की उपश्रेणी (h) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार दिया गया है।

(C) (i) रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कोड की धारा 19136 की उपश्रेणी (g) के उद्देश्यों के लिए, इस पैराग्राफ को उस तिथि को मान्य माना जाएगा जिस तिथि को यह प्रभावी होता है।

(ii) रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कोड के डिवीजन 2 के भाग 10 (धारा 17001 से आरंभ) और भाग 10.2 (धारा 18401 से आरंभ) के उद्देश्यों के लिए, इस पैराग्राफ द्वारा निर्धारित व लागू संशोधित कर दायरे व कर की दरों को रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कोड की धारा 17041 के अंतर्गत निर्धारित व लागू माना जाएगा।

(D) यह पैराग्राफ 1 दिसंबर, 2019 को निष्प्रभावी हो जाएगा।

(g) (1) कंट्रोलर अपने वैधानिक अधिकार के अनुसार लोकल रेवेन्यू फंड 2011 और किसी भी काउंटी लोकल रेवेन्यू फंड 2011 के व्ययों का ऑडिट यह सुनिश्चित करने के लिए कर सकता है कि इन फंडों का उपयोग व लेखांकन इस धारा के अनुरूप तरीके से किया गया है।

(2) एटार्नी जनरल या स्थानीय डिस्ट्रिक्ट एटार्नी द्वारा काउंटी लोकल रेवेन्यू फंड 2011 या एजुकेशन प्रोटेक्शन एकाउंट से धन के किसी भी दुरुपयोग की तेजी से जांच की जाएगी, और वे इसके लिए दीवानी या आपराधिक जुर्माने की मांग कर सकते हैं।

खंड 5. प्रभावी तिथि।

कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद XIII की धारा 36 की उपश्रेणी (b), जैसी कि इस प्रयास द्वारा जोड़ी गई है, 1 जुलाई, 2011 को प्रभावी होगी। कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद XIII की धारा 36 की उपश्रेणी (f) के पैराग्राफ (2) और (3), जैसा कि इस प्रयास द्वारा जोड़ा गया है, 1 जनवरी, 2012 से प्रभावी होंगे। इस प्रयास के अन्य सभी प्रावधान उस चुनाव के एक दिन बाद प्रभावी होंगे जिसमें प्रस्तुत प्रयास पर मतदान करके बहुसंख्यक मतदाताओं द्वारा इसे स्वीकार किया जाता है।

खंड 6. परस्पर टकराने वाले प्रयास।

उस स्थिति में जबकि यह प्रयास और अन्य प्रयास जो व्यक्तिगत आय पर कर की दरों के लिए उत्तरोत्तर वृद्धि लागू करता है, एक ही राज्यस्तरीय मतपत्र पर दिखाई देंगे तो अन्य प्रयास या प्रयासों के प्रावधानों को इस प्रयास के साथ परस्पर टकराव वाला माना जाएगा। उस स्थिति में कि इस प्रयास को इसके साथ टकराव वाले प्रयास की तुलना में अधिक संख्या में सकारात्मक मत प्राप्त होते हैं तो इस प्रयास के प्रावधान अपनी संपूर्णता में उपस्थित रहेंगे, और अन्य प्रयास या प्रयासों को अकृत एवं शून्य माना जाएगा।

खंड 7. इस प्रयास द्वारा स्कूल डिस्ट्रिक्ट व कम्यूनिटी कॉलेज डिस्ट्रिक्ट हेतु उस राशि के लिए फंडिंग प्रदान की जाती है जो कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद XVI की धारा 8 के उद्देश्यों के लिए, 2011 के स्टैच्यूट के अध्याय 43 के अनुसार रेवेन्यू व टैक्सेशन कोड की धारा 6051.15 और 6201.15 के अनुसार यदि जमा किए राजस्व को "जनरल फंड राजस्व" या "करों से जनरल फंड आय" माना जाता है तो इस पर प्रदान किए जाने वाली राशि के समान या अधिक होती।

प्रस्ताव 31

यह प्रयास कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद II की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार कैलिफोर्निया के लोगों के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

इस प्रयास द्वारा कैलिफोर्निया संविधान की धाराओं को संशोधित व धाराएं जोड़ी जाती हैं और एजुकेशन कोड व गवर्नमेंट कोड में धाराएं जोड़ी जाती हैं; इसलिए मिटाये जाने के लिए प्रस्तावित वर्तमान प्रावधानों को ~~काटे हुए अक्षरों~~ में प्रकाशित किया गया है और जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधानों को यह दर्शाने के लिए *इटैलिक टाईप* में प्रकाशित किया गया है कि वे नए हैं।

प्रस्तावित कानून

सरकारी प्रदर्शन व जवाबदेही अधिनियम

खंड 1. परिणाम व घोषणाएं

कैलिफोर्निया राज्य के लोग एतद्वारा यह पाते हैं और घोषित करते हैं कि सरकार को होना चाहिए:

1. विश्वसनीय। कैलिफोर्निया सरकार ने अपने नागरिकों का विश्वास खो दिया है और कैलिफोर्निया की जरूरतों को पूरा नहीं कर रही है। करदाता अपने निवेश पर उच्चतर प्रतिफल पाने के पात्र होते हैं और आम लोग सरकारी सेवाओं से बेहतर परिणामों की अपेक्षा करते हैं।

2. परिणामों के लिए जवाबदेह। विश्वास दोबारा अर्जित करने के लिए, सरकार को सभी स्तरों पर परिणामों के लिए जवाबदेह होना चाहिए। लोग यह जानने का अधिकार रखते हैं कि कर के डॉलरों को किस तरह खर्च किया जा रहा है और सरकार कितना अच्छा प्रदर्शन कर रही है। राज्य व स्थानीय सरकारी एजेंसियों को समस्त व्ययों के लिए मापे जाने योग्य परिणाम निर्धारित करने चाहिए और इन परिणामों के लिए होने वाली प्रगति को नियमित व सार्वजनिक रूप से सूचना देनी चाहिए।

3. मितव्ययी। कैलिफोर्निया को वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रतियोगी होने के लिए अपने अल्प सार्वजनिक स्रोतों में बुद्धिमत्तापूर्वक निवेश करना चाहिए। इसके लिए महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं को बढ़ती हुई प्रभाविता व क्षमता के साथ दिया जाना चाहिए।

4. पारदर्शी। यह आवश्यक है कि जनता के कार्य को सार्वजनिक किया जाए। ईमानदारी और खुलापन लोकतंत्र की सत्यनिष्ठा और लोगों व उनकी सरकार के बीच संबंधों को बढ़ाती व सुरक्षित रखती है।

5. परिणामों पर ध्यान केंद्रित। परिणामों को बेहतर करने के लिए, सार्वजनिक एजेंसियों में सार्वजनिक उद्देश्य की स्पष्ट व साझा समझदारी होनी चाहिए। इस प्रयास

द्वारा लोग घोषित करते हैं कि राज्य व स्थानीय सरकारों का उद्देश्य एक समृद्ध अर्थव्यवस्था, गुणवत्तायुक्त पर्यावरण और सामुदायिक निष्पक्षता को बढ़ावा देना है। ये उद्देश्य कम से कम निम्नलिखित लक्ष्यों द्वारा हासिल करके आगे बढ़ते हैं: रोजगार बढ़ाना, शिक्षा बेहतर करना, गरीबी कम करना, अपराध घटाना और स्वास्थ्य बेहतर करना।

6. सहयोग। प्रत्येक डॉलर का महत्व सुनिश्चित करने के लिए, सार्वजनिक एजेंसियों को नौकरशाही कम करने, दोहरापन समाप्त करने, और विवादों को निपटाने के लिए मिलजुलकर काम करना चाहिए। उन्हें सेवाओं को एकीकृत करना चाहिए और ऐसी कार्यनीतियां अपनानी चाहिए जो आजमायी हुई हों और कैलिफोर्निया के लोगों के जीवन में बदलाव ला सकें।

7. लोगों से निकटता। कई सरकारी सेवाएं स्थानीय स्तर पर बेहतर तरीके से प्रदान की जाती हैं जहां सरकारी अधिकारी अपने समाज को जानते हैं और निवासियों की पहुंच निर्वाचित अधिकारियों तक होती है। स्थानीय सरकारों को अपने समुदायों की जरूरतों को पूरा करने वाले कार्यक्रमों को बनाने के लिए लचीलेपन की जरूरत है।

8. क्षेत्रीय नौकरी निर्माण के लिए सहायक। कैलिफोर्निया में कई क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। आर्थिक जीवंतता के कई घटकों का सबसे बेहतर समाधान क्षेत्रीय पैमाने पर होता है। अच्छा वेतन देने वाली नौकरियां निर्मित करने के लिए क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए क्षमता बढ़ाने के मकसद से राज्य द्वारा स्थानीय सरकारों को क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग स्थापित करने में सक्षम व प्रोत्साहित करना चाहिए।

9. सुनने की इच्छुक। गतिमान व प्रतिक्रिया देने वाले लोकतंत्र और प्रतिक्रिया देने वाली व जवाबदेह सरकार सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक भागीदारी आवश्यक है। जब सरकार सुनती है तो अधिक लोग अपने समाज और उनकी सरकारों में सक्रिय भूमिका निभाने के इच्छुक होते हैं।

10. किफायती व चौकस। आज राज्य व स्थानीय सरकारें बजट प्रक्रियाओं पर हजारों मिलियन डॉलर खर्च कर देती हैं जो लोगों को यह नहीं बताता है कि कौन सा काम पूरा हुआ। इन्हीं फंड का बेहतर उपयोग ऐसे बजट तैयार करने में किया जा सकता है जो डॉलर को लक्ष्यों से जोड़ें और इन लक्ष्यों के लिए हुई प्रगति को बताएं, जो सार्वजनिक बजट का प्राथमिक उद्देश्य होता है।

खंड 2. उद्देश्य व अभिप्राय

इस प्रयास को अधिनियमित करने में, कैलिफोर्निया राज्य के लोगों की मंशा है:

1. वर्तमान संसाधनों के साथ राज्य व स्थानीय सरकारों के लिए बजट प्रक्रिया को बेहतर करके परिणाम बेहतर किए जाएं व करदाताओं व लोगों के प्रति जवाबदेही को बढ़ाया जाए।

2. ऐसी राज्य बजट प्रक्रिया के ज़रिए राज्य सरकार को अधिक प्रभावी, सक्षम और पारदर्शी बनाया जाए जो निम्नलिखित काम करें:

a. बजट के ऐसे निर्णयों पर ध्यान केंद्रित करे जो कार्यक्रम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और जहां प्रगति हो रही है।

b. दो वर्षीय बजट का विकास आवश्यक करे और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पांच वर्ष में कम से कम एक बाद प्रत्येक कार्यक्रम की समीक्षा हो कि धन इस समय के दौरान सही ढंग से खर्च हुआ है।

c. प्रमुख नए कार्यक्रमों व कर कटौतियों को अधिनियमित करने से पहले उनके फंडिंग स्रोतों की स्पष्टता से पहचान करना आवश्यक करता हो।

d. कानून बनाने—बजट अधिनियम सहित—को निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा इस पर मत देने से तीन पहले सार्वजनिक किया जाए।

3. धन बचाने, परिणाम बेहतर करने और निम्नलिखित के ज़रिए जनता के प्रति जवाबदेही दोबारा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय सरकारों को मिलजुलकर काम करने के लिए सक्षम व प्रोत्साहित करके सरकारों को जनता के अधिक निकट लाया जाए:

a. स्थानीय सरकारों के बजट निर्णयों को उन चीजों पर केंद्रित करे जो कार्यक्रम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और जहां प्रगति हो रही है।

b. समाज की उन प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए जो वे स्वयं हासिल नहीं कर सकते हैं, एक सार्वजनिक प्रक्रिया के ज़रिए के लिए काउंटी, शहरों और स्कूलों को कम्यूनिटी स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान (सामुदायिक कार्यनीतिक कार्रवाई योजना) विकसित करने का अधिकार देना।

c. स्थानीय सरकारों को अधिकार देना जिससे एक्शन प्लान में लचीलेपन को स्वीकृति मिलती हो कि वे सार्वजनिक कार्यक्रमों में परिणाम बेहतर करने के लिए राज्य के धन को किस प्रकार खर्च करेंगे।

d. स्थानीय सरकारों को अधिकार देना जिससे ऐसे एक्शन प्लान को स्वीकृति मिलती हो कि जिसमें उन राज्य कानूनों या विनियमों को चिह्नित करने की क्षमता हो जो प्रगति को रोकते हैं और राज्य की आवश्यकताएं हासिल करने के लिए स्थानीय नियम बनाने की प्रक्रिया बनाने की क्षमता हो।

e. क्षेत्रीय पैमाने पर अधिक प्रभावी ढंग से पूरे किए जाने वाले लक्ष्य हासिल करने के लिए स्थानीय सरकारों को सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना।

f. एक्शन प्लान विकसित करने के लिए स्थानीय सरकारों को प्रोत्साहन के तौर पर कुछ राज्य फंड प्रदान करना।

g. स्थानीय सरकारों से उनकी प्रगति की रिपोर्ट वार्षिक तौर पर मांगना और निरंतर लचीलेपन की शर्त के तौर पर प्रत्येक चार वर्ष में उनकी कोशिशों का मूल्यांकन करना—इस तरह स्थानीय तौर पर चुने हुए अधिकारियों की स्थानीय मतदाताओं व करदाताओं के प्रति जवाबदेही दोबारा स्थापित करना।

4. प्राथमिकताएं चिह्नित करने, लक्ष्य निर्धारित करने, परिणामों का मापन स्थापित करने, बजट में संसाधन आवंटित करने और प्रगति की निगरानी रखने के लिए लोगों को शामिल किया जाए।

5. बजट सुधारों को लागू करना जैसे यहां पर बिना महत्वपूर्ण अतिरिक्त फंड के राज्य और इसके राजनीतिक उपश्रेणियों की बजट प्रक्रिया को समर्पित वर्तमान संसाधनों का उपयोग करना। इसके अलावा, वर्तमान कर आधारों और राजस्वों से परफोरमेंस एंड एकाउंटेबिलिटी ट्रस्ट फंड स्थापित करना। इसके किसी प्रावधान के लिए करों में वृद्धि या किसी कर दर या आधार में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

खंड 3. कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद IV की धारा 8 को संशोधित किया गया है जो इस प्रकार है:

खंड 8. (a) बिल को पेश करने के बाद 31वें दिन तक नियमित सत्रों में बजट बिल के अलावा अन्य किसी बिल को समिति या किसी भी हाउस द्वारा सुना या उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है जब तक कि हाउस वर्तमान सदस्यता के तीन चौथाई मतों को बोलकर (रोलकॉल) दैनिकी (जर्नल) में दर्ज कराते हुए इस आवश्यकता को समाप्त नहीं करता है।

(b) विधायिका द्वारा संविधि के अतिरिक्त कोई कानून नहीं बनाया जा सकता है और बिल के अतिरिक्त कोई संविधि अधिनियमित नहीं की जा सकती है। कोई भी बिल पास नहीं किया जा सकता है जब तक कि इसे प्रत्येक हाउस में 3 दिनों में शीर्षक सहित पढ़ा नहीं जाता है सिवाय उस स्थिति के जब हाउस वर्तमान सदस्यता के दो तिहाई मतों को बोलकर (रोलकॉल) दैनिकी (जर्नल) में दर्ज कराते हुए इस आवश्यकता को समाप्त नहीं करता है। *जिसे प्राकृतिक आपदा या आतंकवादी हमले से पैदा, गर्वनर द्वारा घोषित आपात स्थिति से निपटने के लिए गर्वनर द्वारा बुलाए गए विशेष सत्र में पास किए गए अत्यावश्यकता शर्त वाले बिल के अतिरिक्त* अन्य कोई भी बिल उस समय तक पास नहीं किया जा सकता है जब तक कि संशोधन सहित बिल ~~प्रकाशित किया जा चुका~~ है *प्रकाशन में* है और सदस्यों को वितरित नहीं किया गया है और *कम से कम 3 दिनों के लिए आम लोगों को उपलब्ध* नहीं है। कोई भी बिल पास नहीं किया जा सकता है जब तक कि प्रत्येक हाउस की बहुसंख्यक सदस्यता द्वारा दैनिकी (जर्नल) में बोलकर मत (रोलकॉल) नहीं डाले जाते हैं।

(c) (1) इस उपश्रेणी के पैराग्राफ (2) व (3) के प्रावधानों के अतिरिक्त, नियमित सत्र में बनाई गई संविधि, संविधि बनाने की तिथि के 90 दिनों की अवधि के बाद अगली 1 जनवरी से प्रभावी होगा और विशेष सत्र में बनाई गई संविधि उस विशेष सत्र के भंग होने के 91वें दिन प्रभावी होगा जिसमें बिल पास किया गया था।

(2) किसी विधान सभा, कांग्रेस संबंधी या अन्य चुनाव जिले की सीमाओं को निर्धारित या परिवर्तित करने वाली संविधि के अलावा, कोई संविधि जिसे विधायी सत्र की द्विवार्षिकी के दूसरे कामकाजी वर्ष में पुन: आयोजित करने के मकसद से संयुक्त विश्राम अवधि के लिए विधायिका स्थगित करने की तिथि को या उससे पहले विधायिका द्वारा पास किए बिल द्वारा बनाया गया है, संविधि बनाने के बाद की अगली 1 जनवरी से प्रभावी होगा जब तक कि 1 जनवरी से पहले, अनुच्छेद II की धारा 10 की उपश्रेणी (d) के अनुसार एटार्नी जनरल को संविधि को प्रभावित करने वाले मत-संग्रह याचिका की एक प्रति प्रस्तुत नहीं की जाती है, जिस स्थिति में संविधि अधिनियमन तिथि के बाद 91वें दिन से प्रभावी होगी जब तक कि याचिका अनुच्छेद II की धारा 9 की उपश्रेणी (b) के अनुसार सेक्रेट्री ऑफ स्टेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जाती है।

(3) चुनाव की मांग करने वाली संविधि, कर छूट या राज्य के सामान्य वर्तमान व्ययों के विनियोजन के लिए संविधि और अत्यावश्यक संविधि उन्हें बनाए जाने के बाद तुरंत प्रभावी हो जाएंगी।

(d) अत्यावश्यक संविधि वे संविधि होती हैं जो सार्वजनिक शांति, स्वास्थ्य या सुरक्षा को तत्काल सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक होती है। आवश्यकता को दर्शाने वाला तथ्य वक्तव्य बिल के एक हिस्से में रखा जाएगा। दो तिहाई सहमत सदस्यता द्वारा दैनिकी (जर्नल) में बोलकर डाले गए मत (रोलकॉल) के ज़रिए, प्रत्येक हाउस में यह हिस्सा और बिल अलग-अलग पास किए जाएंगे। अत्यावश्यक संविधि किसी कार्यालय को बना या समाप्त नहीं कर सकती है या किसी कार्यालय के वेतन, अवधि या कर्तव्यों को बदल नहीं सकती है अथवा कोई विशेष अधिकार या विशेष प्राधिकार नहीं दे सकती है या कोई अंर्तनिहित अधिकार या हित निर्मित नहीं कर सकती है।

खंड 4. कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद IV में धारा 9.5 जोड़ी गई है, जिसकी व्याख्या यह है:

खंड 9.5. विधायिका द्वारा पास किया गया कोई बिल जो (1) अनुच्छेद XIII B की धारा 6 में वर्णित राज्य द्वारा अनिवार्य किए गए स्थानीय कार्यक्रम सहित, राज्य का नया कार्यक्रम या नई एजेंसी बनाता है, या वर्तमान राज्य कार्यक्रम या एजेंसी के दायरे को विस्तारित करता है, जिसका प्रभाव, यदि फंड मिला तो उस वित्तीय वर्ष में या आने वाले किसी भी वित्तीय वर्ष में राज्य लागत में पच्चीस मिलियन डॉलर ($25,000,000) से अधिक शुद्ध वृद्धि के रूप में होगा, या (2) राज्य कर या राज्य राजस्व के अन्य स्रोत को कम करता है जिसका प्रभाव उस वित्तीय वर्ष में या आने वाले किसी भी वित्तीय वर्ष में राज्य लागत में पच्चीस मिलियन डॉलर ($25,000,000) से अधिक शुद्ध वृद्धि के रूप में होगा, अमान्य है जब तक कि राज्य कार्यक्रम में कमी या अतिरिक्त राजस्व, या उनकी संयुक्त रूप से कमी को ऐसी राशि वाले बिल या अन्य बिल में पूरा नहीं किया जाता है जो राज्य लागत या राज्य राजस्व में शुद्ध कमी में शुद्ध वृद्धि के बराबर या उससे अधिक नहीं होती है। इस खंड मे निर्दिष्ट पच्चीस मिलियन डॉलर ($25,000,000) की सीमा को केलिफोर्निया कंज्यूमर प्राईस इंडेक्स के अनुसार मुद्रास्फीति के लिए वार्षिक रूप से समायोजित किया जाएगा।

खंड 5. कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद IV की धारा 10 को संशोधित किया गया है जो इस प्रकार है:

खंड 10. (a) विधायिका द्वारा पास किए जाने वाले प्रत्येक बिल को गवर्नर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यदि गवर्नर इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो यह संविधि (स्टैच्यूट) बन जाता है। गवर्नर इसे भेजने वाले मूल हाउस को आपत्तियों के साथ लौटाकर इस पर वीटो कर सकते हैं, जिससे दैनिकी (जर्नल) में आपत्तियां दर्ज होंगी और इन पर दोबारा विचार करने के लिए भेजा जाएगा। यदि प्रत्येक हाउस सहमत दो तिहाई सदस्यता द्वारा दैनिकी में दर्ज बोलकर डाले जाने वाले मत (रोलकॉल) द्वारा बिल को पास कर देता है तो यह संविधि बन जाती है।

(b) (1) किसी विधान सभा, कांग्रेस संबंधी या अन्य चुनाव जिले की सीमाओं को निर्धारित या परिवर्तित करने वाली संविधि के अलावा, कोई संविधि जिसे विधायी सत्र की द्विवार्षिकी के दूसरे कामकाजी वर्ष में पुन: आयोजित करने के मकसद से संयुक्त विश्राम अवधि के लिए विधायिका स्थगित करने की तिथि को या उससे पहले विधायिका द्वारा पास किया गया है, और यह उस तिथि के बाद गवर्नर के पास है, और जिसे उस तिथि के बाद 30 दिनों के भीतर लौटाया नहीं जाता है वह संविधि बन जाती है।

(2) कोई *संविधि जिसे विधायी सत्र की द्विवार्षिकी के दूसरे कामकाजी वर्ष की 30 जून से पहले विधायिका द्वारा पास किया गया है, और जो 30 जून को या इसके बाद गवर्नर के पास है, और जिसे उस वर्ष की 31 जुलाई को या उससे पहले लौटाया नहीं जाता है वह संविधि बन जाती है। इसके अतिरिक्त,* कोई बिल जिसे विधायी सत्र की द्विवार्षिकी के दूसरे कामकाजी वर्ष की 1 सितंबर से पहले विधायिका द्वारा पास किया गया है, और जो 1 सितंबर को या इसके बाद गवर्नर के पास है, और जिसे उस वर्ष की 30 सितंबर को या उससे पहले लौटाया नहीं जाता है वह संविधि बन जाती है।

(3) गवर्नर को प्रस्तुत किया गया कोई अन्य बिल जिसे 12 दिनों के भीतर लौटाया नहीं जाता है, संविधि बन जाती है।

(4) यदि विशेष सत्र के स्थगित होने के कारण विधायिका वीटो संदेश के साथ बिल का लौटाया जाना रोक देती है, तो बिल संविधि बन जाती है जब तक कि गवर्नर द्वारा इसे जमा कराकर और सेक्रेटी ऑफ स्टेट के कार्यालय में वीटो संदेश देकर, इसे प्रस्तुत करने के 12 दिनों के भीतर इस पर वीटो नहीं देता है।

(5) यदि उस उपश्रेणी के पैराग्राफ (3) और (4) के अनुसार जिस अवधि के भीतर गवर्नर द्वारा कार्रवाई करनी चाहिए, उस अवधि का 12वां दिन शनिवार, रविवार या अवकाश का दिन है तो यह अवधि अगले दिन तक विस्तारित हो जाएगी जो शनिवार, रविवार या अवकाश का दिन नहीं है।

(c) *(1)* विधायी सत्र की द्विवार्षिकी के पहले कामकाजी वर्ष के दौरान प्रस्तुत कोई ऐसा बिल जिसे द्विवार्षिकी के दूसरे कामकाजी वर्ष की 31 जनवरी तक मूल हाउस द्वारा पास नहीं किया गया है, अब हाउस द्वारा कार्रवाई के योग्य नहीं हो सकता है। किसी भी हाउस द्वारा कोई भी बिल ~~सम संख्या वाले वर्ष की 1 सितंबर~~ *द्विवार्षिकी के दूसरे कामकाजी वर्ष की 30 जून* को या उसके बाद पास नहीं किया जा सकता है सिवाय ~~चुनाव की मांग करने वाली संविधि, कर छूट या राज्य के सामान्य वर्तमान व्ययों के विनियोजन के लिए संविधि और अत्यावश्यक संविधि के~~ *ऐसे बिल के जो तत्काल प्रभावी होते हैं,* और गवर्नर द्वारा वीटो किए जाने के बाद बिल पास होते हैं।

(2) किसी भी बिल को द्विवार्षिकी के दूसरे कामकाजी वर्ष में पेश या उस पर विचार नहीं किया जा सकता है जो पर्याप्त रूप से ऐसे किसी भी प्रयास के प्रस्तुत या संशोधित संस्करण के समान प्रभाव रखता है जिसे पैराग्राफ (1) के अनुसार आवश्यक द्विवार्षिकी के दूसरे कामकाजी वर्ष की 31 जनवरी को मूल हाउस द्वारा पास नहीं किया गया था।

(d) *(1)* विधायी सत्र की द्विवार्षिकी के दूसरे कामकाजी वर्ष की 15 नवंबर के बाद विधायिका द्वारा गवर्नर को कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। *द्विवार्षिकी के दूसरे वर्ष की 4 जुलाई के बाद पहले सोमवार को, विधायिका अपने नियमित सत्र के हिस्से के तौर पर कार्यक्रम का सिंहावलोकन व समीक्षा करने के लिए आयोजित की जाएगी। संविधि और बाएनियल बजट एक्ट में निर्धारित प्रदर्शन संबंधी मानकों के आधार पर, राज्य या राज्य की ओर से राज्य फंड से संचालित कार्यक्रमों लागू*

करने वाली स्थानीय एजेंसियों द्वारा लिये गए कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने व प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए विधायिका द्वारा एक निगरानी प्रक्रिया तय की जाएगी। इस प्रावधान की प्रभावी तिथि के एक वर्ष के भीतर, राज्य के सभी कार्यक्रमों के लिए एक समीक्षा समयसारणी निश्चित की जाएगी चाहे इसे राज्य या राज्य की ओर से राज्य फंड से संचालित कार्यक्रमों को लागू करने वाली स्थानीय एजेंसियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस समयसारणी में इसी प्रकार के कार्यक्रमों की समीक्षा का क्रम तय किया जाएगा ताकि कार्यक्रम के उद्देश्यों के बीच के संबंध को चिह्नित किया जा सके और उसकी समीक्षा की जा सके। समीक्षा प्रक्रिया का परिणाम प्रस्तावित विधान के रूप में अनुशंसाओं में आएगा जो कार्यक्रमों को बेहतर या समाप्त करती हैं। प्रत्येक कार्यक्रम की प्रत्येक पांच वर्ष में कम से कम एक बार समीक्षा की जाएगी।

(2) पैराग्राफ (1) के अंतर्गत कार्यक्रम निगरानी के लिए निश्चित प्रक्रिया में यह निश्चित करने के उद्देश्य से अनुच्छेद XI A के अनुसार अपनाई गई कम्यूनिटी स्ट्रेटजिक एक्शन प्लान की समीक्षा भी शामिल होती है कि क्या कोई राज्य संविधि या विनियम जिसे परिणाम बेहतर करने के लिए भागीदार स्थानीय सरकारी एजेंसियों द्वारा राज्य बाधा के रूप में चिह्नित किया गया है, को कम्यूनिटी स्ट्रेटजिक एक्शन प्लान के साथ कम से कम तीन वर्ष के अनुभव की समीक्षा के आधार पर भागीदारी स्थानीय सरकारी एजेंसियों के अनुरोध द्वारा संशोधित या निरस्त किया जाना चाहिए। समीक्षा यह मूल्यांकित करेगी कि क्या एक्शन प्लान द्वारा प्लान में चिह्नित समुदाय के सभी हिस्सों में सेवाओं की आपूर्ति व प्रभाविता को बेहतर किया गया है।

(e) सरकार किसी बिल के अन्य हिस्सों को स्वीकृति देते हुए नियोजन के एक या अधिक बिंदुओं को घटा या समाप्त कर सकती है। गवर्नर इस कार्रवाई के कारण सहित बिल के साथ उन बिंदुओं के विवरण को परिशिष्ट के तौर पर जोड़ेंगे जिन्हें घटाया या समाप्त किया गया है। गवर्नर बिल पेश करने वाले हाउस को विवरण व कारणों की एक प्रति भेजेंगे। घटाये या समाप्त किए गए बिंदुओं पर अलग से विचार किया जाएगा और बिल के समान तरीके से गवर्नर के वीटो के ऊपर पास किया जा सकता है।

(f) (1) यदि 2004–05 वित्तीय वर्ष या बाद के वित्तीय वर्ष के लिए बजट बिल बनाने के बाद, यदि गवर्नर निश्चित करता है कि उस वित्तीय वर्ष के जनरल फंड राजस्व, उस वित्तीय वर्ष के जनरल फंड राजस्व के अनुमान से पर्याप्त कम हो जाएंगे जिस वर्ष पर बजट बिल आधारित है या जनरल फंड व्यय, जनरल फंड राजस्व के उस अनुमान से पर्याप्त अधिक हो जाएंगे, या दोनों होंगे, तो गवर्नर वित्तीय आपातस्थिति घोषित करते हुए घोषणा (प्रोक्लेमेशन) जारी कर सकता है और इसके कारण इस उद्देश्य के लिए विधायिका संयोजित की जाती है। घोषणा (प्रोक्लेमेशन) वित्तीय आपातस्थिति की प्रकृति की पहचान करेगी और वित्तीय आपातस्थिति का समाधान करने के लिए प्रस्तावित विधान के साथ गवर्नर द्वारा विधायिका को प्रस्तुत की जाएगी। *गवर्नर की घोषणा (प्रोक्लेमेशन) की प्रतिक्रिया में, बिल इस वित्तीय आपातस्थिति से निपटने के लिए विधायिका गवर्नर को एक बिल या कई प्रस्तुत कर सकती है।*

(2) यदि विधायिका इसे पास करने में विफल रहती है और घोषणा (प्रोक्लेमेशन) जारी करने के बाद 45वें दिन वित्तीय आपातस्थिति से निपटने के लिए गवर्नर को बिल या कई बिल भेजे जाते हैं तो विधायिका न तो किसी अन्य बिल पर कार्रवाई कर सकती है और न ही संयुक्त अधिवेशन के लिए स्थगित की जा सकती है उस समय तक जब तक कि वह बिल या वे बिल पास नहीं हो जाते हैं और गवर्नर के पास भेज नहीं दिये जाते हैं।

(3) इस धारा के अनुसार घोषित वित्तीय आपातस्थिति से निपटने वाले बिल में इस प्रभाव का एक विवरण होगा। *पैराग्राफ (2) और (4) के उद्देश्यों के लिए, इस विवरण का शामिल किये जाने का मतलब निर्णायक रूप से यह माना जाएगा कि यह बिल वित्तीय आपातस्थिति से निपटता है। इस धारा के अनुसार वित्तीय आपातस्थिति से निपटने वाला बिल जिसमें इस प्रभाव का विवरण होता है, और जिसे पास किया जाता है और वित्तीय आपातस्थिति घोषित करने वाली घोषणा (प्रोक्लेमेशन) जारी करने के बाद 45वें दिन गवर्नर को भेजा जाता है, इसके अधिनियमन पर तत्काल प्रभावी हो जाएगा।*

(4) (A) यदि विधायिका ने वित्तीय आपातस्थिति के दौरान घोषणा (प्रोक्लेमेशन) जारी होने के बाद 45वें दिन तक बिल या कई बिल पास नहीं किए हैं और इन्हें गवर्नर को नहीं भेजा है तो गवर्नर द्वारा उस वित्तीय वर्ष के लिए जनरल फंड के नियोजन को उस सीमा तक कार्यकारी आदेश द्वारा घटाया या समाप्त किया जा सकता है जिस सीमा तक नियोजन अन्य प्रकार से इस संविधान या संघीय कानून के अनुसार आवश्यक नहीं है। गवर्नर द्वारा घटाये या समाप्त किए गए नियोजन की कुल राशि उस राशि तक सीमित रहेगी जिससे संबंधित वित्तीय प्रश्न के जनरल फंड व्यय पैराग्राफ (1) के अनुसार किए गए जनरल फंड राजस्व के सबसे हाल के अनुमान से अधिक न हो।

(B) यदि विधायिका का सत्र चल रहा है तो उप-पैराग्राफ (A) के अनुसार गवर्नर द्वारा कार्यकारी आदेश जारी किए जाने के बाद 20 दिनों के भीतर, वह प्रत्येक हाउस के सहमत दो तिहाई सदस्यों द्वारा बोलकर मत दैनिकी (जर्नल) में दर्ज कराकर समस्त कार्यकारी आदेश या उसके हिस्से को अधिभूत (ओवरराइड) कर सकता है। यदि विधायिका का सत्र नहीं चल रहा है जब गवर्नर ने कार्यकारी आदेश जारी किए हैं तो विधायिका के पास पुन: संयोजित होने और उपरोक्त उल्लेखित मत द्वारा प्रस्ताव से समस्त या आंशिक कार्यकारी आदेश को अधिभूत (ओवरराइड) करने के लिए 30 दिन का समय होगा। विधायिका द्वारा अधिभूत (ओवरराइड) नहीं किए गए कार्यकारी आदेश या इसका हिस्सा कार्यकारी आदेश को अधिभूत (ओवरराइड) करने वाली अवधि समाप्त होने के बाद की तिथि को प्रभावी होगा। वित्तीय आपातस्थिति घोषित करने वाली घोषणा (प्रोक्लेमेशन) जारी करने के बाद 45वें दिन के बाद, पैराग्राफ (2) में निर्धारित प्रतिबंध लागू होना समाप्त हो जाएगा जब (i) इस पैराग्राफ के अनुसार एक या अधिक कार्यकारी आदेश प्रभावी हो जाते हैं, या (ii) विधायिका ने वित्तीय आपातस्थिति से निपटने के लिए बिल या कई बिल पास कर दिए हैं और इन्हें गवर्नर के पास भेज दिया है।

(C) उप-पैराग्राफ (B) के अनुसार बजट में संतुलन वापिस लाने वाला बिल गवर्नर द्वारा हस्ताक्षर करने पर या कानून में निर्दिष्ट तिथि पर तत्काल प्रभाव से लागू होने के लिए, सहमत बहुसंख्यक सदस्यों द्वारा बोलकर मत (रोलकॉल) देते हुए दैनिकी (जर्नल) में दर्ज करके प्रत्येक हाउस में पास किया जा सकता है, बशर्ते कि कोई भी बिल जो नया कर लगाता है या वर्तमान कर में वृद्धि करता है, विधायिका के प्रत्येक हाउस के सदस्यों के दो तिहाई मत द्वारा पास किया जाना चाहिए।

खंड 6. कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद IV की धारा 12 को संशोधित किया गया है जो इस प्रकार है:

खंड 12. (a) *(1)* विषम संख्या वाले प्रत्येक कामकाजी वर्ष के पहले 10 दिनों के भीतर, गवर्नर द्वारा एक विवरणात्मक संदेश के साथ आने वाले दो वित्तीय ~~वर्ष~~ *वर्षों* के लिए एक बजट प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें अनुशंसित राज्य व्यय व इन व्ययों को पूरा करने के लिए उपलब्ध अनुमानित कुल राज्य ~~राजस्व~~ *संसाधनों* के बिंदुवार विवरण शामिल होंगे। *इस उपश्रेणी के अनुसार प्रस्तुत अनुशंसित राज्य व्ययों को पूरा करने के लिए उपलब्ध अनुमानित कुल राज्य संसाधनों के बिंदुवार विवरणों में उन संसाधनों की राशि को चिह्नित किया जाएगा, यदि कोई है जिनके बारे में एक बार उपयोग के संसाधन होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। दो वर्षीय बजट जिसमें बजट वर्ष का बजट और अगले वित्तीय वर्ष का बजट शामिल होगा, को संयुक्त रूप से द्विवार्षिक बजट के तौर पर जाना जाएगा। सम संख्या वाले प्रत्येक वर्ष के पहले 10 दिनों के भीतर, गवर्नर द्विवार्षिक बजट को संशोधित करने के लिए संपूरक बजट प्रस्तुत कर सकता है या अधिनियमित द्विवार्षिक बजट में संवृद्धि कर सकता है।*

(b) द्विवार्षिक बजट में प्रदर्शन और जवाबदेही को बेहतर करने के लिए निम्नलिखित संघटक शामिल होंगे:

(1) बजट वर्ष का बजट और अगले वित्तीय वर्ष के लिए अनुशंसित व्ययों के लिए उपलब्ध कुल संसाधनों का अनुमान।

(2) बजट वर्ष से पहले वाले वित्तीय वर्ष के बाद के तीन वित्तीय वर्षों के लिए अनुमानित व्यय व अनुमानित राजस्व का अनुमानित स्वरूप।

(3) इस बारे में एक विवरण कि बजट किस प्रकार समृद्ध अर्थव्यवस्था, गुणवत्तायुक्त पर्यावरण और सामुदायिक निष्पक्षता को बढ़ावा देगा, कम से कम निम्नलिखित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए काम करके: रोजगार बढ़ाना; शिक्षा बेहतर करना; गरीबी कम करना; अपराध घटाना; और स्वास्थ्य बेहतर करना।

(4) परिणाम संबंधी प्रयासों का विवरण जिसका उपयोग प्रगति का मूल्यांकन करने और आम लोगों को परिणामों की सूचना देने और राज्य एजेंसियों व कार्यक्रमों के लिए प्रदर्शन मानक के लिए किया जाएगा।

(5) राज्य सरकार के प्रत्येक प्रमुख व्यय के लिए परिणाम संबंधी प्रयास का विवरण जिसके लिए बजट में सार्वजनिक संसाधनों के नियोजन का प्रस्ताव है और पैराग्राफ (3) में निर्धारित समग्र उद्देश्यों व लक्ष्यों के साथ उनका संबंध।

(6) इस बारे में विवरण कि राज्य किस प्रकार सार्वजनिक संसाधनों के अपने व्यय व निवेश का तालमेल ऐसे अन्य सरकारी निकायों के साथ करेगा जो पैराग्राफ (3) में निर्धारित समग्र उद्देश्यों व लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राज्य की ओर से राज्य के कामों व कार्यक्रमों को लागू करते हैं।

(7) पैराग्राफ (3) में निर्धारित समग्र उद्देश्यों व लक्ष्यों को हासिल करने की प्रगति के बारे में एक सार्वजनिक रिपोर्ट और पिछले वर्ष के बजट में निर्धारित परिणाम संबंधी उपायों के अनुसार उद्देश्य व लक्ष्य हासिल करने में प्रभावी रहने का मूल्यांकन।

(c) बजट वर्ष और बाद के वित्तीय वर्ष के लिए संयुक्त रूप से, में यदि अनुमानित राजस्व से अधिक व्ययों की अनुशंसा की जाती है तो गवर्नर व्ययों में *कमी करने या* स्रोतों *अथवा दोनों* के लिए अनुशंसा करेगा जिनके द्वारा अतिरिक्त राजस्व प्रदान किए जाने चाहिए। *व्यावहारिक सीमा तक इन अनुशंसाओं में दीर्घकालिक प्रभाव का विश्लेषण होगा जो व्ययों में कमी या अतिरिक्त राजस्व से राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। द्विवार्षिक बजट के साथ पांच वर्षीय पूंजी संरचनागत व कार्यनीतिक विकास योजना के साथ गवर्नर विधायिका को कोई ऐसा कानून प्रस्तुत करेगा जो द्विवार्षिक बजट में नियोजन लागू करने के लिए आवश्यक होगा, जैसा संविधि द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।*

(d) यदि गवर्नर का बजट प्रस्तावित करता है (1) अनुच्छेद XIII B की धारा 6 में वर्णित राज्य द्वारा अनिवार्य किए गए स्थानीय कार्यक्रम सहित, कोई नया राज्य कार्यक्रम, या नई एजेंसी, किसी वर्तमान राज्य कार्यक्रम या एजेंसी का दायरा विस्तारित करता है जिसका प्रभाव फंड प्रदान किए जाने पर उस वित्तीय वर्ष या उत्तरवर्ती किसी भी वित्तीय वर्ष में पच्चीस मिलियन डॉलर ($25,000,000) से अधिक राज्य लागत में शुद्ध वृद्धि होने में होगा, या (2) किसी राज्य कर या राज्य राजस्व के किसी अन्य स्रोत को कम करता है जिसका प्रभाव उस वित्तीय वर्ष या उत्तरवर्ती किसी भी वित्तीय वर्ष में पच्चीस मिलियन डॉलर ($25,000,000) से अधिक राज्य राजस्व में शुद्ध कमी होने में होगा, तो बजट में इस कमी को पूरा करने के लिए उस राशि की राज्य कार्यक्रम में कमी या अतिरिक्त राजस्व, या इन्हें संयुक्त करना प्रस्तावित किया जाएगा जो राज्य लागत शुद्ध वृद्धि या राज्य राजस्व में शुद्ध कमी के बराबर या उससे अधिक होती है। इस उपश्रेणी में निर्दिष्ट पच्चीस मिलियन डॉलर ($25,000,000) की सीमा केलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अनुसार मुद्रास्फीति के लिए वार्षिक रूप से समायोजित की जाएगी।

~~(b)~~ *(e)* गवर्नर या निर्वाचित गवर्नर किसी राज्य एजेंसी, अधिकारी या कर्मचारी को ऐसी कोई भी सूचना देने क लिए कह सकता है जो *द्विवार्षिक* बजट और *कोई संपूरक बजट* तैयार करने के लिए आवश्यक समझी जाती है।

~~(c)~~ *(f)* (1) *द्विवार्षिक* बजट और *कोई संपूरक बजट* के साथ *बजट वर्ष और उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष* के लिए अनुशंसित व्ययों का बिंदुवार बजट बिल होगा। *संपूरक बजट के साथ संपूरक बजट प्रस्तावित करने वाला बिल होगा।*

(2) बजट बिल *या संपूरक बजट बिल से संबंधित नियोजन के लिए प्रदान किए जाने वाले बजट बिल व अन्य बिल, जैसा कि उन्हें गवर्नर ने प्रस्तुत किया है,* बजट पर विचार करने वाली समितियों के अध्यक्षों द्वारा प्रत्येक हाउस में तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

(3) बजट बिल पर विधायिका के प्रत्येक हाउस द्वारा उपयुक्त समितियों द्वारा विचार करने के बाद, प्रत्येक वर्ष 1 मई को या इससे पहले, प्रत्येक हाउस बजट बिल को विधायिका की संयुक्त समिति को भेजेगा जिसमें कांफ्रेंस कमेटी शामिल हो सकती है जो बजट बिल और बजट बिल से संबंधित नियोजन उपलब्ध कराने वाले अन्य बिल की समीक्षा करेगी और अपनी अनुशंसाओं की रिपोर्ट प्रत्येक हाउस को प्रत्येक वर्ष 1 जून से पहले सौंप देगी। इसमें संयुक्त समिति के साथ नीति समिति को इनमें से कोई बिल भेजना शामिल नहीं होगा।

~~(3)~~ *(4)* बजट बिल और *बजट बिल से संबंधित नियोजन उपलब्ध कराने वाले अन्य बिल* को प्रत्येक वर्ष की 15 जून को विधायिका अर्द्धरात्रि तक पास कर देगी। *उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष के लिए बजट बिल और बजट बिल से संबंधित नियोजन उपलब्ध कराने वाले अन्य बिल के नियोजनों को बजट वर्ष में विस्तारित नहीं किया जाएगा।*

~~(4)~~ *(5)* जब तक बजट बिल अधिनियमित नहीं होता है विधायिका गवर्नर को ~~वित्तीय~~ *बजट* वर्ष *या उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष* ~~जिसके लिए बजट बिल बनाया जाना है~~, विचार के लिए नहीं भेजेगी सिवाय आपात बिल के जिनकी अनुशंसा गवर्नर द्वारा की गई है या जो विधायिका के वेतन व व्ययों के नियोजन के लिए हैं।

~~(d)~~ *(g)* बजट बिल *या संपूरक बजट बिल* के अतिरिक्त किसी बिल में नियोजन के एक से अधिक बिंदु हो सकते हैं, और वह एक निश्चित बिंदु भी स्पष्ट उद्देश्यों के लिए हो सकता है। सरकारी स्कूलों के लिए नियोजन और बजट बिल के लिए नियोजनों, *संपूरक बजट बिल* और बजट बिल से संबंधित नियोजनों के लिए अन्य बिलों में नियोजन के सिवाय, राज्य के जनरल फंड से नियोजन अमान्य हैं जब तक कि इन्हें सहमत दो तिहाई सदस्यों द्वारा प्रत्येक हाउस में बोलकर मत डालने (रोलकॉल) को दैनिकी (जर्नल) में दर्ज कराकर पास नहीं किया जाता है।

~~(e)~~ *(h)* (1) कानून के किसी प्रावधान या संविधान के बावजूद, बजट बिल, *संपूरक बजट बिल* और बजट बिल से संबंधित नियोजन प्रदान करने वाले अन्य बिल गवर्नर द्वारा हस्ताक्षर करने पर या कानून में निर्दिष्ट तिथि पर तत्काल प्रभाव से लागू होने के लिए, सहमत बहुसंख्यक सदस्यों द्वारा बोलकर मत (रोलकॉल) देते हुए दैनिकी (जर्नल) में दर्ज करके प्रत्येक हाउस में पास किया जा सकता है। इस उपश्रेणी के किसी प्रावधान से इस धारा की उपश्रेणी ~~(d)~~ *(g)* और इस अनुच्छेद की धारा 8 की उपश्रेणी (b) में शामिल सरकारी स्कूलों के लिए नियोजन की मत संबंधी आवश्यकता प्रभावित नहीं होगी।

(2) इस धारा के उद्देश्यों के लिए, "बजट बिल से संबंधित नियोजन प्रदान करने वाले अन्य बिल *या संपूरक बजट बिल*" में केवल वे बिल ही शामिल होंगे जिन्हें विधायिका द्वारा पास बजट बिल में बजट से संबंधित *या संपूरक बजट बिल* से संबंधित के तौर पर चिह्नित किया गया है।

(3) इस धारा के उद्देश्यों के लिए, "बजट बिल" का मतलब ऐसे बिल या कई बिलों से होगा जिसमें बजट वर्ष और उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष के लिए बजट शामिल है।

~~(f)~~ *(i)* विधायिका द्वारा बजट प्रस्तुत करने, स्वीकृति और लागू करने और सभी राज्य एजेंसियों द्वारा दावा प्रस्तुत करने को नियंत्रित किया जा सकता है।

~~(g)~~ *(j)* वित्तीय वर्ष 2004–05 या किसी भी उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष के लिए, विधायिका द्वारा न तो कोई कानून विचारार्थ गवर्नर के पास भेजा ~~जा सकता है~~ *जाएगा*, और न ही गवर्नर उस पर हस्ताक्षर ~~कर सकते हैं~~ *करेंगे*, जो बजट वर्ष के

लिए या *उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष के लिए बजट* बिल से संबंधित होगा जो *द्विवार्षिक बजट के* ~~उक्त~~ *प्रत्येक* वित्तीय वर्ष से ऐसी कुल राशि को जनरल फंड से प्राप्त करेगा जिसे बजट बिल की स्वीकृति की तिथि को उस वित्तीय वर्ष के लिए जनरल फंड से किए गए समस्त नियोजनों के साथ, और अनुच्छेद XVI की धारा 20 के अनुसार उस वित्तीय वर्ष के लिए बजट स्टेबलाइजेशन एकाउंट में हस्तांतरित जनरल फंड के धन की राशियों के साथ जोड़ा जाता है तो यह बजट बिल की स्वीकृति की तिथि को अनुमानित उस वित्तीय वर्ष के लिए *पिछले वित्तीय वर्ष से उपलब्ध जनरल फंड राजस्व, हस्तांतरित, शेष राशि* से अधिक होता है। कि जनरल फंड राजस्व, *हस्तांतरित, शेष राशि* का ~~वह~~ *यह* अनुमान विधायिका द्वारा पास बजट बिल में तय किया जाएगा। *विधायिका द्वारा पास बजट बिल में द्विवार्षिक बजट के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इस उपश्रेणी में वर्णित कुल जनरल फंड बाध्यताओं का विवरण, उस राशि के बारे में स्पष्टीकरण सहित जिसके द्वारा विधायिका तत्कालिक पिछले वित्तीय वर्ष के लिए जनरल फंड राजस्व से भिन्न करने के लिए उस वित्तीय वर्ष के जनरल फंड राजस्व को प्रस्तुत करती है और इसके साथ जनरल फंड राजस्व के अनुमान के आधार के बारे में स्पष्टीकरण दिया जाएगा।*

~~(h)~~ *(k)* इस धारा की उपश्रेणी ~~(c)~~ *(f)* इस अनुच्छेद की धारा 4 और अनुच्छेद III की धारा 4 व 8 सहित, कानून के किसी प्रावधान या इस संविधान के बावजूद, किसी भी वर्ष में जिसमें 15 जून की अर्द्धरात्रि तक विधायिका द्वारा बजट बिल पास नहीं किया जाता है, 15 जून की अर्द्धरात्रि से लेकर उस तिथि तक जब गर्वनर को बजट बिल प्रस्तुत नहीं किया जाता है, की अवधि के लिए किसी भी नियमित या विशेष सत्र के दौरान विधायिका के सदस्यों के लिए यात्रा व निर्वाह व्यय हेतु कोई वेतन या प्रतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए वर्तमान या भविष्य के बजट से कोई नियोजन नहीं किया जाएगा। इस उपश्रेणी के अनुसार समाप्त यात्रा या निर्वाह व्ययों के लिए किसी वेतन या प्रतिपूर्ति का भुगतान पूर्व क्रियाकलापों के लिए नहीं किया जाएगा।

खंड 7. कैलिफोर्निया संविधान में अनुच्छेद XI A जोड़ा गया है, जो इस प्रकार है:

अनुच्छेद XI A
कम्यूनिटी स्ट्रेटजिक एक्शन प्लान

खंड 1. (a) कैलिफोर्निया निवासी यह अपेक्षा व मांग करते हैं कि स्थानीय सरकारी निकाय सार्वजनिक रूप से व्ययों के उद्देश्यों को और यह स्पष्ट करें कि क्या उनके लक्ष्यों की ओर प्रगति की जा रही है। इसलिए, इस संविधान के प्रावधान की किसी अन्य आवश्यकता के अतिरिक्त, प्रत्येक स्थानीय सरकारी निकाय द्वारा अपनाये गये बजट में निम्नलिखित सभी शामिल होंगे क्योंकि वे निकाय की शक्तियों व कर्तव्यों पर लागू होते हैं:

(1) एक विवरण कि बजट, किस प्रकार समृद्ध अर्थव्यवस्था, गुणवत्तायुक्त पर्यावरण और सामुदायिक निष्पक्षता को बढ़ावा देगा, जो स्थानीय सरकारी निकाय के कामों, भूमिका, और स्थानीय तौर पर निर्धारित प्राथमिकताओं पर लागू होती हैं और जो निम्नलिखित लक्ष्यों में दिखते हैं: रोजगार बढ़ाना, शिक्षा बेहतर करना, गरीबी कम करना, अपराध घटाना, स्वास्थ्य बेहतर करना और अन्य सामुदायिक प्राथमिकताएं।

(2) परिणाम संबंधी प्रयासों का विवरण जिसका उपयोग पैराग्राफ (1) के अनुसार स्थानीय सरकार द्वारा तय लक्ष्यों के लिए समुदाय के सभी हिस्सों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए किया जाएगा।

(3) सरकार के प्रत्येक प्रमुख व्यय के लिए परिणाम संबंधी प्रयास का विवरण जिसके लिए बजट में सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है और पैराग्राफ (1) के अनुसार स्थानीय सरकारी निकाय द्वारा तय समग्र लक्ष्यों के साथ उनका संबंध।

(4) इस बारे में विवरण कि स्थानीय सरकारी निकाय किस प्रकार अपने व्ययों व सार्वजनिक संसाधनों के निवेश को पैराग्राफ (1) के अनुसार स्थानीय सरकारी निकाय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एकीकृत करेगी।

(5) पैराग्राफ (1) के अनुसार स्थानीय सरकारी निकाय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने की प्रगति के बारे में एक सार्वजनिक रिपोर्ट और पिछले वर्ष के बजट में निर्धारित उपायों के अनुसार परिणाम हासिल करने में प्रभावी रहने का मूल्यांकन।

(b) प्रत्येक स्थानीय सरकारी निकाय एक खुला व पारदर्शी प्रक्रिया विकसित व लागू करेगा जो पैराग्राफ (1) की उपश्रेणी (a) के अनुसार समुदाय की प्राथमिकताएं चिह्नित करने सहित, इसके प्रस्तावित बजट के विकास में समुदाय के सभी पहलुओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है।

(c) यह धारा स्थानीय सरकारी निकाय के बजट वर्ष में प्रभावी होगी जो वर्ष 2014 में आरंभ होता है।

(d) इस धारा के प्रावधान स्वत:प्रभावी हैं और केवल उन गतिविधियों पर लागू करने के लिए इनकी व्याख्या की जाती है जिन पर स्थानीय निकायों का अधिकार होता है।

खंड 2. (a) कोई काउंटी बोर्ड ऑफ सुपरवाइज़र्स की कार्रवाई द्वारा कम्यूनिटी स्ट्रेटजिक एक्शन प्लान बनाने का काम आरंभ कर सकती है जिसके इसके बाद एक्शन प्लान कहा जाएगा। काउंटी के भीतर की उन सभी अन्य स्थानीय सरकारी निकायों को भागीदारी के लिए आमंत्रित करेगी जिनके वर्तमान कार्य या सेवाएं एक्शन प्लान के पूर्वानुमानित दायरे के भीतर हैं। काउंटी के भीतर का कोई भी स्थानीय सरकारी निकाय योजना बनाने की प्रक्रिया में शामिल करने, या एक्शन प्लान को संशोधित करने के मकसद से, एक्शन प्लान आरंभ करने के लिए बोर्ड ऑफ सुपरवाइज़र्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत कर सकता है।

(b) भागीदारी करने वाला स्थानीय सरकारी निकाय एक खुली व पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से एक्शन प्लान का ड्राफ्ट तैयार करेगा जिससे समुदाय के आसपास के नेताओं सहित, समुदाय के सभी पहलुओं की हिस्सेदारी को प्रोत्साहन मिले। एक्शन प्लान में निम्नलिखित सभी पहलू शामिल होंगे:

(1) एक विवरण जो (A) रेखांकित करता है कि इस अनुच्छेद के खंड 1 की उपश्रेणी (a) के पैराग्राफ (1) से लेकर (5) सम्मिलित, में निर्धारित उद्देश्यों व लक्ष्यों को एक्शन प्लान किस प्रकार हासिल करेगा, (B) वे सार्वजनिक सेवाएं जो एक्शन प्लान के अनुसार दी जाएंगी और भागीदार निकायों की भूमिकाओं व जिम्मेदारियों का वर्णन करता है, (C) स्पष्ट करता है कि क्यों इन सेवाओं को एक्शन प्लान के अनुसार अधिक प्रभावी तरीके से व क्षमतापूर्वक प्रदान किया जाएगा, (D) संभवत: परफोरमेंस एंड एकाउंटेबिलिटी ट्रस्ट फंड से प्राप्त होने वाले फंड सहित, प्लान को समर्थन देने वाले संसाधनों के आवंटन का ब्यौरा देता है, (E) एक्शन प्लान द्वारा जिन समुदायों की सेवा की जाती है उनके भीतर मौजूद विषमताओं पर विचार करता है, और (F) स्पष्ट करता है कि किस प्रकार एक्शन प्लान भागीदार स्थानीय सरकारी निकाय द्वारा स्वीकार किए गए बजट के अनुरूप है।

(2) भागीदार स्थानीय सरकारी निकाय द्वारा वांछित परिणाम और यह कि ये परिणाम किस प्रकार मापे जाएंगे।

(3) सार्वजनिक रूप से व राज्य को परिणामों की नियमित सूचना देने का तरीका।

(c) (1) एक्शन प्लान काउंटी के भीतर मौजूद प्रत्येक भागीदार स्थानीय सरकारी निकाय की गवर्निंग बॉडी (शासी निकाय) को प्रस्तुत किया जाएगा। सहयोग का न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के लिए, एक्शन प्लान को ऐसी काउंटी, स्थानीय सरकारी निकाय द्वारा स्वीकृति दी जानी चाहिए जो एक्शन प्लान के अनुसार काउंटी की न्यूनतम रूप से बहुसंख्या को नगर निगम संबंधी सेवाएं प्रदान कर रही हैं, और एक या अधिक स्कूल डिस्ट्रिक्ट जो काउंटी में सरकारी स्कूल के छात्रों की न्यूनतम रूप से बहुसंख्या के लिए काम कर रहे हैं।

(2) काउंटी सहित, स्थानीय सरकारी निकाय द्वारा एक्शन प्लान, या एक्शन प्लान में संशोधन को स्वीकृति देने के लिए उस निकाय की गवर्निंग बॉडी की सदस्यता के बहुसंख्यक मत की आवश्यकता होगी। एक्शन प्लान किसी भी ऐसे स्थानीय सरकारी निकाय पर लागू नहीं होगा जो इस पैराग्राफ के प्रावधान के अनुसार एक्शन प्लान को स्वीकृति नहीं देता है।

31 *(d)* एक्शन प्लान को अपनाने के बाद, काउंटी ऐसे अनुबंध कर सकती है जो प्रत्येक भागीदार निकायों के कर्तव्य व बाध्यताओं को चिह्नित कर सकते हैं व इन्हें सौंप सकते हैं, बशर्ते कि उक्त अनुबंध एक्शन प्लान लागू करने के लिए आवश्यक हों और प्रत्येक स्थानीय सरकारी निकाय की गवर्निंग बॉडी के बहुसंख्यक मत द्वारा स्वीकृत किए गए हों जो इस अनुबंध में एक पक्ष है।

(e) इस धारा के अनुसार एक्शन प्लान को स्वीकार कर चुके और इस अनुच्छेद के खंड *3* की आवश्यकताओं को पूरा कर चुके स्थानीय सरकारी निकाय, यदि लागू है, एक्शन प्लान में चिह्नित सेवाओं को प्रदान करने के उद्देश्य से उन्हें सौंपे गए राज्य या स्थानीय फंड को इस प्रकार एकीकृत कर सकते हैं जो एक्शन प्लान के लक्ष्यों को आगे बढ़ाए।

खंड *3.* *(a)* यदि इस अनुच्छेद के खंड *2* के अनुसार अपनाए गए एक्शन प्लान के पक्ष यह निष्कर्ष निकालते हैं कि फंड के व्यय को सीमित करने वाले संविधि या विनियम सहित, कोई राज्य संविधि या विनियम एक्शन प्लान के लक्ष्य प्राप्त करने की प्रगति को रोकता है या उन्हें एक्शन प्लान को लागू करने के लिए अतिरिक्त संविधात्मक अधिकार चाहिए तो स्थानीय सरकारी निकाय एक्शन प्लान में ऐसे प्रावधान शामिल कर सकते हैं जो कार्यात्मक रूप से लागू संविधि या विनियम के उद्देश्य या उद्देश्यों के समान होते हैं। इस प्रावधान में वांछित राज्य उद्देश्य, बेहतर परिणामों के लिए नियम किस प्रकार बाधा है, प्रस्तावित सामुदायिक नियम, और ये विवरण शामिल होंगे कि किस प्रकार समृद्ध अर्थव्यवस्था, गुणवत्तायुक्त पर्यावरण और सामुदायिक निष्पक्षता को बढ़ाते हुए बेहतर परिणाम देने में सामुदायिक नियम योगदान दे सकते हैं। इस धारा के उद्देश्यों के लिए, कोई प्रावधान कार्यात्मक रूप से संविधि या विनियम के उद्देश्य या उद्देश्यों के समकक्ष है यदि यह पर्याप्त रूप से संविधि या विनियम की नीति व उद्देश्य का पालन करता है।

(b) विभिन्न पक्ष एक या अधिक राज्य संविधि के संबंध में उपश्रेणी *(a)* में वर्णित कार्यात्मक रूप से समकक्ष प्रावधानों वाले एक्शन प्लान को नियमित या विशेष सत्र के दौरान विधायिका के सामने प्रस्तुत करेंगे। यदि एक्शन प्लान प्राप्त होने के बाद *60* दिनों के भीतर प्रावधानों को अस्वीकृत करने के लिए विधायिका प्रस्ताव या अन्य प्रकार से कोई कार्य नहीं करती है तो ये प्रावधान कानून में इस प्रभाव के साथ प्रभावी समझे जाएंगे जिससे प्रावधानों का पालन राज्य संविधि या संविधियों का पालन माना जाएगा।

(c) यदि इस अनुच्छेद की धारा *2* के अनुसार किसी एक्शन प्लान के पक्ष निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई विनियम एक्शन प्लान के लक्ष्यों को रोकता है, तो वे उस एजेंसी या विभाग को अपना प्रस्ताव सौंपकर इस धारा की उपश्रेणी *(a)* में वर्णित प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं जो इस विनियम को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार हैं और जो इस प्रस्ताव पर *60* दिनों के भीतर विचार करेंगे। यदि एक्शन प्लान प्राप्त होने के बाद *60* दिनों के भीतर एजेंसी या विभाग प्रावधानों को अस्वीकृत करने के लिए कोई कार्य नहीं करते हैं तो ये प्रावधान कानून में इस प्रभाव के साथ प्रभावी समझे जाएंगे जिससे प्रावधानों का पालन राज्य संविधि या संविधियों का पालन माना जाएगा। प्रावधानों को अस्वीकृत करने की किसी भी कार्रवाई में ऐसा करने के कारण बताने वाला विवरण शामिल होगा।

(d) यह धारा केवल उन संविधियों या विनियमों पर लागू होगी जो किसी ऐसे राज्य कार्यक्रम की व्यवस्था को सीधे नियंत्रित करती हैं जिसका वित्तपोषण पूरी तरह या आंशिक तौर पर राज्य फंड से होता है।

(e) इस खंड के अनुसार प्रदान किया गया कोई भी अधिकार प्रभावी होने की तिथि से चार वर्ष बाद स्वत: समाप्त हो जाएगा, जब तक कि उसे इस धारा के अनुसार नवीनीकृत नहीं किया जाता है।

खंड *4.* *(a)* इस अनुच्छेद के अनुसार तैयार किए गए कम्यूनिटी स्ट्रेटजिक एक्शन प्लान में शामिल एकीकृत सेवा आपूर्ति को लागू करने के लिए राज्य संसाधन प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य कोष (स्टेट ट्रेज़री) में एतद्वारा परफोरमेंस एंड एकाउंटेबिलिटी ट्रस्ट फंड स्थापित किया जाता है। गवर्नमेंट कोड की धारा *13340* के होते हुए भी, फंड में मौजूद धन का एकमात्र रूप से इस अनुच्छेद में दिए गए उद्देश्यों के लिए निरंतर उपयोग किया जाएगा। अनुच्छेद *XVI* के खंड *8* के उद्देश्यों के लिए, इस अनुच्छेद को जोड़ने वाले अधिनियम के अनुसार परफोरमेंस एंड एकाउंटेबिलिटी ट्रस्ट फंड में हस्तांतरित राजस्व को करों की जनरल फंड आय माना जाएगा जिसका उपयोग अनुच्छेद *XIII B* के अनुसार किया जा सकता है।

(b) संविधि के अनुसार परफोरमेंस एंड एकाउंटेबिलिटी ट्रस्ट फंड में मौजूद धन उन काउंटियों को वितरित किया जाएगा जिनके एक्शन प्लान में फंड के व्यय के लिए ऐसा बजट शामिल होता है जो इस अनुच्छेद के खंड *1* व *2* को पूरा करते हैं।

(c) एक्शन प्लान के अनुसार स्कूल डिस्ट्रिक्ट को आवंटित किसी भी फंड का भुगतान परफोरमेंस एंड एकाउंटेबिलिटी ट्रस्ट फंड के बजाये राजस्व स्रोत से ही होना चाहिए और यह भुगतान एक्शन प्लान के भागीदार निकायों द्वारा तय किसी अन्य स्रोत से भी किया जा सकता है। एक्शन प्लान के अनुसार किसी भी स्कूल डिस्ट्रिक्ट को प्राप्त होने वाले आवंटन को अनुच्छेद *XVI* के खंड *8* के उद्देश्यों के लिए कर से जनरल फंड आय या आवंटित की गई कर से स्थानीय आय नहीं माना जाएगा।

खंड *5.* इस अनुच्छेद के खंड *2* के अनुसार एक्शन प्लान को अपनाने वाली काउंटी प्रत्येक चार वर्ष में कम से कम एक बार एक्शन प्लान की प्रभाविता का मूल्यांकन करेगी। मूल्यांकन प्रकिया में आम लोगों से इस पर टिप्पणियां प्राप्त करने और इन टिप्पणियों को अंतिम रिपोर्ट में शामिल करने का अवसर रहेगा। मूल्यांकन का उपयोग भागीदार निकायों द्वारा एक्शन प्लान को बेहतर करने और आम लोगों द्वारा अपनी सरकार के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए किया जाएगा। मूल्यांकन में उस सीमा की समीक्षा शामिल होगी जिस सीमा तक धारा *1* की उपश्रेणी *(a)* के पैराग्राफ *(1)* से *(5)* सम्मिलित, में निर्धारित उद्देश्यों व लक्ष्यों को हासिल किया है, इनके सहित: लागू सरकारी सेवाओं की आपूर्ति व प्रभाविता में भागीदार निकायों के बीच परिणाम बेहतर करना; सामुदायिक विषमता को कम करने में हुई प्रगति; और क्या ये सेवाएं प्राप्त करने वाले व्यक्तियों या समुदाय के सदस्यों को एक्शन प्लान को विकसित करने व उसे लागू करने में प्रतिनिधित्व दिया गया था।

खंड *6.* *(a)* राज्य इस पर विचार करेगा कि खंड *2* के अनुसार अपनाए गए एक्शन प्लान के ज़रिए स्थानीय सरकारी निकाय द्वारा सेवाओं को अधिक प्रभावी व सक्षम तरीके से देने में वह किस प्रकार उनकी मदद कर सकता है। इस लक्ष्य के अनुरूप, राज्य या उसका कोई विभाग या एजेंसी एक या अधिक स्थानीय सरकारी निकाय के साथ अनुबंध कर सकता है जो ऐसे काम करने के लिए एक्शन प्लान में भागीदार हैं जिन्हें अनुबंध करने वाले पक्ष तय करते हैं कि ये स्थानीय स्तर पर अधिक प्रभावी व सक्षम तरीके से किए जा सकते हैं। इस खंड के अनुसार किए गए कोई भी अनुबंध धारा *2* की आवश्यकताओं के अनुसार अपनाए एक्शन प्लान के अनुरूप होगा।

(b) राज्य इस पर विचार करेगा व निर्धारित करेगा कि वह किस प्रकार उन चुनौतियों को पूरा करने और उन समस्याओं का समाधान करने के मकसद से मिलजुलकर काम करने के लिए स्थानीय सरकारी निकाय और जनता के प्रतिनिधियों के प्रयासों को वित्तीय व नियामक प्रोत्साहन के ज़रिए समर्थन दे सकता है जिन्हें स्थानीय सरकारी निकाय द्वारा स्वैच्छिक व संयुक्त रूप से निश्चित किया जाता है कि वे समृद्ध अर्थव्यवस्था, गुणवत्तायुक्त पर्यावरण और सामुदायिक निष्पक्षता बढ़ाने के लिए किसी क्षेत्र के भौगोलिक पैमाने पर सबसे अच्छी तरह पूरे किए जा

सकते हैं। राज्य क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं की जीवंतता व वैश्विक प्रतियोगी क्षमता को प्रोत्साहित करेगा और लागू प्रावधानों के अनुसार उन भागीदार स्थानीय सरकारी निकाय पर, आधारभूत संरचना और मानवीय सेवाओं हेतु राज्य नियंत्रित फंड के लिए प्राथमिकता से विचार करके क्षेत्र की स्थानीय सरकारों के बीच अधिक सहयोग को बढ़ावा देगा जिन्होंने स्वैच्छिक रूप से क्षेत्रीय सहयोग योजना बनाई है और अपनी योजना के उद्देश्यों व लक्ष्यों में प्रगति कर रहे हैं जिसमें खंड 1 की उपश्रेणी (a) के पैराग्राफ (1) से (5) सम्मिलित, में निर्धारित लक्ष्य व उद्देश्य शामिल होंगे।

खंड 7. इस अनुच्छेद के किसी प्रावधान का अभिप्राय न तो स्थानीय सरकारी निकाय द्वारा वर्तमान समय में उपयोग किए जा रहे किसी अधिकार को रद्द करना या प्रतिस्थापित करना है और न ही स्थानीय सरकारी निकाय को क्षेत्रीय कार्यक्रमों व योजनाओं को विकसित करने व भागीदारी करने से निरुत्साहित करना या प्रतिबंधित करना है जिन्हें सरकारी सेवाओं की आपूर्ति व प्रभाविता बेहतर करने के लिए तैयार किया गया है।

खंड 8. इस अनुच्छेद के उद्देश्यों के लिए, "स्थानीय सरकारी निकाय" का मतलब किसी काउंटी, शहर, शहर व काउंटी, और स्कूल डिस्ट्रिक्ट, काउंटी ऑफिस ऑफ एजुकेशन और कम्यूनिटी कॉलेज डिस्ट्रिक्ट सहित किसी भी अन्य स्थानीय सरकारी निकाय से होगा।

खंड 8. कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद XIII की धारा 29 को संशोधित किया गया है जो इस प्रकार है:

खंड 29. (a) विधायिका काउंटी, शहर व काउंटी व शहरों को किसी भी ऐसे बिक्री या उपयोग कर से प्राप्त राजस्व को उनके बीच बांटने का अनुबंध करने के लिए अधिकृत कर सकती है जो उनके द्वारा लागू किया गया है और जिसे उनके लिए राज्य द्वारा एकत्र किया जाता है। अनुबंध के प्रभावी होने से पहले, इसे प्रत्येक न्यायाधिकार क्षेत्र में सामान्य सीधे प्राथमिक चुनाव में इस प्रश्न पर मत देने वाले बहुसंख्यक लोगों द्वारा अधिकृत किया जाएगा।

(b) उपश्रेणी (a) के होते हुए भी, इस उपश्रेणी की प्रभावी तिथि को और उसके बाद, काउंटी, शहर व काउंटी व शहर किसी भी ऐसे बिक्री या उपयोग कर से प्राप्त राजस्व को उनके बीच बांटने का अनुबंध कर सकते हैं जिसे उनके द्वारा ब्रैडले-बर्न्स यूनीफॉर्म लोकल सेल्स एंड यूज़ टैक्स लॉ या किसी उत्तरवर्ती प्रावधान के अनुसार लागू किया गया है और जिसे उनके लिए राज्य द्वारा एकत्र किया जाता है, यदि प्रत्येक अनुबंध को प्रस्तावित करने वाला अध्यादेश या प्रस्ताव उस प्रत्येक न्यायाधिकार क्षेत्र की गवर्निंग बॉडी के दो-तिहाई मतों द्वारा स्वीकृत होता है जो इस अनुबंध का एक पक्ष है।

(c) उपश्रेणी (a) के होते हुए भी, स्कूल डिस्ट्रिक्ट और कम्यूनिटी कॉलेज डिस्ट्रिक्ट सहित काउंटी, शहर व काउंटी, शहर और कोई भी अन्य स्थानीय सरकारी निकाय जो अनुच्छेद XI A के अनुसार अपनाए गए कम्यूनिटी स्ट्रेटजिक एक्शन प्लान के पक्ष हैं, उस राजस्व को अपने बीच बांटने के लिए अनुबंध कर सकते हैं जो उन्हें आवंटित यथामूल्य संपत्ति कर से प्राप्त होता है, यदि प्रत्येक अनुबंध को प्रस्तावित करने वाला अध्यादेश या प्रस्ताव उस प्रत्येक न्यायाधिकार क्षेत्र की गवर्निंग बॉडी के दो-तिहाई मतों द्वारा स्वीकृत होता है जो इस अनुबंध का एक पक्ष है। इस खंड के अनुसार किए गए अनुबंध अनुच्छेद XI A के खंड 1 के अनुसार अपनाए गए प्रत्येक भागीदार निकाय के बजट के अनुरूप होंगे।

खंड 9. गवर्नमेंट कोड के शीर्षक 5 की श्रेणी 2 के भाग 2 में अध्याय 6 (धारा 55750 से आरंभ) जोड़ा गया है, जो इस प्रकार है:

अध्याय 6. कम्यूनिटी स्ट्रेटजिक एक्शन प्लान

55750. (a) रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कोड की धारा 7101 या कानून के किसी अन्य प्रावधान के होते हुए भी, वित्तीय वर्ष 2013–14 से आरंभ, राजस्व राशि जो, शुद्ध रिफंड के बाद, रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कोड की धारा 6051 के अनुसार एकत्रित और 0.035 प्रतिशत दर से संबंधित है, राज्य कोष में परफोरमेंस एंड एकाउंटेबिलिटी ट्रस्ट फंड के नाम जमा की जाएगी, जैसा कि कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद XI A के खंड 4 के अनुसार निर्धारित किया गया है और एकमात्र रूप से केवल उस उद्देश्य के लिए उपयोग की जाएगी जिस उद्देश्य के लिए यह फंड निर्मित किया गया है।

(b) जिस सीमा तक विधायिका बिक्री कर आधार कम करती है और इस कमी का परिणाम परफोरमेंस एंड एकाउंटेबिलिटी ट्रस्ट फंड में 2013–14 वित्तीय वर्ष में फंड में प्राप्त राजस्व की तुलना में कम राजस्व प्राप्त होने में आता है, कंट्रोलर जनरल फंड से परफोरमेंस एंड एकाउंटेबिलिटी ट्रस्ट फंड में वह राशि हस्तांतरित करेगा जो उस वित्तीय वर्ष में परफोरमेंस एंड एकाउंटेबिलिटी ट्रस्ट फंड द्वारा प्राप्त राजस्व में जोड़े जाने पर, 2013–14 वित्तीय वर्ष में फंड द्वारा प्राप्त राजस्व की राशि के समान होती है।

31

55751. (a) रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कोड की धारा 7101 या कानून के किसी अन्य प्रावधान के होते हुए भी, वित्तीय वर्ष 2013–14 से आरंभ, राजस्व राशि जो, शुद्ध रिफंड के बाद, रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कोड की धारा 6201 के अनुसार एकत्रित और 0.035 प्रतिशत दर से संबंधित है, राज्य कोष में परफोरमेंस एंड एकाउंटेबिलिटी ट्रस्ट फंड के नाम जमा की जाएगी, जैसा कि कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद XI A के खंड 4 के अनुसार निर्धारित किया गया है और एकमात्र रूप से केवल उस उद्देश्य के लिए उपयोग की जाएगी जिस उद्देश्य के लिए यह फंड निर्मित किया गया है।

(b) जिस सीमा तक विधायिका उपयोगिता कर आधार कम करती है और इस कमी का परिणाम परफोरमेंस एंड एकाउंटेबिलिटी ट्रस्ट फंड में 2013–14 वित्तीय वर्ष में फंड में प्राप्त राजस्व की तुलना में कम राजस्व प्राप्त होने में आता है, कंट्रोलर जनरल फंड से परफोरमेंस एंड एकाउंटेबिलिटी ट्रस्ट फंड में वह राशि हस्तांतरित करेगा जो उस वित्तीय वर्ष में परफोरमेंस एंड एकाउंटेबिलिटी ट्रस्ट फंड द्वारा प्राप्त राजस्व में जोड़े जाने पर, 2013–14 वित्तीय वर्ष में फंड द्वारा प्राप्त राजस्व की राशि के समान होती है।

55752. (a) वित्तीय वर्ष 2014–15 और अनुवर्ती प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद XI A के खंड 4 के अनुसार कंट्रोलर स्थापित परफोरमेंस एंड एकाउंटेबिलिटी ट्रस्ट फंड में प्रत्येक काउंटी को फंड वितरित करेगा जिन्होंने ऐसा कम्यूनिटी स्ट्रेटजिक एक्शन प्लान अपनाया है जो पिछले वित्तीय वर्ष की 30 जून या उससे पहले से प्रभावी है, और जिसने इस धारा के अंतर्गत फंड मांगने के उद्देश्य से कंट्रोलर के पास अपना एक्शन प्लान प्रस्तुत कर दिया है। वितरण वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में किया जाएगा। वित्तीय वर्ष में परफोरमेंस एंड एकाउंटेबिलिटी ट्रस्ट फंड में वितरण के लिए उपलब्ध कुल राशि से, कंट्रोलर प्रत्येक काउंटी के परफोरमेंस एंड एकाउंटेबिलिटी ट्रस्ट फंड में राशि देगा जिसे एतद्वारा इसके एक्शन प्लान को फंडिंग करने में सहायता देने के लिए स्थापित किया गया है और जो वह प्रतिशत है जो उपश्रेणी (c) के अंतर्गत उस काउंटी के लिए गणना किए गए प्रतिशत के बराबर है।

(b) जैसा कि इस धारा में उपयोग किया गया है, किसी कम्यूनिटी स्ट्रेटजिक एक्शन प्लान का उपयोग करने वाली आबादी किसी भौगोलिक क्षेत्र की वह आबादी होती है जो सभी भागीदार स्थानीय सरकारी निकाय की आबादी का कुल योग होती है, बशर्ते उस निवासी जिसके लिए एक या अधिक स्थानीय सरकारी निकाय काम करते हैं, को केवल एक बार गिना जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ फायनेंस के सबसे हाल के जनसांख्यिकीय डेटा के अनुसार, एक्शन प्लान में उस भौगोलिक क्षेत्र की आबादी की गणना शामिल होगी जिसके लिए एक्शन प्लान काम करता है।

(c) कंट्रोलर उपश्रेणी (a) के अनुसार समस्त एक्शन प्लान के लिए फंडिंग पाने की पात्र गणना की गई कुल आबादी के प्रतिशत के तौर पर, प्रत्येक काउंटी के एक्शन प्लान का उपयोग करने वाली आबादी निश्चित करेगा।

(d) कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद XI A के खंड 4 के अनुसार प्रदत्त फंड और यह अध्याय अलग-अलग हिस्से में उन सतत बचतों को दर्शाते हैं जो राज्य को होती हैं, जो 2011 रिअलाईनमेंट और उस प्रयास से संबंधित हैं जिसने इस खंड को जोड़ा है। इस खंड के अनुसार फंड के प्रथम आवंटन के चार वर्षों बाद लेजिस्लेटिव एनालिस्ट'स ऑफिस एक्शन प्लान के वित्तीय प्रभाव और उस सीमा का मूल्यांकन करेगा जिस सीमा तक योजनाओं ने सेवा आपूर्ति की क्षमता व प्रभाविता बेहतर की है या राज्य के फंड से संचालित सेवाओं की मांग कम की है।

खंड 10. एजुकेशन कोड में धारा 42246 जोड़ी गई है, जो इस प्रकार है:

42246. कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद XI A द्वारा अधिकृत कम्यूनिटी स्ट्रेटजिक एक्शन प्लान में स्कूल डिस्ट्रिक्ट की भागीदारी के अनुसार इसके द्वारा योगदान या प्राप्त फंड पर धारा 42238 या किसी अनुवर्ती संविधि के अंतर्गत जिले की राजस्व सीमा में राज्य के हिस्से की गणना करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

खंड 11. गवर्नमेंट कोड में धारा 9145 जोड़ी गई है, जो इस प्रकार है:

9145. कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद IV के खंड 9.5 और 12 के उद्देश्यों के लिए, निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होंगी:

(a) "वर्तमान राज्य कार्यक्रम या एजेंसी के दायरे को विस्तारित करने" में निम्नलिखित कोई बिंदु शामिल नहीं होगा:

(1) फंडिंग को किसी एजेंसी या कार्यक्रम के लिए वापिस निर्धारित करना जिसे बजट को संतुलित करने या पूर्वानुमानित कमी को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2008–09 के बाद के किसी भी वित्तीय वर्ष में कम या समाप्त किया गया था।

(2) जीवनयापन या कार्यभार की लागत में वृद्धि सहित, किसी कार्यक्रम या एजेंसी को इसकी वर्तमान संवैधानिक जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए राज्य फंडिंग में वृद्धि, और विधायिका द्वारा स्वीकृत सहमति ज्ञापन से अधिकृत कोई भी वृद्धि।

(3) संघीय कानून या ऐसे कानून द्वारा किसी कार्यक्रम या एजेंसी के लिए राज्य फंडिंग में वृद्धि जो इस खंड को जोड़ने वाले प्रयास की प्रभावी तिथि को प्रभावी होती है।

(4) राज्य कार्यक्रम या एजेंसी के लिए एक बार किए जाने वाले व्यय पूरे करने के लिए फंडिंग जैसा कि इन्हें उस संविधि में चिह्नित किया गया है जो फंडिंग को नियोजित करती है।

(5) कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद XIII B के खंड 6 की उपश्रेणी (b) के पैराग्राफ (5) में वर्णित आवश्यकता के लिए फंडिंग।

(b) "राज्य लागत" में राज्य के जनरल ऑब्लीगेशन बॉण्ड की मूल राशि या ब्याज के भुगतान के लिए लगने वाली लागत शामिल नहीं होती है।

(c) "अतिरिक्त राजस्व" में राज्य का वह राजस्व शामिल है परंतु इसी तक सीमित नहीं है जो संघीय या राज्य कानून द्वारा किए गए विशेष परिवर्तनों का परिणाम होता है और जिसे एकत्र करने के लिए जिम्मेदार राज्य एजेंसी ने स्थायी वृद्धि हेतु मात्रा निर्धारित की है व निश्चित किया है।

खंड 12. गवर्नमेंट कोड में धारा 11802 जोड़ी गई है, जो इस प्रकार है:

11802. 30 जून, 2013 से पहले, गवर्नर राज्य के कर्मचारियों व अन्य इच्छुक पक्षों के साथ परामर्श करने के बाद कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद IV के खंड 12 के प्रदर्शन आधारित बजट संबंधी प्रावधानों को लागू करने की योजना विधायिका को प्रस्तुत करेगा। यह योजना वित्तीय वर्ष 2015–16 और प्रत्येक अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में पूरी तरह लागू होगी।

खंड 13. गवर्नमेंट कोड में धारा 13308.03 जोड़ी गई है, जो इस प्रकार है:

13308.03. धारा 13308 में निर्धारित आवश्यकताओं के अतिरिक्त, डायरेक्टर ऑफ फायनेंस:

(a) प्रत्येक वर्ष की 15 मई तक, उस बजट वर्ष और अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के लिए राज्य राजस्व व राज्य व्यय का नवीनतम पूर्वानुमान विधायिका को प्रस्तुत करेगा और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराएगा जिन्हें विधायिका के एक या दोनों हाउस में लंबित बजट बिल में प्रस्तावित किया गया है या जैसा अधिनियमित बजट बिल में नियोजित किया गया है, जो भी लागू हो।

(b) विधायिका द्वारा द्विवार्षिक बजट, या किसी संपूरक बजट की स्वीकृति के तत्काल पहले उस बजट वर्ष और अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के लिए कुल राजस्व व कुल व्यय का विवरण विधायिका को प्रस्तुत करेगा, जिसे बजट बिल में शामिल किया जाएगा।

(c) प्रत्येक वर्ष की 30 नवंबर तक, अपनाए गए बजट में निर्धारित राजस्व व व्यय की तुलना में, वर्ष आरंभ होने से लेकर वर्तमान तिथि तक (ईयर-टू-डेट) के वास्तविक राजस्व व व्यय का वित्तीय अपडेट विधायिका को प्रस्तुत करेगा। यह आवश्यकता लेजिस्लेटिव एनालिस्ट'स ऑफिस द्वारा फिस्कल आउटलुक रिपोर्ट के प्रकाशन से पूरी हो सकती है।

खंड 14. संशोधन

इस प्रयास के वैधानिक प्रावधानों को विधायिका के प्रत्येक हाउस के सदस्यों के दो-तिहाई मतों द्वारा स्वीकृत और गर्वनर द्वारा हस्ताक्षरित बिल द्वारा ही एकमात्र रूप से इस प्रयास के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए संशोधित किया जा सकता है।

खंड 15. पृथक्कीकरण

यदि इस प्रयास का कोई प्रावधान या इस प्रयास के किसी भी प्रावधान को किसी भी व्यक्ति या परिस्थितियों में अनुप्रयोग असंवैधानिक या अन्य प्रकार से अमान्य पाया जाएगा तो वह निष्कर्ष शेष बचे हुए प्रावधानों या इस प्रयास के अन्य व्यक्तियों या परिस्थितियों पर अनुप्रयोग को प्रभावित नहीं करेगा, और इस सीमा तक इस प्रयास के प्रावधान पृथक्करणीय माने जाते हैं।

खंड 16. प्रभावी तिथि

इस अधिनियम की धारा 4, 5 और 6 वर्ष 2014 में दिसंबर के पहले सोमवार को प्रभावी होंगी। जब तक कि अधिनियम में अन्य प्रकार से निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, और इस अधिनियम की अन्य धाराएं चुनाव के बाद उस तिथि को प्रभावी हो जाएंगी जिस चुनाव में इस अधिनियम को स्वीकार किया जाता है।

खंड 17. विधायी परिषद

(a) लोग यह पाते हैं और घोषित करते हैं कि कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद IV के खंड 12 में इस प्रयास द्वारा प्रस्तावित संशोधन, 2009–10 के नियमित सत्र के असेंबली कॉन्स्टीट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर 4 द्वारा प्रस्तावित कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद IV के खंड 12 के संशोधनों के अनुरूप हैं (Res. Ch. 174, Stats. 2010) (इसके बाद ACA 4), जो 4 नवंबर, 2014 के राज्यव्यापी आम चुनाव के मतपत्र में दिखाई देगा।

(b) इलेक्शन कोड की धारा 9086 और 9091 और गवर्नमेंट कोड की धारा 88002 और 88005.5 के अनुसार ACA 4 के पाठ की विधायी परिषद द्वारा तैयारी करने व प्रूफरीडिंग करने के उद्देश्यों के लिए, कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद IV के खंड 12 के वर्तमान प्रावधान उस खंड के प्रावधान माने जाएंगे जैसा कि इस प्रयास द्वारा संशोधित किया जाएगा। विधायी परिषद कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद IV के खंड 12 में ACA 4 द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों को कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद IV के खंड 12 के प्रावधानों से पृथक करने के लिए, तदनुसार ACA 4 का पाठ तैयार करेगी व उसकी प्रूफरीडिंग करेगी जैसा कि इस प्रयास द्वारा संशोधित किया गया है। सेक्रेट्री ऑफ स्टेट ACA 4 के संपूर्ण पाठ, जैसा कि इस खंड के अनुसार विधायी परिषद द्वारा तैयार व प्रूफरीड किया गया, को 4 नवंबर, 2014 के राज्यव्यापी आम चुनाव के मतपत्र में रखेगा।

प्रस्ताव 32

यह प्रयास कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद II की धारा 8 के अनुसार लोगों को प्रस्तुत किया गया है।

इस प्रयास द्वारा गवर्नमेंट कोड में धाराएं जोड़ी गई हैं; इसलिए जोड़ने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधानों को *इटैलिक टाईप* में प्रकाशित किया गया है ताकि यह पता चले कि वे नए हैं।

प्रस्तावित कानून

खंड 1. शीर्षक, निष्कर्ष और उद्देश्य की घोषणा

A. स्पेशल इंटरेस्ट (विशेष हित समूह) का सरकार पर बहुत अधिक प्रभाव है। प्रत्येक वर्ष, कॉरपोरेशन और यूनियन कई मिलियन डॉलर राजनीतिज्ञों को देती हैं और स्पेशल इंटरेस्ट (विशेष हित) के खर्च के पहाड़ के नीच सार्वजनिक हित दबा दिए जाते हैं।

B. इसके साथ ही, कई वर्षों से कैलिफोर्निया सरकार ने अपने लोगों को निराश किया है। हमारे राज्य पर कई बिलियन डॉलर का कर्ज है और कई स्थानीय सरकारें दिवालिया होने की कगार पर हैं। अधिकांशत: राजनीतिज्ञ उनके अभियान के लिए चंदा देने वाले कॉरपोरेशन, लेबर यूनियनों और सरकारी कॉन्ट्रैक्टरों के संकीर्ण विशेष हितों के पक्ष में आम जनता की जरूरत को नजरंदाज कर देते हैं।

C. इन अंशदानों की वजह से बड़े व्यावसायिक संगठनों को विशेष कर राहत और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, खर्चीले सरकारी कार्यक्रम बनते हैं जो निजी लेबर यूनियनों को समृद्ध करते हैं, और सरकारी कर्मचारी यूनियन के सदस्यों के लिए पेंशन, लाभ और वेतन अस्थायी होते हैं और ये सब कैलिफोर्निया के करदाताओं की कीमत पर किया जाता है।

D. यहां तक कि कुछ न्यायाधिकार क्षेत्रों में लागू अंशदान सीमा से भी राजनीतिक प्रक्रिया में कॉरपोरेट और यूनियन के राजनीतिक धन का प्रवाह धीमा नहीं हो पाया है। कैलिफोर्निया की राजनीति में हो रही बहुत सारे धन की बौछार का परिणाम कर्मचारियों के वेतन से स्वत: कटौती किए जाने में होता है। कॉरपोरेट नियोक्ता और यूनियनें अक्सर कॉरपोरेशन या यूनियन के राजनीतिक उद्देश्यों को समर्थन देने के लिए कभी चुपचाप तो कभी खुलकर कर्मचारियों पर उनके वेतन का एक हिस्सा छोड़ने का दबाव डालते हैं। उनका उद्देश्य हमारे निवार्चित नेताओं पर प्रभाव हासिल करने के लिए कई मिलियन डॉलर इकट्ठा करना होता है, उन कर्मचारियों के राजनीतिक विचारों पर कोई ध्यान दिए बगैर जो यह धन प्रदान करते हैं।

E. इन कारणों से और वास्तविक भ्रष्टाचार और कॉरपोरेट और लेबर यूनियनों के अंशदानों द्वारा हमारी सरकार के प्रतीत होने वाले भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए, कैलिफोर्निया राज्य के लोग एतद्वारा इस उद्देश्य से स्टॉप स्पेशल इंटरेस्ट मनी नाउ एक्ट (विशेष हित धन पर तत्काल रोक संबंधी अधिनियम) अधिनियमित करते हैं ताकि:

1. कॉरपोरेट और लेबर यूनियनों द्वारा उम्मीदवारों को अंशदान देने पर प्रतिबंध लगाया जाए;

2. सरकारी कॉन्ट्रैक्टर द्वारा उन सरकारी अधिकारियों को अंशदान में धन देने से प्रतिबंधित किया जाए जो उन्हें ठेके प्रदान करते हैं;

3. कॉरपोरेशन और लेबर यूनियनों को कर्मचारियों व यूनियन के सदस्यों से राजनीतिक फंड एकत्र करने से प्रतिबंधित किया जाए जो वेतन में कटौती के अंतर्निहित बलपूर्वक साधन का उपयोग करते हैं; और

4. सभी कर्मचारियों का राजनीतिक अंशदान किसी अन्य साधन से कराया जाए जो पूर्णतया स्वैच्छिक हो।

खंड 2. स्टॉप स्पेशल इंटरेस्ट मनी नाउ एक्ट

गवर्नमेंट कोड के शीर्षक 9 के अध्याय 5 में अनुच्छेद 1.5 (धारा 85150 से आरंभ) जोड़ा गया है, जो इस प्रकार है:

अनुच्छेद 1.5. स्टॉप स्पेशल इंटरेस्ट मनी नाउ एक्ट

85150. (a) कानून के किसी अन्य प्रावधान और इस शीर्षक के होते हुए भी, कोई भी कॉरपोरेशन, लेबर यूनियन या सरकारी कर्मचारी लेबर यूनियन किसी भी उम्मीदवार, उम्मीदवार द्वारा नियंत्रित समिति; या राजनीति पार्टी की समिति सहित किसी भी अन्य समिति को अंशदान नहीं देगी, यदि उक्त फंड का उपयोग किसी भी उम्मीदवार या उम्मीदवार द्वारा नियंत्रित समिति को अंशदान देने के लिए किया जाएगा।

(b) कानून के किसी अन्य प्रावधान और इस शीर्षक के होते हुए भी, कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्टर, या सरकारी कॉन्ट्रैक्टर द्वारा प्रायोजित समिति किसी निर्वाचित अधिकारी या निर्वाचित अधिकारी द्वारा नियंत्रित समिति को अंशदान नहीं देगा यदि उक्त निर्वाचित अधिकारी उस अवधि के दौरान सरकारी कॉन्ट्रैक्टर को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट की स्वीकृति देने, ठेके पर काम देने या सौंपने का काम करता है, इसमें भागीदारी करता है, या किसी प्रकार से इसे प्रभावित करने के लिए अपनी आधिकारिक स्थिति का उपयोग करता है, जिस अवधि में और कॉन्ट्रैक्ट की अवधि के दौरान कॉन्ट्रैक्ट की स्वीकृति देने, ठेके पर काम देने या सौंपने का फैसला लिया गया था।

85151. (a) कानून के किसी अन्य प्रावधान और इस शीर्षक के होते हुए भी, कोई भी कॉरपोरेशन, लेबर यूनियन, सरकारी कर्मचारी लेबर यूनियन, सरकारी कॉन्ट्रैक्टर, या सरकारी नियोक्ता किसी कर्मचारी के वेतन, आय, या मुआवजे से किसी भी राशि के धन की कटौती नहीं करेगा जिसका उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जाना है।

(b) यह खंड किसी भी कर्मचारी को अपने नियोक्ता, लेबर यूनियन, या सरकारी कर्मचारी लेबर यूनियन की प्रायोजित समिति को किसी भी तरीके से स्वैच्छिक अंशदान करने से प्रतिबंधित नहीं करेगी, उन प्रावधानों से अलग जिसे उपश्रेणी (a) में प्रतिबंधित किया गया है, उस समय तक जब तक कि उक्त सभी अंशदान उस कर्मचारी की लिखित सहमति के साथ दिए जाते हैं, जो सहमति एक वर्ष से अधिक समय तक प्रभावी नहीं रहेगी।

(c) यह खंड न तो रिटायरमेंट लाभ, स्वास्थ्य, जीवन, मृत्यु या विकलांगता बीमा या इसी प्रकार के अन्य लाभ में कटौती पर लागू होगा और न ही यह यूनाईटेड स्टेट्स कोड के शीर्षक 26 की धारा 501(c)(3) के तहत संगठित कल्याणकारी संगठन के लाभ के लिए किसी कर्मचारी की स्वैच्छिक कटौती पर लागू होगा।

85152. इस अनुच्छेद के उद्देश्यों के लिए, निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होती हैं:

(a) "कॉरपोरेशन" का मतलब ऐसे प्रत्येक कॉरपोरेशन से है जो इस राज्य, यूनाईटेड स्टेट्स के किसी अन्य राज्य, या कोलम्बिया डिस्ट्रिक्ट के कानूनों या यूनाईटेड स्टेट्स की कॉन्ग्रेस के किसी अधिनियम के अंतर्गत संगठित हुआ है।

(b) "सरकारी कॉन्ट्रैक्टर" से मतलब सरकारी नियोक्ता के किसी कर्मचारी के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति से है जो सरकारी नियोक्ता को सामान, अचल संपत्ति या सेवाएं प्रदान करने के लिए उस व्यक्ति और सरकारी नियोक्ता के बीच हुए अनुबंध का एक पक्ष है। सरकारी कॉन्ट्रैक्टर में सरकारी कर्मचारी लेबर यूनियन शामिल होती है जो सरकारी नियोक्ता के साथ अनुबंध में एक पक्ष होती है।

(c) "सरकारी नियोक्ता" से मतलब काउंटी, शहर, चार्टर काउंटी, चार्टर शहर, चार्टर शहर व काउंटी, स्कूल डिस्ट्रिक्ट, कैलिफोर्निया यूनिवर्सटी, विशेष जिले, बोर्ड, आयोग और एजेंसियों सहित परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं, परंतु यूनाईटेड स्टेट्स सरकार के अतिरिक्त, कैलिफोर्निया राज्य या इसके किसी भी राजनीतिक प्रभाग से है।

32

(d) "लेबर यूनियन" से मतलब किसी भी प्रकार के संगठन या कोई एजेंसी या कर्मचारी प्रतिनिधित्व समिति या योजना से है जिसमें कर्मचारी भाग लेते हैं और जो पूर्णत: या आंशिक रूप से शिकायतों, श्रम विवादों, पारिश्रमिक, वेतन की दर, काम के घंटों या काम की स्थितियों के लिए नियोक्ता से संबंध बनाने के उद्देश्य से बनाए जाती हैं।

(e) "राजनीतिक उद्देश्य" से मतलब ऐसे भुगतान से है जिसे किसी उम्मीदवार या उम्मीदवारों के पक्ष या विरोध में नामांकन या चुनाव के कार्य, या किसी प्रयास को पात्रता या स्वीकृति दिलाने के मकसद से प्रभावित करने या प्रभावित करने की कोशिश के लिए किया गया है; या किसी भी ऐसे भुगतान से है जिसे राज्य केंद्रीय समिति और काउंटी केंद्रीय समिति सहित, उम्मीदवार, नियंत्रित समिति, राजनीतिक पार्टी की समिति, या किसी भी सदस्यता वाले संगठन, लेबर यूनियन, सरकारी कर्मचारी लेबर यूनियन, या कॉरपोरेशन द्वारा स्थापित राजनीतिक कार्रवाई समिति सहित परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं मुख्यत: राजनीतिक उद्देश्यों के लिए निर्मित या मौजूदा संगठन की ओर से प्राप्त या भुगतान किया जाता है।

(f) "सरकारी कर्मचारी लेबर यूनियन" से मतलब ऐसी लेबर यूनियन से है जिस लेबर यूनियन में भाग लेने वाले कर्मचारी सरकारी नियोक्ता के कर्मचारी हैं।

(g) इस अनुच्छेद में प्रयुक्त अन्य सभी शब्द जिन्हें 1974 के पोलिटिकल रिफॉर्म एक्ट, संशोधन (शीर्षक 9 (धारा 81000 से आरंभ)) के अनुसार, या फेयर पोलिटिकल प्रैक्टिसेस कमीशन द्वारा अधिनियमित विनियम द्वारा परिभाषित किया गया है, उनका इन दस्तावेजों में दिए गए अर्थ के समान अर्थ होगा, जैसे कि वे 1 जनवरी, 2011 को हैं।

खंड 3. लागूकरण

(a) यदि इस प्रयास के किसी प्रावधान, या इसके किसी हिस्से, या किसी व्यक्ति, संगठन या परिस्थिति पर ऐसे किसी प्रावधान या हिस्से के अनुप्रयोग को किसी भी कारण से अमान्य या असंवैधानिक माना जाता है तो बचे हुए प्रावधान, हिस्से और अनुप्रयोग, अमान्य प्रावधान, हिस्से या अनुप्रयोग के बगैर प्रभावी रहेंगे।

(b) इस प्रयास का अभिप्राय किसी वर्तमान अनुबंध या सामूहिक सौदेबाजी समझौते में हस्तक्षेप करना नहीं है। नेशनल लेबर रिलेशंस एक्ट द्वारा नियंत्रित प्रावधानों के अतिरिक्त, कोई भी नया अनुबंध या सामूहिक सौदेबाजी समझौता मान्य नहीं होगा यदि वह इस प्रयास का उल्लंघन करता है।

(c) इस प्रयास के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए इसका आशय पर्याप्त रूप से लगाया जाएगा। किसी भी कानूनी कार्रवाई में इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए किसी कर्मचारी या यूनियन सदस्य द्वारा इसे शामिल करने पर, इसके प्रावधानों के साथ पालन सिद्ध करने की जिम्मेदारी नियोक्ता या लेबर यूनियन की होगी।

(d) गवर्नमेंट कोड की धारा 81012 के होते हुए भी, इस प्रयास के प्रावधान विधायिका द्वारा संशोधित नहीं किए जा सकते हैं। इस प्रयास को केवल उत्तरवर्ती प्रयास या कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद II के खंड 10 की उपश्रेणी (c) के अनुसार ही संशोधित या निरस्त किया जा सकता है।

प्रस्ताव 33

यह प्रयास कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद II की धारा 8 के अनुसार लोगों को प्रस्तुत किया गया है।

इस प्रयास द्वारा इंश्योरेंस कोड में एक धारा जोड़ी गई है; इसलिए जोड़ने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधानों को *इटैलिक टाईप* में प्रकाशित किया गया है ताकि यह पता चले कि वे नए हैं।

प्रस्तावित कानून

खंड 1. शीर्षक

इस प्रयास को 2012 ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस डिस्काउंट एक्ट के नाम से जाना जाएगा।

खंड 2. कैलिफोर्निया राज्य के लोग यह पाते व घोषित करते हैं कि:

(a) कैलिफोर्निया कानून के अंतर्गत, इंश्योरेंस कमिश्नर बीमा दरों को नियमित करते हैं और निश्चित करते हैं कि ऑटो इंश्योरेंस कंपनियां चालकों को कितना डिस्काउंट दे सकती हैं।

(b) कैलिफोर्निया के बीमा उपभोक्ताओं के सर्वाधिक हित में है कि उन्हें छूट सहित कीमतें प्राप्त करने की अनुमति दी जाए यदि वे निरंतर राज्य के अनिवार्य बीमा कानूनों का पालन करते हैं, चाहे उन्होंने किसी भी बीमा कंपनी की सेवाएं ली हों।

(c) निरंतर ऑटोमोबाइल कवरेज (सुरक्षा) के लिए उपभोक्ता को मिलने वाला डिस्काउंट जिम्मेदार व्यवहार का पुरस्कार होता है। यह छूट उपभोक्ता से संबंधित होनी चाहिए न कि बीमा कंपनी से।

(d) निरंतर कवरेज बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत डिस्काउंट बीमा कंपनियों के बीच प्रतियोगिता आरंभ करता है और अधिक उपभोक्ताओं द्वारा ऑटोमोबाइल बीमा खरीदने व बनाए रखने के लिए एक प्रोत्साहक उपाय है।

खंड 3. प्रयोजन

इस प्रयास का उद्देश्य कैलिफोर्निया के बीमा उपभोक्ताओं को डिस्काउंट पर कीमतें हासिल करने का मौका देना है यदि उन्होंने अनिवार्य बीमा कानूनों का निरंतर पालन किया है।

खंड 4. इंश्योरेंस कोड में धारा 1861.023 जोड़ी गई है, जो इस प्रकार है:

1861.023. (a) धारा 1861.02 की उपश्रेणी (a) के पैराग्राफ (4) के होते हुए भी, कोई बीमा कंपनी धारा 1861.02 के तहत आने वाली किसी भी बीमा पॉलिसी के लिए वैकल्पिक ऑटो इंश्योरेंस रेटिंग कारण के तौर पर निरंतर कवरेज का उपयोग कर सकती है।

(b) इस धारा के उद्देश्यों के लिए, "निरंतर कवरेज" का मतलब कैलिफोर्निया ऑटोमोबाइल एसाईन्ड रिस्क प्लान या कैलिफोर्निया लो-कोस्ट ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस प्रोग्राम के अनुसार प्रदान किए जाने वाले कवरेज सहित, किसी भी स्वीकृत बीमाकर्ता या बीमाकर्ताओं के साथ अबाधित ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस कवरेज से है।

(1) निरंतर कवरेज को अस्तित्व में माना जाएगा यदि बीमाकृत व्यक्ति की सक्रिय सैन्य सेवा की वजह से कवरेज में कोई चूक (लैप्स) होती है।

(2) निरंतर कवरेज को अस्तित्व में माना जाएगा यदि नौकरी से मुक्त करने (लेऑफ) या अवकाश पर भेजने (फरलॉफ) के फलस्वरूप नौकरी खत्म होने की वजह से पिछले पांच वर्षों में 18 महीनों तक की कवरेज में चूक होती है।

(3) निरंतर कवरेज को अस्तित्व में माना जाएगा यदि किसी भी कारण से पिछले पांच वर्षों में 90 दिनों से कम कवरेज की चूक होती है।

(4) माता-पिता के साथ रहने वाले बच्चों को माता-पिता की निरंतर कवरेज डिस्काउंट पाने की योग्यता के आधार पर निरंतर कवरेज के लिए डिस्काउंट प्रदान किया जाएगा।

(c) निरंतर कवरेज दर्शाने में विफल रहने वाले उपभोक्ताओं को अनुपात के आधार पर डिस्काउंट दिया जाएगा। यह डिस्काउंट उस कटौती दर की राशि का अनुपात होगा जिसे तब प्रदान किया जाता जबकि उपभोक्ता निरंतर कवरेज दर्शाने में सफल रहता। यह अनुपात ठीक पिछले पांच वर्षों के संपूर्ण वर्ष की संख्या दर्शाएगा जिनमें उपभोक्ता बीमाकृत था।

खंड 5. परस्पर टकराने वाले मतपत्र प्रयास

उस स्थिति में जब इस प्रयास और अन्य प्रयास या कवरेज की निरंतरता से संबंधित प्रयास एक ही राज्यव्यापी चुनाव मतपत्र में उपस्थित होंगे तो अन्य प्रयासों के प्रावधानों को इस प्रयास के साथ टकराव की स्थिति में माना जाएगा। उस स्थिति

में जबकि इस प्रयास को अधिक संख्या में मत हासिल होते हैं तो इस प्रयास के प्रावधान अपनी संपूर्णता के साथ मौजूद रहेंगे, और अन्य प्रयासों के प्रावधान अकृत व शून्य हो जाएंगे।

खंड 6. संशोधन

इस अधिनियम के प्रावधानों को विधायिका द्वारा संशोधित नहीं किया जाएगा सिवाय इसके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने वाली संविधि द्वारा जिसे सहमत दो-तिहाई सदस्यों द्वारा दैनिकी (जर्नल) में बोलकर मत डालते (रोलकॉल) हुए पास किया गया है।

खंड 7. पृथक्कीकरण

लोगों की ऐसी इच्छा है कि इस अधिनियम के प्रावधान पृथक्करणीय हों और यह कि यदि किसी भी व्यक्ति या स्थिति पर इस अधिनियम का कोई भी प्रावधान, या इनका अनुप्रयोग अमान्य माना जाता है तो उक्त अमान्यता इस अधिनियम के किसी ऐसे अन्य प्रावधान या अनुप्रयोग को प्रभावित नहीं करेगी जिन्हें अमान्य प्रावधान या अनुप्रयोग के बगैर प्रभावी किया जा सकता है।

प्रस्ताव 34

यह प्रयास कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद II की धारा 8 के अनुसार लोगों को प्रस्तुत किया गया है।

इस प्रयास द्वारा पीनल कोड की धाराओं को संशोधित व निरस्त किया गया है व गवर्नमेंट कोड की धाराओं को जोड़ा गया है; इसलिए मिटाने के लिए प्रस्तावित वर्तमान प्रावधानों को ~~काटे हुए अक्षरों~~ में प्रकाशित किया गया है और जोड़ने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधानों को *इटैलिक टाईप* में प्रकाशित किया गया है ताकि यह पता चले कि वे नए हैं।

प्रस्तावित कानून

SAFE कैलिफोर्निया अधिनियम

खंड 1. शीर्षक

इस प्रयास को "द् सेविंग, एकाउंटेबिलिटी, एंड फुल इन्फोर्समेंट फॉर कैलिफोर्निया एक्ट" या "SAFE कैलिफोर्निया अधिनियम (सेफ कैलिफोर्निया एक्ट)" के नाम से जाना जाएगा या उल्लेखित किया जा सकता है।

खंड 2. परिणाम व घोषणाएं

कैलिफोर्निया राज्य के लोग एतद्वारा निम्नलिखित समस्त बिंदु पाते व घोषित करते हैं:

1. हत्यारों व बलात्कारियों को रोके जाने, कानून के अधीन लाने और दंडित किए जाने की जरूरत है। अभी भी, हर वर्ष औसतन, हत्या के शर्मनाक 46 प्रतिशत और बलात्कार के 56 प्रतिशत मामले अनसुलझे रह जाते हैं। हमारे सीमित कानून प्रवर्तन संसाधनों का उपयोग अपराधों की अधिक घटनाओं को सुलझाने, हमारी सड़कों से अधिक अपराधियों को दूर करने और हमारे परिवारों को बचाने के लिए किया जाना चाहिए।

2. अब पुलिस, शेरिफ और डिस्ट्रिक्ट अटार्नी को उस फंडिंग की कमी हो रही है जिसकी जरूरत उन्हें आधुनिक फोरेंसिक साइंस जैसे DNA टेस्टिंग, बलात्कार व हत्या के मामलों में तेजी से सबूत पेश करने के लिए या पर्याप्त संख्या में हत्या व यौन अपराध के जांचकर्ताओं की नियुक्ति करने के लिए होती है। कानून प्रवर्तन के पास वे संसाधन होने चाहिए जिनकी जरूरत कानून के पूर्ण प्रवर्तन के लिए होती है। बलात्कार व हत्या के अधिक मामलों को सुलझाकर और अधिक अपराधियों को न्याय के अधीन लाकर, हम अपने परिवारों व समुदायों को अधिक सुरक्षित रखते हैं।

3. कई लोग सोचते हैं कि पेरोल पर छूटने की संभावना के बगैर उम्रकैद की सजा से मृत्युदंड कम खर्चीला होता है, लेकिन यह सच नहीं है। मृत्युदंड के भूतपूर्व प्रोसेक्यूटर (अभियोजक) और जज, Arthur Alarcon और कानून की प्रोफेसर Paula Mitchell द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, कैलिफोर्निया ने 1978 से मृत्युदंड पर $4 बिलियन खर्च किए हैं और मृत्युदंड के मुकदमों उन मुकदमों से 20 गुना अधिक खर्चीले रहे हैं जिनमें पेरोल की संभावना के बगैर उम्रकैद मांगी गई। मृत्युदंड को पेरोल की संभावना के बगैर उम्रकैद से बदलकर, कैलिफोर्निया करदाता प्रत्येक वर्ष $100 मिलियन से अधिक बचा सकेंगे। इस धन का उपयोग अपराध की रोकथाम करने और सजा दिलाने में किया जा सकता है।

4. हत्यारे और बलात्कारी सड़कों पर खुले घूमते हैं और हमारी सुरक्षा को खतरा पहुंचाते हैं जबकि हम करदाताओं के कई मिलियन डॉलर उन कुछ चुनिंदा लोगों पर खर्च करते हैं जो मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए पहले से ही हमेशा के लिए जेल की सीखचों के पीछे कैद हैं। इन संसाधनों को हिंसा की रोकथाम करने और शिक्षा पर बेहतर तरीके से खर्च किया जा सकता है ताकि हमारे परिवार सुरक्षित रहें।

5. मृत्युदंड को पेरोल की संभावना के बगैर उम्रकैद से बदलकर, हम एक भी कैदी को छोड़े बगैर पांच वर्षों में राज्य के $1 बिलियन बचाएंगे—$1 बिलियन जिन्हें हमारे समुदायों को अधिक सुरक्षित रखने के लिए कानून प्रवर्तन में, हमारे बच्चों के स्कूलों में, और बूढ़े व विकलांग लोगों की सेवाओं में निवेश किया जा सकता है। पेरोल की संभावना के बगैर उम्रकैद की सजा सुनिश्चित करती है कि निकृष्टतम अपराधी भी हमेशा के लिए जेल में रहें और धन बचे।

6. इस देश में 100 से अधिक निर्दोष लोगों को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है और कुछ निर्दोष लोगों को तो वास्तव में मृत्युदंड दिया जा चुका है। विशेषज्ञों ने निष्कर्ष निकाला है कि Cameron Todd Willingham को उस आग के लिए गलती से मृत्युदंड दिया गया जिससे उसके तीन बच्चों की मौत हुई। मृत्युदंड में हमेशा निर्दोष लोगों को मौत की सजा मिलने का जोखिम हमारे साथ रहेगा।

7. विशेषज्ञों ने निष्कर्ष निकाला है कि कैलिफोर्निया निर्दोष व्यक्ति को मौत की सजा देने के जोखिम में बना हुआ है। निर्दोष लोगों को गवाह की गलत पहचान, पुराने तरीके के फोरेंसिक साइंस और कट्टर प्रोसेक्यूशन द्वारा गलत तरीके से अपराधी सिद्ध किया जाता है। हम वह नहीं कर रहे हैं जो हमें निर्दोष लोगों की रक्षा करने के लिए करना चाहिए। करदाताओं और पीड़ित लोगों के प्रति जवाबदेही को नकारते हुए, राज्य कानून किसी प्रोसेक्यूटर (अभियोजक) की भी रक्षा करते हैं यदि उसने जानबूझकर किसी निर्दोष व्यक्ति को जेल भिजवाया है। मृत्युदंड को पेरोल की संभावना के बगैर उम्रकैद से बदलने से कम से कम यह सुनिश्चित होगा कि हम किसी निर्दोष व्यक्ति को मौत की सजा नहीं देते हैं।

8. अपराधी सिद्ध हो चुके हत्यारों को उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए और उनके अपराधों का उन्हें हिसाब चुकाना चाहिए। मृत्यु की प्रतीक्षा करने वाले कैदियों में से 1 प्रतिशत से कम काम करते हैं, और फलस्वरूप, उनसे पीड़ित लोगों को बहुत कम क्षतिपूर्ति मिलती है। हत्या के आरोप में अपराधी सिद्ध हर व्यक्ति के लिए उच्च सुरक्षा वाले जेल में काम करना आवश्यक होना चाहिए और मर्सी'ज़ लॉ द्वारा गारंटी दिए गए पीड़ित के अधिकार के अनुरूप, अर्जित धन का उपयोग पीड़ित के क्षतिपूर्ति फंड के ज़रिए पीड़ित की मदद करने के लिए करना चाहिए।

9. कैलिफोर्निया का मृत्युदंड एक खोखला वायदा साबित होता है। मृत्युदंड के मामले कई दशकों तक चलते हैं। पेरोल की संभावना के बगैर उम्रकैद की सजा शोकग्रस्त परिवारों को शीघ्रता से सांत्वना प्रदान करती है और यह अधिक निश्चित सजा है।

10. इस अधिनियम को पुराने क्रियाकलापों पर लागू करने से खर्चीली और अप्रभावी प्रक्रिया समाप्त होगी, कानून प्रवर्तन संसाधन वह दर बढ़ाने के लिए मुक्त हो जाएंगे जिस दर से हत्या व बलात्कार के मामले सुलझाए जाते हैं और सजा देने में निष्पक्षता, समानता और एकरूपता हासिल होगी।

खंड 3. उद्देश्य व अभिप्राय

कैलिफोर्निया राज्य के लोग इस अधिनियम को अधिनियमित करने के लिए अपने उद्देश्य व अभिप्राय को निम्न प्रकार से घोषित करते हैं:

1. अधिक हत्यारों व बलात्कारियों को सड़कों से दूर रखना और हमारे परिवारों की रक्षा करना।

2. पांच वर्षों में करदाताओं के $1 बिलियन बचाना ताकि ये डॉलर स्थानीय कानून प्रवर्तन, हमारे बच्चों के स्कूलों और बूढ़े व विकलांग लोगों को सेवाएं देने में निवेश किए जा सकें।

3. मृत्युदंड को बदलने से होने वाली कुछ बचत का उपयोग SAFE कैलिफोर्निया फंड निर्मित करने के लिए करना ताकि स्थानीय कानून प्रवर्तन, खासतौर पर पुलिस विभागों, शेरिफ और डिस्ट्रिक्ट अटार्नी ऑफिस को फंड प्रदान किए जाएं जिससे उस दर को बढ़ाया जाए जिस दर से हत्या व बलात्कार के मामलों को सुलझाया जाता है।

4. निर्दोष लोगों को मौत की सजा देने के जोखिम को कम करना।

5. यह आवश्यक करना कि विशेष परिस्थितियों के साथ हत्या करने के अपराधी सिद्ध व्यक्ति उच्च सुरक्षा वाले जेल में अनिवार्य काम करते हुए, अपनी बची हुई जिंदगी के लिए जेल में रहें और अर्जित किए हुए धन का उपयोग पीड़ित के क्षतिपूर्ति फंड के ज़रिए पीड़ित की मदद करने के लिए किया जाए।

6. न्यायालय की दर्जनों तारीखें और केस बार-बार मुल्तवी होते हुए जिसे शोकग्रस्त परिवारों को अपने प्रियजनों की याद में सहना पड़ता था, मृत्युदंड के मामलों में समीक्षा की 25 वर्ष लंबी प्रक्रिया को समाप्त करना।

34

7. खर्चीली और अप्रभावी प्रक्रिया को समाप्त करना और हमारे परिवारों को सुरक्षित रखने के लिए कानून प्रवर्तन संसाधनों को मुक्त करना।

8. इस अधिनियम को पुराने क्रियाकलापों पर लागू करके (पूर्वप्रभावी बनाकर) मृत्युदंड को पेरोल की संभावना के बगैर उम्रकैद से बदलकर, सजा देने में निष्पक्षता, समानता और एकरूपता हासिल करना।

खंड 4. पीनल कोड की धारा 190 को इस प्रकार संशोधित किया गया है:

190. (a) हत्या के प्रथम श्रेणी अपराध के दोषी प्रत्येक व्यक्ति को ~~मृत्यु~~, राज्य के जेल में पेरोल की संभावना के बगैर उम्रकैद की सजा, या राज्य के जेल में न्यूनतम 25 वर्ष की अवधि के लिए कैद द्वारा दंडित किया जाएगा। लागू किया जाने वाला जुर्माना धारा ~~190.1~~, 190.2, ~~190.3~~, 190.4 और 190.5 के प्रावधानों के अनुसार निश्चित किया जाएगा।

उपश्रेणी (b), (c) या (d) में दिए गए प्रावधानों के अतिरिक्त, हत्या के द्वितीय श्रेणी अपराध में दोषी प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के जेल में न्यूनतम 15 वर्ष की अवधि के लिए कैद द्वारा दंडित किया जाएगा।

(b) उपश्रेणी (c) के प्रावधानों के अतिरिक्त, हत्या के द्वितीय श्रेणी अपराध में दोषी प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के जेल में न्यूनतम 25 वर्ष की अवधि के लिए कैद द्वारा दंडित किया जाएगा यदि पीड़ित व्यक्ति शांति अधिकारी था जैसा कि धारा 830.1 की उपश्रेणी (a), धारा 830.2 की उपश्रेणी (a), (b) या (c), धारा 830.33 की उपश्रेणी (a) या धारा 830.5 में परिभाषित किया गया है, जो अपना कर्तव्य निभाते हुए मारा गया और प्रतिवादी जानता था, या उसे समुचित कारणों से पता होना चाहिए कि पीड़ित अपने कर्तव्य निभाने वाला एक शांति अधिकारी था।

(c) हत्या के द्वितीय श्रेणी अपराध में दोषी प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के जेल में पेरोल की संभावना के बगैर उम्रकैद की सजा से दंडित किया जाएगा यदि पीड़ित व्यक्ति शांति अधिकारी था जैसा कि धारा 830.1 की उपश्रेणी (a), धारा 830.2 की उपश्रेणी (a), (b) या (c), धारा 830.33 की उपश्रेणी (a) या धारा 830.5 में परिभाषित किया गया है, जो अपना कर्तव्य निभाते हुए मारा गया और प्रतिवादी जानता था, या उसे समुचित कारणों से पता होना चाहिए कि पीड़ित अपने कर्तव्य निभाने वाला एक शांति अधिकारी था, और निम्नलिखित तथ्यों का आरोप लगाया जाता है और इन्हें वास्तविक पाया जाता है:

(1) प्रतिवादी ने विशेष तौर पर शांति अधिकारी को मारा।

(2) प्रतिवादी ने विशेष तौर पर शांति अधिकारी को गंभीर शारीरिक नुकसान, जैसा कि धारा 12022.7 में परिभाषित किया गया है, पहुंचाया।

(3) प्रतिवादी ने धारा 12022 की उपश्रेणी (b) का उल्लंघन करते हुए, अपराध करने के लिए खतरनाक या जानलेवा हथियार का व्यक्तिगत उपयोग किया।

(4) प्रतिवादी ने धारा 12022.5 का उल्लंघन करते हुए, अपराध करने के लिए आग्नेयास्त्र का व्यक्तिगत उपयोग किया।

(d) हत्या के द्वितीय श्रेणी अपराध में दोषी प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के जेल में न्यूनतम 20 वर्ष कैद की सजा से दंडित किया जाएगा यदि गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाने की मंशा से मोटर वाहन में से आग्नेयास्त्र चलाकर वाहन के बाहर मौजूद अन्य व्यक्ति की जघन्य कृत्य द्वारा जानबूझकर हत्या की गई थी।

(e) भाग 3 के शीर्षक 1 के अध्याय 7 का अनुच्छेद 2.5 (धारा 2930 से आरंभ), इस धारा के अनुसार दी गई सजा की न्यूनतम अवधि कम करने के लिए लागू नहीं होगा। इस धारा के अनुसार सजा सुनाए गए व्यक्ति को इस धारा में निर्दिष्ट कैद की न्यूनतम अवधि पूरी करने से पहले पेरोल पर रिहा नहीं किया जाएगा।

(f) इस धारा के अनुसार हत्या का दोषी पाया गया व सजा प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपनी कैद की अवधि के दौरान प्रत्येक दिन उच्च सुरक्षा वाले जेल में कई घंटे तक समर्पित श्रम का काम करना होगा जैसा कि धारा 2700 के अनुसार, डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शंस एंड रिहैबिलिटेशन के नियम व शर्तों के अनुसार निर्धारित किया गया है। ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें कैदी को क्षतिपूर्ति जुर्माना चुकाना या क्षतिपूर्ति आदेश पूरा करना है, डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शंस एंड रिहैबिलिटेशन का सेक्रेट्री कैदी के पारिश्रमिक व ट्रस्ट एकाउंट डिपोजिट के धन को घटाएगा और इस फंड को धारा 2085.5 और 2717.8 के अनुसार, डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शंस एंड रिहैबिलिटेशन के नियम व शर्तों के अनुसार कैलिफोर्निया विक्टिम कम्पेनसेशन एंड गवर्नमेंट क्लेम्स बोर्ड में हस्तांतरित कर देगा।

खंड 5. पीनल कोड की धारा 190.1 को निरस्त किया गया है।

~~190.1. एक मामला जिसमें इस अध्याय के अनुसार मृत्युदंड दिया जा सकता है, पर निम्न प्रकार से पृथक चरणों में विचार किया जाएगा:~~

~~(a) सबसे पहले प्रतिवादी के जुर्म का प्रश्न निश्चित किया जाएगा। यदि तथ्यों पर विचार करने वाला जज प्रतिवादी को हत्या के प्रथम श्रेणी अपराध का दोषी पाता है तो वह उसी समय धारा 190.2 में निर्दिष्ट आरोप लगाई गई सभी विशेष परिस्थितियों की वास्तविकता भी निश्चित करता है सिवाय एक विशेष परिस्थिति के जिसका धारा 190.2 की उपश्रेणी (a) के पैराग्राफ (2) के अनुसार आरोप लगाया जाता है जिसमें यह कहा जाता है कि प्रतिवादी को हत्या के प्रथम या द्वितीय श्रेणी के अपराध में पिछली कार्यवाही में अपराधी सिद्ध किया गया था।~~

~~(b) यदि प्रतिवादी को प्रथम श्रेणी के अपराध का दोषी पाया जाता है और धारा 190.2 की उपश्रेणी (a) के पैराग्राफ (2) के अनुसार एक विशेष परिस्थिति को आरोपित किया जाता है जिसमें आरोप लगाया जाता है कि प्रतिवादी को हत्या के प्रथम या द्वितीय श्रेणी के अपराध में पिछली कार्यवाही में अपराधी सिद्ध किया गया था तो उस पर उक्त विशेष परिस्थिति के प्रश्न पर अतिरिक्त कार्यवाही की जाएगी।~~

~~(c) यदि प्रतिवादी को प्रथम श्रेणी के अपराध का दोषी पाया जाता है और धारा 190.2 में निर्दिष्ट एक या अधिक विशेष परिस्थिति को आरोपित किया जाता है और वास्तविक पाया जाता है तो धारा 1026 के तहत विक्षिप्तता के कारण दोषी नहीं होने की किसी भी दलील पर उसके मानसिक स्वास्थ्य को धारा 190.4 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। यदि उसे मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाता है तो उस पर जुर्माना लगाए जाने के प्रश्न पर अतिरिक्त कार्यवाही होगी। उक्त कार्यवाही धारा 190.3 और 190.4 के प्रावधानों के अनुसार संचालित की जाएगी।~~

खंड 6. पीनल कोड की धारा 190.2 को इस प्रकार संशोधित किया गया है:

190.2. (a) हत्या के प्रथम श्रेणी अपराध में दोषी पाये जाने वाले प्रतिवादी के लिए ~~मृत्युदंड~~ या पेरोल की संभावना के बगैर राज्य के जेल में उम्रकैद की सजा है यदि धारा 190.4 के तहत एक या अधिक निम्नलिखित विशेष परिस्थितियां वास्तविक पाई जाती हैं:

(1) हत्या जानबूझकर की गई थी और आर्थिक लाभ पाने के लिए की गई थी।

(2) प्रतिवादी को हत्या के प्रथम या द्वितीय श्रेणी के अपराध में पहले दोषी सिद्ध किया गया था। इस पैराग्राफ के उद्देश्यों के लिए, पृथक न्यायाधिकार क्षेत्र में किया गया अपराध जो यदि कैलिफोर्निया में किया जाता तो हत्या के प्रथम या द्वितीय श्रेणी अपराध के तौर पर दंडनीय होता, को हत्या का प्रथम या द्वितीय श्रेणी अपराध माना जाएगा।

(3) इस कार्यवाही में प्रतिवादी हत्या के प्रथम या द्वितीय श्रेणी अपराध के लिए एक से अधिक अपराधों के लिए अपराधी सिद्ध हो चुका है।

(4) हत्या विध्वंसात्मक उपकरण, बम या किसी स्थान, क्षेत्र, निवास, भवन या ढांचे में लगाए गए, छिपे हुए या छिपाए गए विस्फोटक के माध्यम से किया गया था और प्रतिवादी जानता था या उसे समुचित कारणों से पता होना चाहिए था कि उसकी कार्रवाई से एक या अधिक मनुष्यों के जीवन को गंभीर खतरा उत्पन्न होगा।

(5) हत्या कानूनी गिरफ्तारी से बचने या उसे रोकने, या कानूनी हिरासत से बच निकलने के काम को पूरा करने या पूरा करने का प्रयास करने के उद्देश्य से की गई थी।

(6) हत्या विध्वंसात्मक उपकरण, बम या विस्फोटक के माध्यम से की गई थी जिसे प्रतिवादी ने डाक द्वारा भेजा या सुपुर्द किया, डाक द्वारा भेजने या सुपुर्द करने का प्रयास किया या डाक द्वारा भिजवाया या सुपुर्द करवाया और प्रतिवादी जानता था या उसे समुचित कारणों से पता होना चाहिए था कि उसकी कार्रवाई से एक या अधिक मनुष्यों के जीवन को गंभीर खतरा उत्पन्न होगा।

(7) पीड़ित व्यक्ति शांति अधिकारी था जैसा कि धारा 830.1 धारा 830.2, धारा 830.3, धारा 830.31, धारा 830.32, धारा 830.33, धारा 830.34, धारा 830.35, धारा 830.36, धारा 830.37, धारा 830.4, धारा 830.5, धारा 830.6, धारा 830.10, धारा 830.11 या धारा 830.12 में परिभाषित किया गया है, जो अपना कर्तव्य निभाने की प्रक्रिया में जानबूझकर मारा गया और प्रतिवादी जानता था; या उसे समुचित कारणों से पता होना चाहिए कि पीड़ित अपने कर्तव्य निभाने वाला एक शांति अधिकारी था या इनमें से किसी भी धारा के अंतर्गत भूतपूर्व शांति अधिकारी था, और उसे अपने आधिकारिक कर्तव्यों को पूरा करने पर बदले की कार्रवाई में जानबूझकर मारा गया।

(8) पीड़ित व्यक्ति संघीय कानून प्रवर्तन अधिकारी या एजेंट था जो अपना कर्तव्य निभाने की प्रक्रिया में जानबूझकर मारा गया और प्रतिवादी जानता था, या उसे समुचित कारणों से पता होना चाहिए कि पीड़ित अपने कर्तव्य निभाने वाला एक संघीय कानून प्रवर्तन अधिकारी या एजेंट था; या पीड़ित एक संघीय कानून प्रवर्तन अधिकारी या एजेंट था, और उसे अपने आधिकारिक कर्तव्यों को पूरा करने पर बदले की कार्रवाई में जानबूझकर मारा गया।

(9) पीड़ित व्यक्ति फायरफाईटर (अग्निशामक कर्मचारी) था जैसा कि धारा 245.1 में परिभाषित किया गया है, जो अपना कर्तव्य निभाने की प्रक्रिया में जानबूझकर मारा गया और प्रतिवादी जानता था, या उसे समुचित कारणों से पता होना चाहिए कि पीड़ित व्यक्ति अपने कर्तव्य निभाने वाला एक फायरफाईटर था।

(10) पीड़ित व्यक्ति किसी अपराध का गवाह था जिसे किसी आपराधिक या किशोर अपराध संबंधी कार्यवाही में उसकी गवाही देने से रोकने के उद्देश्य से जानबूझकर मारा गया और हत्या उस अपराध को करने या करने की कोशिश के दौरान नहीं हुई थी जिसका वह गवाह था; या पीड़ित व्यक्ति किसी अपराध का गवाह था जिसे किसी आपराधिक या किशोर अपराध संबंधी कार्यवाही में उसकी गवाही देने पर बदले की कार्रवाई में जानबूझकर मारा गया। जैसा कि इस पैराग्राफ में उपयोग किया गया है, "किशोर अपराध संबंधी कार्यवाही" का मतलब ऐसी कार्यवाही से है जिसे वेलफेयर एंड इंस्टीट्यूशंस कोड की धारा 602 या 707 के अनुसार संचालित किया गया है।

(11) पीड़ित व्यक्ति इस या किसी अन्य राज्य में, या फेडरल प्रोसेक्यूटर्स ऑफिस में प्रोसेक्यूटर (अभियोजक) या असिस्टेंट प्रोसेक्यूटर या भूतपूर्व प्रोसेक्यूटर या सहायक प्रोसेक्यूटर था और हत्या पीड़ित व्यक्ति को आधिकारिक कर्तव्य पूरा करने अथवा उससे रोकने के लिए बदले की कार्रवाई में जानबूझकर की गई थी।

(12) पीड़ित व्यक्ति इस या किसी अन्य राज्य में स्थानीय, राज्य या संघीय व्यवस्था में किसी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड (सक्षम न्यायालय) में जज या भूतपूर्व जज था और हत्या पीड़ित व्यक्ति को आधिकारिक कर्तव्य पूरा करने अथवा उससे रोकने के लिए बदले की कार्रवाई में जानबूझकर की गई थी।

(13) पीड़ित व्यक्ति संघीय सरकार, अथवा इस या किसी अन्य राज्य में स्थानीय, राज्य सरकार का निर्वाचित या नियुक्त अधिकारी या भूतपूर्व अधिकारी था और हत्या पीड़ित व्यक्ति को आधिकारिक कर्तव्य पूरा करने अथवा उससे रोकने के लिए बदले की कार्रवाई में जानबूझकर की गई थी।

(14) हत्या विशेष तौर पर जघन्य, पाश्विक या क्रूर थी जो असमान्य दुष्टता व्यक्त करती थी। जैसा कि इस धारा में उपयोग किया गया है, "विशेष तौर पर जघन्य, पाश्विक या क्रूर थी जो असमान्य दुष्टता व्यक्त करने वाली" वाक्यांश का मतलब अविवेकपूर्ण या दयाहीन भाव से किए गए अपराध से है जो पीड़ित व्यक्ति के लिए अनावश्यक रूप से अत्यधिक कष्टकारी था।

(15) प्रतिवादी ने पीड़ित व्यक्ति की प्रतीक्षा करते हुए उसे जानबूझकर मारा था।

(16) पीड़ित व्यक्ति की उसकी नस्ल, रंग, धर्म, राष्ट्रीयता या मूल देश की वजह से जानबूझकर हत्या की गई थी।

(17) हत्या उस समय हुई जब प्रतिवादी निम्नलिखित आपराधिक कृत्य करने, या करने की कोशिश के तत्काल बाद हुई लड़ाई लड़ने या लड़ने की कोशिश में शामिल था, या उसमें सहयोगी था:

(A) धारा 211 या 212.5 के उल्लंघन में डकैती।

(B) धारा 207, 209 या 209.5 के उल्लंघन में अपहरण।

(C) धारा 261 के उल्लंघन में बलात्कार।

(D) धारा 286 के उल्लंघन में कुकर्म।

(E) धारा 288 के उल्लंघन में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे पर दुराचार या लंपटतापूर्ण कार्य करना।

(F) धारा 288a के उल्लंघन में मुख मैथुन।

(G) धारा 460 के उल्लंघन में चोरी का प्रथम या द्वितीय श्रेणी अपराध।

(H) धारा 451 की उपश्रेणी (b) के उल्लंघन में आगजनी।

(I) धारा 219 के उल्लंघन में ट्रेन को नुकसान पहुंचाना।

(J) धारा 203 के उल्लंघन में उत्पात मचाना।

(K) धारा 289 के उल्लंघन में यौन आक्रमण (रेप बाई इंस्ट्रूमेंट)।

(L) धारा 215 के उल्लंघन में कार लूटना।

(M) उपश्रेणी (B) में अपहरण या उपश्रेणी (H) में आगजनी की विशेष परिस्थिति सिद्ध करने के लिए, यदि इसमें हत्या करने की विशिष्ट मंशा शामिल है, केवल इसकी आवश्यकता होती है कि इन आपराधिक कृत्यों के साक्ष्य मौजूद हों। यदि ऐसा सही पाया जाता है तो ये दो विशेष परिस्थितियां साबित हो जाती हैं चाहे अपहरण या आगजनी का आपराधिक कृत्य मुख्य या एकमात्र रूप से हत्या करने के उद्देश्य से किया गया है।

(18) हत्या जानबूझकर की गई थी और इसमें यातना देना शामिल था।

(19) प्रतिवादी ने जहर देकर जानबूझकर पीड़ित व्यक्ति की हत्या की।

(20) पीड़ित व्यक्ति इस या किसी अन्य राज्य में स्थानीय, राज्य या संघीय व्यवस्था में किसी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड (सक्षम न्यायालय) में जूरी सदस्य था और

हत्या पीड़ित व्यक्ति को आधिकारिक कर्तव्य पूरा करने अथवा उससे रोकने के लिए बदले की कार्रवाई में जानबूझकर की गई थी।

(21) हत्या जानबूझकर की गई थी और यह हत्या करने की मंशा से अन्य व्यक्ति या वाहन के बाहर मौजूद अन्य व्यक्ति पर जानबूझकर मोटर वाहन से आग्नेयास्त्र चलाकर की गई थी। इस पैराग्राफ के उद्देश्यों के लिए, "मोटर वाहन" का मतलब व्हीकल कोड की धारा 415 के परिभाषित किसी भी वाहन से है।

(22) प्रतिवादी ने जानबूझकर पीड़ित व्यक्ति की हत्या की जब प्रतिवादी आपराधिक सड़कछाप गिरोह का सक्रिय भागीदार था, जैसा कि धारा 186.22 की उपश्रेणी (f) में परिभाषित किया गया है, और हत्या आपराधिक सड़कछाप गिरोह की गतिविधियों को करने के लिए की गई थी।

(b) जब तक कि उपश्रेणी (a) में निर्दिष्ट विशेष परिस्थिति के लिए उसके तहत हत्या की मंशा की विशेष तौर पर आवश्यकता नहीं होती है तब तक वास्तविक हत्यारे के पास जिसके लिए धारा 190.4 के तहत विशेष परिस्थिति को वास्तविक पाया जाता है, अपराध करते समय हत्या की मंशा होने की जरूरत नहीं है जो ~~मृत्युदंड या~~ पेरोल की संभावना के बगैर राज्य की जेल में उम्रकैद की सजा पाने के लिए विशेष परिस्थिति का आधार है।

(c) वास्तविक हत्यारा नहीं परंतु प्रत्येक व्यक्ति, जो हत्या की मंशा से हत्या के प्रथम श्रेणी के अपराध करने वाले व्यक्ति को सहायता पहुंचाता है, सलाह देता है, आदेश देता है, उकसाता है, प्रलोभन देता है, अनुरोध करता है या सहायक होता है, उसे ~~मृत्युदंड या~~ पेरोल की संभावना के बगैर राज्य की जेल में उम्रकैद की सजा दी जाएगी यदि उपश्रेणी (a) में एक या अधिक विशेष परिस्थिति को धारा 190.4 के तहत वास्तविक पाया जाता है।

(d) उपश्रेणी (c) के होते हुए भी, वास्तविक हत्यारा नहीं परंतु प्रत्येक व्यक्ति जो मानवीय जीवन के प्रति अविवेकपूर्ण उदासीनता के साथ, प्रमुख भागीदार के तौर पर उपश्रेणी (a) के पैराग्राफ (17) में निर्दिष्ट आपराधिक कृत्य करने के लिए उकसाता, प्रलोभन देता है, अनुरोध करता है या सहायक होता है जिसका परिणाम किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु में होता है और जिसे हत्या के प्रथम श्रेणी अपराध का दोषी पाया जाता है, को ~~मृत्युदंड या~~ पेरोल की संभावना के बगैर राज्य की जेल में उम्रकैद की सजा दी जाएगी उपश्रेणी (a) के पैराग्राफ (17) में निर्दिष्ट विशेष परिस्थिति को धारा 190.4 के अनुसार वास्तविक पाया जाता है।

दंड इस धारा और धारा ~~190.1, 190.3;~~ 190.4; और 190.5 के प्रावधानों के अनुसार निश्चित किया जाएगा।

खंड 7. पीनल कोड की धारा 190.3 को निरस्त किया गया है।

~~190.3. यदि प्रतिवादी को हत्या के प्रथम श्रेणी अपराध का दोषी पाया जाता है, और विशेष परिस्थिति का आरोप लगाया जाता है और इसे वास्तविक पाया जाता है या यदि प्रतिवादी संभवत: मिलिटरी एंड वेटरन कोड की धारा 1672 की उपश्रेणी (a) या इस कोड की धारा 37, 128, 219 या 4500 का उल्लंघन करने का दोषी पाये जाने के बाद मृत्युदंड के अधीन है, तो तथ्यों पर विचार करने वाला जज यह निश्चित करेगा कि क्या दंड मृत्युदंड या पेरोल की संभावना के बगैर राज्य जेल में उम्रकैद होगी। दंड के प्रश्न पर होने वाली कार्यवाही में लोगों व प्रतिवादी दोनों के द्वारा ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं जो वर्तमान अपराध की प्रकृति व परिस्थितियों, पूर्व में किसी आपराधिक कृत्य में दोषी सिद्ध होने या कई कृत्यों में दोषी सिद्ध होना, चाहे उक्त दोष सिद्ध होने में हिंसा का अपराध शामिल था या नहीं, प्रतिवादी द्वारा अन्य आपराधिक कार्रवाई की मौजूदगी या अनुपस्थिति जिसमें बल का प्रयोग या बल प्रयोग करने की कोशिश या हिंसा शामिल थी या हिंसा सहित परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं कोई भी मामला जो भड़काने, शांत करने और सजा सुनाए जाने और प्रतिवादी के चरित्र, पृष्ठभूमि, इतिहास, मानसिक स्थिति व शारीरिक स्थिति से संबंधित हैं।~~

~~लेकिन, प्रतिवादी द्वारा अन्य आपराधिक कार्रवाई के संबंध में कोई सबूत दाखिल नहीं किया जाएगा जिसमें बल प्रयोग या बलप्रयोग की कोशिश शामिल नहीं थी या हिंसा या बल अथवा हिंसा के उपयोग की स्पष्ट या छिपी हुई धमकी शामिल नहीं थी। जैसा कि इस खंड में इस्तेमाल किया गया है, आपराधिक गतिविधि के लिए दोषसिद्धि की आवश्यकता नहीं होती है।~~

~~हालांकि, किसी भी स्थिति में पिछली आपराधिक कार्रवाई के साक्ष्य को उस अपराध के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा जिसके लिए प्रतिवादी पर अभियोग लगाया गया था और बरी किया गया था। इस साक्ष्य के उपयोग पर पाबंदी लगाने का अभिप्राय केवल इस धारा के अनुसार कार्यवाही पर इसे लागू करना है और इसका अभिप्राय उन वैधानिक या निर्णय संबंधी कानून को प्रभावित करना नहीं है जो इस साक्ष्य को किसी भी अन्य कार्यवाही में उपयोग करने की अनुमति देते हैं।~~

~~अपराध या विशेष परिस्थिति के सबूत के तौर पर पेश साक्ष्य के अतिरिक्त जो प्रतिवादी को मृत्युदंड के अधीन लाते हैं, अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी साक्ष्य को क्रोधपूर्वक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है जब तक पेश किए जाने वाले साक्ष्य की सूचना समुचित अवधि के भीतर, सुनवाई से पहले प्रतिवादी को दी गई जैसा कि न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाता है। उस साक्ष्य का खंड करते हुए सूचना के बगैर ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं जिन्हें प्रतिवादी द्वारा अपराध की गंभीरता कम करने के लिए प्रस्तुत किया है।~~

~~तथ्यों पर विचार करने वाले जज को निर्देश दिए जाएंगे कि पेरोल की संभावना के बगैर राज्य जेल में उम्रकैद की सजा भविष्य में सजा लागू करने के बाद, ऐसी सजा में रूपांतरित या संशोधित की जा सकती है जिसमें कैलिफोर्निया राज्य के गर्वनर द्वारा पेरोल पर छोड़ने की संभावना शामिल होती है।~~

~~सजा निश्चित करते हुए, तथ्यों पर विचार करने वाला जज निम्नलिखित कारणों पर गौर करेगा यदि ये उपयोगी हैं:~~

~~(a) अपराध की परिस्थितियां जिनके लिए प्रतिवादी को वर्तमान कार्यवाही में दोषी ठहराया गया और किसी विशेष परिस्थिति की मौजूदगी जो धारा 190.1 के अनुसार वास्तविक पाई जाती हैं।~~

~~(b) प्रतिवादी द्वारा की गई आपराधिक कार्रवाई की मौजूदगी या अनुपस्थिति जिसमें बल प्रयोग या बलप्रयोग की कोशिश या हिंसा या बल अथवा हिंसा के उपयोग की स्पष्ट या छिपी हुई धमकी शामिल होती है।~~

~~(c) पिछले आपराधिक कृत्य में दोषी सिद्ध होने की मौजूदगी या अनुपस्थिति।~~

~~(d) क्या अपराध उस किया गया था या नहीं जब प्रतिवादी अत्यधिक मानसिक या भावनात्मक परेशानी के प्रभाव में था।~~

~~(e) क्या पीड़ित व्यक्ति प्रतिवादी के हत्या संबंधी आचरण में शामिल था या नहीं या उसने हत्या के लिए सहमति दी थी या नहीं।~~

~~(f) क्या अपराध उन परिस्थितियों में किया गया था या नहीं जिसके लिए प्रतिवादी का समुचित रूप से मानना है कि यह उसके आचरण का नैतिक औचित्य या न्यूनीकरण था।~~

~~(g) क्या प्रतिवादी ने अत्यधिक दबाव या अन्य व्यक्ति के पर्याप्त वर्चस्व के तहत कार्रवाई की या नहीं।~~

~~(h) क्या अपराध करते समय प्रतिवादी की क्षमता उसके आचरण को आपराधिक साबित करने या कानून की आवश्यकताओं के अनुरूप उसका आचरण होने के लिए मानसिक रोग या गड़बड़ी, या नशीले पदार्थ के प्रभाव के फलस्वरूप कमजोर हो गई थी या नहीं।~~

~~(i) अपराध के समय प्रतिवादी की आयु।~~

~~(j) क्या प्रतिवादी अपराध में एक सहयोगी था या नहीं और अपराध करने में उसकी भागीदारी सापेक्षिक रूप से कम थी या नहीं।~~

~~(k) कोई अन्य परिस्थिति जो अपराध की गंभीरता को न्यून करती है हालांकि यह अपराध के लिए कोई कानूनी बहाना नहीं है।~~

~~समस्त साक्ष्यों को सुनने और प्राप्त करने के बाद, और वकीलों की दलीलें सुनने और उन पर विचार करने के बाद, तथ्यों पर विचार करने वाले जज इस धारा में बताई गई मामला भड़काने व शांत करने वाली परिस्थितियों पर गौर करते हुए और उनसे मार्गदर्शन लेते हुए, यदि तथ्यों पर विचार करने वाला जज निष्कर्ष निकालता है कि मामले की गंभीरता बढ़ाने वाली स्थितियां मामले की गंभीरता कम करने वाली स्थितियों पर भारी पड़ीं तो वह मृत्यु की सजा सुनाएगा। यदि तथ्यों पर विचार करने वाला निश्चित करता है कि मामले की गंभीरता कम करने वाली स्थितियां मामले की गंभीरता बढ़ाने वाली स्थितियां पर भारी पड़ीं तो तथ्यों पर विचार करने वाला जज पेरोल की संभावना के बगैर राज्य जेल में उम्रकैद की सजा सुनाएगा।~~

खंड 8. पीनल कोड की धारा 190.4 को इस प्रकार संशोधित किया गया है:

190.4. (a) जब कभी धारा 190.2 में निर्दिष्ट विशेष परिस्थितियों का आरोप लगाया जाता है और जज प्रतिवादी को हत्या के प्रथम श्रेणी अपराध का दोषी पाता है तो जज प्रत्येक आरोपित विशेष परिस्थिति की वास्तविकता पर भी विशेष निष्कर्ष निकालेगा। किसी भी या समस्त विशेष परिस्थितियों की वास्तविकता का निर्धारण जज द्वारा सुनवाई में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर या ~~धारा 190.1 की उपश्रेणी (b) के अनुसार की गई सुनवाई में किया जाएगा~~।

इस बारे में समुचित संदेह होने पर कि क्या विशेष परिस्थिति वास्तविक है, प्रतिवादी वह निष्कर्ष (फाईडिंग) निकाले जाने का पात्र है जो वास्तविक नहीं है। तथ्यों पर विचार करने वाला जज एक विशेष निष्कर्ष निकालेगा कि आरोप लगाए गए प्रत्येक विशेष परिस्थिति वास्तविक है या नहीं। जब कभी विशेष परिस्थिति के लिए अपराध करने या करने की कोशिश के सबूत की जरूरत होती है तो उक्त अपराध आरोपित किया जाएगा और मुकदमे व अपराध का दोष सिद्ध होने पर लागू होने वाले सामान्य कानून के अनुसार सिद्ध किया जाएगा।

यदि जूरी के बगैर संचालित न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को दोषी सिद्ध किया जाता है, तो तथ्यों पर विचार करने वाला जज जूरी होगा जब तक कि प्रतिवादी और लोगों द्वारा जूरी का अधित्याग नहीं किया जाता है जिस स्थिति में जज न्यायालय होगा। यदि प्रतिवादी दोषी ठहराने की दलील द्वारा दोषी सिद्ध हुआ था तो तथ्यों पर विचार करने वाला जज जूरी होगा जब तक कि प्रतिवादी और लोगों द्वारा जूरी का अधित्याग नहीं किया जाता है।

यदि जज पाता है कि धारा 190.2 में निर्दिष्ट एक या अधिक विशेष परिस्थितियां आरोपों के अनुसार वास्तविक हैं, तो ~~पृथक सजा के लिए सुनवाई होगी~~ *प्रतिवादी को पेरोल की संभावना के बगैर राज्य जेल में उम्रकैद का दंड दिया जाएगा,* ~~और जब न तो निष्कर्ष है कि आरोपित बची हुई कोई भी विशेष परिस्थिति वास्तविक नहीं है और न ही जज जूरी है, तो वास्तविकता या अवास्तविकता के मामले पर सहमत होने की जूरी की अक्षमता की वजह से पृथक सजा सुनाए जाने की सुनवाई रूक जाएगी।~~

~~किसी भी मामले में प्रतिवादी को जूरी द्वारा दोषी पाया जाता है और जूरी सर्वसम्मत फैसले पर पहुंचने में विफल रहती है कि आरोपित एक या अधिक विशेष परिस्थितियां वास्तविक हैं, और इस सर्वसम्मत फैसले पर नहीं पहुंचती हैं कि आरोपित सभी विशेष परिस्थितियां वास्तविक नहीं हैं तो न्यायालय जूरी को भंग कर देगा और मामलों पर विचार करने के लिए एक नई जूरी बनाने का आदेश देगा, लेकिन न तो दोषी ठहराए जाने के मामले पर उक्त जूरी द्वारा विचार किया जाएगा और न ही उक्त जूरी ऐसी किसी भी विशेष परिस्थिति की वास्तविकता के मामले पर पुन: विचार करेगी जिसे पिछली जूरी द्वारा सर्वसम्मत फैसले से अवास्तविक पाया गया था। यदि नई जूरी सर्वसम्मत फैसले पर पहुंचने में विफल रहती है कि एक या अधिक विशेष परिस्थितियां जिनपर वह विचार कर रही है वास्तविक हैं, तो न्यायालय जूरी को भंग कर देगा और न्यायालय अपने स्वविवेक से या तो मामले पर विचार करने के लिए नई जूरी बनाने का आदेश देगा जिन पर पिछली जूरी सर्वसम्मत फैसले से पहुंचने में विफल रही थी या राज्य जेल में 25 वर्ष की कैद की सजा सुनाएगा।~~

~~(b) यदि जूरी के बगैर संचालित न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को दोषी सिद्ध किया जाता है, तो तथ्यों पर विचार करने वाला जज जूरी होगा जब तक कि प्रतिवादी और लोगों द्वारा जूरी का अधित्याग नहीं किया जाता है जिस स्थिति में जज न्यायालय होगा। यदि प्रतिवादी दोषी ठहराने की दलील द्वारा दोषी सिद्ध हुआ था तो तथ्यों पर विचार करने वाला जज जूरी होगा जब तक कि प्रतिवादी और लोगों द्वारा जूरी का अधित्याग नहीं किया जाता है।~~

~~यदि तथ्यों पर विचार करने वाला जज जूरी है और वह इस बारे में सर्वसम्मत फैसले पर नहीं पहुंच पाता है कि सजा क्या होगी, तो न्यायालय जूरी को भंग कर देगा और मामले पर विचार करने के लिए एक नई जूरी बनाने का आदेश देगा कि सजा क्या होगी। यदि यह नई जूरी सर्वसम्मत फैसले पर पहुंचने में विफल रहती है कि सजा क्या होगी तो न्यायालय अपने स्वविवेक से या तो नई जूरी बनाने का आदेश देगा या पेरोल की संभावना के बगैर राज्य जेल में उम्रकैद की सजा सुनाएगा।~~

~~(c)~~ *(b)* यदि जज जो प्रतिवादी को उस अपराध के लिए दोषी सिद्ध करता है जिसके लिए उसे *पेरोल की संभावना के बगैर राज्य जेल में उम्रकैद* ~~मृत्युदंड~~ दी जा सकती है जूरी था, तो यही जूरी धारा 1026 के तहत विक्षिप्तता के कारण दोषी नहीं होने की किसी भी दलील और विशेष परिस्थिति की वास्तविकता जिसका आरोप लगाया जा सकता है ~~और दी जाने वाली सजा~~ पर विचार करेगी जब तक कि न्यायालय को दिखाए गए किसी उचित कारण की वजह से न्यायालय उस जूरी को सेवामुक्त कर देता है जिस स्थिति में नई जूरी बनाई जाएगी। न्यायालय रिकॉर्ड में उचित कारण के निष्कर्ष के समर्थन में तथ्यों का उल्लेख करेगा और उन्हें मिनिट्स में दर्ज कराएगा।

~~(d) कोई भी मामला जिसमें प्रतिवादी को मृत्युदंड दिया जा सकता है, धारा 1026 के तहत विक्षिप्तता के कारण दोषी नहीं होने की किसी भी दलील के तहत होने वाली कार्यवाही सहित सुनवाई के पिछले चरण में पेश किए गए साक्ष्य पर सुनवाई के बाद के चरण में विचार किया जाएगा यदि पिछले चरण का जज बाद वाले चरण का भी जज है।~~

~~(e) ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें जज ने मृत्युदंड देने वाले फैसले या निष्कर्ष को वापिस कर दिया है, धारा 11 की उपश्रेणी 7 के अनुसार उक्त फैसले या निष्कर्ष के संशोधन के लिए प्रतिवादी द्वारा आवेदन करना माना जाएगा। आवेदन पर निर्णय करते हुए, जज साक्ष्य की समीक्षा करेगा, उस पर विचार, गौर करेगा और धारा 190.3 में दी गई मामले की गंभीरता बढ़ाने वाली और कम करने वाली स्थितियों से मार्गदर्शन लेगा और यह निर्धारित करेगा कि क्या जूरी का निष्कर्ष और फैसला कि मामले की गंभीरता बढ़ाने वाली स्थितियां मामले की गंभीरता कम करने वाली स्थितियों पर भारी पड़ीं, कानून या प्रस्तुत साक्ष्य के विपरीत हैं। जज अपने निषकर्षों के कारणों को रिकॉर्ड में दर्ज करेगा।~~

~~जज आवेदन पर अपने निर्णय के कारण निर्धारित करेगा और निर्देश देगा कि उन्हें क्लर्क के मिनिट्स में दर्ज किया जा सकता है। धारा 1181 की उपश्रेणी (7) के अनुसार मृत्युदंड के फैसले में संशोधन को अस्वीकार करने पर धारा 1239 की उपश्रेणी (b) के अनुसार प्रतिवादी की स्वत: अपील पर समीक्षा की जाएगी। आवेदन करने की अनुमति देने की समीक्षा पैराग्राफ (6) के अनुसार पीपल'स (लोगों की) अपील पर की जाएगी।~~

खंड 9. अध्याय 33 (धारा 7599 से आरंभ) को गवर्नमेंट कोड के शीर्षक 1 की श्रेणी 7 में जोड़ा गया है जो इस प्रकार है:

अध्याय 33. अनसुलझे बलात्कार व हत्याओं की जांच करने के लिए SAFE कैलिफोर्निया फंड

अनुच्छेद 1. SAFE कैलिफोर्निया फंड का निर्माण

34

7599. राज्य कोष के भीतर "SAFE कैलिफोर्निया फंड" के तौर पर पहचाने जाने वाला एक विशेष फंड तैयार किया गया है और इस श्रेणी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निरंतर उपयोग में लाया जाता है।

अनुच्छेद 2. फंड का नियोजन व आवंटन

7599.1. नियोजन फंडिंग

1 जनवरी, 2013 को 2012–13 वित्तीय वर्ष के लिए जनरल फंड से SAFE कैलिफोर्निया फंड में दस मिलियन डॉलर ($10,000,000) हस्तांतरित किए जाएंगे और उस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए निरंतर उपयोग में लाए जाएंगे जिसने इस अध्याय को जोड़ा है। 2013–14, 2014–15 और 2015–16 के प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 1 जुलाई को जनरल फंड से SAFE कैलिफोर्निया फंड में तीस मिलियन डॉलर ($30,000,000) की अतिरिक्त राशि हस्तांतरित की जाएगी और उस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए निरंतर उपयोग में लाई जाएगी जिसने इस अध्याय को जोड़ा है। SAFE कैलिफोर्निया फंड में हस्तांतरित होने वाले फंड का एकमात्र उपयोग उस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए किया जाएगा जिसने इस अध्याय को जोड़ा है और विधायिका द्वारा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नियोजन या हस्तांतरण के अधीन नहीं होगा। SAFE कैलिफोर्निया फंड के फंड को वित्तीय वर्ष पर ध्यान दिए बगैर उपयोग किया जा सकता है।

7599.2. SAFE कैलिफोर्निया फंड से धन का वितरण

(a) अटार्नी जनरल के निर्देश पर कंट्रोलर SAFE कैलिफोर्निया फंड में जमा धन का वितरण पुलिस विभाग, शेरिफ और डिस्ट्रिक्ट अटार्नी ऑफिस को उस दर को बढ़ाने के लिए उद्देश्य के लिए करेगा जिस दर पर हत्या व बलात्कार के मामले सुलझाए जाते हैं। बलात्कार के मामलो में एकत्र किए जाने वाले भौतिक साक्ष्य पर तेजी से कार्रवाई करने, DNA विश्लेषण व मिलान सहित फोरेंसिक साइंस की क्षमताओं को बढ़ाने, हत्या व यौन अपराध जांच या अभियोजन इकाइयों में स्टाफ की संख्या बढ़ाने और गवाह स्थानांतरण (विटनेस रिलोकेशन) सहित परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं परियोजनाओं व गतिविधियों को फंड दिया जा सकता है। SAFE कैलिफोर्निया फंड के धन को पुलिस विभाग, शेरिफ और डिस्ट्रिक्ट अटार्नी ऑफिस को अटार्नी जनरल द्वारा निर्धारित निष्पक्ष व समान वितरण के फार्मूले के ज़रिए आवंटित किया जाएगा।

(b) इन फंडों के आवंटन व वितरण से संबंधित किसी भी लागत को SAFE कैलिफोर्निया फंड से घटाया जाएगा। अटार्नी जनरल और कंट्रोलर आवंटन व वितरण की लागत को शून्य या शून्य के नजदीक रखने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो कि फंडिंग की अधिकतम राशि उन कार्यक्रमों व गतिविधियों को आवंटित हो जो उस दर को बढ़ाते है जिस दर पर हत्या व बलात्कार के मामले सुलझाए जाते हैं।

खंड 10. अधिनियम का पूर्व के क्रियाकलापों पर लागू होना

(a) धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार इस अधिनियम के उद्देश्य हासिल करने के लिए और सजा सुनाने में निष्पक्षता, समानता व एकरूपता हासिल करने के लिए, इस अधिनियम को पूर्व के क्रियाकलापों पर लागू (पूर्वप्रभावी) किया जाएगा।

(b) ऐसे किसी भी मामले में जिसमें प्रतिवादी या कैदी को इस अधिनियम की प्रभावी तिथि से पहले मृत्युदंड सुनाया गया था, इस अधिनियम के नियम व शर्तो के अनुसार यह सजा स्वत: ही पेरोल की संभावना के बगैर राज्य जेल में उम्रकैद की सजा में बदल जाएगी। कैलिफोर्निया राज्य इस अधिनियम की प्रभावी तिथि के बाद मौत की कोई सजा नहीं देगा।

(c) इस अधिनियम की प्रभावी तिथि के बाद, सुप्रीम कोर्ट अपने समक्ष लंबित पड़ी मृत्युदंड की समस्त अपीलों व बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं (हेबिअस पेटीशन) को, सुप्रीम कोर्ट के स्वविवेक से कोर्ट ऑफ अपील (अपील न्यायालय) के किसी भी जिले या उच्चतर न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है।

खंड 11. प्रभावी तिथि

यह अधिनियम कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद II के खंड 10 की उपश्रेणी (a) के अनुसार चुनाव के बाद की तिथि में प्रभावी हो जाएगा।

खंड 12. पृथक्कीकरण

इस अधिनियम के प्रावधान पृथक्करणीय हैं। यदि इस अधिनियम का कोई भी प्रावधान या इनका अनुप्रयोग खंड 10 सहित परंतु इसी तक सीमित नहीं के अनुसार अमान्य माना जाता है तो यह अमान्यता अन्य प्रावधानों या अनुप्रयोग को प्रभावित नहीं करेगी जिन्हें अमान्य प्रावधान या अनुप्रयोग के बगैर प्रभावी बनाया जा सकता है।

प्रस्ताव 35

यह प्रयास कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद II की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार कैलिफोर्निया के लोगों के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

यह प्रयास एवीडेंस कोड में एक धारा जोड़ता है और पिनल कोड को संशोधित करता है और अध्याय शीर्षक और धाराएं जोड़ता है; इसलिए मिटाये जाने के लिए प्रस्तावित वर्तमान प्रावधानों को ~~काटे हुए अक्षरों~~ में प्रकाशित किया गया है और जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधानों को यह दर्शाने के लिए *इटैलिक टाईप* में प्रकाशित किया गया है कि वे नए हैं।

प्रस्तावित कानून

यौन शोषण के खिलाफ कैलिफोर्निया वासी अधिनियम
("CASE अधिनियम")

खंड 1. शीर्षक।

इस उपाय को "यौन शोषण के खिलाफ कैलिफोर्निया वासी अधिनियम" ("CASE अधिनियम") के रूप में जाना जाएगा और इसी रूप में उद्धत किया जा सकता है।

खंड 2. परिणाम व घोषणाएं।

कैलिफोर्निया राज्य के लोग यह पाते हैं और घोषित करते हैं:

1. हमारे राज्य में हर व्यक्ति, विशेष रूप से हमारे बच्चों, की यौन शोषण के सभी रूपों से रक्षा करना सर्वोच्च महत्वपूर्ण है।

2. मानव तस्करी, मानव गरिमा के खिलाफ एक अपराध है और बुनियादी मानव और नागरिक अधिकारों का एक गंभीर उल्लंघन है। मानव तस्करी आधुनिक गुलामी है, जो दूसरे की कमजोरियों के शोषण के माध्यम से प्रकट होती है।

3. संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग के एक अध्ययन के अनुसार 300,000 से अधिक अमेरिकी बच्चों को व्यावसायिक यौन शोषण का खतरा है। ज्यादातर को 12–14 साल की उम्र की आयु में देह व्यापार में खींच लिया जाता है, लेकिन कुछ की चार साल जैसी छोटी उम्र में तस्करी की जाती है। क्योंकि कानूनी तौर पर नाबालिग यौन गतिविधियों के लिए सहमति देने के सक्षम नहीं होते हैं, ये नाबालिग मानव तस्करी से पीड़ित हैं भले ही बल प्रयोग किया गया हो या नहीं।

4. जबकि इंटरनेट की वृद्धि ने कैलिफोर्निया को बहुत ज़्यादा लाभ दिया है, मानव तस्करों और यौन अपराधियों द्वारा इस तकनीक के हिंसक उपयोग ने इस तरह के शोषकों को हमारे राज्य में कमजोर व्यक्तियों को लुभाने और शिकार बनाने का एक नया तरीका दिया है।

5. हमें महिलाओं और बच्चों का यौन प्रयोजनों के लिए का फायदा उठाने की कोशिश करने वाले मानव तस्करों और ऑनलाइन शिकारियों से उत्पन्न खतरों का मुकाबला करने के लिए मजबूत कानूनों की जरूरत है।

6. शिकारियों को मानव तस्करी और यौन शोषण में सहायता के लिए इंटरनेट का उपयोग करने से रोकने के लिए हमें यौन अपराधी पंजीकरण आवश्यकताओं को मजबूत बनाने की जरूरत है।

खंड 3. उद्देश्य व अभिप्राय।

कैलिफोर्निया राज्य के लोगों ने CASE अधिनियम बनाने के अपने उद्देश्य व अभिप्राय की घोषणा निम्नानुसार की है:

1. मानव तस्करी के अपराध से लड़ना और मानव तस्करी के अपराध को बढ़ावा देने या इसमें संलग्न लोगों को न्यायोचित और प्रभावी सजा सुनिश्चित करनी।

2. मानव तस्करी से पीड़ित लोगों को पीड़ितों के रूप में पहचाना न कि अपराधियों के रूप में, और मानव तस्करी से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करनी।

3. यौन शोषण से संबंधित कानून को मज़बूत करना, जिसमें यौन अपराधी पंजीकरण आवश्यकताएं शामिल हैं, ताकि कानून प्रवर्तन ऑनलाइन सेक्स अपराधों और मानव तस्करी पर निगरानी रख सके और इसे रोक सके।

खंड 4. एवीडेंस कोड में धारा 1161 को जोड़ा गया है, जो इस प्रकार है:

1161. (a) इस साक्ष्य कि मानव तस्करी, जैसा कि दंड संहिता की धारा 236.1में परिभाषित है, से पीड़ित व्यक्ति मानव तस्करी से पीड़ित होने के परिणाम स्वरूप किसी भी व्यावसायिक यौन कार्य में शामिल हुआ है, को उस गतिविधि से संबंधित किसी भी व्यवहार के लिए पीड़ित व्यक्ति का आपराधिक दायित्व साबित करने के लिए पेश नहीं किया जा सकता है।

(b) मानव तस्करी, जैसा कि दंड संहिता की धारा 236.1में परिभाषित है, से पीड़ित व्यक्ति के किसी भी यौन इतिहास या व्यावसायिक यौन कार्य के इतिहास के सबूत को किसी भी नागरिक या आपराधिक कार्यवाही से पीड़ित व्यक्ति की विश्वसनीयता पर हमला करने या उसके चरित्र को दोषी ठहराने के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता।

खंड 5. दंड संहिता के भाग 1 के शीर्षक 8 के अध्याय 8 (धारा 236 के साथ शुरू होते हुए) के सिरनामा को संशोधित किया गया है, जो इस प्रकार है:

अध्याय 8. झूठी कारावास *और मानव तस्करी*

खंड 6. दंड संहिता की धारा 236.1 को संशोधित किया गया है जो इस प्रकार है:

236.1. (a) कोई भी व्यक्ति जो धारा ~~266, 266h, 266i, 267, 311.4, या 518 को लागू करने या इनके बड़े उल्लंघन को बनाए रखने~~ के इरादे से ~~या~~ जबरन मज़दूरी या सेवाएं प्राप्त करने के लिए, किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को हटाता है या इसका या उल्लंघन करता है, मानव तस्करी का दोषी है *और उसे राज्य की जेल में 5, 8, या 12 साल के कारावास और पांच लाख ($ 500,000) डॉलर तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।*

~~(b) सिवाय उसके जैसा कि उपश्रेणी (c) में प्रदान किया गया है, इस धारा का उल्लंघन राज्य की जेल में तीन, चार या पाँच साल के कारावास के द्वारा दंडित है।~~

~~(c) इस धारा का उल्लंघन जहां तस्करी से पीड़ित व्यक्ति की उम्र अपराध किए जाने के समय 18 वर्ष से कम थी, तो अपराध के लिए दंड राज्य की जेल में चार, छह या आठ साल के लिए कारावास की सजा है।~~

~~(d) (1) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी अन्य व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अवैध रूप से हटाना या इसका उल्लंघन करना में दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को काफी हद तक और निरंतर रूप से प्रतिबंधित करना शामिल है जिसे धोखाधड़ी, छल, अवपीड़न, हिंसा, दबाव, डरावा, या पीड़ित या किसी अन्य व्यक्ति को अवैध चोट के खतरे के माध्यम से, परिस्थितियों में प्राप्त किया जाता है जहां धमकी प्राप्त करने वाले या अनुभव करने वाले व्यक्ति का उचित रूप से यह मानना जो कि धमकी देने वाले के द्वारा इसे पूरा किए जाने की संभावना है।~~

~~(2) दबाव में पीड़ित व्यक्ति के किन्हीं भी वास्तविक या कथित पासपोर्ट या आप्रजन दस्तावेज़ों को जानबूझकर नष्ट करना, छुपाना, हटाना, जब्त करा, या रखना शामिल है।~~

~~(e) इस धारा के प्रयोजनों के लिए "जबरन मज़दूरी या सेवाओं" का अर्थ है ऐसी मज़दूरी या सेवाएं जो किसी व्यक्ति द्वारा की या प्रदान की जाती हैं और बल, धोखाधड़ी, या अवपीड़न, या इसके समान व्यवहार जो उचित रूप से व्यक्ति की इच्छा को दबाएगा, के माध्यम से प्राप्त की जाती या बना कर रखी जाती हैं।~~

(b) कोई भी व्यक्ति जो धारा 266, 266h, 266i, 266j, 267, 311.1, 311.2, 311.3, 311.4, 311.5, 311.6, या 518 को लागू करने या इनके उल्लंघन को बनाए रखने के इरादे से किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को हटाता है या इसका या उल्लंघन करता है, मानव तस्करी का दोषी है और उसे राज्य की जेल में 8, 14, या 20 साल के कारावास और पांच लाख ($ 500,000) डॉलर तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

(c) कोई भी व्यक्ति जो धारा 266, 266h, 266i, 266j, 267, 311.1, 311.2, 311.3, 311.4, 311.5, 311.6, या 518 को लागू करने या इनके उल्लंघन को बनाए रखने के इरादे से किसी व्यक्ति, जो अपराध किए जाने के समय नाबालिग है, के व्यावसायिक यौन कार्य में संलग्न होने का कारण बनता है, प्रेरित करता है, या फुसलाता है, या कारण बनने, प्रेरित करने या फुसलाने की कोशिश करता है, मानव तस्करी का दोषी है। इस उपश्रेणी का उल्लंघन निम्नलिखित के अनुसार राज्य की जेल में कारावास की सजा द्वारा दंडनीय है:

(1) पांच, 8, या 12 साल और पांच लाख डॉलर ($ 500,000) तक का जुर्माना।

(2) पंद्रह साल से लेकर आजीवन और पांच लाख डॉलर ($ 500,000) तक का जुर्माना जब अपराध में पीड़ित व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बल, भय, धोखाधड़ी, छल, अवपीड़न, हिंसा, दबाव, डरावा, या अवैध चोट की धमकी शामिल है।

(d) यह निर्धारित करते हुए कि क्या किसी नाबालिग को व्यावसायिक यौन कार्य में संलग्न किया गया था, इसके लिए प्रेरित किया गया था, या फुसलाया गया था, पीड़ित व्यक्ति की उम्र, तस्कर या तस्कर के एजेंट के साथ उसका संबंध, और पीड़ित व्यक्ति की कोई विकलांगता या असमर्थता के साथ परिस्थितियों की समग्रता पर विचार किया जाएगा।

(e) अपराध होने के दौरान मानव तस्करी से पीड़ित ऐसे व्यक्ति जो नाबालिग है, द्वारा सहमति इस धारा के अंतर्गत एक आपराधिक मुकदमा चलाने से एक बचाव नहीं है।

(f) अपराध होने के दौरान मानव तस्करी से पीड़ित ऐसे व्यक्ति, जो नाबालिग है, की उम्र के बारे में गलती इस धारा के अंतर्गत एक आपराधिक मुकदमा चलाने से एक बचाव नहीं है।

~~(f)~~ *(g)* विधानमंडल को पता चलता है कि इस धारा में मानव तस्करी की परिभाषा युनाइटेड स्टेट कोड के शीर्षक 22 की धारा 7102 (8) में पाई जाती तस्करी के गंभीर रूप की संघीय परिभाषा के समान है।

~~(g) (1) उपश्रेणी (c) में निर्दिष्ट जुर्माने के अलावा, कोई भी व्यक्ति जो ऐसी मानव तस्करी करता है जिसमें व्यावसायिक यौन कार्य शामिल है जहां अपराध होने के समय मानव तस्करी से पीड़ित व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से कम थी, को एक लाख डॉलर ($100,000) तक से जुर्माने द्वारा दंडित किया जाएगा।~~

~~(2) जैसा कि उपश्रेणी में इस्तेमाल किया गया है, "व्यावसायिक यौन कार्य" का अर्थ है कोई भी यौन व्यवहार जिसके लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा मूल्य की कोई भी चीज़ दी या प्राप्त की जाती है।~~

35

~~(h) इस धारा के अनुसार लगाया गया और एकत्र किया गया हर जुर्माना पीड़ित गवाह सहायता फंड में जमा किया जाएगा और मानव तस्करी के पीड़ितों के लिए सेवाओं के लिए निधि का विनियोग करने के लिए उपलब्ध होगा। इस धारा के अनुसार लगाए गए और एकत्र किए गए जुर्माने में से कम से कम 50 प्रतिशत को ऐसे समुदाय आधारित संगठनों को दिया जाएगा जो मानव तस्करी से पीड़ित लोगों को सेवा देते हैं।~~

(b) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होती है:

(1) "अवपीड़न" में शामिल है ऐसी कोई भी तरतीब, योजना, या पैटर्न जिसका इरादा किसी व्यक्ति को यह विश्वास दिलाना हो कि कोई कार्य करने में विफलता का परिणाम किसी भी व्यक्ति को गंभीर नुकसान या उसके विरुद्ध शारीरिक प्रतिबंध होगा; कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग या दुरुपयोग की धमकी; ऋण बंधन; या किसी व्यक्ति को, उसकी निर्णय लेने की शक्ति को खराब करने के इरादे से कोई भी नियंत्रित पदार्थ प्रदान करना या हासिल करने में सहायता करना है।

(2) "व्यावसायिक यौन कार्य" का अर्थ है यौन व्यवहार जिसके लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा मूल्य की कोई भी चीज़ दी या प्राप्त की जाती है।

(3) "किसी अन्य व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हटाना या इसका उल्लंघन करना" में दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को काफी हद तक और निरंतर रूप से प्रतिबंधित करना शामिल है जिसे बल, डर, धोखाधड़ी, छल, अवपीड़न, हिंसा, दबाव, डरावा, या पीड़ित या किसी अन्य व्यक्ति को अवैध चोट के खतरे के माध्यम से, परिस्थितियों में प्राप्त किया जाता है जहां धमकी प्राप्त करने वाले या अनुभव करने वाले व्यक्ति का उचित रूप से यह मानना जो कि धमकी देने वाले के द्वारा इसे पूरा किए जाने की संभावना है।

(4) "दबाव" में शामिल है बल, हिंसा, खतरे, कठिनाई, या प्रतिशोध की प्रत्यक्ष या निहित धमकी जो किसी उचित व्यक्ति द्वारा ऐसा कार्य करने की सहमति देने या करने का कारण बने जो उसने अन्यथा नहीं दी होती या नहीं किया होता; पीड़ित व्यक्ति के वास्तविक या कथित पासपोर्ट या आव्रजन दस्तावेज़ों को नष्ट करने, छिपाने, हटाने, ज़ब्त करने या अपने पास रखने की कोई भी प्रत्यक्ष या निहित धमकी; या पीड़ित व्यक्ति के वास्तविक या कथित पासपोर्ट या आव्रजन दस्तावेज़ों को जानबूझकर नष्ट करना, छिपाना, हटाना, ज़ब्त करना या अपने पास रखना।

(5) "जबरन मज़दूरी या सेवाओं" का अर्थ है ऐसी मज़दूरी या सेवाएं जो किसी व्यक्ति द्वारा की या प्रदान की जाती हैं और बल, धोखाधड़ी, दबाव, या अवपीड़न, या इसके समान व्यवहार जो उचित रूप से व्यक्ति की इच्छा को दबाएगा, के माध्यम से प्राप्त की जाती या बना कर रखी जाती हैं।

(6) "बड़ी शारीरिक चोट" का अर्थ है कोई महत्वपूर्ण या ठोस शारीरिक चोट।

(7) "नाबालिग" का अर्थ है 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति।

(8) "गंभीर नुकसान" में शामिल है मनोवैज्ञानिक, वित्तीय, या प्रतिष्ठा को नुकसान सहित कोई भी नुकसान, चाहे शारीरिक हो या गैर-शारीरिक, जो आसपास की सभी परिस्थितियों के अंतर्गत, उसी पृष्ठभूमि के किसी उचित व्यक्ति को और उन्हीं परिस्थितियों में उस नुकसान से बचने के लिए श्रम, सेवाओं, या व्यावसायिक यौन कार्य करने या करना जारी रखने हेतु मज़बूर करने के लिए पर्याप्त रूप से गंभीर हो।

(i) पीड़ित व्यक्ति की उम्र, पीड़ित और तस्कर या तस्कर के एजेंटों के बीच संबंध, पीड़ित व्यक्ति की विकलांगता या असमर्थता सहित कुल परिस्थितियां, वे कारक होंगे जिन पर इस धारा में वर्णित किए अनुसार "दूसरे लोगों की स्वतंत्रता के वंचन या उल्लंघन", "दबाव", और "अवपीड़न" की मौजूदगी निर्धारित करने के लिए विचार किया जाएगा।

खंड 7. पीनल कोड की धारा 236.2 को इस प्रकार संशोधित किया गया है:

236.2. कानून प्रवर्तन एजेंसियों मानव तस्करी के सभी पीड़ितों की पहचान करने के लिए, व्यक्ति की नागरिकता पर ध्यान दिए बिना, उचित जांच का इस्तेमाल करेंगे। जब कोई शांति अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति जिसे उसकी निजी स्वतंत्रता से वंचित किया गया है, *कोई नाबालिग जो व्यावसायिक यौन कार्य में संलग्न हुआ है,* कोई व्यक्ति जिस पर धारा 647 की उपश्रेणी (a) या (b) के उल्लंघन का संदेह है, या घरेलू हिंसा या ~~बलात्कार~~ के *यौन उत्पीड़न* के किसी अपराध के पीड़ित के संपर्क में आता है तो शांति अधिकारी विचार करेगा कि क्या मानव तस्करी के निम्नलिखित संकेतक मौजूद हैं:

(a) आघात, थकान, चोट, के लक्षण या खराब देखभाल के अन्य सबूत।

(b) व्यक्ति अंतर्मुखी बन गया है, बात करने से डरता है, या उसके संचार को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सेंसर कर दिया गया है।

(c) व्यक्ति को आने-जाने की स्वतंत्रता नहीं है।

(d) व्यक्ति एक ही स्थान पर रहता और काम करता है।

(e) व्यक्ति पर उसके नियोक्ता का ऋण बकाया है।

(f) व्यक्ति के साथ संपर्क करने वालों को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा उपायों का उपयोग किया जाता है।

(g) व्यक्ति का अपनी सरकार द्वारा जारी पहचान या अपने कर्मचारी आप्रवास दस्तावेजों पर नियंत्रण नहीं है।

खंड 8. पिनल कोड में धारा 236.4 जोड़ी गई है, जो इस प्रकार है:

236.4. (a) किसी व्यक्ति के धारा 236.1के उल्लंघन के की दोषसिद्धि पर, लगाए गए कसी भी अन्य दंड, जुर्माने, या मुआवज़े के अलावा, अदालत प्रतिवादी को एक मिलियन डॉलर ($ 1,000,000) तक का अतिरिक्त जुर्माना देने का आदेश दे सकती है। जुर्माने की राशि स्थापित करते समय, अदालत किन्हीं भी प्रासंगिक कारकों पर विचार करेगी, जिनमें अपराध की गंभीरता और गहराई, अपराध की परिस्थितियां और अवधि, अपराध के परिणाम स्वरूप प्रतिवादी को प्राप्त हुए आर्थिक लाभ की राशि, और अपराध के परिणाम स्वरूप पीड़ित व्यक्ति को हुए घाटे की सीमा शामिल हैं लेकिन यह इन तक ही सीमित नहीं हैं।

(b) किसी भी व्यक्ति जो धारा 236.1 के उल्लंघन में या उल्लंघन के प्रयास में पीड़ित व्यक्ति पर बड़ी शारीरिक चोट पहुँचाता है, को राज्य के जेल में 5, 7, या 10 साल के लिए एक अतिरिक्त और लगातार कैद द्वारा दंडित किया जाएगा।

(c) कोई भी व्यक्ति जिसे पहले धारा 236.1 में निर्दिष्ट किसी भी अपराध के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, को अलग रूप से लगाए गए और मुकदमा चलाए गए प्रत्येक अतिरिक्त दोषसिद्धि के लिए राज्य के जेल में 5 साल के लिए एक अतिरिक्त और लगातार कैद की अवधि प्राप्त होगी।

(d) धारा 236.1 और इस खंड के अनुसार लगाया गया और एकत्र किया गया हर जुर्माना पीड़ित गवाह सहायता फंड में जमा किया जाएगा, जिसका प्रबंधन कैलिफ़ोर्निया आपातकाल प्रबंधन एजेंसी (Cal EMA) के द्वारा और मानव तस्करी के पीड़ितों के लिए सेवाओं के लिए निधि देने के लिए किया जाएगा। एकत्र और जमा किए गए जुर्माने का सत्तर प्रतिशत उन सार्वजनिक एजेंसियों और गैर-मुनाफा निगमों को दिया जाएगा जो तस्करी के पीड़ितों के लिए आश्रय, परामर्श, या अन्य प्रत्यक्ष सेवाएं प्रदान करते हैं। एकत्र और जमा किए गए जुर्माने का तीस प्रतिशत मानव तस्करी की रोकथाम, गवाहों की सुरक्षा और बचाव कार्य को धन देने के लिए उस अधिकार क्षेत्र के कानून प्रवर्तन और अभियोजन एजेंसियों को दिया जाएगा जहाँ आरोप लगाए गए थे।

खंड 9. पीनल कोड की धारा 290 को इस प्रकार संशोधित किया गया है:

290. (a) धारा 290 से ~~290.023~~ *290.024*, सम्मिलित, को सेक्स ऑफेन्डर रजिस्ट्रेशन एक्ट के रूप में जाना जाएगा और उद्धत किया जा सकता है। उन वर्गों में "ऐक्ट" के लिए सभी संदर्भ सेक्स ऑफेन्डर रजिस्ट्रेशन एक्ट के लिए होते हैं।

(b) उपश्रेणी (c) में वर्णित प्रत्येक व्यक्ति, कैलिफोर्निया में रहने, या स्कूल में जाने या कैलिफोर्निया में काम करने के दौरान अपने बाकी के जीवन के लिए, जैसा कि धारा 290.002 और 290.01 में वर्णित किया गया है, को उस किसी भी शहर, काउंटी, या शहर और काउंटी, या कैम्पस जिसमें वह अस्थायी रूप से रहता है, में आने या उसमें अपना निवास बदलने, के पाँच कार्यकारी दिनों के भीतर, जिस शहर में वह रह रहा है उसके पुलिस के प्रमुख के पास, या काउंटी के शेरिफ़ के पास यदि वह अनिगमित क्षेत्र या शहर में रह रहा है जहाँ कोई पुलिस विभाग नहीं है, और, अतिरिक्त रूप से, यूनिवर्सिटी ऑफ़ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी, या समुदायक कॉलेज के कैम्पस के पुलिस के प्रमुख के पास यदि वह कैम्पस में या इसकी सुविधाओं में से किसी में रह रहा है, पंजीकरण करने की ज़रूरत होगी, और उसके बाद अधिनियम के अनुसार पंजीकरण करने की ज़रूरत होगी।

(c) निम्नलिखित व्यक्तियों को पंजीकरण करने की ज़रूरत होगी:

कोई भी व्यक्ति, जो 1 जुलाई 1944 के बाद से, इस राज्य में किसी भी अदालत में या किसी भी संघीय या सैन्य अदालत में बलात्कार या इन धारायों के अंतर्गत दंडनीय किसी भी कार्य का अपराध करने, या अपराध करने की कोशिश करने में धारा 187 के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराया गया है या ठहराया जाता है - धारा 286, 288, 288a, या 289, धारा 207 या 209 जो कि धारा 261, 286, 288, 288a, या 289, धारा 220, का उल्लंघन करने के इरादे से किया गया है, सिवाय तबाही मचाने के लिए हमले के, *धारा 236.1 की उपश्रेणी (b) और (c),* धारा 243.4, धारा 261 की उपश्रेणी (a) के पैरा (1), (2) (3) (4), या (6), धारा 262 की उपश्रेणी (a) के पैरा (1) जिसमें बल या हिंसा का उपयोग शामिल हो जिसके लिए व्यक्ति को राज्य की जेल में भेजा जाता है, धारा 264.1, 266, या 266c, धारा 266h की उपश्रेणी (b), धारा 266i की उपश्रेणी (b), धारा 266j, 267, 269, 285, 286, 288, 288a, 288.3, 288.4, 288.5, 288.7, 289, या 311.1, धारा 311.2 की उपश्रेणी (b), (c), या (d), धारा 311.3, 311.4, 311.10, 311.11, या 647.6, पूर्व धारा 647a, धारा 653f की उपश्रेणी (c), धारा 314 की उपश्रेणी (1) और (2), कोई भी अपराध जिसमें धारा 272 के तहत भद्दा या कामुक व्यवहार शामिल है, या धारा 288.2 का कोई भी गंभीर उल्लंघन; कोई भी वैधानिक पूर्ववर्ती जिसमें ऊपर उल्लेख किए एक या सभी तत्व शामिल हों; या कोई भी व्यक्ति जिसे उस तिथि के बाद से ऊपर उल्लेख किए अपारधों में से किसी भी अपराध को करने या उसकी साजिश करने का दोषी पाया गया है या जाता है।

खंड 10. पीनल कोड की धारा 290.012 को इस प्रकार संशोधित किया गया है:

290.012. (a) उस व्यक्ति के पते में परिवर्तन के पंजीकरण के बाद पहले जन्मदिन से शुरू करते हुए, उसके जन्मदिन के पांच दिनों के भीतर, सालाना तौर पर पंजीकरण करने की ज़रूरत होगी, ताकि धारा 290 की उपश्रेणी (b) में वर्णित संस्थाओं के पास उसके पंजीकरण को अद्यतन किया जा सके। वार्षिक अद्यतन पर, व्यक्ति वर्तमान जानकारी प्रदान करेगा जैसा कि डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस की वार्षिक अद्यतन प्रपत्र पर मांग की गई है, जिसमें धारा 290.015 की उपश्रेणी (a) के पैराग्राफ (1) से ~~(3)~~ *(5)*, सम्मलित, में वर्णित जानकारी शामिल है। पंजीकरण एजेंसी पंजीकरण करने वाले को डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस से पंजीकरण आवश्यकताओं की एक प्रति देगी।

(b) इसके अलावा, प्रत्येक व्यक्ति जिसके बारे में वेलफेयर एंड इंस्टीट्यूशंस कोड की धारा 6600 में परिभाषित किए अनुसार, एक हिंसक यौन शिकारी के रूप में निर्णय लिया गया है, हिरासत से उसकी रिहाई के बाद, कम से कम प्रत्येक 90 दिनों के बाद, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा स्थापित ढंग के द्वारा, अपने पते और काम करने के स्थान की पुष्टि करेगा या करेगी, जिसमें नियोक्ता का नाम और पता शामिल है। हिंसक यौन शिकारी के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को हर 90 दिनों पर अपने पंजीकरण की पुष्टि करने की आवश्यकता है, जहाँ भी वह पँजीकरण करता है वहां उसे उसकी पंजीकरण दायित्वों में वृद्धि के बारे में सूचित किया जाएगा। यह नोटिस पंजीकरण एजेंसी या एजेंसियों के द्वारा लिखित रूप में प्रदान किया जाएगा। इस सूचना को प्राप्त करने में अफलता धारा 290.018 की उपश्रेणी (f) में निर्धारित दंड से एक बचाव होगा।

(c) इसके अलावा, अधिनियम के अधीन आने वाला प्रत्येक व्यक्ति, कैलिफोर्नीया में अस्थायी रूप से रहने के दौरान कम से कम प्रत्येक 30 दिनों पर, धारा 290.011 के अनुसार अपने पंजीकरण का अद्यतन करेगा।

(d) कोई भी संस्था इस धारा के अनुरूप अपने पंजीकरण को पंजीकृत करने या अद्यतन करने के लिए व्यक्ति से शुल्क का भुगतान करने की मांग नहीं करेगी। पंजीकरण एजेंसी वार्षिक अद्यतन या पते के परिवर्तन सहित पंजीकरण को सीधे डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस के वॉयलेंट क्राइम इन्फ़ॉर्मेशन नेटवर्क (VCIN) के पास जमा करेगी।

खंड 11. पीनल कोड की धारा 290.014 को इस प्रकार संशोधित किया गया है:

290.014. *(a)* यदि कोई व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के तहत पंजीकरण करने की आवश्यकता है, अपने नाम में परिवर्तन करता है, तो वह व्यक्तिगत रूप से, पाँच कार्यकारी दिनों के भीतर, उस कानून प्रवर्तन एजेंसी या एजेंसियों को सूचित करेगा, जिनके साथ वह वर्तमान में पंजीकृत है। कानून प्रवर्तन एजेंसी या एजेंसियां इसकी प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर इस जानकारी की एक प्रति डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस को अग्रेषित करेगी।

(b) यदि कोई भी व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अनुसार पंजीकरण करने की आवश्यकता है, किसी इंटरनेट सेवा प्रदाता के साथ अपने खाते में परिवर्तन करता है या किसी इंटरनेट पहचानक को जोड़ता है या इसमें परिवर्तन करता है, तो उस व्यक्ति को 24 घंटों के भीतर जुड़ाव या परिवर्तन के बारे में उस कानून प्रवर्तन एजेंसी या एजेंसियों को लिखित नोटिस भेजेगा जिनके पास वह वर्तमान में पंजीकृत है। कानून प्रवर्तन एजेंसी या एजेंसियां इस जानकारी के बारे में डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस को सूचित करेगी। प्रत्येक व्यक्ति जिस पर इस उपश्रेणी के प्रभावी बनने के समय यह उपश्रेणी लागू होती है, इस उपश्रेणी के द्वारा आवश्यक जानकारी तुरंत प्रदान करेगा।

खंड 12. पीनल कोड की धारा 290.015 को इस प्रकार संशोधित किया गया है:

290.015. (a) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन आता है, क़ैद, प्लेसमेंट, प्रतिबद्धता, या परिवीक्षा से रिहाई पर धारा 290 की उपश्रेणी (b) के अनुरूप पंजीकरण करेगा, या यदि वह पहले से पंजीकृत है तो फिर से पंजीकरण करेगा। यह धारा उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जो 30 दिनों से कम के लिए कैस में है, यदि उसने अधिनियम की आवश्यकता के अनुसार पंजीकरण किया है, कैद के बाद वह पहले से पंजीकृत पते पर वापिस आता है, और पंजीकरण की वार्षिक नवीनीकरण जो धारा 290.012 की उपश्रेणी (a) के अनुरूप उसके जन्मदिन के पाँच कार्यकारी दिनों के अंदर होती है, उस कैद की अवधि के अंदर नहीं आई थी। पंजीकरण में निम्न में से सभी कुछ शामिल होगा:

(1) व्यक्ति के हस्ताक्षर वाला लिखित में एक बयान, जिसमें वह जानकारी हो जिसी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को ज़रूरत है, और व्यक्ति के नियोक्ता का नाम और पता, और व्यक्ति के रोजगार के स्थान का पता हो यदि यह नियोक्ता के मुख्य पते से अलग है।

(2) पंजीकरण अधिकारी द्वारा लिए गए व्यक्ति की उंगलियों के निशान और एक मौजूदा तस्वीर।

(3) उस किसी भी वाहन की लाइसेंस प्लेट संख्या जिसका वह व्यक्ति मालिक है, नियमित रूप से चलाता है या उसके नाम पर पंजीकृत है।

35

(4) किसी भी और सभी इंटरनेट पहचानों की सूची जो व्यक्ति द्वारा स्थापित की गई है या इस्तेमाल की जाती है।

(5) किसी भी और सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं की सूची जो व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं।

(6) लिखित में एक बयान है, जिस पर व्यक्ति के हस्ताक्षर हों, और स्वीकार किया गया हो कि व्यक्ति को पैराग्राफ (4) और (5) में दी गई जानकारी को पंजीकरत करने और अद्यतन करने की आवश्यकता है जैसा कि इस अध्याय के द्वारा आवश्यक है।

~~(4)~~ *(7)* उस व्यक्ति को नोटिस कि, अधिनियम की आवश्यकताओं के अलावा, उसे किसी भी अन्य राज्य में पंजीकरण करने की ज़रूरत हो सकती है, जहां वह स्थानांतरित हो कर जा सकते या सकती है।

~~(5)~~ *(8)* निवास के पर्याप्त सबूत की प्रतियां, जो कि कैलिफोर्निया के ड्राइवर के लाइसेंस, कैलिफोर्निया पहचान कार्ड, हाल ही के किराया या सुविधा रसीद, मुद्रित व्यक्तिगत बनाए गए चेक या उस व्यक्ति का नाम और पता दिखाने वाले अन्य हाल के बैंकिंग दस्तावेज़ों, या किसी भी अन्य जानकारी तक सीमित है जो पंजीकरण अधिकारी का मानना है कि विश्वसनीय है। यदि उस व्यक्ति का कोई निवास नहीं है और निकट भविष्य में निवास प्राप्त करने की कोई उचित उम्मीद नहीं है, व्यक्ति को यह पंजीकरण अधिकारी को बताएगा और पंजीकरण अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए इस तथ्य को बयान करने वाले एक बयान पर हस्ताक्षर करेगा। पंजीकरण अधिकारी को निवास का प्रमाण या इस बारे में एक हस्ताक्षरित बयान प्रस्तुत करने पर कि व्यक्ति का कोई निवास नहीं है, व्यक्ति को पंजीकरण करने की अनुमति दी जाएगी। यदि व्यक्ति दावा करता है कि उसके पास एक निवास है, लेकिन निवास का कोई प्रमाण नहीं है, तो उसे पंजीकरण करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन वह पंजीकरण करने की तारीख के 30 दिनों के भीतर निवास का प्रमाण प्रस्तुत करेगा या करेगी।

(b) उसके बाद तीन दिनों के भीतर, पंजीकरण कानून प्रवर्तन एजेंसी या एजेंसियां बयान, उंगलियों के निशान, तस्वीरें, और वाहन की लाइसेंस प्लेट संख्या, यदि कोई हों, डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस को आगे भेंज देंगी।

(c) (1) यदि कोई व्यक्ति उपश्रेणी (a) के अनुसार रिहाई के बाद अनुसार पंजीकरण करने में विफल रहता है, तो अधिकार क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट अटार्नी जहां व्यक्ति को पेरोल पर रखा जाना था निवेदन कर सकता है कि व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया जाए और उसके पास धारा 290.018 के अनुसार व्यक्ति पर मुकदमा चलाने का अधिकार होगा।

(2) यदि रिहाई के समय व्यक्ति पैरोल या परिवीक्षा पर नहीं था, तो निम्नलिखित लागू होने वाले अधिकार क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट अटार्नी को 290.018 धारा के अनुसार व्यक्ति पर मुकदमा चलाने का अधिकार होगा:

(A) यदि व्यक्ति को पहले उस अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत किया गया जिसमें व्यक्ति ने पिछली बार पंजीकृत किया था।

(B) यदि वहाँ कोई पुराणा पंजीकरण नहीं है, लेकिन व्यक्ति ने उस अधिकार क्षेत्र में जहां उसकी रहने की उम्मीद है, डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस के यौन अपराधी पंजीकरण ज़रूरत के नोटिस पर संकेत दिया है कि उसकी कहां रहने की उम्मीद है।

(C) यदि न तो पैराग्राफ (A) और न ही (B) लागू होता है, उस अधिकार क्षेत्र में जहां इस अधिनियम के तहत व्यक्ति से पंजीकरण की मांग करने वाला अपराध किया गया था।

खंड 13. पिनल कोड में धारा 290.024 जोड़ी गई है, जो इस प्रकार है:

290.024. इस अध्याय के उद्देश्यों के लिए, निम्नलिखित शर्तें लागू होती हैं:

(a) "इंटरनेट सेवा प्रदाता" का अर्थ है कोई व्यवसाय, संगठन, या अन्य इकाई जो उपभोक्ताओं को सीधे कंप्यूटर और संचार सुविधा प्रदान करती है जिसके द्वारा व्यक्ति इंटरनेट तक पहुँच प्राप्त कर सकता है। किसी इंटरनेट सेवा प्रदाता कोई ऐसा व्यवसाय, संगठन, या अन्य इकाई, जो केवल दूरसंचार सेवाएं, केबल सेवाएं, या वीडियो सेवाएं प्रदान कती है, या किसी भी लाइब्रेरी या शैक्षिक संस्थान द्वारा चलाई जाती प्रणाली या पेश की जाती सेवा शामिल नहीं है।

(b) "इंटरनेट पहचानकर्ता" का अर्थ है कोई इलेक्ट्रॉनिक मेल पता, उपयोगकर्ता नाम, स्क्रीन नाम, या इसी तरह की पहचान जिसे इंटरनेट मंच चर्चा, इंटरनेट चैट रूम चर्चा, त्वरित संदेश, सामाजिक नेटवर्किंग, या इसी तरह के इंटरनेट संचार के प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

खंड 14. पीनल कोड की धारा 13519.14 को इस प्रकार संशोधित किया गया है:

13519.14. (a) आयोग 1 जनवरी, 2007 तक कैलिफोर्निया में कानून प्रवर्तन अधिकारियों को मानव तस्करी की शिकायतों से निपटने में प्रशिक्षण देने के लिए कोई पाठ्यक्रम या शिक्षा का पाठ्यक्रम लागू करेगा और साथ ही मानव तस्करी पर कानून प्रवर्तन की प्रतिक्रिया के लिए मार्गदर्शन विकसित करेगा। पाठ्यक्रम या शिक्षा के पाठ्यक्रम और मार्गदर्शन में मानव तस्करी की गतिशीलता और अभिव्यक्तियों, पीडितों को पहचानने और उनके साथ संचार करने, संघीय कानून द्वारा अपेक्षित ~~कानून प्रवर्तन एजेंसी~~ *लॉ एन्फोर्समेंट एजंसी (LEA)* की पुष्टि ~~(LEA)~~ को संतुष्ट करने वाले दस्तावेज़ प्रदान करने, संघीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ सहयोग करने, चिकित्सा के आधार पर उपयुक्त खोजी तकनीकों, नागरिक और आप्रवास उपचार और समुदायक संसाधनों की उपलब्धता, और पीड़ित व्यक्ति की सुरक्षा पर ज़ोर दिया जाएगा। जहां उपयुक्त हो, प्रशिक्षण पेश करने वाले द्वारा मानव तस्करी के पीड़ितों के लिए सीधी सेवाएं देने में अनुभव वाले मानव तस्करी के विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। पाठ्यक्रम के समापन को दूरसंचार, वीडियो प्रशिक्षण टेप या अन्य शिक्षा से संतुष्ट किया जा सकता है।

(b) जैसा कि इस धारा में एस्तेमाल किया गया है, "कानून प्रवर्तन अधिकारी" का अर्थ है स्थानीय पुलिस विभाग या शेरिफ के कार्यालय का कोई भी अधिकारी का कर्मचारी, और *डिपार्टमें ऑफ़ दि* कैलीफोर्नीया हाईवे पैट्रोल का कोई भी शांति अधिकारी, जैसा कि धारा 830.2 की उपश्रेणी (a) द्वारा परिभाषित किया गया है।

(c) शिक्षा का पाठ्यक्रम, सीखने और प्रदर्शन के उद्देश्य, प्रशिक्षण के लिए मानक, और मार्गदर्शन को अआयोग के द्वारा उपयुक्त समूहों मानव तस्करी के क्षेत्र में रुचि और विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों के साथ परामर्श में विकसित किया जाएगा।

(d) इन समूहों और व्यक्तियों के साथ परामर्श में आयोग मौजूदा प्रशिक्षण कार्यक्रम की समीक्षा ताकि निर्धारित किया जा सके कि मानव तस्करी प्रशिक्षण को चल रहे कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में कैसे शामिल किया जा सकता है।

(e) ~~पाठ्यक्रम या इस खंड में निर्दिष्ट पाठ्यक्रमों में शांति अधिकारियों या उन्हें रोजगार पर रखने वाली एजेंसियों के द्वारा भागीदारी स्वैच्छिक है~~ *प्रत्येक कानून प्रवर्तन अधिकारी जिसे क्षेत्र या जांच-पड़ताल का काम सौंपा जाता है, 1 जुलाई 2014 तक, या उस स्थिति पर लगाए जाने के छह महीने के अंदर, जो भी बाद में आता हो, उपश्रेणी (a) में परिभाषित किए अनुसार मानव तस्करी की शिकायतों से निपटने से संबंधित पाठ्यक्रम या शिक्षा के पाठ्यक्रम में कम से कम दो घंटे का प्रशिक्षण पूरा करेगा।*

खंड 15. संशोधन।

इस अधिनियम में इसके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए क़ानून द्वारा संशोधन किया जा सकता है जिसे विधानमंडल के प्रत्येक सदन में रोज़नामचा में शामिल की गई हाज़िरी वोट द्वारा, प्रत्येक सदन की सदस्यता के बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है।

खंड 16. पृथक्कीकरण।

यदि इस प्रयास का कोई प्रावधान या इस प्रयास के किसी भी प्रावधान को किसी भी व्यक्ति या परिस्थितियों में अनुप्रयोग असंवैधानिक या अन्य प्रकार से अमान्य पाया जाएगा तो ऐसा निष्कर्ष शेष बचे हुए प्रावधानों या इस प्रयास के अन्य व्यक्तियों या परिस्थितियों पर अनुप्रयोग को प्रभावित नहीं करेगा, और इस सीमा तक इस प्रयास के प्रावधान पृथक्करणीय माने जाते हैं।

प्रस्ताव 36

यह प्रयास कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद II की धारा 8 के अनुसार लोगों को प्रस्तुत किया गया है।

इस प्रयास द्वारा पीनल कोड की धाराओं को संशोधित किया गया है और जोड़ा गया है; इसलिए मिटाने के लिए प्रस्तावित वर्तमान प्रावधानों को ~~काटे हुए अक्षरों~~ में प्रकाशित किया गया है और जोड़ने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधानों को *इटैलिक टाईप* में प्रकाशित किया गया है ताकि यह पता चले कि वे नए हैं।

प्रस्तावित कानून

2012 का तीन हमले सुधार अधिनियम

खंड 1. परिणाम व घोषणाएं:

कैलिफोर्निया के मूल तीन हमलों के कानून को पुनर्स्थापित करने के मूल इरादे के साथ लोगों में 2012 का तीन हमले सुधार अधिनियम का क़ानून बनाना - जिसमें बलात्कारियों, हत्यारों, और बच्चों से यौन छेड़छाड़ करने वालों पर आजीवन कारावास लगाई जाती है।

यह अधिनियम निम्नलिखित काम करेगा:

(1) मांग करनी कि हत्यारे, बलात्कारी, और बच्चों से यौन छेड़छाड़ करने वाले अपनी पूरी सज़ा पूरा करें—अन्हें आजीवन कैद मिलेगी, भले ही उन्हें किसी मामूली तीसरे हमले के लिए दोषी पाया जाता है।

(2) तीन हमलों के कानून को जनता की मूल समझ तक पुनर्स्थापित करना जिसमें आजीवन कारावास की मांग केवल तभी की जाए यदि प्रतिवादी की मौजूदा दोषसिद्धि हिंसक या गंभीर अपराध के लिए है।

(3) इसे बनाए रखना कि दुकानों से चोरी और साधारण नशीले पदार्थ रखने जैसे गैर-हिंसक, गैर-गंभीर अपारधों के दोषी पाए गए दोबारा अपराध करने वाले अपराधी को आजीवन कारवास की बजाए साधारण सज़ा से दोगुनी सज़ा प्राप्त होगी।

(4) कम से कम 10 सालों के लिए प्रत्येक साल करदाताओं के कई मिलियन डॉलरों को बचाना। राज्य अब मामूली अपराधों के लिए आजीवन कारावास पूरी कर रहे बुजुर्ग, कम जोखिम वाले, गैर हिंसक वाक्य सेवा कैदियों के लिए आवास या दीर्घकालिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए भुगतान नहीं करेगा।

(5) उन खतरनाक अपराधियों की शीघ्र रिहाई को रोकना जिन्हें वर्तमान में जल्दी रिहा किया जा रहा है क्योंकि जेलें और कारागार छोटे अपराधों के लिए आजीवन कारावास पूरा कर रहे म जोखीम वाले, गैर-हिंसक कैदियों के साथ भरे हुए हैं।

खंड 2. पीनल कोड की धारा 667 को इस प्रकार संशोधित किया गया है:

667. (a) (1) धारा 1385 की उपश्रेणी (b) के अनुलन में, गंभीर अपराध के लिए दोषी पाया गया कोई भी व्यक्ति जिसे पहले इस राज्य में गंभीर बड़े अपराध के लिए या किसी दूसरे अधिकार क्षेत्र में किसी भी अन्य ऐसे अपराध के लिए दोषी पाया गया था जिसमें गंभीर अपराध के सभी तत्व शामिल हों, को अदालत द्वारा वर्तमान अपराध के लिए दी गई सज़ा के अलावा, ऐसी प्रत्येक पूर्व दोषसिद्धि के लिए पांच साल की वृद्धि मिलेगी जिसके लिए अलग से दोष लागया गया था और मुकदमा चलाया गया था। वर्तमान अपराध और प्रत्येक वृद्धि की अवधि एक साथ चलेगी।

(2) इस उपश्रेणी को लागू नहीं किया जाएगा जब कानून के अन्य प्रावधानों के तहत दी गई सज़ा का परिणाम लंबे समय तक सज़ा होगी। इस उपश्रेणी के लागू होने के लिए पूर्व क़ैद या प्रतिबद्धता की कोई आवश्यकता नहीं है।

(3) विधानमंडल प्रत्येक सदन के बहुमत द्वारा पारित क़ानून द्वारा इस उपश्रेणी में दी गई सज़ा की वृद्धि की लंबाई में वृद्धि कर सकता है।

(4) जैसा कि इस उपश्रेणी में इस्तेमाल किया गया है, "गंभीर बड़ा अपराध" का अर्थ है धारा 1192.7 की उपश्रेणी (c) में सीचीबद्ध कोई गंभीर अपराध।

(5) यह उपश्रेणी किसी नाबालिग को कोई भी मेथाम्फेटामाइन-संबंधित दवा बेचने, प्रस्तुत करने, लगाने, या देने या बेचने, प्रस्तुत करने, लगाने, या देने की पेशकश करने के लिए दोषी पाए गए या मेथाम्फेटामाइन के किन्हीं भी व्यापारियों पर लागू नहीं होगा जब तक कि पहले की दोषसिद्धि धारा 1192.7 की उपश्रेणी (c) के उपपैराग्राफ (24) में वर्णित गंभीर बड़े अपराध के लिए नहीं थी।

(b) उपश्रेणी (b) से (i), सम्मिलित बनाने में विधायक मंडल का इरादा है उनके लिए लंबी जेल की सज़ा और बड़ा दंड सुनिश्चित करना जो बड़े अपराध करते हैं और जिन्हें पहले *एक या अधिक* गंभीर और/या हिंसक घोर अपराध के लिए दोषी पाया गया है।

(c) किसी अन्य कानून के होते हुए भी, यदि किसी प्रतिवादी को बड़े अपराध के लिए दोषी पाया गया है और बहस करके के बाद साबित किया गया है कि प्रतिवादी की एक या अधिक पहले *गंभीर और या हिंसक* बड़े अपराध की दोषसिद्धियां हैं जैसे कि उपश्रेणी (d) में परिभाषित किया गया है, तो अदालत निम्नलिखित में से प्रत्येक का पालन करेगी:

(1) किसी भी बाद की बड़े अपराध की दोषसिद्धियों के लिए लगातार सज़ा के उद्देश्यों के लिए कोई कुल अवधि की सीमा नहीं होगी।

(2) वर्तमान अपराध के लिए परिवीक्षा नहीं दी जाएगी, और न ही किसी पिछले अपराध के लिए सज़ा के निष्पादन या अधिरोपण को निलंबित किया जाएगा।

(3) पिछले *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध की दोष सिद्धि और वर्तमान बड़े अपराध की दोषसिद्धि सज़ा के आरोपण को प्रभावित नहीं करेगी।

(4) राज्य की जेल के अलावा किसी भी अन्य सुविधा के लिए प्रतिबद्धता नहीं की जाएगी। सज़ा में परिवर्तन नहीं दिए जाएंगे और न हीम प्रतिवादी कैलिफोर्निया पुनर्वास केंद्र के लिए प्रतिबद्धता का हकदार होगा जैसा कि वेलफेयर एंड इंस्टीट्यूशंस कोड के खंड 3 के अध्याय 1 के अनुच्छेद 2 (धारा 3050 से आरंभ खरते हुए) में दिया गया है।

(5) भाग 3 के शीर्षक 1 के अध्याय 7 के अनुच्छेद 2.5 (धारा 2930 से आरंभ करते हुए) के अनुसार दिए गए क्रेडिट की कुल राशि दी गई कारावास की कुल अवधि के पाँचवें हिस्से से अधिक नहीं होगी और उस समय तक शुरू नहीं होती जब तक प्रतिवादी को शारीरिक रूप से राज्य की जेल में रख नहीं दिया जाता है।

(6) यदि एक से अधिक बड़े अपराधों के लिए वर्तमान दोषसिद्धि है, जो एक ही समय पर नहीं किए गए हैं, और संचालक तथ्यों के उसी समूह से उत्पन्न नहीं होते हैं, तो अदालत प्रतिवादी को उपश्रेणी (e) के अनुसार प्रत्येक दोष के लिए लगातार चलने वाली सज़ा देगी।

(7) यदि एक से अधिक गंभीर या हिंसक बड़े अपराध के लिए वर्तमान दोषसिद्धि है जैसा कि पैराग्राफ (6) में वर्णित किया गया है, तो अदालत प्रत्येक दोषसिद्धि के लिए सज़ा किसी अन्य सोषसिद्धि के लिए सज़ा के बाद शुरू करेगी जिसके लिए प्रतिवादी को कानून द्रारा प्रस्तावित ढंग से लगातार सज़ा दी गई हो सकती है।

(8) उपश्रेणी (e) के अनुसार दी गई कोई भी सज़ा किसी भी अन्य सज़ा के क्रमागत लगाई जाएगी जो प्रतिवादी पहले से ही पूरी कर रहा है, जब तक कि कानून के द्वारा कोई अन्य प्रावधान न हो।

(d) किसी अन्य कानून के होते हुए भी और उपश्रेणियों (b) से (i), सम्मिलित, के उद्देश्यों के लिए किसी *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध के लिए पहले की दोषसिद्धि को इस तरह से परिभाषित किया जाएगा:

(1) कोई भी अपराध जिसे धारा 667.5 की उपश्रेणी (c) में हिंसक बड़े अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है या कोई भी अपराध जिसे धारा 1192.7 की उपश्रेणी (c) में इस राज्य के भीतर गंभीर बड़े अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है। यह निर्धारण कि उपश्रेणियों (b) से (i), सम्मिलित, के उद्देश्यों के लिए क्या कोई पहले की दोषसिद्धि पहले की बड़े अपराध की दोषसिद्धि है, उस पहले की दोषसिद्धि की तारीख पर किया जाएगा और लगाई गई सज़ा से प्रभावित नहीं होगा जब तक कि सज़ा, शुरुआती सज़ा देने के बाद, अपने-आप बड़े अपराध से छोटे अपराध में नहीं बदल जाती है। उपश्रेणियों (b) से (i), सम्मिलित, के उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित स्थितियों में से कोई भी इस निर्धारण को प्रभावित नहीं करेगी कि कोई पहले की दोषसिद्धि पहले का बड़ा अपराध है:

(A) निर्णय या सज़ा लागू किए जाने पर स्थगन।

(B) सज़ा के निष्पादन पर रोक।

(C) किसी बड़े अपराध की दोषसिद्धि के बाद मानसिक रूप से गड़बड़ी वाले यौन अपराधी के रूप में स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ़ हैल्थ सर्विसिज़ के साथ प्रतिबद्धता।

(D) कैलिफोर्नीया रिहैबिलिटेशन सेंटर या किसी भी अन्य सुविधा के साथ प्रतिबद्धता जिसका कार्य राज्य की जेल से पुनर्वास परिवर्तन है।

(2) किसी दूसरे अधिकार क्षेत्र में किसी ऐसे अपराध के लिए *पहले की* दोषसिद्धि जो, यदि कैलिफोर्नीया में किया गया था, राज्य की जेल में कैद द्वारा दंडनीय है *में शामिल होगा* किसी विशेष *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध की कोई पहले की दोषसिद्धि ~~में शामिल होगा किसी दूसरे~~ यदि *अन्य* अधिकार क्षेत्र में *पहले* की दोषसिद्धि किसी ऐसे अपराध के लिए है जिसमें धारा 667.5 की उपश्रेणी (c) में किसी विषेष *हिंसक* बड़े अपराध के या धारा 1192.7 की उपश्रेणी (c) में *परिभाषित किए अनुसार गंभीर बड़े अपराध* के तत्व शामिल हैं।

(3) सज़ा को बढ़ाने के उद्देश्य के लिए किसी पहले के किशोर निर्णय में कोई पहले की *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध की दोषसिद्धि शामिल होगी यदि:

(A) पहले का अपराध करने के समय किशोर की उम्र 16 वर्ष या अधिक थी।

(B) पहले का अपराध वेलफेयर एंड इंस्टीट्यूशंस कोड की धारा 707 की उपश्रेणी (b) में सूचीबद्ध हैं या पैराग्राफ (1) या (2) में *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध के रूप में वर्णित है।

(C) यदि किशोर को किशोर न्यायालय कानून के तहत निपटने के लिए योग्य और उचित व्यक्ति पाया गया था।

(D) यदि किशोर को वेलफेयर एंड इंस्टीट्यूशंस कोड की धारा 602 के अर्थ के अंदर किशोर अदालत का संरक्षित घोषित किया गया था क्योंकि उस व्यक्ति ने वेलफेयर एंड इंस्टीट्यूशंस कोड की धारा 707 की उपश्रेणी (b) में सूचीबद्ध अपराध किया था।

(e) उपश्रेणियों (b) से (i), सम्मिलित, के उद्देश्यों के लिए, और किसी भी अन्य वृद्धि या सज़ा के प्रावधानों के अतिरिक्त, जो कि लागू हो सकते हैं, निम्नलिखित लागू होगा जहां किसी प्रतिवादी की *एक या अधिक* पहले की *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध की ~~दोषसिद्धि~~ *दोषसिद्धियां* हैं:

(1) यदि प्रतिवादी की पहले की एक *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध की दोषसिद्धि है *जैसा कि उपश्रेणी (d) में परिभाषित किया गया है* जिसे बहस करके के बाद साबित किया गया है, किसी अनिश्चित अवधि के लिए नियत अवधि या न्यूनतम अवधि उस अवधि से दोगुनी होगी जब तक कि वर्तमान बड़े अपराध की दोषसिद्धि के लिए सज़ा के रूप में अन्यथा प्रदान नहीं किया गया है।

(2) (A) ~~यदि~~ *सिवाय उसके जैसा कि उपपैराग्राफ (C) में दिया गया है, यदि* किसी प्रतिवादी की दो या अधिक पहले की *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध के लिए दोषसिद्धियां हैं जैसा कि उपश्रेणी (d) में परिभाषित किया गया है जिन्हें बहस करके के बाद साबित किया गया है, मौजूदा बड़े अपराध की दोषसिद्धि के लिए अवधि आजीवन कारावास की अनिश्चित अवधि होगी जहां अनिश्चित अवधि की न्यूनतम अवधि की गणना ~~इससे बड़ी~~ *इनमें से सबसे बड़ी* के रूप में की जाएगी:

(i) उस अवधि से तीन गुणा जो अन्यथा दो या अधिक पहले की *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध की दोषसिद्धियों के बाद प्रत्येक वर्तमान बड़े अपराध की दोषसिद्दि के लिए सज़ा के रूप में दी जाती है।

(ii) राज्य के जेल में 25 साल के लिए कैद।

(iii) अंतर्निहित दोषसिद्धि के लिए धारा 1170 के अनुसार अदालत द्वारा निर्धारित की गई अवधि, जिसमें भाग 2 के शीर्षक 7 के अध्याय 4.5 (धारा 1170 से आरंभ करते हुए) के अंतर्गत लागू होने वाली कोई भी वृद्धि, या धारा 190 या 3046 के द्वारा प्रस्तावित कोई भी अवधि शामिल है।

(B) उपपैराग्राफ (A) में वर्णित अनिश्चित अवधि उस किसी भी अन्य कैद की अवधि से लगातार दी जाएगी जिसके लिए कानून के द्वारा लगातार अवधि लगाई जा सकती है। उपपैराग्राफ़ (A) में वर्णित अनिश्चित अवधि के बाद लगाई गई कोई भी अन्य अवधि उसके साथ नहीं मिलायी जाएगी बल्कि उस समय से शुरू होगी जब व्यक्ति को अन्यथा जेल से रिहा कर दिया गया होता।

(C) यदि प्रतिवादी की दो या अधिक पहले की गंभीर और/या हिंसक बड़े अपराध के लिए दोषसिद्धियां हैं जैसा कि धारा 667.5 की उपश्रेणी (c) या धारा 1192.7 की उपश्रेणी (c) में परिभाषित किया गया है जिन्हें बहस करके के बाद साबित किया गया है, और वर्तमान अपराध गंभीर या हिंसक बड़ा अपराध नहीं है जैसा कि उपश्रेणी (d) में परिभाषित किया गया है, तो प्रतिवादी को उपश्रेणी (e) के पैराग्राफ़ (1) के अनुसार सज़ा दी जाएगी जब तक कि अभियोजन बहस करने के बाद निम्नलिखित में से कोई साबित नहीं करता है:

(i) मौजूदा अपराध नियंत्रित पदार्थ का आरोप है, जिसमें हैल्थ एंड सेफ्टी कोड की धारा 11370.4 या 11379.8 के तहत किसी आरोप को स्वीकार किया गया था या सच्च पाया गया था।

(ii) मौजूदा अपराध धारा 261.5 की उपश्रेणी (d) या धारा 262 में परिभाषित एक बड़ा यौन अपराध है, या कोई भी ऐसा बड़ा अपराध है जिसका परिणाम धारा 266 और 285 के उल्लंघन को छोड़कर धारा 290 की उपश्रेणी (c), धारा 286 की उपश्रेणी (b) के पैराग्राफ (1) और उपश्रेणी (e), धारा 288a की उपश्रेणी (b) के पैराग्राफ (1) और उपश्रेणी (e), धारा 311.11, और धारा 314 के अनुसार यौन अपराधी के रूप में अनिवार्य पंजीकरण के रूप में होता है।

(iii) वर्तमान अपराध करने के दौरान, प्रतिवादी ने एक बन्दूक का इस्तेमाल किया, वह बन्दूक या घातक हथियार के साथ लैस था, या किसी अन्य व्यक्ति को बड़ी शारीरिक चोट पहुँचाने का इरादा रखता था।

(iv) प्रतिवादी की निम्नलिखित में से किसी भी कारण के लिए, पहले की गंभीर और/या हिंसक बड़े अपराध की दोषसिद्धि है, जैसा कि इस धारा की उपश्रेणी (d) में परिभाषित किया गया है:

(I) कोई "यौन हिंसक अपराध" जैसा कि वेलफेयर एंड इंस्टीट्यूशंस कोड की धारा 6600 की उपश्रेणी (b) में परिभाषित किया गया है।

(II) किसी बच्चे के साथ मौखिक संभोग जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है, और जो उससे 10 वर्ष से अधिक छोटा है जैसा कि धारा 288a द्वारा परिभाषित किया गया है, किसी अन्य व्यक्ति के साथ गुदामैथुन जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है और जो उससे 10 वर्ष से अधिक छोटा है जैसा कि धारा 286 द्वारा परिभाषित किया गया है, या किसी अन्य व्यक्ति के साथ यौन प्रवेश जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है और जो उससे 10 वर्ष से अधिक छोटा है जैसा कि धारा 289 द्वारा परिभाषित किया गया है।

(III) धारा 288 के उल्लंघन में, कोई भद्दा या कामुक कार्य जिसमें 14 वर्ष से कम उम्र का कोई बच्चा शामिल हो।

(IV) कोई हत्या का अपराध, जिसमें हत्या की कोशिश का अपराध शामिल है, जो धारा 187 से 191.5, सम्मिलित, में परिभाषित किया गया है।

(V) कत्ल करने के लिए लालच जैसा धारा 653f में परिभाषित किया गया है।

(VI) किसी मशीन गन के साथ किसी शांति ऑफिसर या फायरफाईटर (अग्निशामक कर्मचारी) पर हमला, जैसा कि धारा 245 की उपश्रेणी (d) के पैराग्राफ (3) में परिभाषित किया गया है।

(VII) कोई सामूहिक विनाश का हथियार रखना, जैसा कि धारा 11418 की उपश्रेणी (a) के पैराग्राफ (1) में परिभाषित किया गया है।

(VIII) कोई भी गंभीर और/या हिंसक बड़ा अपराध जो कैलिफोर्नीया में आजीवन कारावास या मृत्यु के द्वारा दंडित है।

(f) (1) किसी अन्य कानून के होते हुए भी, उस प्रत्येक मामले में उपश्रेणी (b) से (i), सम्मिलित, लागू होंगे जिसमें प्रतिवादी की ~~कोई~~ *एक या अधिक* पहले का *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध की ~~दोषसिद्धि~~ *दोषसिद्धियां* है जैसा कि उपश्रेणी (d) में परिभाषित किया गया है। अभियोग वकील पहले के प्रत्येक *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराथ की दोषसिद्धि पर बहस करके उसे साबित करेगा सिवाय उसके जैसा कि पैराग्राफ (2) में कहा गया है।

(2) धारा 1385 के अनुसार न्याय को आगे लेजाने के लिए, या यदि पहले के *गंभीर और/या हिंसक* दोषसिद्धि को साबित करने के लिए अपर्याप्त सबूत हो, तो अभियोग वकील पहले के *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध की दोषसिद्धि के आरोप को खारिज करने या हटाने का निवेदन कर सकता है। यदि अदालत की संतुष्टि पर पहले की *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध की दोषसिद्धि को साबित करने के लिए अपर्याप्त सबूत हो, तो अदालत आरोप को खारिज कर सकती है या हटा सकती है। *इस खंड में कुछ भी धारा 1385 के अंतर्गत अदालत के अधिकार को बदलने के लिए नहीं पढ़ा जाना चाहिए।*

(g) पहले की *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध की दोषसोद्धियों कि धारा 1192.7 की उपश्रेणी (b) में परिभाषित किया गया है। अभियोजन पहले की सभी *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध की दोषसिद्धियों पर बहस करके इन्हें साबित करेगा और किन्हीं भी *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध की दोषसिद्धियों के आरोप को हटाने या खारिज करने के लिए समझौते में शामिल होगा सिवाय उसके जैसा कि उपश्रेणी (f) के पैराग्राफ (2) में दिया गया है।

(h) उपश्रेणियों (c) से (g), सम्मिलित, में मौजूदा कानून के प्रति सभी संदर्भ उस कानून के प्रति हैं जो ~~30 जून 1993~~ *7 नवंबर 2012* को मौजूद है।

(i) यदि उपश्रेणियों (b) से (h), सम्मिलित, के किसी भी प्रावधान या किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति पर इनके अनुप्रयोग को अवैध माना जाता है, तो वह अवैधता उन अपरश्रेणियों के अन्य प्रवाधानों या अनुप्रयोगों को प्रभावित नहीं करेगी जो कि अवैध प्रावधान या अनुप्रयोग के बिना प्रभावी बनाए जा सकते हैं, और इसे प्राप्त करने के लिए उन उपश्रेणियों के प्रावधान पृथक्करणीय हैं।

(j) इस खंड के प्रावधानों को विधानमंडल के द्वारा संशोधित नहीं किया जाएगा सिवाय प्रत्येक सदन में सहमत दो तिहाई सदस्यता द्वारा दैनिकी में दर्ज बोलकर डाले जाने वाले मत (रोलकॉल) द्वारा पारित की गई संविधि के, या उस संविधि के द्वारा जो केवल निर्वाचकों द्वारा अनुमोदित किए जाने पर प्रभावी बनता है।

खंड 3. पीनल कोड की धारा 667.1 को इस प्रकार संशोधित किया गया है:

667.1. खंड 667 की उपश्रेणी (h) के होते हुए भी, ~~इस अधिनियम की प्रभावी तारीख~~ *7 नवंबर 2012* को या इसके बाद किए गए सभी अपराधों के लिए, खंड 667 की उपश्रेणियों (c) से (g), सम्मिलित, में मौजुदा संविधियों के सभी संद्रभ, उन संवीधियों को हैं जो ~~इस अधिनियम की प्रभावी तारीख, जिसमें 2005–06 नियमित सैशन के दौरान बनाए गए अधिनियमों के द्वारा उन संविधियों में किए गए संशोधन शामिल हैं, जिसने इस कंड को संशोधित किया था~~ *7 नवंबर 2012* को मौजूद थे।

खंड 4. पीनल कोड की धारा 1170.12 को इस प्रकार संशोधित किया गया है:

1170.12. ~~(a)~~ *एक से अधिक दोषसिद्धियों के लिए कुल और लगातार अवधियां; पहले के बड़े अपराधों के रूप में पहले की दोषसिद्धियां; प्रतिबद्धताएं और अन्य वृद्धियां या सज़ाएं।*

(a) कानून के किसी भी अन्य प्रावधान के होते हुए भी, यदि किसी प्रतिवादी को बड़े अपराध के लिए दोषी पाया गया है और बहस करके के बाद साबित किया गया है कि प्रतिवादी की एक या अधिक पहले *गंभीर और या हिंसक* बड़े अपराध की दोषसिद्धियां हैं जैसे कि उपश्रेणी (b) में परिभाषित किया गया है, तो अदालत निम्नलिखित में से प्रत्येक का पालन करेगी:

(1) किसी भी बाद की बड़े अपराध की दोषसिद्धियों के लिए लगातार सज़ा के उद्देश्यों के लिए कोई कुल अवधि की सीमा नहीं होगी।

(2) वर्तमान अपराध के लिए परिवीक्षा नहीं दी जाएगी, और न ही किसी पिछले अपराध के लिए सज़ा के निष्पादन या अधिरोपण को निलंबित किया जाएगा।

(3) पिछले *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध की दोष सिद्धि और वर्तमान बड़े अपराध की दोषसिद्धि सज़ा के आरोपण को प्रभावित नहीं करेगी।

(4) राज्य की जेल के अलावा किसी भी अन्य सुविधा के लिए प्रतिबद्धता नहीं की जाएगी। सज़ा में परिवर्तन नहीं दिए जाएंगे और न हीम प्रतिवादी कैलिफोर्निया पुनर्वास केंद्र के लिए प्रतिबद्धता का हकदार होगा जैसा कि वेलफेयर एंड इंस्टीट्यूशंस कोड के खंड 3 के अध्याय 1 के अनुच्छेद 2 (धारा 3050 से आरंभ खरते हुए) में दिया गया है।

(5) भाग 3 के शीर्षक 1 के अध्याय 7 के अनुच्छेद 2.5 (धारा 2930 से आरंभ करते हुए) के अनुसार दिए गए क्रेडिट की कुल राशि दी गई कारावास की कुल अवधि के पाँचवें हिस्से से अधिक नहीं होगी और उस समय तक शुरू नहीं होती जब तक प्रतिवादी को शारीरिक रूप से राज्य की जेल में रख नहीं दिया जाता है।

(6) यदि एक से अधिक बड़े अपराधों के लिए वर्तमान दोषसिद्धि है, जो एक ही समय पर नहीं किए गए हैं, और संचालक तथ्यों के उसी समूह से उत्पन्न नहीं होते हैं, तो अदालत प्रतिवादी को इस खंड के अनुसार प्रत्येक दोष के लिए लगातार चलने वाली सज़ा देगी।

(7) यदि एक से अधिक गंभीर या हिंसक बड़े अपराध के लिए वर्तमान दोषसिद्धि है जैसा कि ~~इस~~ उपश्रेणी *(b)* ~~के पैराग्राफ (6)~~ में वर्णित किया गया है, तो अदालत प्रत्येक दोषसिद्धि के लिए सज़ा किसी अन्य सोषसिद्धि के लिए सज़ा के बाद शुरू करेगी जिसके लिए प्रतिवादी को कानून द्वारा प्रस्तावित ढंग से लगातार सज़ा दी गई हो सकती है।

~~(8) इस खंड के अनुसार दी गई कोई भी सज़ा किसी भी अन्य सज़ा के क्रमागत लगाई जाएगी जो प्रतिवादी पहले से ही पूरी कर रहा है, जब तक कि कानून के द्वारा कोई अन्य प्रावधान न हो।~~

(b) कानून के किसी अन्य प्रावधान के होते हुए भी इस खंड के उद्देश्यों के लिए पहले की *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध की दोषसिद्धि को इस तरह से परिभाषित किया जाएगा:

(1) कोई भी अपराध जिसे धारा 667.5 की उपश्रेणी (c) में हिंसक बड़े अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है या कोई भी अपराध जिसे धारा 1192.7 की उपश्रेणी (c) में इस राज्य के भीतर गंभीर बड़े अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है। यह निर्धारण कि इस खंड के उद्देश्यों के लिए क्या कोई पहले की दोषसिद्धि पहले की *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध के लिए दोषसिद्धि है उस पहले की दोषसिद्धि की तारीख पर किया जाएगा और लगाई गई सज़ा से प्रभावित नहीं होगा जब तक कि सज़ा, शुरुआती सज़ा देने के बाद, अपने-आप बड़े अपराध से छोटे अपराध में नहीं बदल जाती है। इस खंड के उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित स्थितियों

36

में से कोई भी इस निर्धारण को प्रभावित नहीं करेगी कि कोई पहले की *गंभीर और/या हिंसक* दोषसिद्धि ~~पहले का~~ *गंभीर और/या हिंसक* बड़ा अपराध है:

(A) निर्णय या सज़ा लागू किए जाने पर स्थगन।

(B) सज़ा के निष्पादन पर रोक।

(C) किसी बड़े अपराध की दोषसिद्धि के बाद मानसिक रूप से गड़बड़ी वाले यौन अपराधी के रूप में स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ़ हैल्थ सर्विसिज़ के साथ प्रतिबद्धता।

(D) कैलिफोर्नीया रिहैबिलिटेशन सेंटर या किसी भी अन्य सुविधा के साथ प्रतिबद्धता जिसका कार्य राज्य की जेल से पुनर्वास परिवर्तन है।

(2) किसी दूसरे अधिकार क्षेत्र में किसी ऐसे अपराध के लिए *पहले की* दोषसिद्धि जो, यदि कैलिफोर्नीया में किया गया था, राज्य की जेल में कैद द्वारा दंडनीय ~~है~~ *में शामिल होगा* किसी विशेष *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध की कोई पहले की दोषसिद्धि ~~में शामिल होगा~~ *यदि* ~~किसी दूसरे~~ *अन्य* अधिकार क्षेत्र में *पहले की* दोषसिद्धि किसी ऐसे अपराध के लिए है जिसमें धारा 667.5 की उपश्रेणी (c) में उस विषेष *हिंसक* बड़े अपराध के या धारा 1192.7 की उपश्रेणी (c) में *परिभाषित किए अनुसार गंभीर बड़े अपराध* के तत्व शामिल हैं।

(3) सज़ा को बढ़ाने के उद्देश्य के लिए किसी पहले के किशोर निर्णय में कोई पहले की *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध की दोषसिद्धि शामिल होगी यदि:

(A) पहले का अपराध करने के समय किशोर की उम्र सोलह वर्ष या अधिक थी, और

(B) पहले का अपराध

(i) वेलफेयर एंड इंस्टीट्यूशंस कोड के खंड 707 की उपश्रेणी (b) में सूचीबद्ध है, या

(ii) उपश्रेणी में *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध के रूप में सूचीबद्ध है, और

(C) यदि किशोर को किशोर न्यायालय कानून के तहत निपटने के लिए योग्य और उचित व्यक्ति पाया गया था, और

(D) यदि किशोर को वेलफेयर एंड इंस्टीट्यूशंस कोड की धारा 602 के अर्थ के अंदर किशोर अदालत का संरक्षित घोषित किया गया था क्योंकि उस व्यक्ति ने वेलफेयर एंड इंस्टीट्यूशंस कोड की धारा 707 की उपश्रेणी (b) में सूचीबद्ध अपराध किया था।

(c) इस खंड के उद्देश्यों के लिए, और किसी भी अन्य वृद्धियों या सज़ा के प्रावधानों के अतिरिक्त, जो कि लागू हो सकते हैं, निम्नलिखित लागू होगा जहां किसी प्रतिवादी की ~~कोई~~ *एक या अधिक* पहले की *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध की ~~दोषसिद्धि~~ *दोषसिद्धियां* हैं:

(1) यदि प्रतिवादी की पहले की एक *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध की दोषसिद्धि है *जैसा कि उपश्रेणी (b) में परिभाषित किया गया है* जिसे बहस करके के बाद साबित किया गया है, किसी अनिश्चित अवधि के लिए नियत अवधि या न्यूनतम अवधि उस अवधि से दोगुनी होगी जब तक कि वर्तमान बड़े अपराध की दोषसिद्धि के लिए सज़ा के रूप में अन्यथा प्रदान नहीं किया गया है।

(2) (A) ~~यदि~~ *सिवाय उसके जैसा कि उपपैराग्राफ (C)* में दिया गया है, *यदि* किसी प्रतिवादी की दो या अधिक पहले की *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध के लिए दोषसिद्धियां हैं जैसा कि उपश्रेणी (b) ~~के पैराग्राफ़ (1)~~ में परिभाषित किया गया है जिन्हें बहस करके के बाद साबित किया गया है, मौजूदा बड़े अपराध की दोषसिद्धि के लिए अवधि आजीवन कारावास की अनिश्चित अवधि होगी जहां अनिश्चित अवधि की न्यूनतम अवधि की गणना ~~इससे बड़ी~~ *इनमें से सबसे बड़ी* के रूप में की जाएगी:

(i) उस अवधि से तीन गुणा जो अन्यथा दो या अधिक पहले की *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध की दोषसिद्धियों के बाद प्रत्येक वर्तमान बड़े अपराध की दोषसिद्दि के लिए सज़ा के रूप में दी जाती है; या

(ii) पच्चीस वर्ष या

(iii) अंतर्निहित दोषसिद्धि के लिए धारा 1170 के अनुसार अदालत द्वारा निर्धारित की गई अवधि, जिसमें भाग 2 के शीर्षक 7 के अध्याय 4.5 (धारा 1170 से आरंभ करते हुए) के अंतर्गत लागू होने वाली कोई भी वृद्धि, या धारा 190 या 3046 के द्वारा प्रस्तावित कोई भी अवधि शामिल है।

(B) इस उपश्रेणी के पैराग्राफ (2) के उपपैराग्राफ (A) में वर्णित अनिश्चित अवधि उस किसी भी अन्य कैद की अवधि से लगातार दी जाएगी जिसके लिए कानून के द्वारा लगातार अवधि लगाई जा सकती है। इस उपश्रेणी के पैराग्राफ (2) के उपपैराग्राफ़ (A) में वर्णित अनिश्चित अवधि के बाद लगाई गई कोई भी अन्य अवधि उसके साथ नहीं मिलायी जाएगी बल्कि उस समय से शुरू होगी जब व्यक्ति को अन्यथा जेल से रिहा कर दिया गया होता।

(C) यदि प्रतिवादी की दो या अधिक पहले की गंभीर और/या हिंसक बड़े अपराध के लिए दोषसिद्धियां हैं जैसा कि खंड 667.5 की उपश्रेणी (c) या खंड 1192.7 की उपश्रेणी (c) में परिभाषित किया गया है जिन्हें बहस करके के बाद साबित किया गया है, और वर्तमान अपराध इस खंड की उपश्रेणी (b) के पैराग्राफ (1) में वर्णित किए गए अनुसार बड़ा अपराध नहीं है, तो प्रतिवादी को इस खंड की उपश्रेणी (c) के पैराग्राफ़ (1) के अनुसार सज़ा दी जाएगी जब तक कि अभियोजन बहस करने के बाद निम्नलिखित में से कोई साबित नहीं करता है:

(i) मौजूदा अपराध नियंत्रित पदार्थ का आरोप है, जिसमें हैल्थ एंड सेफ्टी कोड की धारा 11370.4 या 11379.8 के तहत किसी आरोप को स्वीकार किया गया था या सच्च पाया गया था।

(ii) मौजूदा अपराध धारा 261.5 की उपश्रेणी (d) या धारा 262 में परिभाषित एक बड़ा यौन अपराध है, या कोई भी ऐसा बड़ा अपराध है जिसका परिणाम धारा 266 और 285 के उल्लंघन को छोड़कर धारा 290 की उपश्रेणी (c), धारा 286 की उपश्रेणी (b) के पैराग्राफ (1) और उपश्रेणी (e), धारा 288a की उपश्रेणी (b) के पैराग्राफ (1) और उपश्रेणी (e), धारा 314, और धारा 311.11 के अनुसार यौन अपराधी के रूप में अनिवार्य पंजीकरण के रूप में होता है।

(iii) वर्तमान अपराध करने के दौरान, प्रतिवादी ने एक बन्दूक का इस्तेमाल किया, वह बन्दूक या घातक हथियार के साथ लैस था, या किसी अन्य व्यक्ति को बड़ी शारीरिक चोट पहुँचाने का इरादा रखता था।

(iv) प्रतिवादी की निम्नलिखित गंभीर और/या हिंसक बड़े अपराधों में से किसी भी के लिए, पहले की दोषसिद्धि है, जैसा कि इस धारा की उपश्रेणी (b) में परिभाषित किया गया है:

(I) कोई "यौन हिंसक अपराध" जैसा कि वेलफेयर एंड इंस्टीट्यूशंस कोड की धारा 6600 की उपश्रेणी (b) द्वारा परिभाषित किया गया है।

(II) किसी बच्चे के साथ मौखिक संभोग जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है, और जो उससे 10 वर्ष से अधिक छोटा है जैसा कि धारा 288a द्वारा परिभाषित किया गया है, किसी अन्य व्यक्ति के साथ गुदामैथुन जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है और जो उससे 10 वर्ष से अधिक छोटा है जैसा कि धारा 286 द्वारा परिभाषित किया गया है, या किसी अन्य व्यक्ति के साथ यौन प्रवेश जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है और जो उससे 10 वर्ष से अधिक छोटा है जैसा कि धारा 289 द्वारा परिभाषित किया गया है।

(III) धारा 288 के उल्लंघण में, कोई भद्दा या कामुक कार्य जिसमें 14 वर्ष से कम उम्र का कोई बच्चा शामिल हो।

(IV) कोई हत्या का अपराध, जिसमें हत्या की कोशिश का अपराध शामिल है, जो धारा 187 से 191.5, सम्मिलित, में परिभाषित किया गया है।

(V) कत्ल करने के लिए लालच जैसा धारा 653f में परिभाषित किया गया है।

(VI) किसी मशीन गन के साथ किसी शांति ऑफिसर या फायरफाईटर (अग्निशामक कर्मचारी) पर हमला, जैसा कि धारा 245 की उपश्रेणी (d) के पैराग्राफ (3) में परिभाषित किया गया है।

(VII) कोई सामूहिक विनाश का हथियार रखना, जैसा कि धारा 11418 की उपश्रेणी (a) के पैराग्राफ (1) में परिभाषित किया गया है।

(VIII) कोई भी गंभीर और/या हिंसक बड़ा अपराध जो कैलिफोर्नीया में आजीवन कारावास या मृत्यु के द्वारा दंडित है।

(d) (1) कानून के किसी अन्य प्रावधान के होते हुए भी, उस प्रत्येक मामले में यह खंड लागू होगा जिसमें प्रतिवादी की ~~कोई~~ *एक या अधिक* पहले का *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध की ~~दोषसिद्धि~~ *दोषसिद्धियां* है जैसा कि इस खंड में परिभाषित किया गया है। अभियोग वकील पहले के प्रत्येक *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध की दोषसिद्धि पर बहस करके उसे साबित करेगा सिवाय उसके जैसा कि पैराग्राफ (2) में कहा गया है।

(2) धारा 1385 के अनुसार न्याय को आगे लेजाने के लिए, या यदि पहले के *गंभीर और/या हिंसक* दोषसिद्धि को साबित करने के लिए अपर्याप्त सबूत हो, तो अभियोग वकील पहले के *गंभीर और/या हिंसक* दोषसिद्धि के आरोप को खारिज करने या हटाने का निवेदन कर सकता है। यदि अदालत की संतुष्टि पर पहले की *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध की दोषसिद्धि को साबित करने के लिए अपर्याप्त सबूत हो, तो अदालत आरोप को खारिज कर सकती है या हटा सकती है। *इस खंड में कुछ भी धारा 1385 के अंतर्गत अदालत के अधिकार को बदलने के लिए नहीं पढ़ा जाना चाहिए।*

(e) पहले की *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध की दोषसोद्धियों कि धारा 1192.7 की उपश्रेणी (b) में परिभाषित किया गया है। अभियोजन पहले की सभी *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध की दोषसिद्धियों पर बहस करके इन्हें साबित करेगा और किन्हीं भी *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध की दोषसिद्धियों के आरोप को हटाने या खारिज करने के लिए समझौते में शामिल होगा सिवाय उसके जैसा कि उपश्रेणी (d) के पैराग्राफ (2) में दिया गया है।

(f) यदि उपश्रेणियों (a) से (e), सम्मिलित, या खंड 1170.126 के किसी भी प्रावधान, या किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति पर इनके अनुप्रयोग को अवैध माना जाता है, तो वह अवैधता उन अपरश्रेणियों के अन्य प्रावाधानों या अनुप्रयोगों को प्रभावित नहीं करेगी जो कि अवैध प्रावधान या अनुप्रयोग के बिना प्रभावी बनाए जा सकते हैं, और इसे प्राप्त करने के लिए उपश्रेणियों के प्रावधान पृथक्करणीय हैं।

(g) इस खंड के प्रावधानों को विधानमंडल के द्वारा संशोधित नहीं किया जाएगा सिवाय प्रत्येक सदन में सहमत दो तिहाई सदस्यता द्वारा दैनिकी में दर्ज बोलकर डाले जाने वाले मत (रोलकॉल) द्वारा पारित की गई संविधि के, या उस संविधि के द्वारा जो केवल निर्वाचकों द्वारा अनुमोदित किए जाने पर प्रभावी बनता है।

खंड 5. पीनल कोड की धारा 1170.125 को इस प्रकार संशोधित किया गया है:

1170.125. प्रस्ताव 184 के खंड 2 के होते हुए भी, जैसा कि 8 नवंबर 1994 के ~~आम चुनावों~~ *आम* चुनावों में अपनाया गया था, ~~इस अधिनियम की प्रभावी तारीख~~ *7 नवंबर 2012* को या उसके बाद किए गएसभी अपराध, ~~खंड~~ *खंडों* 1170.12 *और 1170.126* में मौजूदा संविधियों के सभी संदर्भ उन ~~संविधियों~~ *खंडों* को हैं जैसे ~~इस अधिनियम की प्रभावी तारीख, जिसमें 2005–06 नियमित सैशन के दौरान बनाए गए अधिनियमों के द्वारा उन संविधियों में किए गए संशोधन शामिल हैं, जिसने इस कंड को संशोधित किया था~~ *7 नवंबर 2012* को मौजूद थे।

खंड 6. पिनल कोड में धारा 1170.126 जोड़ी गई है, जो इस प्रकार है:

1170.126. (a) इस खंड और संबंधित संविधियों के तहत फिर से सज़ा देने के प्रावधानों का प्रयोजन अनन्य रूप से धारा 667 की उपश्रेणी (e) के पैराग्राफ (2), या धारा 1170.12 की उपश्रेणी (c) के पैराग्राफ (2) के अनुसार वर्तमान में कैस की एक अनिश्चित अवधि पूरी कर रहे व्यक्तियों लागू होता है जिसकी इस अधिनियम के तहत सज़ा अनिश्चित आजीवन कारावास नहीं होता।

(b) कोई भी व्यक्ति जो दोषसिद्धि के बाद धारा 667 की उपश्रेणी (e) के पैराग्राफ (2), या धारा 1170.12 की उपश्रेणी (c) के पैराग्राफ (2) के अनुसार, मुक्दमा चलाने के द्वारा हो या अपराध स्वीकार करने के द्वारा, ऐसे बड़े अपराध या बड़े अपराधों के लिए लगाई गई आजीवन कारावास की अनिश्चित अवधि पूरी कर रहा है, जो धारा 667.5 की उपश्रेणी (c) या धारा 1192.7 की उपश्रेणी (c) के द्वारा गंभीर और/या हिंसक बड़े अपराध के रूप में परिभाषित नहीं है, उस अधिनियम की प्रभावी तारीख के दो साल के अंदर जिसनेअयह खंड जोड़ा था या अच्छा कारण दिखाते हुए किसी बाद की तारीख पर, उस मुकदमा चलाने वाली अदातलत के सामने जिसने उसके मामले में दोषसिद्धि का फैसला सुनाया था, सज़ा को उलटाने के लिए याचिका दायर कर सकता है, ताकि धारा 667 की उपश्रेणी (e), और धारा 1170.12 की उपश्रेणी के प्रवधानों के अनुसार फिर से सज़ा देने का निवेदन किया जा सके, क्योंकि वे संविधियां उस अधिनियम के द्वारा बदल दी गई हैं जिसने यह खंड जोड़ा है।

(c) कोई भी व्यक्ति जो वर्तमान में "दूसरे हमले" की दोषसिद्धि के लिए धारा 667 की उपश्रेणी (e) के पैराग्राफ (1), या धारा 1170.12 की उपश्रेणी (c) के पैराग्राफ (1) के अनुसार दी गई कैद की सज़ा पूरी कर रहा है, इस खंड के प्रावधानों के तहत फिर से सज़ा दिए जाने के योग्य नहीं होगा।

(d) उपश्रेणी (b) नेण वर्णित सज़ा को उल्टाने के लिए याचिका में वर्तमान में लगाए गए सभी बड़े अपराधों का विवरण देगा, जिनके परिणाम से धारा 667 की उपश्रेणी (e) के पैराग्राफ (2) या धारा 1170.12 की उपश्रेणी (c) के पैराग्राफ (2) या दोनों के तहत सज़ा दी गई थी, और धारा 667 की उपश्रेणी (d) ऊर धारा 1170.12 की उपश्रेणी (b) के तहत कथित और साबित की गई पहले की सभी दोषसिद्धियों का विवरण देगा।

(e) कोई कैदी फिर से सज़ा दिए जाने के योग्य है यदि:

(1) कैदी धारा 667 की उपश्रेणी (e) के पैराग्राफ (2), या धारा 1170.12 की उपश्रेणी (c) के अनुसार ऐसे बड़े अपराध या बड़े अपराधों के लिए लगाई गई आजीवन कारावास की अनिश्चित अवधि पूरी कर रहा है जो धारा 667.5 की उपश्रेणी (c) या धारा 1192.7 की उपश्रेणी (c) के द्वारा गंभीर और/या हिंसक बड़े अपराध के रूप में परिभाषित नहीं है।

(2) कैदी की वर्तमान सज़ा धारा 667 की उपश्रेणी (e) के पैराग्राफ (2) के उपपैराग्राफ (C) के उपवाक्य (i) से (iii), सम्मिलित या धारा 1170.12 की उपश्रेणी (c) के पैराग्राफ (2) के उपपैराग्राफ (C) के उपवाक्य (i) से (iii), सम्मिलित में मौजूद अपराधों के लिए नहीं दी गई थी।

(3) कैसी की वर्तमान सज़ा धारा 667 की उपश्रेणी (e) के पैराग्राफ (2) के उपपैराग्राफ (C) के उपवाक्य (iv) या धारा 1170.12 की उपश्रेणी (c) के पैराग्राफ (2) के उपपैराग्राफ (C) के उपवाक्य (iv) में मौजूद अपराधों के लिए कोई पहले की दोषसिद्धियां नहीं हैं।

(f) इस खंड के तहत सज़ा को उल्टाने की याचिका प्राप्त होने के बाद, अदालत निर्धारित करेगी कि क्या याचिकाकर्ता उपश्रेणी (e) में दी गई शर्तों को संतुष्ट करता है। यदि याचिकाकर्ता उपश्रेणी (e) में दी गई शर्तों को संतुष्ट करता है, तो याचिकाकर्ता को धारा 667 की उपश्रेणी (e) के पैराग्राफ (1), या धारा 1170.12 की उपश्रेणी (c) के पैराग्राफ (1) के अनुसार फिर से सज़ा दी जाएगी, जब तक कि अदालत, अपने विवेक से, यह निर्धारित नहीं करती है कि याचिकाकर्ता को फिर से सज़ा देने के जनता की सुरक्षा को अनुचित जोखिम होगा।

(g) उपश्रेणी (f) में अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए, अदालत निम्नलिखित पर विचार कर सकती है:

(1) याचिकाकर्ता का अपराधिक दोषसिद्धियों का इतिहास, जिसमें शामिल है किए गए अपराधों का प्रकार, पीड़ितों को चोट की सीमा, पहले की जेल की प्रतिबद्धताओं की अवधि, और अपराधों की असंबद्धता;

(2) याचिकाकर्ता का अनुशासनात्मक रिकॉर्ड और कारावास में रहने के दौरान पुनर्वास का रिकॉर्ड; और

(3) कोई भी अन्य सबूत जो अदालत, अपने विवेक से, निर्धारित करती है कि इस बारे में फैसला लेने में संबंधित है कि क्या नई सज़ा के परिणाम स्वरूप जनता की सुरक्षा को अनुचित जोखिम होगा।

(h) किसी भी परिस्थिति में इस अधिनियम के तहत फिर से सज़ा देने के परिणाम स्वरूप मूल सज़ा से लंबी सज़ा नहीं दी जाएगी।

(i) धारा 977 की उपश्रेणी (b) के होते हुए भी, फिर से सज़ा देने के लिए याचिका देने वाला प्रतिवादी अदालत में अपनी उपस्थिति को छोड सकता है, बशर्ते दोबारा सज़ा देने के दौरान आरोप लगाने वाले अभिवचन को बदला नहीं जाता है, और व्यक्ति पर नया मुकदमा चलाया जाएगा या फिर से मुकदमा चलाया जाएगा। उपस्थिति को छोड़ा जाना लिखित में और प्रतिवादी के हस्ताक्षर के साथ होना चाहिए।

(j) यदि वह अदालत, जिसने प्रतिवादी को मूल रूप से सज़ा सुनाई थी, प्रतिवादी को फिर से सज़ा देने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो पीठासीन न्यायाधीश प्रतिवादी की याचिका पर फैसला सुनाने के लिए एक अन्य न्यायाधीश को नामित करेगा।

(k) इस खंड में किसी भी चीज़ का इरादा उन अधिकारों या उपायों को घटाना या निरस्त करना नहीं है जो अन्यता प्रतिवादी को उपलब्ध हैं।

(l) इस और संबंधित खंडों में किसी भी चीज़ का इरादा किसी भी मामले में अदालत के अंतिम निर्णयों को घटाना या निरस्त करना नहीं है जो इस अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं।

(m) इस अधिनियम के तहत आदेश दी गई फिर से सज़ा देने की सुनवाई में कैलिफोर्नीया के संविधान (मार्सी के कानून) की धारा 28 की उपश्रेणी (b) के पैराग्राफ (7) के तहत "दोषसिद्धि के बाद रिहाई की कार्रवाइयां" शामिल होगी।

खंड 7. उदार आशय:

यह अधिनियम कैलिफोर्निया राज्य के लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण की रक्षा के लिए कैलिफोर्निया राज्य के लोगों की सार्वजनिक शक्ति का प्रयोग है, और इसका आशय उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उदारता से समझाया जाएगा।

36

खंड 8. पृथक्कीकरण:

यदि इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान, या किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति पर इनके अनुप्रयोग को अवैध माना जाता है, तो वह अवैधता इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान या अनुप्रयोग को प्रभावित नहीं करेगी, जो इस अधिनियम के उद्देशायों को पूरा करने के लिए अवैध प्रावधान या अनुप्रयोग के बिना प्रभावी बनाए जा सकते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए, इस अधिनियम के प्रावधान पृथक्करणीय हैं।

37

खंड 9. परस्पर टकराने वाले प्रयास:

यदि इस उपाय को मतदाताओं द्वारा मंज़ूरी दे दी जाती है, लेकिन उसी चुनाव में अधिक मतदाताओं द्वारा अनुमोदित परस्पर विरोधी मतपत्र उपाय द्वारा इसकी जगह ले ली जाती है, और बाद में परस्पर विरोधी मतपत्र को अमान्य कर दिया जाता है, तो मतदाताओं का यह आशय है कि इस अधिनियम को कानून की ताकत दी जाए।

खंड 10. प्रभावी तिथि:

यह अधिनियम मतदाताओं द्वारा अधिनियमन के पहले दिन पर प्रभावी हो जाएगा।

खंड 11. संशोधन:

सिवाय उसके जो अन्यथा कानूनों के पाठ में दिया गया है, इस अधिनियम के प्रावधानों को निम्नलिखित में से एक के अलावा किसी अन्य ढंग से बदला या संशोधित नहीं किया जाएगा:

(a) विधानमंडल के प्रत्येक सदन में, दो तिहाई सदस्यों और गवर्नर की सहमति से, दैनिकी (जर्नल) में दर्ज द्वारा पारित करने के द्वारा; या

(b) विधानमंडल के प्रत्येक सदन में, सदस्यों के बहुत की सहमति से, दैनिकी (जर्नल) में दर्ज द्वारा पारित करने के द्वारा, जिसे अगले सामान्य चुनाव में रखा जाएगा और निर्वाचकों की बहुमत मंजूरी दी जाएगी; या

(c) संविधि द्वारा जो निर्वाचकों की बहुमत द्वारा मंजूरी दिए जाने पर प्रभावी बन जाती है।

प्रस्ताव 37

यह प्रयास कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद II, धारा 8 के अनुसार लोगों को प्रस्तुत किया गया है।

इस प्रयास द्वारा हैल्थ एंड सेफ्टी कोड को संशोधित किया गया है और उसमें धाराएं जोड़ी गई हैं; इसलिए जोड़ने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधानों को *इटैलिक टाईप* में प्रकाशित किया गया है ताकि यह पता चले कि वे नए हैं।

प्रस्तावित कानून

कैलिफोर्निया राज्य के लोग यह घोषित करते हैं कि:

कैलिफोर्निया आनुवंशिक रूप से तैयार किए खाद्य पदार्थों के बारे में जानने का अधिकार

खंड 1. परिणाम व घोषणाएं

(a) कैलिफोर्निया के उपभोक्ताओं को यह जानने का अधिकार है कि जो खाद्य पदार्थ वे खरीदते हैं क्या उन्हें पता आनुवंशिक तकनीक का उपयोग करते हुए बनाया गया था। पौधों और जानवरों की आनुवंशिक तकनीक अक्सर अनपेक्षित परिणामों का कारण बनती है। जीनों का जोड़-तोड़ करना और उन्हें जीवों में डालना एक विधिपूर्वक प्रक्रिया नहीं है। परिणाम हमेशा उम्मीद के मुताबिक नहीं आते हैं या नियंत्रणीय नहीं होते हैं, और उनके स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं।

(b) सरकारी वैज्ञानिकों ने कहा है कि पौधों में कृत्रिम DNA प्रविष्ट करना, जो कि आनुवंशिक तकनीक के लिए अद्वितीय तकनीक है, से पौदों के खाद्य पदार्थों के साथ महत्वपूर्ण समस्याएं हो सकती हैं। ऐसी आनुवंशिक तकनीक खाद्य पदार्थों में ज्ञात विषैले पदार्थों के स्तर को बढ़ा सकती है और नए विषैले पदार्थ और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं पैदा हो सकती हैं।

(c) आनुवंशिक तकनीक के माध्यम से उत्पादित खाद्य पदार्थों की अनिवार्य पहचान आनुवंशिक ढंग से तैयार खाद्य पदार्थ खाने के संभावित स्वास्थ्य प्रभाव पर नज़र रखने के लिए एक महत्वपूर्ण तरीका प्रदान कर सकती है।

(d) कोई भी संघीय या कैलिफोर्निया का कानून यह मांग नहीं करता है कि खाद्य पदार्थों के उत्पादक पहचानें कि क्या खाद्य पदार्थों का उत्पादन आनुवंशिक तकनीक का उपयोग करके किया गया था। उसी समय पर, यू.एस. फूड एंड ड्रग एड्मिनिस्ट्रेशन ऐसे खाद्य पदार्थों की सुरक्षा अध्ययन की मांग नहीं करता है। जब तक इन खाद्य पदार्थों में कोई ज्ञात एलर्जी पैदा करने वाला पदार्थ न हो, FDA आनुवंशिक ढंग से उगाई गई फसलों को विकसित करने वालों से एजेंसी के साथ परामर्श करने की मांग भी नहीं करता है।

(e) मतदान लगातार दिखाते हैं कि 90 प्रतिशत से अधिक जनता जानना चाहती है कि क्या उनके भोजन का उत्पादन आनुवंशिक तकनीक का उपयोग करके किया गया था।

(f) यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों, जापान और अन्य प्रमुख अमेरिकी व्यापारिक भागीदारों सहित—पचास देशों के पास आनुवंशिक तकनीक से तैयार खाद्य पदार्थों के अनिवार्य प्रकटीकरण के कानूनों हैं। कोई भी अंतरराष्ट्रीय समझौते आनुवंशिक

तकनीक के माध्यम से उत्पादित खाद्य पदार्थों की अनिवार्य पहचान को निषेध नहीं करते हैं।

(g) प्रकटीकरण के बिना, आनुवंशिक तकनीक से तैयार किए गए भोजन के उपभोक्ता अनजाने में अपने स्वयं के आहार और धार्मिक प्रतिबंध का उल्लंघन कर सकते हैं।

(h) आनुवंशिक तकनीक से तैयार की गई फसलों की खेती का भी पर्यावरण के लिए गंभीर प्रभाव हो सकता है। उदाहरण के लिए, सबसे अधिक आनुवंशिक तकनीक से तैयार फसलें घास-फूस हटाने वाले कीटनाशकों का सामना करने के लिए तैयार की गई हैं, जिन्हें शाकनाशी के रूप में जाना जाता है। परिणाव स्वरूप, अमेरिकी खेतों पर अतिरिक्त शाकनाशी के लाखों पाउंड का इस्तेमाल किया गया है। इस तरह के उत्पादों के बड़े पैमाने पर उपयोग की वजह से, शाकनाशी-प्रतिरोधी घास बढ़ गया है—एन ऐसी समस्या जिसने कारण, अधिक विषाक्त शाकनाशी पदार्थों का उपयोग बढ़ा है। ये विषैले शाकनासक हमारे कृषि क्षेत्रों को नुकसान पहुँचाते हैं, हमारे पीने के पानी को ख़राब करते है, और खेत मजदूरों और उपभोक्ताओं के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं। कैलिफोर्निया के उपभोक्ताओं के पास ऐसे खाद्य पदार्थों को खरीदने से बचने का विकल्प होना चाहिए जिनके कारण पर्यावरण को ऐसा नुकसान पहुँच सकता है।

(i) जैविक खेती कैलिफोर्निया कृषि का एक बड़ा और अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कैलिफोर्निया में किसी भी अन्य राज्य की तुलना में अधिक जैविक खेत हैं और देश के हर चार प्रमाणित जैविक संचालनों में से लगभग एक यहां है। कैलिफोर्निया की जैविक खेती 20 प्रतिशत प्रति साल से अधिक तेजी से बढ़ रही है।

(j) कार्बनिक किसानों को अनुवांशिक इंजीनियरिंग वाले बीजों का उपयोग करना मना है। बहरहाल, इन किसानों की फसलों को नियमित रूप से पड़ोसी ज़मीनों से खतरा रहता है जहां अनुवांशिक इंजीनियरिंग वाली फसलें उगाई जाती हैं। संदूषण का जोखिम इस उद्योग को काफी हद तक नष्ट करते हुए, कैलिफोर्निया के जैविक उत्पादों में जनता का विश्वास खत्म कर सकता है। कैलिफोर्नीया वासियों के पास ऐसा भोजन खरीदने से बचने का चुनाव होना चाहिए जिसका उत्पादन राज्य के जैविक किसानों और जैविक खाद्य पदार्थ उद्योग को नुकसान पहुँचा सकता है।

(k) "प्राकृतिक","प्राकृतिक ढंग से बनाए," "प्राकृतिक ढंग से उगाए," या "पूरा प्राकृतिक" जैसे शब्दों का एस्तेमाल करके अनुवांशिक इंजीनियरिंग वाले खाद्य पदार्थों की लेबलिंग, विज्ञापन और विपणन कैलिफोर्निया के उपभोक्ताओं को गुमराह कर ररते हैं।

खंड 2. उद्देश्य का ब्यान

इस उपाय का उद्देश्य कैलिफोर्निया के लोगों का एक मौलिक अधिकार बनाना और लागू करना है जिससे वे पूरी तरह से सूचित हों कि जिस भोजन को वे खरीदते और खाते हैं क्या वह आनुवंशिक रूप से इंजीनियरिंग किया गया है और प्राकृतिक के रूप में गलत ढंग से पेश नहीं किया जा रहा है ताकि वे खुद चुनाव कर सकें कि क्या ऐसे भोजन को खरीदना और खाना है। इसे इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उदारतापूर्वक आशय लगाया जाएगा।

खंड 3. स्वास्थ्य अवं शिक्षा संहिता के खंड 104 के भाग 5 के अध्याय 5 में अनुच्छेद 6.6 (धारा 110808 के साथ शुरू) जोड़ा गया है, जो इस प्रकार है:

अनुच्छेद 6.6.

कैलिफोर्निया आनुवंशिक रूप से तैयार किए खाद्य पदार्थों के बारे में जानने का अधिकार

110808. परिभाषाएं

निम्नलिखित परिभाषाएं केवल इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए लागू होगी:

(a) व्यावसायिक तौर पर उपजाया गया। "व्यावसायिक तौर पर उपजाया गया" का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय या व्यापार के दौरान उगाया या बड़ा किया गया और संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर बेचा गया।

(b) एनजाइम। "एनजाइम" का अर्थ है एक प्रोटीन जो अन्य पदार्थों की रासायनिक प्रतिक्रियाओं को कैटालाइज़ करता है और प्रतिक्रिया के पूरा होने पर यह खुद नष्ट नहीं होता है या इसमें बदलाव नहीं आता है।

(c) अनुवांशिक रूप से इंजीनियर किया गया। (1) "अनुवांशिक रूप से इंजीनियर किया गया" का अर्थ है कोई भी खाद्य पदार्थ जो ऐसे जीव या जीवों से तैयार किया गया है जिनमें निम्नलिखित के अनुप्रयोग द्वारा आनुवंशिक सामग्री को बदल दिया गया है:

(A) रीकॉम्बीनैंट डिऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड (DNA) सहित इन विट्रो न्यूक्लिक एसिड तकनीकें और कोशिकाओं या ऑर्गेनेल्स में न्यूक्लिक एसिड का सीधा टीका, या

(B) मूलतत्त्व संलयन सहित, कोशिकाओं के फ्यूजन, या संकरण तकनीकें जो प्राकृतिक शारीरिक, प्रजनन सबंधी, या पुनर्संयोजन बाधाओं को पार करती हैं जहां दाता कोशिकाएं/मूलतत्त्व उसी टेक्सोनोमिक परिवार के भीतर नहीं आते हैं, ऐसे ढंग से जो प्राकृतिक गुणन या प्राकृतिक पुनर्संयोजन ढंग द्वारा नहीं होता है।

(2) इस उपश्रेणी के उद्देश्यों के लिए:

(A) "जीव" का अर्थ है कोई भी जैविक इकाई जो आनुवंशिक सामग्री के प्रतिरूप बनाने, प्रजनन या हस्तांतरण के सक्षम है।

(B) "इन विट्रो न्यूक्लिक एसिड तकनीकों" में ऐसी रीकॉम्बीनैंट DNA या RNA तकनीकें शामिल हैं जो जीवों के बाहर तैयार वंशानुगत सामग्री के जीवों में प्रत्यक्ष रूप से जोड़े जाने की वेक्टर प्रणालियों और तकनीकों का इस्तेमाल करती हैं जैसे कि माइक्रो-इंजेक्शन, मैक्रो-इंजेक्शन, कीमोपोरेशन, इलैक्ट्रोपोरेशन, सूक्ष्म इन्कैप्सुलेशन, और लिपोसम संलयन।

(d) प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ। "प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ" का अर्थ है कच्ची कृषि सामग्री के अलावा कोई भी भोजन, और इसमें ऐसी कच्ची कृषि सामग्री से तैयार भोजन शामिल है जिस पर केनिंग, स्मोकिंग, दबाने, पकाने, फ्रीज़ करने, निर्जलीकरण, किण्वन, या मिलिंग जैकी प्रक्रिया की गई है।

(e) प्रसंस्करण में सहायक चीज़ें। "संस्करण में सहायक चीज़ें" का अर्थ है:

(1) कोई पदार्थ जो खाद्य-पदार्थ के प्रसंस्करण के दौरान उसमें जोड़ा जाता है, लेकिन इसे अंतिम रूप में पैक करने से पहले किसी तरह से उसमें से निकाल दिया जाता है;

(2) कोई पदार्थ जो प्रसंस्करण के दौरान खाद्य-पदार्थ में जोड़ा जाता है, आम तौर पर खाद्य-पदार्थ में मौजूद घटक में परिवर्तित किया जाता है, और प्रकृतिक रूप से खाद्य-पदार्थ में पाए जाते घटकों की मात्रा में वृद्धि नहीं करता है; या

(3) कोई पदार्थ जो प्रसंस्करण में इसके तकनीकी या कार्यात्मक प्रभाव के लिए खाद्य-पदार्थ में जोड़ा जाता है, लेकिन अंतिम खाद्य पदार्थ में काफी बड़े स्तर पर मौजूद रहता है और उस अंतिम खाद्य-पदार्थ में इसका कोई तकनीकी या कार्यात्मक प्रभाव नहीं होता है।

(f) खाद्य सुविधा। "खाद्य सुविधा" का अर्थ आगे खंड 113789 में दिया गया अर्थ होगा।

110809. खाद्य-पदार्थों की आनुवंशिक तकनीक के संबंध में प्रकटीकरण

(a) 1 जुलाई 2014 से शुरू करते हुए, केलिफोर्निया में खुदरा बिक्री के लिए पेश किया गया कोई भी भोजन यदि पूरी तरह से या आंशिक रूप से उत्पादित आनुवंशिक ढंग से तैयार किया गया हो सकता है लेकिन इस तथ्य का खुलासा नहीं किया है तो यह गलत ढंग से पेश किया जा रहा है:

(1) कच्ची कृषि वस्तुओं के मामले में बिक्री के लिए पेश किए गए पैकेज पर, ऐसी वस्तु के पैकेज के अगले हिसे पर स्पष्ट और विशिष्ट शब्दों में "आनुवंशिक रूप

37

से तैयार किया गया", या ऐसी वस्तु के मामले में जो अलग रूप से पैकेज या लेबल नहीं की जाती है, खुदरा स्टोर के शेल्फ या बिन पर दिखाई देने वाले लेबल पर जहां ऐसी वस्तु बिक्री के लिए प्रदर्शित की जाती है;

(2) किसी भी प्रसंस्कृत खाद्य-पदार्थ के मामले में, ऐसे खाद्य-पदार्थ के अगले या पिछले हिस्से पर, स्पष्ट और विशिष्ट शब्दों में, "आंशिक रूप से जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ उत्पादित" या "शायद आंशिक रूप से जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ उत्पादित" शब्दों के साथ।

(b) इस खंड की उपश्रेणी (a) और खंड 110809.2 की उपश्रेणी (e) का आशय इस आवश्यक्ता के रूप में नहीं लगाया जाएगा कि अनुवांशिक इंजीनियरिंग से तैयार किए गए किसी भी घटक या घटकों की सूची देने या पहचान बताई जाए या "अनुवांशिक रूप से तैयार किया" शब्दों को खाद्य-पदार्थ के आम नाम या मुख्य उत्पाद वर्णन के बिल्कुल साथ रखा जाए।

110809.1. आनुवंशिक रूप से तैयार भोजन को "प्राकृतिक" के रूप में गलत ढंग से पेश करना

खंड 110809 द्वारा आवश्यक कीसी भी प्रकटीकरण के अलावा, यदि खाद्य-पदार्थ खंड 110808 की उपश्रेणी (c) या (d) की किसी भि परिभाषा को पूरा करता है, और अन्यथा इसे खंड 110809.2 के तहत लेबल देने से छूट नहीं प्राप्त है, तो खाद्य-पदार्थ कैलिफोर्निया में, इसके लेबल पर, या खुदरा संस्था में इसके साथ दिए गए संकेतों पर, या किसी भी विज्ञापन या प्रचार सामग्री में, यह नहीं कह सकता है कि खाद्य-पदार्थ "प्राकृतिक","प्राकृतिक ढंग से बनाया गया," "प्राकृतिक ढंग से उगाया गया," या "पूरा प्राकृतिक" है या इसी तरह के अन्य शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है जो किसी भी तरह से किसी भी उपभोक्ता को गुमराह करे।

110809.2. आनुवंशिक रूप से तैयार भोजन पर लेबल लगाना—छूटें

धारा 110809 की ज़रूरतें निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगी:

(a) ऐसे खाद्य-पदार्थ जिनमें पूरी तरह से ऐसा जानवर शामल है, या जो पूरी तरह से ऐसे जानवर से तैयार किया गया है जो खुद आनुवंशिक ढंग से तैयार नहीं किया गया है, भले ही ऐसे जानवर को कोई अनुवांशिक ढंग से तैयार भोजन खिलाया गया था या इसका टीका लगाया गया था या ऐसे दवाई दी गई थी जो अनुवांशिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए तैयार की गई थी।

(b) कोई कच्ची कृषि वस्तु या उससे निकाले गए खाद्य-पदार्थ जो अनुवांशिक तकनीक वाले बीजों या खाद्य-पदार्थों के जानकारी होते हुए या जानबूझकर अनुवांशिक तकनीक के उपयोग के बिना उगाए गए, बढ़ाए गए या तैयार किए गए हैं। उस खाद्य-पदार्थ को केवल तभी पिछले वाक्य में वर्णित नहीं माना जाएगा यदि अन्यथा कच्ची कृषि वस्तु या खाद्य-पदार्थों के संबंध में धारा 110809 की उपश्रेणी (a) की ज़रूरतों का पालन करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति उस व्यक्ति, जिस ने उस व्यक्ति को वस्तु या खाद्य-पदार्थ बेचा है, से एक शपथबद्ध बयान प्राप्त करता है कि ऐसी वस्तु या खाद्य-पदार्थ: (1) जानकारी होते हुए या जानबूझकर अनुवांशिक तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया गया है; और (2) इसे उस खाद्य-पदार्थ से अलग किया गया है, और जानकारी होते हुए या जानबूझकर उस खाद्य-पदार्थ के साथ नहीं मिलाया गया है, जो शायद किसी भी समय पर अनुवांशिक तकनीक से तैयार किया गया हो सकता है। ऐसा शपथबद्ध बयान देते हुए, कोई भी व्यक्ति अपने या अपने खुद आपूर्तिकर्ता से शपथबद्ध बयान पर निर्भर कर सकता है जिसमें पिछले वाक्य में दी गई अभिपुष्टि शामिल हो।

(c) कोई भी प्रसंस्कृत खाद्य-पदार्थ जिस पर धारा 110809 एकमात्र रूप से इस लिए लागू होगी क्योंकि इसमें एक या अधिक अनुवांशिक रूप से तैयार प्रसंस्करण सहायक चीज़ें या एंजाइम शामिल हैं।

(d) कोई भी अल्कोहल वाले पेय जो अल्कोहलिक बेवेरेज कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत आता है, जो कि बिज़नेस एंड प्रोफेशन कोड की श्रेणी 9 (खंड 23000 से शुरू करते हुए) में दिया गया है।

(e) 1 जुलाई 2019 तक, कोई भी प्रसंस्कृत खाद्य-पदार्थ जिस पर धारा 110809 एकमात्र रूप से इस लिए लागू होगी क्योंकि इसमें एक या अधिक अनुवांशिक रूप से तैयार प्रसंस्करण अंश शामिल है, बशर्ते: (1) कोई भी ऐसा एकेला अंश ऐसे प्रसंस्कृत खाद्य के कुल वजन के एक प्रतिशत के आधे से अधिक नहीं है; और (2) प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ में ऐसे 10 से अधिक अंश शामिल नहीं हैं।

(f) खाद्य-पदार्थ जो किसी स्वतंत्र संगठन से निर्धारित किया है कि जानकारी होते हुए या जानबूझकर किसी अनुवांशिक इंजीनियरिंग वाले बीज या अनुवांशिक इंजीनियरिंग वाले खाद्य-पदार्थ से तैयार नहीं किया गया है या इसे इसमें शामिल नहीं किया गया है, बशर्ते कि ऐसा निर्धारण विभाग द्वारा अपनाए गए नियमों में अनुमोदित नमूना और परीक्षण प्रक्रिया के अनुसार किया गया है। विभाग द्वारा कोई भी नमूना और परीक्षण प्रक्रिया को अनुमोदित नहीं किया जाएगा जब तक कि नमूना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त स्रोतों जैसे कि इंट्रनेशनल स्टैंडर्ड्ज़ ऑर्गेनाइज़ेशन (ISO) और ग्रेन एण्ड फ़ीड ट्रेड एसोसिएशन (GAFTA) द्वारा सिफारिश सिद्धांतों के अनुरूप सांख्यिकीय रूप से मान्य नमूना लेने की योजना के अनुसार नहीं लिया गया है। विभाग द्वारा किसी भी परीक्षण प्रक्रिया को अनुमोदित नहीं किया जाएगा जब तक कि: (1) यह कोडेक्स एलिमेनटेरियस द्वारा प्रकाशित सबसे हाल के "खाद्य-पदार्थों में विशिष्ट DNA अनुक्रमों और विशिष्ट प्रोटीन की जांच, पहचान करने और मात्रा निर्धारित करने के लिए प्रदर्शन के मानदंड और तरीके के मान्यकरण पर मार्गदर्शन," (CAC/GL 74 (2010)) के अनुसार नहीं है; और (2) यह प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ के ऐसे परीक्षण पर निर्भर नहीं करता है जिसमें किसी DNA पा पता नहीं लगाया जाता है।

(g) ऐसे खाद्य-पदार्थ जो 1990 के संघीय कार्बनिक खाद्य उत्पाद अधिनियम और संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग द्वारा उसके अनुसार प्रख्यापित नियमों के अनुसार कानूनी रूप से "जैविक" का लेबल लगाए जाने, विपणन और बिक्री के लिए पेश किए जाने के लिए प्रमाणित है।

(h) जो खाद्य-पदार्थ खुदरा बिक्री के लिए पैक नहीं किया गया है और या तो: (1) एक प्रसंस्कृत खाद्य-पदार्थ है जो तत्काल मानव उपभोग के लिए तैयार किया गया और प्रयोजन से है या (2) किसी ऐसे रेस्तरां या अन्य भोजन सुविधा में परोसा जाता, बेचा जाता या अन्यथा प्रदान किया जाता है जो मुख्य रूप से तत्काल मानव उपभोग के लिए तैयार किया गया और प्रयोजन से भोजन बेचने में लगे हुए हैं।

(i) चिकित्सकीय भोजन।

110809.3. नियमों को अपनाना

विभाग किन्हीं भी ऐसे नियमों को अपना सकता है यो यह निर्धारित करता है कि इस अनुच्छेद को लागू करने और इसकी व्याख्या करने के लिए ज़रूरी हैं, बशर्ते कि विभाग धारा 110809.2 में दी गई छूटों के अलावा कोई छूटें अधिकृत नहीं करता है।

110809.4. लागूकरण

अध्याय 8 के अनुच्छेद 4 (खंड 111900 से शुरू करते हुए) के तहत किसी कार्यवाही के अलावा, खंड 110809 या 110890.1का किसी भी उल्लंघण को नागरिक संहिता की धारा 1770 की उपश्रेणी (a) के पैराग्राफ (5) का उल्लंगण माना जाएगा और उसके लिए नागरिक संहिता के श्रेणी 3 के भाग 4 के शीर्षक 1.5 (धारा 1750 से शुरू करते हुए) के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, और कानूनी कार्यवाही करने वाले उपभोक्ता को कथित उल्लंघन से कोई विशेष नुकसान स्थापित करने, या उस पर कोई निर्भरता साबित करने की ज़रूरत नहीं है। धारा 110809 द्वारा ज़रूरी कोई भी प्रकटीकरण करने में असफलता, या धारा 110809.1 में मना किया गया कोई भी बयान देने से, प्रत्येक को कम से कम कथित उल्लंघन करने वाले पैकेज या उत्पाद के वास्तविक या पेश किए गए खुदरा मूल्य का राशि के बराबर नुकसान किया गया माना जाएगा।

खंड 4. लागूकरण

स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता की धारा 111910 इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

111910. (a) धारा 111900 के प्रवाधानों का कानून के किसी और प्रावधान के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति इस धारा के अनुसार सुपीरियर कोर्ट में एक मुकदमा ला सकता है और सुनवाई करने पर और कारण दिखाए जाने के लिए, किसी व्यक्ति को *अनुच्छेद 6.6 (धारा 110808 से शुरू करते हुए), या* अध्याय 5 के अनुच्छेद 7 (धारा 110810 से शुरू करते हुए) के किन्हीं भी प्रावधानों का उल्लंघण करने से रोकते हुए अस्थायी या स्थायी आदेश लगाना अदालत के अधिकार क्षेत्र में होगा। इस धारा के तहत कोई भी कार्रवाई नागरिक प्रक्रिया संहिता के भाग 2 के शीर्षक 7 के अध्याय 3 (525 धारा के साथ शुरू करते हुए) की ज़रूरतों के अनुरूप होगी, सिवाय इसके कि व्यक्ति को कानून के पास उचित उपाय की कमी को दिखाने, या दिखाने की कोशिश करने, या अद्वितीय या विशेष व्यक्तिगत चोट या नुकसान दिखाने, या दिखाने की कोशिश करने के लिए ज़रूरी तथ्यों का आरोप लगाने की ज़रूरत नहीं होगी।

(b) उपश्रेणी (a) में प्रदान की गई आदेशात्मक राहत के अलावा, अदातलत उस व्यक्ति, संगठन या संस्था को उचित वकील की फीसें *और मुकदमे की जांच-पड़ताल करने और उस पर कार्यवाही करने में हुए सभी उचित खर्चे*, जैसा कि अदालत द्वारा निर्धारित किया जाता है, दे सकती है।

(c) इस खंड का आशय धारा 111900 या कानून के किसी भी अन्य प्रावधान के अनुसार इस अध्याय को लागू करने के लिए मुकदमा चलाने की विभाग और इसके अधिकृत एजेंटों की शक्तियों को सीमित करने या बदलने के लिए लगाया जाएगा।

खंड 5. गलत ढंग से पेश करना

स्वास्थ्य अवं सुरचा संहिता की धारा 110663 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

110663. यदि किसी भी खाद्य-पदार्थ दा लेबल धारा 110809 या 110809.1की ज़रूरतों का पालन नहीं करता है तो इसे गलत ढंग से पेश किया गया है।

खंड 6. पृथक्कीकरण

यदि इस पहल के किसी भी प्रावधान या उसके अनुप्रयोग को किसी भी कारण से अवैध या असंवैधानिक करार कर दिया जाता है, तो यह इस पहले के अन्य प्रावधानों या अनुप्रयोगों को प्रभावित नहीं करेगा जो अवैध या असंवैधानिक प्रावधान या अनुप्रयोग के बिना प्रभावी बनाए जा सकते हैं, और इस उद्देश्य के लिए इस पहल के प्रावधान पृथक्करणीय हैं।

खंड 7. अन्य कानूनों के साथ आशय

इस पहल का किसी भी संघीय या कैलिफोर्निया क़ानून या विनियमन की ज़रूरतों को पूर्ण करने, उसकी जगह न लेने, का आशय नहीं लगाया जाएगा जो इस पहल के तहत आने वाले किसी भी कच्ची कृषि वस्तु या प्रसंस्कृत खाद्य-पदार्थ की कठोर या कम पूर्ण लेबलिंग का प्रावधान देते हैं।

खंड 8. प्रभावी तिथि

यह पहल कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद II के खंड 10 की उपश्रेणी (a) के अनुसार पारित किए जाने पर प्रभावी हो जाएगी।

खंड 9. परस्पर टकराने वाले उपाय

उस हालत में जब उसी राज्यव्यापी मतदान में दिखाई दने वाला या वाले कोई अन्य उपाय अनुवांशिक तकनीक वाले खाद्य-पदार्थ के उत्पादन, बिक्री और / या लेबलिंग से संबंधित अतिरिक्त आवश्यकताओं लगाते हों, तो अन्य उपाय या उपायों के प्रावधानों, यदि मतदाताओं द्वारा अनुमोदित कर दिए जाते हैं, को इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ सामंजस्य बनाया जाएगा, बशर्ते कि अन्य उपाय या उपायों के प्रावधान इस अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुपालन को रोकते नहीं हैं या माफ नहीं करते हैं।

यदि अन्य उपाय या उपायों के प्रावधान अधिनियम के अनुपालन को रोकते हैं या माफ करते हैं, और इस अधिनियम को अधिक संख्या में स्वीकरति वोट मिलते हैं, तो इस अधिनियम के प्रावधान अपनी पूर्णता में प्रबल होंगे, और अन्य उपाय अशक्त और निरर्थक होगा या होंगे।

खंड 10. संशोधन

इस प्रयास को प्रत्येक सदन में दो-तिहाई वोटों द्वारा पारित कानून के द्वारा विधानमंडल द्वारा संशोधित किया जा सकता है, लेकिन इसके केवल इसके इरादे और उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए।

प्रस्ताव 38

यह प्रयास कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद II की धारा 8 के अनुसार लोगों को प्रस्तुत किया गया है।

यह प्रयास उपाय शिक्षा संहिता, दंड संहिता और राजस्व एवं कराधान संहिता में संशोधन करती है और धाराएं जोड़ती है; इसलिए निरसित किए जाने के लिए प्रस्तावित मौजूदा प्रावधानों को ~~स्ट्राइक आउट~~ प्रकार से मुद्रित किया है और जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधानों को *इटैलिक प्रकार* में मुद्रित किया गया ताकि संकेत मिल सके कि वे नए हैं।

प्रस्तावित कानून

हमारे बच्चे, हमारे भविष्य: स्थानीय स्कूल और प्रारंभिक शिक्षा निवेश एवं बाँड ऋण में कमी अधिनियम

खंड 1. शीर्षक।

इस उपाय को "हमारे बच्चे, हमारे भविष्य: स्थानीय स्कूल और प्रारंभिक शिक्षा निवेश एवं बाँड ऋण में कमी अधिनियम" के रूप में जाना जाएगा और उद्धृत किया जाएगा।

खंड 2. निष्कर्ष और उद्देश्य की घोषणा।

(a) कैलिफोर्निया हमारे बच्चों और हमारे राज्य के भविष्य के साथ धोखा कर रहा है। आज, प्रत्येक छात्र को शिक्षित करने के लिए निवेश में हमारा राज्य राष्ट्रीय स्तर पर 46वें स्थान पर है। देश में कक्षा के सबसे बड़े आकार के साथ, कैलिफोर्निया 50 राज्यों में सबसे अंतिम 50वें स्थान पर भी है।

(b) हाल ही में बजट में कटौतियों के कारण हमारे स्कूलों को और भी पीछे कर रहे हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान, कैलिफोर्निया के स्कूलों से $20 बिलियन से अधिक की कटौती की गई है; आवश्यक कार्यक्रम और सेवाएं जिनकी सभी बच्चों के सफल होने के लिए ज़रूरत है, हटा दी गई हैं या कम कर दी गई हैं, और 40,000 से अधिक शिक्षकों को हटा दिया गया है।

(c) हम हमारे प्रारंभिक बचपन के विकास कार्यक्रमों में भी पीछे रह रहे हैं, जो कि कई अध्ययनों ने पुष्टि की है कि एक सबसे अच्छा शैक्षिक निवेश हैं को हम कर सकते हैं। हमारे कम वित्तपोषित सार्वजनिक प्रीस्कूल कार्यक्रम योग्य तीन और चार साल के बच्चों में से केवल 40 प्रतिशत को ही सेवा देते हैं। कम आय वाले शिशुओं और छोटे बच्चों, जिन्हें सहायता की सबसे अधिक ज़रूरत है, में से केवल 5 प्रतिशत की ही प्रारंभिक बचपन के कार्यक्रमों तक पहुँच है।

(d) हम बेहतर कर सकते हैं हमें ज़रूर करना चाहिए। बच्चे हमारा भविष्य हैं। बच्चों को सफल होने के लिए तैयार करने के लिए हमारे स्कूलों और प्रारंभिक बचपन के कार्यक्रमों में निवेश करना सबसे अच्छा काम है जो हम हमारे बच्चों और हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे राज्य के भविष्य के लिए कर सकते हैं। उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के बिना, हमारे बच्चों वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होंगे। एक कुशल कार्यबल के बिना, हमारा राज्य नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होगा। हमारे बच्चों की शिक्षा में सुधार करना हम पर हमारे बच्चों और हम खुद का कर्ज है।

(e) यह एक असली फर्क लाने का समय है: कोई और आधा उपाय नहीं बल्कि स्कूलों में असली, परिवर्तनकारी निवेश जिस पर हमारे राज्य और हमारे परिवारों का भविष्य निर्भर करता है। यह अधिनियम स्कूलों को अच्छी तरह से संतुलित शिशा जो प्रत्येक छात्र के लिए कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित, और व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के उच्च गुणवत्ता वाले पाठ्यक्रमों सहित कॉलेज और कैरियर तत्परता में सहायता करे; छोटे आकार की क्लासें, स्कूल पुस्तकालए, स्कूल नर्सें, और काउंसलर देने के समर्थ बनाएगा।

(f) यह अधिनियम मांग करता है कि इस बारे में फैसले कि हमारे स्कूलों में सुधार करने के लिए धन का सबसे अच्छी तरह से इस्तेमाल करने के बारे में फैसले सकारामेंटों में नहीं बल्कि अभिभावकों, शिक्षकों, अन्य स्कूल स्टाफ, और समुदाय के सदस्यों के विचारों का सम्मान करते हुए स्थानीय तौर पर लिए जाने चाहिए। यह मांग करता है कि यह फैसला लेने के लिए कि क्या प्रत्येक विशेष स्कूल में सबसे अधिक किस चीज़ की जरूरत है, स्थानीय स्कूल बोर्ड अभिभावकों, शिक्षकों, अन्य स्कूल स्टाफ, और समुदाय के सदस्यों के साथ मिल कर काम करे।

(g) हमारे सभी स्कूलों में परिवर्तन करने के लिए, जिससे हमारे सभी बच्चों को लाभ हो, यह अधिनियम निश्चित करता है कि नए फंड प्रत्येक स्थानीय स्कूल तक पहुँचे—जिनमें चार्टर स्कूल, काउंटी स्कूल, और विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए स्कूल शामिल हैं—और इसे निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से आवंटित किया जाए। नए फंड प्रत्येक स्थानीय स्कूल को प्रति छात्र के आधार पर आवंटित किए जाएंगे, जिसमें धन को स्थानीय स्कूलों में खर्च किए जाने की ज़रूरत होगी, जिला मुख्यालयों में नहीं।

(h) यह उपाय स्थानीय स्कूल बोर्डों को इस बारे में जवाबदेह बनाता है कि वे नए करदाताओं के पैसे को कैसे खर्च करते हैं। अन्हें व्याख्या करने की ज़रूरत है कि खर्चों से शैक्षिक परिणामों कैसे सुधार होगा और उनकी इस बात को निर्धारित करने की क्या योजना है कि खर्च सफल थे। उन्हें वापस रिपोर्ट करने की ज़रूरत होगी कि क्या परिणाम प्राप्त किए गए थे ताकि माता-पिता, शिक्षक और समुदाय को पता होगा कि क्या उनके पैसे को समझदारी से इस्तेमाल किया जा रहा है।

(i) यह अधिनियम इस बात को सीमित करता है कि स्कूल इस कोष में से प्रशासनिक लागतों पर 1 प्रतिशत से अधिक नहीं खर्च कर सकते हैं और सुनिश्चित करता है कि स्कूल इस कोष को वेतन और लाभ में वृद्धि करने के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं।

38

(j) यह अधिनियम प्रारंभिक बचपन के शिक्षा कार्यक्रमों के लिए स्तर को ऊपर उठा कर और इनमें हाज़िर होने वाले बच्चों की संख्या को बढ़ा कर वंचित युवा बच्चों की स्कूल में और जीवन में सफल होने के लिए तैयारी करने में मदद करेगा।

(k) कैलिफोर्नीया के निवासियों के रूप में, हम सभी को हमारे स्कूलों और प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रमों में सुधार की लागत में हिस्सा डालना चाहिए क्योंकि हम सभी को उन लाभों से फायदा होगा जो बेहतर स्कूल और एक अच्छी तरह से शिक्षित कार्यबल हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे राज्य में जीवन की गुणवत्ता में लाएंगे।

(*l*) हमारे स्कूलों और प्रारंभिक बचपन के कार्यक्रम को वर्षों से कम धन लगाए जाने के कारण नुकसान उठाना पड़ा है। और कटौतियों की अनुमति देने की बजाय, हमें हर बच्चे को सफल होने का अवसर प्रदान करने के लिए कोष में वृद्धि करने की ज़रूरत है। अगर हम सब एक साथ शामिल होकर हमारे सभी बच्चों और कक्षाओं के लिए और अधिक संसाधन भेजें, और हम सभी यह सुनिश्चित करने में भाग ले कि इस बारे में अच्छे फैसले लिए जाते हैं कि इस कोष को प्रभावी ढंग से कैसे इस्तेमाल करना है, तो हम एक बार फिर कैलिफोर्निया स्कूलों को शानदार बना सकते हैं और हमारी अर्थव्यवस्था विकसित कर सकते हैं।

(m) यह उपाय बदलने वाले पैमाने पर आय कर में वृद्धि जो कि करदाताओं की भुगतान करने की क्षमता के साथ बदलता रहता है, जिसमें उच्चतम आय कमाने वाले सबसे अधिक योगदान देते हैं, के माध्यम से हमारे बच्चों में निवेश करने के लिए ज़रूरी पैसा इक्ट्ठा करता है।

(n) इस पहल के पहले चार वर्षों के दौरान, जैसा कि नीचे वर्णित है, धन का 60 प्रतिशत K–12 स्कूलों में जाएगा, 10 प्रतिशत प्रारंभिक शिक्षा में जाएगा और 30 प्रतिशत राज्य के कर्ज को कम करने और दूसरी बजट में हानिकारक कटौती को रोकने में जाएगा जो नए शैक्षिक निवेश को कमजोर बना सकती हैं। पहल के शेष आठ सालों के लिए, 2017 से, धन का 100 प्रतिशत K–12 और प्रारंभिक शिक्षा के धन में वृद्धि करने के लिए लगाया जाएगा। राजस्व में व्यापक उतार-चढ़ाव से बचने के लिए और आवश्यक स्कूल और प्रारंभिक शिक्षा की सुविधाओं में निरंतर निवेश सुनिश्चित करने के लिए, कैलिफोर्निया प्रति व्यक्ति व्यक्तिगत आय में वृद्धि दर से अधिक किसी भी राजस्व को सेवा में मदद करने और मौजूदा राज्य शिक्षा बांड ऋण का भुगतान करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे, जैसा ज़रूरी हो, स्कूल और प्रारंभिक शिक्षा की सुविधा के निर्माण और आधुनिकीकरण के लिए कैलिफोर्निया की नए बांड जारी करने की क्षमता को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

(o) इस पहल से इक्ट्ठा किया गया सारे नए पैसे को एक अलग न्यास निधि में डाल दिया जाएगा जिसे इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, *केवल* स्थानीय स्कूलों के लिए, प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिए, और सेवा में मदद करने और स्कूल बांड ऋण को खत्म करने के लिए खर्च किया जा सकता है। विधायक मंडल और राज्यपाल और किसी भी अन्य चीज़ के लिए इस पैसे का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी, न ही वे प्रति छात्र आवंटन प्रणाली को बदल सकेंगे जो सुनिश्चित करती है कि पैसा निष्पक्ष ढंग से प्रत्येक स्थानीय स्कूल तक पहुँचे।

(p) इस पहल में कठिन, प्रभावी जवाबदेही के प्रावधान शामिल हैं जो निरीक्षण, अंकेक्षण और सार्वजनिक प्रकटीकरण की मांग करते हैं। पहली बार, हमारे पास पारदर्शी स्कूल के स्थान के लिए बजट होगा और पता होगा कि हर स्कूल में हमारे पैसे को कैसे खर्च किया जा रहा है। कोई को व्यक्ति जो जानबूझकर इस अधिनियम के आवंटन या वितरण प्रावधानों का उल्लंघन करता है, एक बड़े अपराध का दोषी होगा।

(q) यह पहल 12 साल के बाद कर को खत्म करके जवाबदेही की एक अतिरिक्त परत में बनाता, जब तक कि इसे मतदाताओं द्वारा फिर से मंज़ूरी नहीं दे दी जाती है। इससे हमारे स्कूलों को यह दिखाने के लिए पर्याप्त समय मिलता है कि नए कोष में वास्तव में शैक्षिक परिणामों में सुधार किया है, और साथ ही अगर मतदाता तय करते हैं वे इसे नहीं रखना चाहते हैं तो कर को बंद करके करदाताओं की रक्षा करता है।

(r) यह पहल ऐसे समय पर प्रभाव में आएगी जब कैलिफोर्निया अपने इतिहास की सबसे खराब आर्थिक गिरावट के साथ संघर्ष कर रहा है। यदि पहल को तुरंत पूरी तरह से लागू कर दिया जाता और हमारे राज्य के बजट घाटे को बंद करने में मदद के लिए कुछ न किया जाता, तो बजट में चरम कटौतियों को जारी रखने से हमारे स्कूल और बच्चे उस समर्थन से वंचित हो जाएंगे जिसनी उन्हें इस अधिनियम के द्वारा प्रदत्त शिक्षा निवेश का पूरा फायदा उठाने के लिए ज़रूरत है। इसलिए, इस पहल के दो चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चार वित्तीय वर्षों के लिए, 2016–17 के अंत तक, कोष का 30 प्रतिशत—लगभग $3 बिलियन—राज्य स्कूल बाँड और

अन्य बांड ऋण की सर्विस करने और इस समाप्त करने में जाएगा, जिससे बच्चों और परिवारों और उन समुदायों जिनमें वे रहते हैं, के समग्र कल्याण के लिए ज़रूरी अन्य बजट ज़रूरों को पूरा करने के लिए इसके बराबर की राशि खाली हो जाएगी। 2017–18 वित्तीय वर्ष में शुरू करते हुए, इस पहल को पूरी तरह से लागू किया जाएगा, और कोष का 100 प्रतिशत नया पैसा होगा, जो प्रस्ताव 98 या K–12 शिक्षा या प्रारंभिक बचपन के कार्यक्रमों के लिए किसी अन्य मौजूदा वित्त पोषण की जगह पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इस चरणबद्ध दृष्टिकोण का परिणाम यह होगा कि, तुरंत शुरू करते हुए, 70 प्रतिशत धन को स्कूलों और प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए धन में वृद्धि करने के लिए उपयोग किया जाएगा जैसा कि इस अधिनियम के द्वारा जरूरी है, और चार साल बाद, पूरा धन—100 प्रतिशत—हमारे बच्चों और हमारे भविष्य के लिए हमारे दायित्व को पूरा करने के उद्देश्य के लिए खर्च किया जाएगा।

खंड 3. उद्देश्य व अभिप्राय।

कैलिफोर्निया के राज्य के लोग यह घोषित करते हैं कि इस अधिनियम का निम्नलिखित का इरादा है:

(a) अकादमिक प्रदर्शन, पास होने की दरों, और व्यावसायिक, कॉलेज, कैरियर, और जीवन तत्परता में सुधार के लिए प्रति छात्र धन में वृद्धि द्वारा, चार्टर स्कूलों सहित, कैलिफोर्निया के पब्लिक स्कूलों को मजबूत बनाना और समर्थन देना।

(b) वित्त पोषण के बहाल करने, गुणवत्ता में सुधार लाने, और वंचित और जोखिम वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा कार्यक्रमों तक पहुँच का विस्तार करने के द्वारा कैलिफोर्निया के बच्चों की शिक्षा को मजबूत बनाना और समर्थन देना।

(c) इस बारे में अधिक जवाबदेही, पारदर्शिता, और समुदाय की भागीदारी को बढ़ाना कि सार्वजनिक शिक्षा धन को कैसे खर्च किया जाता है।

(d) यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अधिनियम के द्वारा उत्पन्न राजस्व स्कूलों में K–12 शैक्षिक गतिविधियों के लिए; वंचित बच्चों के लिए प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा में विस्तार करने और इसे मज़बूत बनाने के लिए; और, सीमित हद तक और विशेष रूप से इस अधिनियम के द्वारा अनुमति दी गई सीमित परिस्थितियों में, राज्य के समग्र वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए और वर्तमान राज्य शिक्षा बांड ऋण के बोझ को कम करके शैक्षिक सुविधाओं में पर्याप्त भविष्य के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

(e) यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अधिनियम के द्वारा उत्पन्न राजस्व K–12 शिक्षा या प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा के लिए मौजूदा राज्य वित्त पोषण को हटाना के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

(f) यह सुनिश्चित करने के लिए कि विधायकमंडल इस अधिनियम के द्वारा उत्पन्न राजस्व से उधार नहीं ले सकता है या इसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं मोड़ सकता है, और न ही स्थानीय स्कूल समुदायों को निर्देश दे सकता है कि इस धन को कैसे खर्च किया जाएगा।

खंड 4. अध्याय 9.7 (धारा 14800 से आरंभ) को शिक्षा संहिता के शीर्षक 1 की श्रेणी 1 में जोड़ा गया है, जो इस प्रकार है:

भाग 9.7. हमारे बच्चे, हमारे भविष्य: स्थानीय स्कूल, प्रारंभिक शिक्षा निवेश एवं बाँड ऋण में कमी अधिनियम

14800. इस भाग को "हमारे बच्चे, हमारे भविष्य: स्थानीय स्कूल, प्रारंभिक शिक्षा निवेश एवं बाँड ऋण में कमी अधिनियम" के रूप में जाना जाएगा और उद्धृत किया जाएगा।

14800.5. इस भाग, और शीर्षक 1 की श्रेणी 1 के भाग 6 के अध्याय 1.8 (धारा 8160 से शुरू करते हुए) के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होती हैं:

(a) "स्थानीय शिक्षा एजेंसी" या "LEA" में स्कूली जिले, शिक्षा के काउंटी कार्यालय, स्वतंत्र सार्वजनिक चार्टर स्कूलों के संचालन बोर्ड, और बहरों के लिए कैलिफोर्निया स्कूल और अनेत्रहीनों के लिए कैलिफोर्निया स्कूल सहित राज्य द्वारा प्रदान की जाती प्रत्यक्ष अनुदेशात्मक सेवाओं के संचालक निकाय शामिल हैं।

(b) "K–12-स्कूल" या "स्कूल" का अर्थ है कोई भी पब्लिक स्कूल, जिसमें सीमा के बिना कोई भी चार्टर स्कूल, काउंटी स्कूल, या विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए स्कूल शामिल है, जो किंडगार्टन से लेकर 12 तक किसी भी ग्रेड में विद्यार्थियों को वार्षिक रूप से दाखिल करते हैं, और प्रत्यक्ष पढ़ाई सेवाएं प्रदान करते हैं जो कि किसी भी LEA के संचालन अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है। इस हिस्से में शब्द "किंडरगार्टन" में परिवर्तनशील किंडरगार्टन शामिल हैं।

(c) "प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा" या "ECE" का अर्थ है प्रीस्कूल और अन्य कार्यक्रम जो जन्म से लेकर किंडरगार्टन की योग्यता तक बच्चों की देखभाल करने और उनकी शिक्षा को आगे लेजाने के लिए तैयार किए गए हैं, जिनें बच्चों को प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा प्रदान करने वाले कार्यक्रम और माता पिता और देखभाल करने वालों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा क्षमता में सुधार लाने, ताकि वे बच्चों की बेहतर ढंग से सेवा कर सकें, वाले कार्यक्रम शामिल हैं।

(d) 2013–14 स्कूल वर्ष के लिए, किसी स्कूल के "दाखले" का अर्थ है 2012–13 स्कूल वर्ष के लिए रिपोर्ट की गई अक्टूबर दाखिला आंकड़ों में, पिछले तीन स्कूल वर्षों में इसके अक्टूबर दाखिला आंकड़े में औसत प्रतिशत वृद्धि या कमी के द्वारा कमी या वृद्धि। बाद के सभी वर्षों के लिए, किसी स्कूल के "दाखले" का अर्थ है पिछले स्कूल वर्ष के लिए औसत मासिक सक्रिय दाखले जिसनी धारा 46305 के अनुसार गणना की गई है यदि धारा 46305 का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, या पिछले स्कूल वर्ष के लिए अक्टूबर दाखले में पिछले तीन स्कूल वर्षों के दौरान इन दाखिल आंकड़ों में हुई औसत प्रतिशत वृद्धि या कमी के द्वारा कमी या वृद्धि। प्रत्येक LEA का दाखिल उस LEA के क्षेत्राधिकार के तहत सभी स्कूलों में दाखिले का योग होगा। राज्यव्यापी दाखिला सभी LEA के दाखिलों का योग होगा।

(e) "शैक्षिक कार्यक्रम" का अर्थ है किसी K–12 स्कूल के स्थान पर निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए व्यय, जिसे स्कूल पर अधिकार के साथ किसी LEA के संचालक बोर्ड ने, विद्यार्थियों के अकादमिक प्रदर्शन, स्नातक दरों, और व्यावसायिक, कैरियर, कॉलेज, और जीवन तत्परता के सुधार लाने के लिए किसी सार्वजनिक सुनवाई में मंजूरी दी हो:

(1) कला, शारीरिक शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित, इतिहास, नागरिक शास्त्र, वित्तीय साक्षरता, अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं, और तकनीकी, व्यावसायिक, या कैरियर शिक्षा में पढ़ाई।

(2) छोटे आकार की क्लासें।

(3) स्कूल की जगह पर अधिक काउंसलर, पुस्तकालय, स्कूल नर्सें, और अन्य सहयोगी स्टाफ।

(4) स्कूल के लंबे दिनों या स्कूल के लंबे सालों, गर्मियों में स्कूल, प्रीस्कूल, स्कूल के बाद संवर्धन कार्यक्रमों, और ट्यूटरिंग के माध्यम से पढ़ाई का विस्तारित समय।

(5) अंग्रेजी भाषा सीखने वालों, कम आय वाले विद्यार्थियों, और विशेष जरूरतों वाले विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त सामाजिक और अकादमिक सहायता।

(6) वैकल्पिक शिक्षा मॉडल जो महत्वपूर्ण सोच और रचनात्मकता के लिए विद्यार्थियों की क्षमता का निर्माण करते हैं।

(7) सफल होने में सभी बच्चों की मदद करने में स्कूलों के साथ सच्ची भागीदार के रूप में माता-पिता के साथ संचार और जुड़ाव।

(f) "CETF फंड" का मतलब है वे राजस्व जो राजस्व और कराधान संहिता की धारा 17041.1 के अनुसार कैलिफोर्निया एजुकेशन ट्रस्ट फंड में जमा है, उनके प्रारंभिक आवंटन के फैसला होने तक उस फंड पर अर्जित सारे ब्याज और उनके

प्रारंभिक आवंटन के फैसला होने तक फिर से हासिल किए गए धन पर कमाया गया सारा ब्याज।

(g) "सुपरिनटेनडेंट" का अर्थ है पब्लिक इंस्ट्रक्शन का सुपरिनटेनडेंट।

14801. (a) एतद्द्वारा कैलिफोर्निया एजुकेशन ट्रस्ट फंड (CETF) को राज्य के खजाना में बनाया जाता है। CETF के धन विश्वास में प्रतिधारित किए जाते हैं, और सरकारी संहिता की धारा 13340 के बावजूद वित्तीय साल के संबंध में अनुभाग में उल्लिखित विशेष प्रयोजनों के लिए विनियोजित किए जाते हैं।

(b) कैलिफोर्निया एजुकेशन ट्रस्ट फंड से या इस में स्थानांतरित और आवंटित CETF फ़ंड में कैलिफोर्निया के संविधान के अनुच्छेद XIII B के प्रयोजनों के लिए सीमा के अधीन स्वायत्तीकरण शामिल नहीं होगा। CETF फ़ंड ट्रस्ट के पास केवल इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए रखे जाते हैं और उन्हें जनरल कोष राजस्व या करों की आय नहीं समझा जाएगा, और इस प्रकार अनुच्छेद XVI की धारा 8 के द्वारा आवश्यक गणना में शामिल नहीं किया जाएगा, और न ही अनुच्छेद IV की धारा 12 या अनुच्छेद XVI की धारा 20 के प्रावधानों के अधीन नहीं होंगे।

(c) CETF फ़ंड को विशेष रूप से इस अधिनियम में उल्लिखित किए अनुसार आवंटित और इस्तेमाल किया जाएगा प्रशासनिक लागत का भुगतान करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा सिवाय उसके जो विशेष रूप से अधिनियम के द्वारा अधिकृत किया गया है। कानून के किसी अन्य प्रावधान के होते हुए भी, CETF फ़ंड किसी भी प्रयोजन के लिए या किसी भी समय पर जनरल फंड या किसी भी अन्य फंड, व्यक्ति, या इकाई को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा या उधार नहीं दिया जाएगा सिवाय उसके जिसकी धारा 14813 में स्पष्ट अनुमति दी गई है।

(d) CETF से LEAs और सुपरिनटेनडेंट को आवंटित CETF फंड 1 नवंबर, 2012 को सार्वजनिक K–12 स्कूलों और प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध राज्य, स्थानीय और संघीय फंड में जोड़ जाएगा, और इसे प्रति व्यक्ति राज्य, स्थानीय, या संघीय वित्त पोषण का स्तर को हटाने जो कि उस तारीख को इन उद्देश्यों के लिए स्थापित थे, जीवन यापन की लागत में परिवर्तन के लिए सही किए गए थे और, संघीय कोष के संदर्भ में, संघीय फ़ंड की उपलब्धता में किसी भी समग्र गिरावट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। K–12 शिक्षा प्रणाली और प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा कार्यक्रमों के समर्थन के लिए CETF के अलावा अन्य निधियों से विनियोजित राशियां, भले ही संवैधानिक रूप से अनिवार्य हों या अन्यथा, इस अधिनियम के अनुसार आवंटित धन के परिणाम के रूप में कम नहीं की जाएंगी।

14802. (a) वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड एतद्द्वारा और सभी CETF फंडों का वितरण और प्रयोग में निरीक्षण और जवाबदेही उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है। बोर्ड के सदस्य कंट्रोलर, राज्य लेखा परीक्षक, कोषाध्यक्ष, अटार्नी जनरल, और वित्त निदेशक हैं। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि CETF फ़ंड को बिल्कुल उसी तरह से वितरित किया जाता है जैसे इस भाग द्वारा प्रदान किया गया है और केवल इस भाग में निश्चित किए गए प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है।

38

(b) कानून के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, कैलिफोर्निया एजुकेशन ट्रस्ट फंड के प्रशासन में वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड, कंट्रोलर, और सुपरिनटेनडेंट द्वारा खर्च की गई वास्तविक लागतों का भुगतान CETF फंड के द्वारा किया जाएगा; बशर्ते, तथापि, इस तरह की लागत किसी भी तीन साल की अवधि के दौरान फंड में एकत्र पूरे राजस्व के 1 प्रतिशत के तीन-दसवें भाग, वार्षिक रूप से 1 प्रतिशत के दस में से एक भाग की औसत से अधिक नहीं हो सकता। वित्तीय वर्ष 2016–17 के अंत तक, इस अनुभाग द्वारा अधिकृत लागत का 30 प्रतिशत धारा 14802.1 के अनुसार प्रदान किए गए अस्थायी समर्थन कोष से काट लिया जाएगा, इस अनुभाग द्वारा अधिकृत लागत का 60 प्रतिशत धारा 14803 के अनुसार K–12 के लिए अलग से रखे गए फंडों में से काट लिया जाएगा, और इस अनुभाग द्वारा अधिकृत लागत का 10 प्रतिशत धारा 14803 के अनुसार ECE के लिए अलग रखी गई राशि से काट लिया जाएगा। उसके बाद, इस अनुभाग द्वारा अधिकृत लागत के 85 प्रतिशत K–12 के लिए अलग से रखे गए धन से काट लिया जाएगा, और 15 प्रतिशत धन धारा 14803 के अनुसार ECE के लिए अलग रखे गए फ़ंड से काट लिया जाएगा।

(c) वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड आपातकालीन विनियमों सहित ऐसे नियमों को अपना सकता है, जो इस अधिनियम के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक हों।

14802.1. (a) 2016–17 वित्तीय वर्ष के अंत तक, कंट्रोलर CETF फ़ंड का 30 प्रतिशत इस खंड में प्रदान किए अनुसार और शेष धाराएं 14803, 14804, 14805, 14806, और 14807 के अनुसार आवंटित करेगा। उसके बाद, सभी CETF फ़ंड को धाराएं 14803, 14804, 14805, 14806, और 14807 अनुसार आवंटित किआ जाएगा।

(b) 2016–17 वित्तीय वर्ष के अंत तक, धारा 14803 में इस्तेमाल किए गए अनुसार शब्द "CETF फंड" का अर्थ होगा CETF धन का 70 प्रतिशत जो धाराएं 14803, 14804, 14805, 14806 और 14808 के अनुसार में आवंटित किया जाता है और शब्द "अस्थायी समर्थन धन" का अर्थ होगा CETF धन का 30 प्रतिशत जो इस खंड के अनुसार आवंटित किया जाता है।

(c) 2016–17 वित्तीय वर्ष के अंत तक, एक त्रैमासिक आधार पर, कंट्रोलर वारंट तैयार करेगा और अस्थायी समर्थन फंड को धारा 14813 द्वारा, उस धारा के अनुसार आवंडित किए जाने के लिए, स्थापित शिक्षा ऋण सेवा फंड को वितरित करेगा।

14803. (a) इस अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि के बाद पहले दो पूर्ण वित्तीय वर्षों के दौरान, कंट्रोलर CETF फंड के 85 प्रतिशत को K–12 स्कूलों के लिए स्थानीय शिक्षा एजेंसियों को आवंटित करने के लिए, और CETF फंड के 15 प्रतिशत को इस अधिनियम में दी गई राशियों में और ढंग से, प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा कार्यक्रमों के प्रावधान हेतु सुपरिनटेनडेंट को आवंटित करने के लिए अलग रख देगा। ये फंड, धारा 14802 की उपश्रेणी (b) के अनुसार वास्तविक लागत को घटा कर, धारा 14804 के तरह "उपलब्ध राजस्व" माना जाएगा।

(b) स्थिरता प्रदान करने और फंड प्रदान करने में व्यापक उतार-चढ़ाव से बचने के लिए, इस अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि के बाद पहले दो पूर्ण वित्त वर्षों के बाद CETF धन प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित अनुसार वितरित किया जाएगा:

(1) (A) 2015–16 वित्तीय वर्ष के साथ शुरू करते हुए और 2017–18 वित्तीय वर्ष के अलावा प्रत्येक एक वित्तीय वर्ष को छोड़ कर, वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड औसत दर तय करेगा जिस पर पिछले पांच साल के दौरान कैलिफोर्निया व्यक्तिगत प्रति व्यक्ति व्यक्तिगत आय बढ़ी है और वृद्धि की उस प्रतिशत दर को उन CETF फंडों पर लागू करेगा जो अभी-अभी समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में कैलिफोर्निया एजुकेशन ट्रस्ट फंड से LEAs और सुपरिनटेनडेंट को आवंटित किए गए थे।

(B) केवल 2017–18 वित्तीय वर्ष के लिए, धारा 14802.1 की उपश्रेणी (a) के दावारा प्रदान किए गए अस्थायी समर्थन कोष से K–12 स्कूलों और ECE कार्यक्रमों की पूर्ण वित्तपोषण में परिवर्तन करने के लिए, वित्त वर्ष की शुरुआत में वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड औसत दर निर्धारित करेगा जिस पर पिछले पांच साल के दौरान कैलिफोर्निया व्यक्तिगत प्रति व्यक्ति व्यक्तिगत आय बढ़ी है और वृद्धि की उस प्रतिशत दर को उन CETF फंडों की राशि को 1.429 से गुणा करके लागू करेगा जो अभी-अभी समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में कैलिफोर्निया एजुकेशन ट्रस्ट फंड से LEAs और सुपरिनटेनडेंट को आवंटित किए गए थे।

(2) पैरा (1) के अनुसार निर्धारित राशि, से धारा 14802 की उपश्रेणी (b) के अनुसार वास्तविक लागत को घटा कर, धारा 14804 के तरह "उपलब्ध राजस्व"

माना जाएगा और उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में तिमाही आधार पर LEAs और सुपरिनटेनडेंट को आवंटित किए जाने के लिए उपलब्ध होगा।

(c) जो CETF फ़ंड उपलब्ध राजस्व से अधिक हो जाता है उसे धारा 14813 के अनुसार वित्तीय वर्ष के अंत में आवंटित किया जाएगा।

(d) LEAs को आवंटित किया गया सारा CETF फंड LEAs द्वारा मिलने के एक साल के भीतर खर्च किया जाएगा, बशर्ते, तथापि, कि LEAs इन धन का अधिकतम 10 प्रतिशत अगले स्कूल वर्ष में खर्च करने के लिए ले जा सकती हैं। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड किसी भी मूल एक साल की अवधि के भीतर खर्च नहीं किया गया और आगे लेजाया गया लेकिन खर्च नहीं किया गया कोई भी धन वापिस ले लेगा। वापिस प्राप्त किया गया सारे धन को उपलब्ध राजस्व समझा जाएगा, अन्य उपलब्ध राजस्व के साथ मिला दिया जाएगा, और धारा 14804 के अनुसार में पुनः आवंटित किया जाएगा।

14804. (a) एक त्रैमासिक आधार पर, कंट्रोलर वारंट निकालेगा और उपलब्ध राजस्व के 15 प्रतिशत को भाग 6 के अध्याय 1.8 (धारा 8160 से शुरू करते हुए) मे दिए गए तरीके से और राशियों में प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा के कार्यक्रमों और समर्थ के प्रावधानों के लिए सुपरिनटेनडेंट को आवंटित करेगा।

(b) एक त्रैमासिक आधार पर, कंट्रोलर वारंट निकालेगा और उपलब्ध राजस्व के 85 प्रतिशत को LEAs को आवंटित करेगा, जो धारा 14805 से 14807 सम्मिलित के अनुसार कंट्रोलर द्वारा गणना की गई राशियों में, प्रत्येक LEA के अधिकार क्षेत् के अंदर प्रत्येक K–12 पर खर्च किए जाने के लिए निर्धारित है।

(c) यह धारा, और धारापें 14802.1, 14803, 14805, 14806, और 14807, स्व-क्रियान्वित हैं और इनके लिए किसी विधायी कार्रवाई के प्रभावी होने की आवश्यकता नहीं है। CETF फ़ंड और अस्थायी समर्थन फंड के वितरण में कोई देरी नहीं होगी या यह अन्यथा कैलिफोर्निया के संविधान के अनुच्छेद IV की धारा 12 के अनुसार वार्षिक बजट विधेयक अधिनियमित करने में विधानमंडल और गवर्नर की असफलता से, और न ही गवर्नर या विधानमंडल की किसी भी कार्रवाई या निष्क्रियता से प्रभावित नहीं होगा।

14805. धारा 14804 की उपश्रेणी (b) के तहत LEAs को त्रैमासिक वितरण के लिए आवंटित उपलब्ध राजस्व में से कंट्रोलर 70 प्रतिशत को प्रति छात्र शैक्षिक कार्यक्रम अनुदान के रूप में वितरित करेगा। प्रत्येक LEA को वितरित किए जाने वाले शैक्षिक कार्यक्रम अनुदानों की संख्या और आकार और LEA के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रत्येक K–12 के लिए निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रम अनुदान की संख्या और आकार, निम्नलिखित अनुसार होंगे:

(a) कंट्रोरल निम्नलिखित तीन ग्रेड स्तर के समूहों में से प्रत्येक के लिए एकसमान, राज्यव्यापी प्रति छात्र अनुदान स्थापित करेगा: किंडरकार्टन से लेकर ग्रेड 3, सम्मिलित ("K–3 अनुदान"), ग्रेड 4 से ग्रेड 8, सम्मिलित ("4–8 अनुदान"), और ग्रेड 9 से ग्रेड 12, सम्मिलित ("9–12 अनुदान")।

(b) ये एकसमान अनुदान तीन ग्रेड स्तर के समूहों में से प्रत्येक में कुल राज्यव्यापी दाखिलों पर आधारित होंगे। प्रति छात्र 4–8 अनुदान की राशि प्रति छात्र K–3 अनुदान की राशि का 120 प्रतिशत होगी, और प्रति छात्र 9–12 अनुदान की राशि प्रति छात्र K–3 अनुदान की राशि का 140 प्रतिशत होगी।

(c) प्रत्येक LEA को उसी संख्या में K-3 अनुदान जो इसने किंडरगार्टन से लेकर ग्रेड 3 तक, सम्मिलित, दाखिल किए हैं, उसी संख्या में 4–8 अनुदान जो इसने ग्रेड 4 से ग्रेड 8, सम्मिलित, में दाखिल किए हैं, और उसी संख्या में 9–12 अनुदान जो इसने ग्रेड 9 से ग्रेड 12, सम्मिलित, में दाखिल किए हैं, प्राप्त होंगे।

(d) इन प्रति-छात्र अनुदानों में से प्रत्येक विशेष स्कूल K–12 के लिए निर्धारित होगा जिसका दाखिला उस अनुदान के लिए LEA की योग्यता को बढ़ाता है।

(e) उपश्रेणियों (a) और (b) में प्रदान किए गए ग्रेड स्तर समायोजन एकमात्र परिवर्तन होंगे जिनकी सभी K–12 स्कूलों को उनके दाखिलों के अनुसार शैक्षिक कार्यक्रम के लिए फंड के समान प्रति-छात्र वितरण में अनुमति है।

14806. धारा 14804 की उपश्रेणी (b) के तहत LEAs को त्रैमासिक वितरण के लिए आवंटित उपलब्ध राजस्व में से कंट्रोलर 18 प्रतिशत को निम्न आय प्रति छात्र अनुदान के रूप में वितरित करेगा। प्रत्येक LEA को वितरित किए जाने वाले निम्न आय प्रति छात्र अनुदान की संख्या और आकार और योग्य LEA के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रत्येक K–12 के लिए निर्धारित निम्न आय प्रति छात्र अनुदान की संख्या और आकार, निम्नलिखित अनुसार होंगे:

(a) उन सभी K–12 स्कूलों में कुल राज्यव्यापी दाखिले के आधार पर जिन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग द्वारा स्थापित आय पात्रता दिशा निर्देशों के तहत 1966 के संघीय रिचर्ड बी. रसेल राष्ट्रीय स्कूल दोपहर के भोजन के अधिनियम ("नि:शुल्क भोजन के लिए पात्र विद्यार्थी") लो लागू करने के लिए मुफ्त भोजन के लिए योग्य के रूप में पहचाना गया है, कंट्रोलर इन कम आय वाले छात्रों ("कम आय प्रति छात्र अनुदान") के लिए अतिरिक्त शैक्षिक सहायता प्रदान करने हेतु, एक-समान, राज्यव्यापी प्रति छात्र अनुदान स्थापित करेगा।

(b) प्रत्येक LEA को उसी संख्या में कम आय प्रति छात्र अनुदान प्राप्त होगा जितने इसके पास मुफ्त भोजन के पात्र छात्र हैं।

(c) इन कम आय प्रति छात्र अनुदानों में से प्रत्येक विशेष स्कूल K–12 के लिए निर्धारित होगा जिसका मुफ्त भोजन के पात्र छात्र का दाखिला उस अनुदान के लिए LEA की योग्यता को बढ़ाता है।

14807. धारा 14804 की उपश्रेणी (b) के तहत LEAs को त्रैमासिक वितरण के लिए आवंटित उपलब्ध राजस्व में से कंट्रोलर 12 प्रतिशत को प्रति छात्र के आधार पर प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी और शिक्षण सामग्री अनुदान के लिए वितरित करेगा। प्रत्येक LEA को वितरित किए जाने वाले इन अनुदानों की संख्या और आकार और LEA के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रत्येक K–12 के लिए निर्धारित अनुदान की संख्या और आकार, निम्नलिखित अनुसार होंगे:

(a) सभी K–12 स्कूलों के लिए कुल राज्यव्यापी नामांकन के आधार पर, नियंत्रक K–12 स्कूलों के स्टाफ के लिए बढ़े हुए शिक्षण कौशल और नवीनतम प्रौद्योगिकी और शिक्षण सामग्री में सहायता करने के लिए (प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी, और शिक्षण सामग्री अनुदान "या" 3T "अनुदान") एकसमान, राज्यव्यापी प्रति छात्र अनुदान स्थापित करेगा।

(b) प्रत्येक LEA को उसी संख्या में 3T अनुदान प्राप्त होंगे, जितने LEA के दाखिले के आधार पर, इसके पास छात्र हैं।

(c) इन प्रति-छात्र 3T अनुदानों में से प्रत्येक विशेष स्कूल K–12 के लिए निर्धारित होगा जिसका दाखिला उस अनुदान के लिए LEA की योग्यता को बढ़ाता है।

14808. (a) उपश्रेणी (c) के पैराग्राफ (2) में प्रदत्त सीमित अपवादों के साथ, LEAs को धाराएं 14805, 14806, और 14807 के अनुसार प्राप्त हुए फंड उन विशेष K–12 स्कूलों पर खर्च किए जाएंगे या दिए जाएंगे जिनके लिए वे धारा 14805 की उपश्रेणी (d), धारा 14806 की उपश्रेणी (c) और धारा 14807 की उपश्रेणी (c) के अनुसार क्रमवार निर्धारित किपे गए थे, और केवल इस धारा के द्वारा अधिकृत उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे।

(b) शैक्षिक कार्यक्रम और कम आय वाले छात्रों के लिए अनुदान को शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए या, किसी भी स्कूल के 3T अनुदानों के एक 200 प्रतिशत तक, किसी 3T अनुदान के लिए अनुमति किसी भी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 3T अनुदान केवल नवीनतम शिक्षण सामग्री और प्रौद्योगिकी के लिए और स्कूल स्टाफ के कौशलों को इस ढंग से मजबूत बनाने के लिए खर्च किया जाएगा कि जिससे छात्रों के अकादमिक प्रदर्शन, स्नातक दरों, और व्यावसायिक, कैरियर, कॉलेज, और जीवन तत्परता में सुधार हो।

(c) *(1)* उसके अलावा जैसा कि विशेष रूप से पैराग्राफ *(2)* में प्रावदान दिया गया है, धाराएं *14805* से *14807*, सम्मिलित, के अनुसार प्रापत हुए पूरे फंड को *K–12* स्कूलों में सेवाओं या सामग्री के प्रत्यक्ष प्रावधान के लिए ही खर्च किया जाएगा और किन्हीं भी ऐसी सेवाओं या सामग्री पर खर्च नहीं किया जाएगा को बौतिक रूप से स्कूल या इसके छात्रों को नहीं दी जाती हैं; न हीं किसी भी ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारियों पर खर्च किया जाएगा जो अपने वेतन प्राप्त करने वाले समय का कम से कम *90* प्रतिशत स्कूल में या स्कूल के छात्रों के साथ नहीं बिताते हैं; न ही किसी भी कर्मचारी पर सिवाय उस समय को कवर करने के लिए जब कर्मचारी बौतिक रूप में स्कूल में या स्कूल के छात्रों के साथ मौजूद रहते हैं; न ही *LEA* द्वारा खर्च किए गए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रशासनिक लागतों के लिए खर्च किया जाएगा।

(2) (A) प्रत्येक *LEA* के संचालक बोर्ड, इसे प्राप्त होने वाले प्रत्येक प्रति-छात्र अनुदान से समान प्रतिशत के आधार पर, इस भाग की सार्वजनिक बैठक, लेखा परीक्षा, बजट और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का पालन करने में अपनी वास्तविक लागतों को कवर करने के लिए पर्याप्त राशि रोक सकता है। ऐसे प्रयोजनों के लिए रोके गए फंड किसी भी दो साल की अवधि में प्राप्त कुल अनुदान के *2* प्रतिशत, प्रति वर्ष *1* प्रतिशत की एक औसत से अधिक नहीं होंगे।

(B) स्कूल के स्टाफ के सदस्यों के लिए विशेष रूप से स्कूल में या स्कूल के छात्रों को सेवाएं प्रदान करने में उनके कौशलों में सुधार करने के लिए स्कूल से बाहर प्रदान किए गए कौशल सुधार कार्यक्रमों की लागतों को इन प्रति छात्र अनुदान द्वारा कवर किया जा सकता है, जब ऐसी सेवाओं का स्कूल से बाहर प्रावधान स्कूल के अंदर की व्यवस्था से लागत कुशल हों।

(d) किसी भी *CETF* फंड को किसी भी कर्मचारियों या कर्मचारियों की श्रेणी के लिए वेतन और लाभों को उस वेतन और लाभों से बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जो कि *1* नवंबर, *2012* को उन कर्मचारियों या कर्मचारियों की श्रेणी के लिए स्थापित था; बशर्ते, तथापि, कि इस अधिनियम के द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से वित्त पोषित पद *CETF* फंड से संचालक बोर्ड द्वारा अपनाई गई बढ़ोतरियों और स्कूल में अन्य समान कर्मचारियों द्वारा प्राप्त की जाती बढ़ोतरियों के बराबर, उनकी आंशिक या पूर्ण समय स्थिति के लिए आनुपातिक आधार पर वेतन और लाभ में बढोतरी प्राप्त कर सकते हैं।

14809. *LEAs* को *CETF* फंड के प्रत्येक तिमाही आबंटन के बाद *30* दिन के अंदर, वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड फंड प्राप्त करने वाली प्रत्येक *LEA* और धाराओं *14805*, *14806*, और *14807* में से प्रत्येक के अंतर्गत उस *LEA* के अंदर प्रत्येक स्कूल के लिए निर्धारित फंड की राशि की सूची तैयार करेगा। बोर्ड इस सूची को ऑनलाइन किसी उपयुक्त स्थान पर प्रकाशित करेगा, और सुपरिनडेनटेनडेंट, सुपरिनडेनटेनडेंट की इंटरनेट वेब साइट के मुख्य पृष्ठ पर एक प्रमुख स्थान पर ऑनलाइन लिस्टिंग के लिए एक कड़ी प्रकाशित करेगा।

14810. *LEA* के संचालक बोर्ड, जिसके पास स्कूल पर परिचालन क्षेत्राधिकार है, के अलावा, न तो विधानमंडल और न ही गवर्नर, न ही कोई अन्य राज्य या स्थानीय सरकारी संस्था निर्देश देगी कि उस स्कूल में *CETF* फंडों को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। प्रत्येक *LEA* के संचालक बोर्ड के पास उस फैसले पर पूर्ण अधिकार होगा, जिस पर, तथापि, निम्नलिखित लागू होता है:

(a) प्रत्येक वर्ष संचालक बोर्ड, व्यक्तिगत रूप से या उपयुक्त प्रतिनिधियों के माध्यम से, स्कूल में या इसके नज़दीक स्कूल के माता-पिता, शिक्षकों, प्रशासकों, अन्य स्कूल स्टाफ और छात्रों, जैसा उपयुक्त हो ("स्कूल समुदाय"), के साथ एक खुली सार्वजनिक बैठक में इस बारे में मांगेगा कि स्कूल में *CETF* फंड को कैसे और क्यों इस्तेमाल किया जाएगा।

(b) उस बैठक के बाद, *LEA* या उसके उचित प्रतिनिधि स्कूल में या इसके नज़दीक, एक दूसरी खुली सार्वजनिक बैठक में *CETF* फंड का उपयोग करने के बारे में लिखित सिफारिश की पेशकश करेगा, जहां स्कूल समुदाय को *LEA* की सिफारिश पर प्रतिक्रिया करने का अवसर दिया जाता है।

(c) संचालक बोर्ड सुनिश्चित करेगा कि, *CETF* धन के उपयोग के संबंध में फ़ैसला लेने की प्रक्रिया के दौरान, स्कूल समुदाय के सभी सदस्यों को लिखित में या ऑनलाइन राय देने का अवसर प्रदान किया जाता है।

(d) जिस समय यह प्रत्येक वर्ष धन के उपयोग के बारे में अपने निर्णय लेता है, संचालक बोर्ड सार्वजनिक रूप से और ऑनलाइन, इस बात की व्याख्या करेगा कि इसके *CETF* धन के प्रस्तावित खर्च से शैक्षिक परिणामों में कैसे सुधार होगा और बोर्ड कैसे निर्धारण करेगा कि क्या वे सुधरे हुए परिणाम प्राप्त कर लिए गए हैं।

14811. *(a)* कोई भी *CETF* फंड प्राप्त करने की एक शर्त के रूप में, प्रत्येक *LEA* उस पैसे की प्राप्ति और खर्च के लिए एक अलग खाता स्थापित करेगी, जिस खाते को स्पष्ट रूप से कैलिफोर्निया एजुकेशन ट्रस्ट फंड खाते के रूप में पहचाना जाएगा। प्रत्येक *LEA* उस खाते में धन का आवंटन और खर्च केवल धाराएं *14805* से *14808* सम्मिलित, के अनुसार करेगी।

(b) स्कूली जिलों के लिए आवश्यक स्वतंत्र वित्तीय और अनुपालन लेखा परीक्षा, कानून की अन्य सभी आवश्यकताओं के अलावा, पता करेगा और सत्यापित करेगा कि *CETF* फंड को सही ढंग से वितरित किया गया और खर्च किया गया है जैसा कि इस भाग के द्वारा आवश्यक है। इस आवश्यकता को स्कूल जिलों के लिए लेखा परीक्षा मार्गदर्शन आवश्यकताओं को जोड़ा जाएगा और लेखा परीक्षा रिपोर्टों का हिस्सा होगा जिन्हें सालाना आधार पर धारा *14504* के अनुसार कंट्रोलर द्वारा समीक्षा और निगरानी की जाएगी।

(c) *LEAs* सालाना आधार पर प्रत्येक स्कूल वर्ष के समाप्त होने के बाद *60* दिनों के भीतर, इस बारे में एक स्पष्ट और पारदर्शी की रिपोर्ट तैयार करेंगे और अपनी इंटरनेट वेब साइटों पर प्रकाशित करेंगी कि उनके क्षेत्राधिकार के अंदर स्कूलों में से प्रत्येक में *CETF* धन को वास्तव में कैसे खर्च किया गया था, उस खर्च के क्या लक्ष्य थे जो धारा *14810* के तहत स्कूल समुदाय को बताए गए थे, और उनके द्वारा स्थापित किए गए लक्ष्य किस हद तक प्राप्त किए गए थे। सुपरिनटेनडेंट *LEAs* द्वारा सभी ऐसी रिपोर्टें पोस्ट किए जाने के बाद दो सप्ताह के भीतर अपनी इंटरनेट वेब साइट पर एक लिंक प्रदान करेगा जो समुदाय के सदस्यों और शोधकर्ताओं को ऐसी सभी रिपोर्टों तक राज्यव्यापी पहु.च प्रदान करेगा।

14812. *(a)* *2012–13* स्कूल वर्ष के साथ शुरु करते हुए, *CETF* धन प्राप्त करने की एक शर्त के रूप में, इस अधिनियम के तहत धन प्राप्त करने वाली प्रत्येक *LEA* का संचालक बोर्ड *LEA* के अधिकार क्षेत्र के अंदर प्रत्येक स्कूल के लिए बजट तैयार करेगा और ऑनलाइन प्रकाशित करेगा जो उस स्कूल के लिए पिछले वित्तीय वर्ष से वास्तविक वित्त पोषण और खर्चों की चालू वित्त वर्ष के लिए उस स्कूल के लिए बजट बनाए गए वित्त पोषण और खर्चों के साथ तुलना करेगा। सुपरिनटेनडेंट की इंटरनेट वेब साइट एक लिंक प्रदान करेगी जो समुदाय के सदस्यों और शोधकर्ताओं को वर्तमान और *2012–13* स्कूल वर्ष तक पिछले वर्षों के लिए, ऐसे सभी बजट तक राज्यव्यापी पहुँच प्रदान करेगा। बजट स्कूल में खर्च किए जा रहे ऐसे पूरे फंड का स्रोत राशि दिखाएगा, जिसमें इस अधिनियम के तहत प्रदान किया गया फंड, और फंड की प्रत्येक स्रोत श्रेणी को कैसे खर्च किया जा रहा है, शामिल होगा लेकिन यह इस तक ही सीमित नहीं है। बजट एक एकसमान प्रारूप में होगा और सुपरिनटेडेंट के द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। खर्चों की रिपोर्ट कुल मिला कर प्रति-छात्र और औसत शिक्षक वेतन के अनुसार, और साथ ही पढ़ाई, पढ़ाई में समर्थन, प्रशासन, रखरखाव, और अन्य महत्वपूर्ण श्रेणियों के अनुसार होगी। राज्य का शिक्षा विभाग मांग करेगा और सुनिश्चित करेगा कि स्कूली जिले और स्कूल खर्च की उपयुक्त श्रेणी के अनुसार रिपोर्ट करें और एकसमान ढंग से स्कूल और स्कूली जिले के खर्चों में अंतर बताएं। बजट में कर्मचारियों की संख्या, जिसे संख्या, प्रकार, और कर्मचारियों की वरिष्ठता के द्वारा वर्णित किया जाएगा, और किसी भी व्यक्ति

की पहचान की जानकारी के बिना कर्मचारियों के लिए वास्तविक वेतन और लाभ के आंकड़े भी शामिल होंगे। कैलिफोर्निया एजुकेशन ट्रस्ट फंड से पैसे प्राप्त कर रहा प्रत्येक K–12 स्कूल एक एकल स्कूल योजना में एक अलग खंड के रूप में इन फंडों को भी शामिल करेगा जो ठोस रूप से धारा 64001 की उपश्रेणियों (d), (f), और (h) की शर्तों को पूरा करती है।

(b) कैलिफोर्निया शिक्षा ट्रस्ट कोष से आवंटन छात्रों को उससे अतिरिक्त सहायता और कार्यक्रम उपलब्ध कराने के इरादे से होते हैं जो वर्तमान में अन्य राज्य, स्थानीय, और संघीय स्रोतों से प्रदान कि जाते हैं। 2013–14 वित्तीय वर्ष में शुरू करते हुए, LEAs को इस अधिनियम के तहत प्रदान किए जाते फंड के अलावा अन्य फंडों से, अपने स्कूलों में से प्रत्येक में प्रति छात्र खर्च को कम से कम 2012–13 वित्तीय वर्ष के प्रति छात्र खर्च, जीवनयापन की लागत में परिवर्तन के लिए समायोजित करते हुए, के बराबर बनाए रखने का हर उचित प्रयास करना चाहिए। इस उस स्कूल के लिए "प्रयास लक्ष्य का रखरखाव" के रूप में जाना जाएगा। उपश्रेणी (a) के द्वारा ज़रूरी स्कूल की साइट के एकसमान बजट में इस बारे में एक स्पष्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए कि 2012–13 वित्तीय वर्ष में इस अधिनियम के तहत प्रदान किपे गए फंडों के अलावा फंड के सभी स्रोतों से उस स्कूल में प्रति-छात्र खर्च कितने थे, और यह इरादा कि वर्तमान स्कूल वर्ष के लिए ये खर्च क्या होंगे यदि स्कूल ने अपने प्रयास लक्ष्य के रखरखाव को वार्षिक रूप से पूरा किया था। यदि किसी भी वर्ष में कोई LEA अपने स्कूलों में से किसी के लिए भी प्रयास लक्ष्य के रखरखाव को पूरा नहीं कर पाती है, तो LEA व्याख्या करेगी कि उस स्कूल के लिए इसके सकूल की साइट के बजट में इसका कारण बताएगी और एक सार्वजनिक बैठक में उस व्याख्या पर चर्चा करेगी जो धारा 14810 के अनुसार स्कूल की साइट पर या इसके नज़दीक आयोजित की जाएगी। उस बैठक में, LEA से अधिकारी इस बात पर ध्यान देंगे कि उस विषेश स्कूल के लिए प्रयास लक्ष्य के रखरखाव को पूरा करना क्यों संभव नहीं है, और एजेंसी असफल स्कूल द्वारा लक्ष्य पूरा किए जाने के लिए क्या प्रस्ताव देती है, जिससे छात्र और उनके परिवारों पर कोई नकारात्मक प्रभाव न हो।

14813. (a) धारा 14802.1 के उपखंड (a) के अनुसार आवंटित फंड और CETF फंड, जो राजकोषीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा उपलब्ध राजस्व और बोर्ड एवं नियंत्रक की वास्तविक प्रतिपूर्ति लागत से धारा 14803 के अनुसार अधिक निर्धारित किए जाते हैं, उनको आवंटित शिक्षा ऋण सेवा फंड के नियंत्रक द्वारा एक त्रैमासिक आधार पर हस्ताँतरित किया जाएगा, जो इसके द्वारा राज्य फंड में बनाया गया है। शिक्षा ऋण सेवा फंड के धन विश्वास में प्रतिधारित किए जाते हैं, और सरकारी संहिता की धारा 13340 के बावजूद वित्तीय साल के संबंध में अनुभाग में उल्लिखित विशेष प्रयोजनों के लिए विनियोजित किए जाते हैं।

(b) शिक्षा ऋण सेवा फंड में धन का पूरी तरह से इस्तेमाल बांड पर ऋण सेवा भुगतान करने, अनुवर्ती वित्तीय साल में परिपक्व होने वाले बांड्स को भुनाने या उनको डीफीज करने के लिए किया जाएगा, जो या तो (1) राज्य द्वारा निर्माण, पुनर्निर्माण, पुनर्वास, या प्री-किंडरगार्टन के प्रतिस्थापन के लिए विश्वविद्यालय स्कूल सुविधाओं के माध्यम से जारी किए गए थे, जिनमें स्कूल की सुविधाओं की साज-संवार करना और उनको तैयार करना, या स्कूल की ऐसी सुविधाओं के लिए अचल संपत्ति का अधिग्रहण करना या पट्टे पर लेना शामिल है ("स्कूल बांड्स"), या (2) उपखंड के द्वारा अनुमन्य सीमित हद तक (c), राज्य द्वारा बच्चों के अस्पताल या अन्य सामान्य दायित्व बांड्स के लिए द्वारा जारी किए गए थे।

(c) शिक्षा ऋण सेवा फंड में हस्तांतरित धन से, वित्त निदेशक के निर्देशों के अनुसार स्कूल बांड, बच्चों के अस्पताल, या अन्य सामान्य दायित्व बाँड्स का भुगतान करने या डीफीज स्कूल बाँड, बच्चों के अस्पताल, या अन्य सामान्य दायित्व बाँड्स को भुनाने पर भुगतान करने के लिए सामान्य फंड में व्यय कटौती के रूप वर्तमान साल की ऋण सेवा की लागत की भरपाई करने के लिए आवश्यक राशि को अधीक्षक हस्ताँतरित करेंगे, बशर्ते, तथापि, शिक्षा ऋण सेवा फंड में से कोई भी धन वर्तमान साल की ऋण सेवा की लागत की भरपाई करने के लिए बच्चों के अस्पताल, या अन्य सामान्य दायित्व बाँड्स का भुगतान करने या बच्चों के अस्पताल, या अन्य सामान्य दायित्व बाँड्स को भुनाने या डीफीज करने की लागत की भरपाई करने के लिए नहीं किया जाएगा, जब तक कि वित्त निदेशक के निर्देशों पर नियंत्रक ने वर्तमान साल के लिए सभी बकाया स्कूल बांड पर ऋण सेवा भुगतान की प्रतिपूर्ति कर दी। इस प्रकार हस्तांतरित फंड कैलिफोर्निया के संविधान के अनुच्छेद XIII B के अनुसार विनियोजित करों के सामान्य फंड का गठन नहीं करेगा, कैलिफोर्निया के संविधान के अनुच्छेद XVI की धारा 8 के प्रयोजनों के लिए।

14814. (a) प्रत्येक वित्तीय साल की समाप्ति के बाद अधिकतम छह महीने में, राजकोषीय पर्यवेक्षण बोर्ड कैलिफोर्निया एजुकेशन ट्रस्ट फंड के लिए एक निष्पक्ष लेखा-परीक्षण का आयोजन करेगा और विधायिका और गवर्नर को प्रस्तुत करेगा, और राजकोषीय पर्यवेक्षण बोर्ड की इंटरनेट वेब साइट पर संपूर्ण लेखापरीक्षा रिपोर्ट और लेखा परीक्षा के परिणामों के आसानी से समझ में आने वाले सारांश, दोनों के साथ प्रमुखता से पोस्ट करेगा, जिसकी रिपोर्ट के लिए लिंक अधीक्षक के मुख पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाएगी। रिपोर्ट में व्यक्तिगत कर में होने वाली वृद्धि से होने वाली समस्त आय, जिसको राजस्व और कराधान संहिता की धारा 17041.1के तहत स्थापित किया गया है, कैलिफोर्निया एजुकेशन ट्रस्ट फंड की उन आयों के सभी हस्ताँतरण, उस वित्तीय साल में प्रत्येक LEA व उस LEA के क्षेत्राधिकार के भीतर प्रत्येक स्कूल कैलिफोर्निया एजुकेशन ट्रस्ट फंड से प्राप्त धन राशि की एक सूची, और धारा 14811 के उपखंड (c) के द्वारा सभी LEA द्वारा वाँछित रिपोर्टों पर आधारित एक साराँश, जो उस पद्धति को प्रदर्शित करता है कि प्रत्येक LEA अपने स्कूलों में धनराशि का इस्तेमाल कैसे करता है, का लेखांकन तथा LEA द्वारा अपेक्षित व प्राप्त किए गए परिणाम शामिल होंगे।

(b) राजकोषीय निरीक्षण बोर्ड के साथ परामर्श करके अधीक्षक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के लिए आवश्यक जानकारी की एक समान रिपोर्टिंग को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रपत्र या प्रारूप तैयार करेंगे और प्रत्येक LEA और ECE प्रदाता को उपलब्ध कराएंगे।

(c) वार्षिक लेखा परीक्षण करने, आवश्यक रिपोर्टों को बनाने, उनका वितरण करने, और उनको संग्रहित करने की लागत का निर्धारण राजकोषीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा किया जाएगा ताकि इस अधिनियम के इरादे को पूरा करने को सुनिश्चित करते हुए धन का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इस तरह की लागतों को उन मदों में शामिल किया जाएगा जिनकी वास्तविक लागत का भुगतान CETF फंड द्वारा धारा 14802 के उपखंड (b) के अनुसार किया जा सकता है।

(d) वार्षिक लेखा परीक्षण को करने और उस पर रिपोर्टिंग करने के दौरान, स्वतंत्र लेखा परीक्षक अटॉर्नी जनरल और जनता को किसी भी संदिग्ध आवंटन या इस अधिनियम के उल्लंघन में धन के उपयोग की रिपोर्ट तुरंत करेंगे, चाहे वह राजकोषीय पर्यवेक्षण बोर्ड या उसके एजेंटों, या किसी भी अन्य LEA द्वारा किया गया हो।

(e) हर अधिकारी जिस पर धाराओं 14803, 14804, 14805, 14806 और 14807 के अनुसार धन आवंटन या वितरण का प्रभार है, जो जान-बूझकर प्रत्येक LEA और प्रत्येक स्कूल के लिए धन का आवंटन करने या वितरण करने में प्रति छात्र के आधार पर निर्दिष्ट किए गए के अनुसार ऐसा करने में विफल रहता है, एक गंभीर अपराध का दोषी है, जो अटार्नी जनरल द्वारा मुकदमा चलाए जाने के अधीन है, या अगर वह तुरंत कार्रवाई करने में विफल रहते हैं तो दंड संहिता की धारा 425 के उपखंड (b) के अनुसार किसी काउंटी के जिला अटॉर्नी द्वारा मुकदमा चलाए जाने के अधीन है। अटॉर्नी जनरल, या अगर अटॉर्नी जनरल कार्रवाई करने में विफल रहते हैं, तो किसी काउंटी के जिला अटॉर्नी, शीघ्रता से जांच करेंगे और धाराओं 14803, 14804, 14805, 14806, एवं 14807 के उल्लंघन में धन के किसी आवंटन या वितरण के लिए आपराधिक दंड और तत्काल न्यायिक राहत की माँग कर सकते हैं।

खंड 5. शिक्षा संहिता की धारा 46305 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

46305. प्रत्येक प्राथमिक स्कूल, हाई स्कूल, और एकीकृत स्कूल जिला, *और प्रत्येक स्वतंत्र चार्टर स्कूल, शिक्षा का काउंटी कार्यालय, और सरकारी स्कूल,* शिक्षा विभाग को अन्य सभी आवश्यक उपस्थिति डेटा, प्रत्येक स्कूल माह के प्रत्येक तीसरे बुधवार को सक्रिय नामांकन और प्रत्येक स्कूल माह के प्रत्येक तीसरे बुधवार को वास्तविक उपस्थिति के अलावा द्वारा तैयार प्रारूपों पर पब्लिक इंस्ट्रक्शन के अधीक्षक को रिपोर्ट करेंगे, सिवाय जब यदि ऐसा दिन स्कूल की छुट्टी है, तो तत्काल पूर्ववर्ती स्कूल दिवस के सक्रिय नामांकन और वास्तविक उपस्थिति को सूचित किया जाएगा। किसी दिन "सक्रिय नामांकन" की गिनती का मतलब होता है उस स्कूल साल के पहले दिन जिस पर स्कूलों का सत्र चालू था, जिले के नियमत स्कूल दिनों में छात्रों का नामाँकन, और प्लस बाद के समस्त पंजीकरण कराने वाले माइनस ~~उस दिन के बाद से समस्त नाम वापस वाले~~ छात्र *जो स्कूल साल के पहले दिन या उस तुरंत अगले पूर्ववर्ती दिवस के बाद के पहले स्कूल दिवस जिसके लिए इस धारा के अनुसार गिनती की गई थी, जो भी कम हो, और जिस दिन गिनती की जा रही है, समावेशी, के बीच कम से कम एक दिन उपस्थित नहीं हुए हैं।* अधीक्षक, यथा आवश्यक, संग्रहण तिथियों या तरीकों को संशोधित कर सकते हैं ताकि इस धारा के कार्यान्वियन में किसी भी स्थानीय शैक्षिक एजेंसी के प्रशासनिक कर्तव्यों को कम किया जा सके।

खंड 6. अध्याय 1.8 (धारा 8160 के साथ शुरू) को शिक्षा संहिता के शीर्षक 1 के खंड 1 के भाग 6 में जोड़ा गया है, ताकि इस प्रकार पढ़ा जा सके:

अध्याय 1.8. प्रारंभिक बाल्यावस्था गुणवत्ता सुधार एवं विस्तारण कार्यक्रम

अनुच्छेद 1. सामान्य प्रावधान

8160. निम्नलिखित परिभाषाएं इस पूरे अध्याय में लागू होंगी:

(a) शब्द "प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम" या "ECE कार्यक्रम" का मतलब जन्म से लेकर किंडरगार्टन तक पात्रता के लिए किसी भी राज्य वित्त पोषित या राज्य की छूट प्राप्त प्रीस्कूल, चाइल्ड केयर, या अन्य राज्य वित्त पोषित या राज्य की छूट प्राप्त बच्चों के लिए प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम से है, जिनमें कैलिफोर्निया बाल एवं परिवार ट्रस्ट फंड से वित्तपोषित पूर्ण या आँशिक रूप से समर्थित कार्यक्रम शामिल हैं परंतु इन तक ही सीमित नहीं हैं। जहां ECE कार्यक्रम विशेष रूप से राज्य के धन से वित्त पोषित नहीं है, शब्द "ECE कार्यक्रम" का मतलब है कार्यक्रम का वह हिस्सा जो राज्य वित्त पोषित है।

(b) शब्द "ECE प्रदाता" या "प्रदाता" का मतलब है कोई व्यक्ति या एजेंसी जो कानूनी तौर पर किसी ECE कार्यक्रम को उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत है।

(c) शब्द "टेक-अप दरें" का मतलब है वह डिग्री जिसके लिए ECE प्रदाता इस अध्याय के प्रावधानों के तहत कार्यक्रम वित्त पोषण के लिए आवेदन करता है और उनको स्वीकृति दी जाती है।

(d) शब्द "प्रतिपूर्ति दर" का मतलब है ECE प्रदाताओं द्वारा राज्य के फंड से पात्र परिवारों की ओर से ECE सेवाएं प्रदान करने में अपनी लागत की भरपाई के लिए प्राप्त किया जाने वाला प्रति बच्चा भुगतान।

(e) शब्द "ECE फंड" का मतलब है धाराओं 14803 और 14804 के अनुसार प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा के लिए आवंटित धन।

(f) शब्द "SAE फंड" का मतलब है धारा 8161 के उपखंड (b) के अनुसार ECE कार्यक्रमों को सशक्त करने और उनका विस्तार करने के लिए निर्धारित धनराशि।

(g) शब्द "उच्च जोखिम वाले बच्चे" का मतलब है वे बच्चे जो कम आय वाले परिवारों में जन्मे हैं, कम आय वाले परिवारों में पोषित हैं, या कम आय समूह के घरों से हैं और जो (1) पालक देखभाल में हैं या जिनको बच्चा सुरक्षा सेवाओं में भेज दिया गया है, (2) जो उन छोटे माता-पिताओं के बच्चे हैं जो खुद पालक देखभाल में हैं, या (3) जो अन्यथा उत्पीड़ित, उपेक्षित, या शोषित हैं, या जिनका संभवतः उत्पीड़न, उपेक्षा या शोषण किया जाने का खतरा है, जिसको आगे अधीक्षक द्वारा परिभाषित किया जाएगा।

8161. इस्तेमाल किए जाने के लिए ECE फंड का सालाना आवंटन अधीक्षक को निम्न प्रकार किया जाएगा:

(a) ECE फंड का अधिकतम 23 प्रतिशत निम्न प्रकार इस्तेमाल किया जाएगा:

(1) तीन सौ मिलियन डॉलर ($300,000,000) मौजूदा ECE कार्यक्रमों के लिए, वित्तीय साल 2009–10 से लेकर 2012–13 तक, समावेशी, ECE कार्यक्रम में की गई कटौती के लिए अनुपात में वित्त साल 2008–09 के स्तर पर वित्त पोषण को बहाल करने के लिए, जो निम्न के अधीन है:

(A) बहाली समान रूप से कटौतियों के सभी प्रकारों के लिए लागू होगी, चाहे यह बच्चे की पात्रता में कमी, प्रतिपूर्ति दर में कमी, अनुबंध राशि में कमी, ठेकों की संख्या में कमी, या अन्यथा कारण से हुई हो।

(B) उस हद तक, जिस तक अधीक्षक को सामाजिक सेवा के राज्य विभाग या किसी अन्य उत्तराधिकारी एजेंसी के लिए धन की इस बहाली को पूरा करने के लिए धन आवंटित करने की आवश्यकता है, वह ऐसा करेगा/करेगी।

(C) अगर अधीक्षक और राज्य का सामाजिक सेवा विभाग संयुक्त रूप से पाते हैं कि टेक-अप दरों में कमी के कारण किसी फंड को बहाल नहीं किया जा सकता है, तो उन फंडों को धारा 8168 के उपखंड (b) के अनुसार स्थापित आधारभूत गुणवत्ता प्रतिपूर्ति दरों में वृद्धि करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

(2) अधीक्षक और राज्य के सामाजिक सेवा विभाग या किसी उत्तराधिकारी एजेंसी द्वारा सहमत शर्तों के तहत वित्तीय साल 2011–12 से आगे ECE प्रदाताओं के लाइसेंस निरीक्षण की आवृत्ति में वृद्धि करने के लिए राज्य के सामाजिक सेवा विभाग के सामुदायिक देखभाल लाइसेंसिंग डिवीजन या किसी उत्तराधिकारी एजेंसी को पांच मिलियन डॉलर ($5,000,000) 1 जुलाई 2013 से पहले।

(3) दस मिलियन डॉलर ($10,000,000) तक धारा 8171 के अनुसार उन बच्चों की शैक्षिक प्रगति को ट्रैक करने के लिए, जिन्होंने राज्य के ECE कार्यक्रमों में भाग लिया है, डेटाबेस को विकसित करने और उसको लागू करने के लिए ।

(4) अनुच्छेद 4 (धारा 8167 के साथ शुरू) के अनुसार स्थापित प्रारंभिक अध्ययन गुणवत्ता रेटिंग और सुधार प्रणाली ("QRIS प्रणाली") को विकसित करने, लागू करने और रखरखाव करने के लिए चालीस मिलियन डॉलर ($40,000,000)। इस धारा द्वारा प्रदान की गई धनराशि का उपयोग प्रदाता की प्रतिपूर्ति दर या अन्य प्रदाता मुआवजे में वृद्धि करने के लिए नहीं किया जाएगा, बल्कि प्रणाली के डिजाइन, कार्यान्वियन, और मूल्यांकन के लिए, ECE प्रदाता के मूल्यांकन और कौशल विकास के लिए, सामुदायिक कॉलेजों और अन्य उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षकों द्वारा प्रस्तुत ECE कौशल विकास सुधार कार्यक्रमों का सुधार करने और विस्तार करने के लिए, डेटा को रखने और विश्लेषण के लिए, और ECE प्रदाताओं द्वारा प्राप्त गुणवत्ता के स्तर के बारे में जनता के साथ संचार के लिए किया जाएगा।

(5) धारा 42238.1 के उपखंड (b), जैसा कि इस धारा के अधिनियमन की तिथि को पढ़ा जाता है, के अनुसार गणना की गई मुद्रास्फीति समायोजन के द्वारा पैराग्राफ (1) से (4) में निर्धारित राशि, समावेशी, को सालाना तौर पर समायोजित किया जाएगा।

(6) किसी भी साल, जिसमें ECE फंड पैराग्राफ (1), (3) और (4) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं, उन पैराग्राफों के लिए आवश्यक राशि को यथानुपात कम किया जाएगा।

(b) उपखंड (a) में उपलब्ध कराए गए बहाली और प्रणाली सुधार फंडों के आवंटन के बाद, अधीक्षक शेष ECE फंड का उपयोग, जिसे धारा 8160 के उपखंड (f) के अनुसार "SAE फंड" के रूप में जाना जाता है, इस अध्याय में उल्लिखित ECE कार्यक्रम को मजबूत बनाने के लिए और विस्तार करने के लिए करेंगे।

(c) अधीक्षक को आवंटित ECE फंड अधीक्षक द्वारा उसकी प्राप्ति के एक साल के भीतर इस अध्याय में प्रदत्त प्रयोजनों के लिए खर्च किया जाएगा। धारा 14802 के अनुसार स्थापित राजकोषीय ओवरसाइट बोर्ड सालाना तौर पर किसी भी खर्च न की गई फंड की वसूली करेगा, और वे फिर से ECE फंड का हिस्सा बन जाएंगे, जिसको इस अध्याय के अनुसार फिर से आवंटित किया जाएगा।

8162. (a) सिवाय उसके, जो संघीय कानून में अपेक्षित है, किसी भी ECE कार्यक्रम के लिए किसी भी बच्चे की पात्रता को, इस अध्याय के तहत आवंटित फंड से स्थापित, उन्नत, या विस्तारित किसी भी ECE कार्यक्रम सहित, लेकिन इस तक ही सीमित नहीं, कार्यक्रम में बच्चे के नामांकन पर सालाना तौर पर स्थापित किया जाएगा। नामांकन के बाद, किसी बच्चे को कार्यक्रम साल के शेष के लिए कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पात्र समझा जाएगा, और उसके बाद के वर्षों में वार्षिक आधार पर पात्रता को पुन: स्थापित किया जा सकता है।

(b) वित्तीय साल 2013–14 में शुरू होकर, सामान्य फंड के प्रतिशत के रूप में ECE कार्यक्रमों के लिए वार्षिक विनियोजन में इस अधिनियम के परिणामस्वरूप आवंटित फंड में ECE कार्यक्रमों के लिए 2012–13 वित्तीय साल के लिए विनियोजित सामान्य फंड के प्रतिशत से नीचे कटौती नहीं की जाएगी।

8163. अधीक्षक SAE फंड को निम्न प्रकार आवंटित करेंगे:

(a) SAE फंड का पच्चीस प्रतिशत इस उपखंड के अनुसार जन्म से लेकर तीन साल तक के बच्चों के लाभ के लिए निम्न प्रकार आवंटित किया जाएगा:

(1) SAE फंड का 1 प्रतिशत तक 18 महीने से छोटी उम्र के बच्चों के लिए अनुबंधित समूह देखभाल कार्यक्रमों में प्रतिपूर्ति दर को आधारभूत गुणवत्ता प्रतिपूर्ति दर तक बढ़ाने के लिए आवंटित किया जाएगा जिसको धारा 8168 के उपखंड (b) के अनुसार स्थापित किया गया है।

(2) SAE फंड का 2½ प्रतिशत तक, जैसे कि टेक-अप दरें अनुमति देती हैं, प्रतिपूर्ति दरों में 2012–13 वित्तीय साल की दरों से ऊपर बढ़ोत्तरी करने के लिए आवंटित किया जाएगा जो QRIS प्रणाली के तहत प्रदान पूरकों के माध्यम से उन ECE कार्यक्रमों और प्रदाताओं के लिए, जो जन्म से लेकर तीन साल की उम्र वर्ग के बच्चों को सेवा प्रदान करते हैं, जो QRIS प्रणाली के तहत उनके गुणवत्ता मानकों में सुधार करती हैं जो पहले से ही धारा 8168 के उपखंड (b) के अनुसार आधारभूत गुणवत्ता मानक से अधिक QRIS गुणवत्ता मानक को पूरा करते हैं।

(3) SAE फंड का साढ़े इक्कीस प्रतिशत कैलिफोर्निया प्रारंभिक हेड स्टार्ट कार्यक्रम के लिए आवंटित किया जाएगा जिसको अनुच्छेद 2 (धारा 8164 के साथ शुरू) के अनुसार स्थापित किया गया है। इस पैराग्राफ के अधीन कैलिफोर्निया प्रारंभिक हेड स्टार्ट कार्यक्रम के लिए आवंटित SAE फंड के कम से कम 35 प्रतिशत को धारा 8164 के उपखंड (d) के अनुसार माता-पिताओं और अन्य देखभालकर्ताओं को सशक्त बनाने के लिए विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाएगा।

(b) SAE फंड का पिछत्तर प्रतिशत अनुच्छेद 3 (धारा 8165 के साथ शुरू) में उल्लिखित के अनुसार तीन से पांच साल के बच्चों के लिए प्रीस्कूल कार्यक्रम के विस्तार और उसे मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

(c) SAE फंड का अधिकतम 3 प्रतिशत राज्य स्तर पर प्रशासनिक खर्च के लिए खर्च किया जाएगा।

(d) SAE फंड से किसी ECE प्रदाता द्वारा प्राप्त धन का अधिकतम 15 प्रतिशत किसी उपयुक्त कार्यक्रम सुविधा के लिए पुन:प्रयोजन, नवीकरण, विकास, रखरखाव या किराए, और पट्टे के खर्च के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अधीक्षक सुविधाओं के लिए SAE फंड के उचित इस्तेमाल की देखरेख और संरचना के लिए नियमों को प्रख्यापित करेंगे।

अनुच्छेद 2. कैलिफोर्निया प्रारंभिक हेड स्टार्ट कार्यक्रम

8164. धारा 8163 के उपखंड (a) के पैराग्राफ (3) के अनुसार आवंटित फंड का उपयोग करके, अधीक्षक जन्म से लेकर तीन साल के उम्र वर्ग के बच्चों की देखभाल को विस्तारित करने के लिए कैलिफोर्निया प्रारंभिक हेड स्टार्ट कार्यक्रम को निम्न प्रकार विकसित और लागू करेंगे:

(a) कार्यक्रम, अधीक्षक के चल रहे विनियमन और नियंत्रण के अंतर्गत होगा, परन्तु इसको संयुक्त राज्य अमेरिका संहिता के शीर्षक 42 की धारा 9840a के अनुसार स्थापित संघीय प्रारंभिक हेड स्टार्ट कार्यक्रम पर मॉडल किया जाएगा। धारा 8167 में वर्णित प्रारंभिक अध्ययन सलाहकार परिषद (ELAC) के साथ परामर्श में, अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे, कि कम से कम, कैलिफोर्निया प्रारंभिक हेड स्टार्ट कार्यक्रम संघीय प्रारंभिक हेड स्टार्ट कार्यक्रम के लिए नवम्बर 2011 की सभी सामग्री और गुणवत्ता मानकों की आवश्यकताओं का अनुपालन करे। अधीक्षक अपने विवेक पर बाद में संघीय प्रारंभिक प्रमुख कार्यक्रम मानकों और आवश्यकताओं को अपना सकते हैं।

(b) कैलिफोर्निया प्रारंभिक हेड स्टार्ट कार्यक्रम के लिए इस्तेमाल फंड का इस्तेमाल जन्म से लेकर तीन साल उम्र वर्ग के बच्चों के लिए किसी भी अन्य राज्य या संघीय कार्यक्रम पर वर्तमान में व्यय को हटाने के लिए नहीं किया जाएगा।

(c) अधीक्षक नवम्बर 2011 में संघीय प्रारंभिक हेड स्टार्ट कार्यक्रम द्वारा इस्तेमाल किए गए एक ही पात्रता मानकों को अपनाएंगे; बशर्ते, तथापि, नामांकन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता धारा 8160 के उपखंड (g) के पैराग्राफ (1) में परिभाषित उच्च जोखिम वाले बच्चों को दी जाएगी, उसके बाद धारा 8160 के उपखंड (g) के पैराग्राफ (2) में परिभाषित उच्च जोखिम वाले बच्चों को, और उसके बाद धारा 8160 के उपखंड (g) के पैराग्राफ (3) में परिभाषित उच्च जोखिम वाले बच्चों को।

(d) लाइसेंसीकृत केंद्रों और पारिवारिक बाल देखभाल गृहों में उच्च गुणवत्ता वाली सामूहिक देखभाल उपलब्ध कराने के अलावा, कैलिफोर्निया प्रारंभिक हेड स्टार्ट कार्यक्रम उन बच्चों के परिवारों और देखभालकर्ताओं को सेवाएं उपलब्ध कराएगा जो किसी कैलिफोर्निया प्रारंभिक हेड स्टार्ट सामूहिक देखभाल सेटिंग में पंजीकृत नहीं हैं। इन सेवाओं को जन्म से तीन साल की उम्र के बच्चों के माता-पिता और देखभालकर्ताओं की सामर्थ्य को सशक्त करने के लिए डिजाइन किया जाएगा ताकि सामूहिक देखभाल सेटिंग्स और घर, दोनों में बहुत छोटे बच्चों की देखभाल, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार हो सके। सेवाओं में उनमें से कोई भी शामिल हो सकती है जो संघीय या कैलिफोर्निया प्रारंभिक हेड स्टार्ट सामूहि देखभाल नामितों के परिवारों को पेश की जा सकती है, जिसमें शामिल हैं, लेकिन स्वैच्छिक घर का दौरा, प्रारंभिक विकास जाँच और हस्तक्षेप, पारिवारिक और देखभालकर्ता साक्षरता कार्यक्रम, और माता-पिता और देखभालकर्ता प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है। इस उपखंड के अनुसार देखभालक्रताओं को उपलब्ध कराए गए कार्यक्रमों में प्राथमिकता लाइसेंस मुक्त परिवार, दोस्त, पड़ोसी प्रदाताओं को दी जाएगी।

(e) ELAC के साथ परामर्श में, अधीक्षक संघीय प्रारंभिक हेड स्टार्ट कार्यक्रम के प्रशिक्षण घटकों और मानकों को शामिल करते हुए उपखंड (d) के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सेवाओं के लिए गुणवत्ता मानकों की स्थापना करेंगे। अधीक्षक इन कार्यक्रमों में समान मानकों को सुनिश्चित करने के लिए इसी तरह के कार्यक्रमों को संचालित करने वाली अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे।

(f) कैलिफोर्निया प्रारंभिक हेड स्टार्ट फंड का इस्तेमाल जन्म से तीन साल उम्र वर्ग के बच्चों के लिए मौजूदा ECE द्वारा सेवा प्राप्त बच्चों की संख्या का विस्तार करने के लिए किया जाएगा, बशर्ते कार्यक्रम उपखंडों (a) एवं (e) में वर्णित गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हों, और सेवा प्राप्त बच्चे उपखंड (c) के पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।

(g) कैलिफोर्निया प्रारंभिक हेड स्टार्ट फंड के साथ राज्य भर में तैयार सामूहिक देखभाल रिक्तियों का कम से कम 75 प्रतिशत पूर्ण दिवसीय, पूर्ण वर्षीय देखभाल उपलब्ध कराएंगी।

अनुच्छेद 3. प्रीस्कूल कार्यक्रमों का सुदृढ़ीकरण और विस्तार

8165. (a) धारा 8163 के उपखंड (b) के तहत तीन से पाँच साल उम्र के बच्चों के लिए प्रीस्कूल कार्यक्रमों को सशक्त करने और उनका विस्तार करने के लिए आवंटित SAE फंड का इस्तेमाल निम्न प्रकार किया जाएगा:

(1) SAE फंड का 8 प्रतिशत तक, जैसे कि टेक-अप दरें अनुमति देती हैं, प्रतिपूर्ति दरों में 2012–13 वित्तीय साल की दरों से ऊपर बढ़ोत्तरी करने के लिए आवंटित किया जाएगा जो QRIS प्रणाली के तहत प्रदान पूरकों के माध्यम से उन ECE कार्यक्रमों और प्रदाताओं के लिए जो जन्म से तीन से पांच साल की उम्र वर्ग के बच्चों की सेवा करते हैं जो QRIS प्रणाली के तहत उनके गुणवत्ता मानकों में सुधार करती हैं जो पहले से ही धारा 8168 के उपखंड (b) के अनुसार आधारभूत गुणवत्ता मानक से अधिक QRIS गुणवत्ता मानक को पूरा करते हैं।

(2) शेष, जो समस्त SAE फंड के 67 प्रतिशत से कम नहीं हो, का इस्तेमाल उच्च गुणवत्ता वाले प्रीस्कूल कार्यक्रमों द्वारा सेवा प्रदत्त लाइसेंसीकृत या K–12 आधारित कार्यक्रमों में तीन से पांच साल के बच्चों की संख्या का विस्तार करने के लिए किया जाएगा जो QRIS प्रणाली के तहत दो सर्वोच्च गुणवत्ता रेटिंगों को पूरा करते हैं। जब तक राज्यव्यापी QRIS की स्थापना न हो जाए और वह काफी बड़ी संख्या में कार्यक्रमों की गुणवत्ता का आकलन करने में सक्षम न हो जाए, अधीक्षक उन कार्यक्रमों के लिए जिन्होंने अन्यथा उच्च गुणवत्ता मानकों को पूरा करने का प्रदर्शन किया है, इस उपखंड में वर्णित विस्तार फंड के इस्तेमाल को अधिकृत करने के लिए अस्थायी विनियमों को जारी कर सकते हैं, जिसमें मौजूदा स्थानीय या क्षेत्रीय QRIS प्रणाली के दो शीर्ष टियरों में रेटिंग वाले कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त गुणवत्ता प्रमाणन के साथ कार्यक्रम, या संक्रमणकालीन किंडरगार्टन पर लागू गुणवत्ता मानकों को पूरा करने वाले कार्यक्रम शामिल हैं, परंतु इन तक ही समीमित नहीं हैं। QRIS कार्यक्रम मानकों को 1 जनवरी 2014 से पहले स्थापित किया जाएगा और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। अधीक्षक के अस्थायी नियमों के तहत पात्र प्रदाता नई प्रणाली के तहत मूल्यांकन के लिए प्राथमिकता प्राप्त करेंगे। अस्थायी नियम 1 जनवरी 2015 को समाप्त हो जाएंगे, प्रावधिक प्रमाणित प्रदाता उसके बाद स्थापित QRIS कार्यक्रम के मानकों के तहत पात्र बने रहने के लिए अधिकतम 1 जनवरी 2017 तक फंड को प्रतिधारित करेंगे।

(3) पैराग्राफ (2) के तहत राज्य भर में तैयार नई रिक्तयों में कम से कम 65 प्रतिशत पूर्ण दिवसीय, पूर्ण वर्षीय होंगी, जिनको केवल इस अध्याय के माध्यम से या स्कूल के बाद एवं ग्रीष्मकालीन संवर्धन कार्यक्रम के बाद एक संयुक्त स्कूल दिवस बनाने के लिए दो या दो से अधिक स्रोतों से वित्त पोषणों का संयोजन करके तैयार किया जा सकता है।

38

(b) यदि बच्चे उस स्कूल साल के 1 सितंबर को, जिसमें वे कार्यक्रम में पंजीकृत हैं, तीन या चार साल के हैं एवं अभी किंडरगार्टन में जाने के लिए पात्र नहीं हैं, तो उनको "तीन से पांच साल की उम्र" का समझा जाएगा और उपखंड (a) के पैराग्राफ (2) के तहत वित्तपोषित कार्यक्रमों के लिए पात्र समझा जाएगा।

8166. (a) संयुक्त राज्य अमेरिका के जनगणना ब्यूरो से डेटा का प्रयोग करके, अधीक्षक धारा 8165 के उपखंड (a) के पैराग्राफ (2) के अनुसार आवंटित फंड ("प्रीस्कूल विस्तार फंड") को सभी कैलिफोर्निया पड़ोस की एक आय क्रमित सूची के अनुसार वितरित करेंगे, जिसमें सबसे कम आय वाले पड़ोस के साथ शुरू होकर और पड़ोस की सूची में आय के अनुसार आगे बढ़ा जाएगा जैसा कि प्रीस्कूल विस्तार फंड अनुमति देती है, निम्न प्रकार:

(1) अधीक्षक औसत घरेलू आय और ज़िप कोड या किसी समकक्ष भौगोलिक इकाई द्वारा परिभाषित पड़ोस पर आधारित एक पड़ोस सूची बनाएंगे। इस पूरी धारा में, शब्द "पड़ोस" का मतलब है एक ज़िप कोड या समकक्ष भौगोलिक इकाई जो पड़ोस सूची में शामिल है। ECE प्राप्यता पर उपलब्ध डेटा का उपयोग करके, अधीक्षक वार्षिक आधार पर पड़ोसों और स्कूल जिलों की पहचान करेंगे जिनके भीतर वे बच्चे रहते हैं जो प्रीस्कूल विस्तार वित्तपोषण के लिए उम्र-पात्र हैं और जिनको कोई ECE कार्यक्रम या कोई संक्रमणकालीन किंडरगार्टन कार्यक्रम सुलभ नहीं है।

(2) प्रत्येक ज़िप कोड या समकक्ष भौगोलिक इकाई के लिए, अधीक्षक पात्रों की संख्या, असेवित बच्चों की संख्या का निर्धारण करेंगे और स्कूल जिले, लाइसेंसीकृत परिवार बाल देखभाल गृह शिक्षा नेटवर्क ("लाइसेंसीकृत नेटवर्क"), लाइसेंसीकृत केंद्र-आधारित ECE प्रदाताओं, और संघीय हेड स्टार्ट या अन्य संघीय ECE कार्यक्रमों ("संघीय प्रदाता"), जो ज़िप कोड या समकक्ष भौगोलिक इकाई के भीतर ऑपरेट करते हैं, को सूचित करेंगे कि वे इन बच्चों को सेवा देने के लिए अपने कार्यक्रमों का विस्तार करने के लिए और प्रीस्कूल वित्तपोषण के लिए उनसे आवेदनों को स्वीकार करने के लिए पात्र हैं। वित्तपोषण के लिए पात्र होने के लिए, आवेदकों को उन पात्र बच्चों को सेवा देने में सक्षम और इच्छुक होना होगा जिनके लिए वे पात्रता की अधिसूचना के बाद पहले स्कूल साल में आवेदन कर रहे हैं।

(3) अगर एक ही पात्रता के लिए डुप्लिकेट आवेदन हैं तो लाइसेंसीकृत नेटवर्क, लाइसेंसीकृत केंद्र आधारित ECE कार्यक्रम, और ज़िप कोड या अन्य भौगोलिक इकाई के भीतर ऑपरेट करने वाले संघीय प्रदाताओं को प्राथमिकता मिलेगी। संयुक्त आवेदनों को प्राथमिकता देकर, अधीक्षक स्कूल जिलों, लाइसेंसीकृत नेटवर्क, लाइसेंसीकृत केंद्र आधारित ECE प्रदाताओं, और पात्र क्षेत्रों में संघीय प्रदाताओं को एक संयुक्त आवेदन, जो सभी कार्यक्रमों की शक्ति को अधिकतम करता है एवं विवादों को न्यूनतम करता है, में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। यदि पात्र स्कूल जिला, पात्र नेटवर्क, पात्र केंद्र आधारित कार्यक्रम, और संघीय प्रदाता सभी उन बच्चों, या उनमें से किसी एक को सेवा देने में असमर्थ हैं या इससे इंकार करते हैं, जिनको सेवा देने के लिए वे पात्र हैं, तो अधीक्षक वैकल्पिक पात्र स्थानीय शिक्षा एजेंसियों, लाइसेंसीकृत नेटवर्क, केंद्र आधारित ECE प्रदाताओं, और संघीय प्रदाताओं से पात्र बच्चों को सेवा देने के प्रस्ताव का अनुरोध करेंगे। वैकल्पिक पात्र प्रदाताओं की तलाश करने में, अधीक्षक संचार करेंगे, विशेष रूप से बिना किसी सीमा, उस काउंटी में काम करने वाले वैकल्पिक भुगतान प्रदाताओं के साथ जहां पात्र बच्चे रहते हैं।

(4) इस अध्याय के अनुसार स्थापित या विस्तारित प्रीस्कूल कार्यक्रमों सहित प्रीस्कूल में उपस्थिति स्वैच्छिक है। एकीकृत स्थान जो लगातार तीन वर्षों के लिए किसी जिप कोड या समकक्ष भौगोलिक इकाई में पूरे पात्र समुदाय में प्रभावी आउटरीच के साथ पेश किए गए हैं, लेकिन जो अभी भी नहीं भरे गए हैं, उनको इंकार किया गया समझा जा सकता है, और उनको पड़ोस सूची में अगले सर्वोच्च आय पड़ोस के लिए पेश किया जा सकता है।

(5) हर पांच साल में कम से कम एक बार, अधीक्षक समीक्षा करेंगे कि कौन सा रिक्त स्थान इंकार किया गया समझा गया है और खोई गई पात्रता को किसी पड़ोस के लिए बदली शर्तों की सीमा तक बहाल करेंगे जो संकेत दें कि अब रिक्त स्थान को भरा जाएगा।

(b) बच्चे यह साबित करने पर, कि वे एक पात्र ज़िप कोड या समकक्ष भौगोलिक इकाई में रहते हैं या उनके परिवार किसी मौजूदा साधन-परीक्षित ECE कार्यक्रम की आय पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, प्रीस्कूल विस्तार धन के साथ वित्त पोषित कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए पात्र होंगे; बशर्ते, तथापि, नामांकन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता धारा 8160 के उपखंड (g) के पैराग्राफ (1) में परिभाषित उच्च जोखिम वाले बच्चों को जाएगी, उसके बाद पैराग्राफ (2) में परिभाषित उच्च जोखिम वाले बच्चों को, और उसके बाद पैराग्राफ (3) में परिभाषित उच्च जोखिम वाले बच्चों को।

अनुच्छेद 4. कैलिफोर्निया प्रारंभिक शिक्षा गुणवत्ता रेटिंग और सुधार प्रणाली

8167. जैसा कि इस अनुच्छेद में इस्तेमाल किया गया है, शब्द "प्रारंभिक शिक्षा सलाहकार परिषद" (ELAC) का मतलब है प्रारंभिक शिक्षा सलाहकार परिषद जिसको कार्यकारी आदेश S–23–09 या किसी भी उत्तराधिकारी एजेंसी के अनुसार स्थापित किया गया है।

8168. (a) 2010 में कैलिफोर्निया प्रारंभिक अध्ययन गुणवत्ता सुधार प्रणाली सलाहकार समिति द्वारा तैयार रिपोर्ट और सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, अधीक्षक, ELAC के साथ परामर्श में एक प्रारंभिक अध्ययन गुणवत्ता रेटिंग और सुधार प्रणाली (QRIS प्रणाली) को 1 जनवरी 2014 से पहले विकसित करेंगे और लागू करेंगे, जिसमें निम्न में से सभी शामिल होंगे:

(1) प्रीस्कूल सहित सभी ECE कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध एक स्वैच्छिक गुणवत्ता रेटिंग स्केल, जो जन्म से पांच साल उम्र के बच्चों को सेवा देता है, जिसमें प्रीस्कूल उम्र के बच्चे, शिशु और नन्हें-मुन्ने शामिल हैं। गुणवत्ता रेटिंग स्केल ECE कार्यक्रमों की उन विशेषताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा जिनको छोटे बच्चों के स्वस्थ सामाजिक और भावनात्मक विकास और स्कूल में सफलता के लिए तत्परता के लिए सबसे अधिक प्रभावी ढंग से योगदान करने को प्रदर्शित किया गया है।

(2) ECE प्रदाताओं की QRIS प्रणाली के तहत उनके कार्यक्रमों के गुणवत्ता मूल्यांकन में वृद्धि करने में मदद करने के लिए एक स्वैच्छिक मूल्यांकन और कौशल विकास कार्यक्रम।

(3) ECE कार्यक्रमों और प्रदाताओं के लिए प्रदत्त पूरक के माध्यम से वित्तीय साल 2011–12 की दरों से ऊपर प्रतिपूर्ति दरों में वृद्धि के लिए एक विधि जो उनकी रेटिंग में सुधार करती या सत्यापित करती है कि उन्होंने पहले से ही QRIS प्रणाली के तहत उच्च रेटिंग मानकों को पूरा कर लिया है।

(4) एक तरीका जिसके द्वारा माता-पिता और देखभालकर्ता उन कार्यक्रमों की गुणवत्ता और प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं जिनमें उनके बच्चे पंजीकृत हैं या पंजीकृत हो सकते हैं, जिसमें QRIS प्रणाली के तहत कार्यक्रमों की रेटिंग का शीघ्र प्रकाशन और प्रदाता शामिल हैं।

(b) अधीक्षक, ELAC साथ परामर्श में, आधारभूत गुणवत्ता प्रतिपूर्ति दरों को भी स्थापित करेंगे जो उन कार्यक्रमों के लिए लागू गुणवत्ता मानकों पर ECE कार्यक्रमों को प्रदान करने की लागत को कवर करने के लिए पर्याप्त हैं, जिनको कानूनों और विनियमों ने 1 नवंबर 2012 को शासित किया ("आधारभूत गुणवत्ता प्रतिपूर्ति दर")। यदि कोई मौजूदा प्रतिपूर्ति दर आधारभूत गुणवत्ता प्रतिपूर्ति दर से कम है, तो अधीक्षक प्रतिपूर्ति दर में वृद्धि करने के लिए धारा 8161 के उपखंड (a) के पैराग्राफ (1) के उपपैराग्राफ (C) तहत उपलब्ध किसी भी फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं या 18 माह से छोटे बच्चों के किसी भी कार्यक्रम के लिए, धारा 8163 के उपखंड (a) के पैराग्राफ (1) के तहत उपलब्ध फंड।

8169. (a) ELAC और अधीक्षक स्थानीय योजना परिषदों, प्रथम 5 कैलिफोर्निया आयोग, और प्रत्येक काउंटी के प्रथम 5 आयोग के साथ QRIS, कैलिफोर्निया प्रारंभिक हेड स्टार्ट कार्यक्रम, और अनुच्छेद 2 (धारा 8164 के साथ शुरू), अनुच्छेद 3 (धारा 8165 के साथ शुरू), और इस धारा के अनुसार स्थापित प्रीस्कूल विस्तार कार्यक्रमों को विकसित करने एवं निगरानी करने के लिए सहयोग करेंगे। ये व्यक्ति और संस्थाएँ कैलिफोर्निया बाल एवं परिवार अधिनियम 1998 (स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता का प्रभाग 108 (धारा 130100 के साथ शुरू)) के अनुसार उपलब्ध संसाधनों सहित स्थानीय, राजकीय, संघीय, और निजी संसाधनों का उपयोग ECE प्रणाली की दक्षता, शिक्षा और विकास प्रभावशीलता, और सामुदायिक जवाबदेही को उन्नत करने के लिए व्यापक प्रयास के हिस्से के रूप में साथ मिलकर काम करेंगे।

(b) ELAC राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में क्षेत्र की स्थानीय योजना परिषदों और क्षेत्र के काउंटी प्रथम 5 आयोगों (वैकल्पिक रूप से कैलिफोर्निया बाल एवं पारिवारिक आयोगों के रूप में ज्ञात) के साथ सार्वजनिक इनपुट और इस अधिनियम के तहत स्थापित कार्यक्रमों की प्रगति पर रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए हर साल कम से कम एक संयुक्त सार्वजनिक बैठक करेगा।

(c) धारा 8161 के उपखंड (a) के पैराग्राफ (4) के तहत दी गई फंड को इस धारा के द्वारा आवश्यक गतिविधियों के सहयोग करने और उनको आयोजित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

8170. (a) अधीक्षक प्रत्येक वित्तीय साल की समाप्ति के बाद 90 दिनों के भीतर इस अध्याय के तहत प्राप्त धन का लेखा अन्य समस्त प्राप्त या खर्च धन से अलग रखेंगे, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेंगे जिसमें वे ECE कार्यक्रम अपनी यथा उपलब्ध गुणवत्ता रेटिंग के साथ जिन्होंने धन प्राप्त किया, प्रत्येक कार्यक्रम द्वारा प्राप्त राशि, उनके द्वारा उपलब्ध सेवा प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या, बच्चों को प्राप्त सेवाओं के प्रकार, और यथा उपलब्ध बच्चे के प्राप्त परिणाम सूचीबद्ध होंगे। अधीक्षक रिपोर्ट तैयार होते ही उसे यथाशीघ्र अधीक्षक की इंटरनेट वेब साइट पर पोस्ट करेंगे और अपने मुख पृष्ठ पर इसके लिए एक लिंक उपलब्ध कराएंगे। रिपोर्ट को धारा 8236.1 के तहत जारी की गई रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। राजकोषीय निरीक्षण बोर्ड रिपोर्ट की सामग्री को सत्यापित करेगा और इसको धारा 14814 के उपखंड (a) द्वारा आवश्यक वार्षिक लेखापरीक्षण रिपोर्ट में शामिल करेगा।

(b) अधीक्षक निम्नलिखित में से सभी को भी करेंगे:

(1) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ECE प्रदाता गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं, अनुबंध प्रदान करने पर निगरानी।

(2) इस अध्याय के तहत वित्तपोषण प्राप्त करने वाले समस्त ECE प्रदाताओं के लिए एकसमान वित्तीय रिपोर्टिंग और स्वतंत्र वार्षिक लेखापरीक्षण को सुनिश्चित करना।

(3) इस अध्याय के तहत स्थापित कार्यक्रमों के किसी भी पहलू के बारे में शिकायतों को प्राप्त करना, जांच करना, और उन पर कार्रवाई करना।

8171. (a) अधिकतम 1 जुलाई 2014 तक, अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि जन्म से पाँच साल तक का हर बच्चा जो किसी ECE कार्यक्रम में भाग लेता है, उसको एक अद्वितीय पहचानसूचक आवंटित किया जाता है जिसको राज्यव्यापी प्रारंभिक शिक्षा सेवा डाटाबेस के भाग के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है और उसका रखरखाव किया जाता है।

(b) प्रारंभिक शिक्षा सेवा डेटाबेस कैलिफोर्निया लॉन्गिच्यूडनल प्यूपिल अचीवमेंट डेटा सिस्टम (CALPADS), या किसी भी उत्तराधिकारी छात्र-स्तरीय डेटा प्रणाली का अभिन्न हिस्सा होगा, जो किसी बच्चे के जन्म से लेकर 18 साल की उम्र तक शैक्षिक पथ को ट्रेस कर सके, ताकि बच्चे के अद्वितीय पहचानसूचक के माध्यम से किसी भी बच्चे की ECE भागीदारी सहित उसका पूर्ण शैक्षिक इतिहास, स्वचालित रूप से सुलभ हो जाएगा।

(c) कम से कम, प्रारंभिक शिक्षा सेवा डेटाबेस में प्रत्येक बच्चे के लिए निम्न में से सभी शामिल होगा:

(1) प्रत्येक साल बच्चे के निवास का जिप कोड।

(2) प्रत्येक साल बच्चे ने क्या ECE सेवाएं प्राप्त कीं, जैसे क्या बच्चे ने पूर्णदिवसीय कार्यक्रम में भाग लिया या अर्द्धदिवसीय कार्यक्रम में।

(3) वह सेटिंग जिसमें ECE सेवाओं को दिया गया।

(4) वह एजेंसी जिसने ECE सेवाओं को दिया।

(5) उस ECE प्रदाता के लिए QRIS रेटिंग एवं कोई और अन्य उपलब्ध गुणवत्ता रेटिंग।

(6) बच्चे का किंडरगार्टन-तत्परता मूल्यांकन, यदि उपलब्ध है, जिसमें शामिल है, लेकिन इस तक सीमित नहीं है, बच्चे की प्राथमिक घरेलू भाषा, प्रवाह का स्तर, और क्या प्रारंभिक हस्तक्षेप के लिए बच्चे की जाँच की गई थी।

(d) इस धारा को लागू करने के लिए धारा 8161 के उपखंड (a) के पैराग्राफ (3) में आवंटित वार्षिक राशि तक CALPADS की वास्तविक लागत के लिए प्रतिपूर्ति की जाएगी।

8172. अधीक्षक इस अध्याय को लागू करने के लिए आपातकालीन विनियमों सहित विनियमों को जारी करेंगे।

खंड 7. पीनल कोड की धारा 425 को इस प्रकार संशोधित किया गया है:

425. *(a)* सार्वजनिक धन की प्राप्ति, उसको सुरक्षित रखने, या उसके वितरण के लिए प्रभारित के लिए प्रत्येक अधिकारी, जो कानून द्वारा निर्धारित तरीके से ऐसा करने में विफल रहता है, वह एक गंभीर अपराध का दोषी है।

(b) हर अधिकारी जिस पर शिक्षा संहिता की धाराओं 14803, 14804, 14805, 14806 और 14807 के अनुसार धन आवंटन या वितरण का प्रभार है, जो जान-बूझकर प्रत्येक लोकल एज्युकेशन एजेंसी और प्रत्येक स्कूल के लिए धन का आवंटन करने या वितरण करने में प्रति छात्र के आधार पर निर्दिष्ट किए गए के अनुसार करने में विफल रहता है, एक गंभीर अपराध का दोषी है, जो अटार्नी जनरल द्वारा मुकदमा चलाए जाने के अधीन है, या अगर वह तुरंत कार्रवाई करने में विफल रहता है तो किसी काउंटी के जिला अटार्नी द्वारा। अटार्नी जनरल, या अगर अटार्नी जनरल कार्रवाई करने में विफल रहते हैं, तो किसी काउंटी के जिला अटॉर्नी, शीघ्रता से जांच करेंगे और शिक्षा संहिता की धाराओं 14803, 14804, 14805, 14806, एवं 14807 के उल्लंघन में धन के किसी आवंटन या वितरण के लिए आपराधिक दंड और तत्काल न्यायिक राहत की माँग कर सकते हैं। इस उपखंड का उल्लंघन करने वाला दोषी व्यक्ति धारा 18 के अनुसार दंडित किया जाएगा और उसको इस राज्य में किसी भी पद के लिए अपात्र कर दिया जाएगा।

खंड 8. राजस्व और कराधान संहिता की धारा 17041.1 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

17041.1. (a) 1 जनवरी 2013 को या उसके बाद शुरु होने वाले प्रत्येक कर योग्य साल के लिए, किसी अन्य इस हिस्से द्वारा लगाए गए किसी अन्य करों के अलावा, एक अतिरिक्त कर को एतद्द्वारा किसी करदाता की कर योग्य आय पर लगाया जाता है जिसकी गणना धारा 17041 के उपखंड (a) के तहत कैलिफोर्निया एजुकेशन ट्रस्ट फंड का समर्थन करने के लिए की गई है। 1 जनवरी 2013 को या उसके बाद शुरु होने वाले प्रत्येक कर योग्य साल के लिए, और 1 जनवरी 2014 से पहले, अतिरिक्त कर की गणना निम्न दर तालिका के आधार पर की जाएगी, जिसमें कर ब्रेकेटों को 2011 और 2013 के बीच कैलिफोर्निया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन के लिए धारा 17041 के उपखंड (h) में दिए गए अनुसार समायोजित किया गया है:

यदि कर योग्य आय है:	*तो कर योग्य आय पर अतिरिक्त कर है:*
$7,316 से अधिक नहीं	*0*
$7,316 से अधिक लेकिन $17,346 से अधिक नहीं	*$7,316 से अधिक का 0.4%*
$17,346 से अधिक लेकिन $27,377 से अधिक नहीं	*$40 जमा $17,346 से अधिक का 0.7%*
$27,377 से अधिक लेकिन $38,004 से अधिक नहीं	*$110 जमा $27,377 से अधिक का 1.1%*
$38,004 से अधिक लेकिन $48,029 से अधिक नहीं	*$227 जमा $38,004 से अधिक का 1.4%*
$48,029 से अधिक लेकिन $100,000 से अधिक नहीं	*$368 जमा $48,029 से अधिक का 1.6%*
$100,000 से अधिक लेकिन $250,000 से अधिक नहीं	*$1,199 जमा $100,000 से अधिक का 1.8%*
$250,000 से अधिक लेकिन $500,000 से अधिक नहीं	*$3,899 जमा $250,000 से अधिक का 1.9%*
$500,000 से अधिक लेकिन $1,000,000 से अधिक नहीं	*$8,649 जमा $500,000 से अधिक का 2.0%*
$1,000,000 से अधिक लेकिन $2,500,000 से अधिक नहीं	*$18,649 जमा $1,000,000 से अधिक का 2.1%*
$2,500,000 से अधिक	*$50,149 जमा $2,500,000 से अधिक का 2.2%*

(b) 1 जनवरी 2013 को या उसके बाद शुरु होने वाले प्रत्येक कर योग्य साल के लिए, किसी अन्य इस हिस्से द्वारा लगाए गए किसी अन्य करों के अलावा, एक अतिरिक्त कर को एतद्द्वारा किसी करदाता की कर योग्य आय पर लगाया जाता है जिसकी गणना धारा 17041 के उपखंड (c) के तहत कैलिफोर्निया एजुकेशन ट्रस्ट फंड का समर्थन करने के लिए की गई है। 1 जनवरी 2013 को या उसके बाद शुरु होने वाले प्रत्येक कर योग्य साल के लिए, और 1 जनवरी 2014 से पहले, अतिरिक्त कर की गणना निम्न दर तालिका के आधार पर की जाएगी, जिसमें कर ब्रेकेटों को 2011 और 2013 के बीच कैलिफोर्निया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन के लिए धारा 17041 के उपखंड (h) में दिए गए अनुसार समायोजित किया गया है:

यदि कर योग्य आय है:	*तो कर योग्य आय पर अतिरिक्त कर है:*
$14,642 से अधिक नहीं	*0%*
$14,642 से अधिक लेकिन $34,692 से अधिक नहीं	*$14,642 से अधिक का 0.4%*
$34,692 से अधिक लेकिन $44,721 से अधिक नहीं	*$80 जमा $34,692 से अधिक का 0.7%*
$44,721 से अधिक लेकिन $55,348 से अधिक नहीं	*$150 जमा $44,721 से अधिक का 1.1%*
$55,348 से अधिक लेकिन $65,376 से अधिक नहीं	*$267 जमा $55,348 से अधिक का 1.4%*
$65,376 से अधिक लेकिन $136,118 से अधिक नहीं	*$408 जमा $65,376 से अधिक का 1.6%*
$136,118 से अधिक लेकिन $340,294 से अधिक नहीं	*$1,540 जमा $136,118 से अधिक का 1.8%*
$340,294 से अधिक लेकिन $680,589 से अधिक नहीं	*$5,215 जमा $340,294 से अधिक का 1.9%*
$680,589 से अधिक लेकिन $1,361,178 से अधिक नहीं	*$11,680 जमा $680,589 से अधिक का 2.0%*
$1,361,178 से अधिक लेकिन $3,402,944 से अधिक नहीं	*$25,292 जमा $1,361,178 से अधिक का 2.1%*
$3,402,944 से अधिक	*$68,169 जमा $3,402,944 से अधिक का 2.2%*

(c) 1 जनवरी 2014 को या उसके बाद शुरु होने वाले प्रत्येक कर योग्य साल के लिए, इस धारा के तहत लागू अतिरिक्त कर की गणना उपखंडों (a) एवं (b) में वर्णित कर दर तालिका के आधार पर की जाएगी, जिसमें 1 जनवरी 2013 को या उसके बाद शुरु होने वाले प्रत्येक कर योग्य साल के लिए, और 1 जनवरी 2014 से पहले प्रभावी ब्रेकेट हैं, जिनको कैलिफोर्निया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन के लिए धारा 17041 के उपखंड (h) में दिए गए अनुसार समायोजित किया गया है।

(d) उपखंडों (e) और (f) के सिवाय, इस धारा के तहत लगाए गए अतिरिक्त कर इस संहिता के सभी अन्य प्रावधानों के प्रयोजनों के लिए धारा 17041 के तहत

लगाए गए समझे जाएंगे, जिसमें संयुक्त प्रतिलाभों से संबंधित धारा 17045 या अन्य कोई उत्तराधिकारी प्रावधान शामिल हैं।

(e) उस धारा के तहत लगाए गए अतिरिक्त कर से उत्पन्न राजस्व की अनुमानित राशि, रिफंड को घटाकर, मासिक आधार पर कैलिफोर्निया एजुकेशन ट्रस्ट फंड में जमा किया जाएगा, जिसको शिक्षा संहिता की धारा 14801 के द्वारा ऐसे तरीके से स्थापित किया गया है जो इस संहिता की धारा 19602.5 में उल्लिखित प्रक्रिया से मेल खाता है और इस धारा के तहत लगाए गए अतिरिक्त कर के आधार पर फ्रेंचाइज टैक्स बोर्ड द्वारा 1 दिसंबर 2012 से पहले विनियमन द्वारा स्थापित किया गया है। इस धारा के द्वारा अधिकृत विनियमन को अपनाने, संशोधित करने, या निरसित करने को एतद्द्वारा प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के खंड 3 के भाग 1 का अध्याय 3.5 (धारा 11340 के साथ शुरू) के नियम बनाने के प्रावधानों से छूट दी गई है।

(f) सरकारी संहिता की धारा 13340 के होते हुए भी, कैलिफोर्निया एजुकेशन ट्रस्ट फंड को एतद्द्वारा वित्तीय साल के संबंध के बिना विनियोजित किया जाता है, केवल हमारे बच्चे, हमारे भविष्य के वित्त पोषण के लिए: स्थानीय स्कूल और प्रारंभिक शिक्षा निवेश एवं बाँड ऋण में कमी अधिनियम।

(g) इस धारा के तहत लगाए गए अतिरिक्त कर 1 जनवरी 2025 को या उसके बाद शुरू किसी भी कर योग्य साल पर लागू नहीं होते हैं, सिवाय उसके जहाँ किसी उपाय में उपलब्ध कराया गया हो जो हमारे बच्चे, हमारे भविष्य का विस्तार करता है: स्थानीय स्कूल और प्रारंभिक शिक्षा निवेश और बाँड ऋण में कमी अधिनियम और नवंबर 2024 में पहले सोमवार के बाद पहले मंगलवार को या उससे पहले किसी राज्यव्यापी चुनाव में मतदाताओं ने मंजूरी दे दी है।

खंड 9. राजस्व और कराधान संहिता की धारा 19602 इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

19602. धारा 17935, 17941, 17948, 19532 एवं 19561 के तहत एकत्र राशि के सिवाय, ~~और~~ धारा 19602.5 के अनुसार जमा राजस्व *और धारा 17041.1 के अनुसार एकत्र राजस्व*, फ्रेंचाइज टैक्स बोर्ड द्वारा भाग 10 (धारा 17001 के साथ शुरू) के तहत लगाए गए के रूप में राशि, और संबंधित दंड, कर में जोड़, और इस भाग के अंतर्गत लगाए गए ब्याज को प्रेषण की निकासी के बाद राजकीय कर बोर्ड द्वारा प्राप्त प्रेषण को राजकीय फंड में जमा किया जाएगा और व्यक्तिगत आयकर फंड में क्रेडिट किया जाएगा।

खंड 10. पृथक्कीकरण।

इस अधिनियम के प्रावधान पृथक्करणीय हैं। यदि इस उपाय का कोई प्रावधान या इस उपाय के किसी प्रावधान की अनुप्रयोज्यता को किसी भी व्यक्ति या परिस्थितियों के लिए असंवैधानिक या अन्यथा अमान्य पाया जाता है, तो निष्कर्षों का प्रभाव अन्य व्यक्तियों या परिस्थितियों के लिए अधिनियम के अन्य प्रावधानों या इस उपाय की अनुप्रयोज्यता पर नहीं होगा।

खंड 11. परस्पर विरोधी पहलें।

(a) किसी भी करदाता या करदाताओं के समूह के लिए कैलिफोर्निया में व्यक्तिगत आय कर की दर में संशोधन करने वाले, या खुदरा क्षेत्र में अमूर्त निजी संपत्ति की बिक्री करने के लिए विशेषाधिकार के लिए खुदरा विक्रेताओं पर लगाए गए कर की दर में संशोधन करने वाले, या इस राज्य में किसी खुदरा विक्रेता से भंडारण, उपयोग या अन्य उपभोग के लिए खरीदी गई अमूर्त निजी संपत्ति पर इस राज्य में अमूर्त निजी संपत्ति के भंडारण, उपयोग या अन्य उपभोग पर लागू आबकारी कर की दर में संशोधन करने वाले इस उपाय या अन्य उपाय उसी राज्यव्यापी चुनाव मतपत्र पर प्रदर्शित होगा, दर में संशोधन करने वाले उपाय एवं इस उपाय के समस्त प्रावधान जो इसके दर में संशोधन करने वाले प्रावधानों द्वारा वित्त पोषित हैं, इस उपाय के साथ संघर्ष में समझे जाएंगे। इस उपाय के अन्य उपायों की तुलना में अधिक सकारात्मक मत प्राप्त करने की दशा में अन्य उपाय के दर में संशोधन करने वाले प्रावधान, और उस उपाय के समस्त प्रावधान जो दर में संशोधन करने वाले प्रावधानों से वित्त पोषित हैं, उनको अशक्त और अमान्य माना जाएगा, और इस उपाय के प्रावधान लागू होंगे।

(b) अन्य प्रावधानों के बीच टकरावों का समाधान, जो उपखंड (a) के अधीन नहीं हैं, कैलिफोर्निया के संविधान के अनुच्छेद II की धारा 10 के उपखंड (b) के अनुसार किया जाएगा।

खंड 12. संशोधन।

इस अधिनियम में एक राज्यव्यापी आम चुनाव में लोगों के बहुमत के अलावा संशोधन नहीं किया जा सकता है।

खंड 13. प्रभावी तिथियाँ और समय-सीमा समाप्ति।

(a) यह उपाय इसको लागू करने के बाद के दिन से प्रभावी होगा। इस उपाय के विभिन्न प्रावधानों के लिए संचालन तिथियाँ वह होंगी जो इस अधिनियम में उल्लिखित होंगी।

(b) इस अधिनियम के तहत जोड़े गए राजस्व और कराधान संहिता की धारा 17041.1 के उपखंडों (a) एवं (b) द्वारा लगाए गए कर संचालित नहीं रहेंगे और 31 दिसंबर 2024 को समाप्त हो जाएंगे, जब तक कि मतदाता बहुमत द्वारा नवंबर 2024 में पहले सोमवार के बाद पहले मंगलवार या उसके बाद होने वाले एक राज्यव्यापी चुनाव में अधिनियम के विस्तार को स्वीकृत न कर दे।

प्रस्ताव 39

यह प्रयास कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद II की धारा 8 के अनुसार लोगों को प्रस्तुत किया गया है।

यह पहल उपाय सार्वजनिक संसाधन संहिता और राजस्व एवं कराधान संहिता में संशोधन करती है, धाराओं में निरसन करती है और जोड़ती है, इसलिए निरसित किए जाने के लिए प्रस्तावित मौजूदा प्रावधानों को ~~स्ट्राइक आउट~~ प्रकार से मुद्रित किया है और जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधानों को *इटैलिक प्रकार* में मुद्रित किया गया ताकि संकेत मिल सके कि वे नए हैं।

प्रस्तावित कानून

कैलिफोर्निया स्वच्छ ऊर्जा रोजगार अधिनियम

खंड 1. कैलिफोर्निया राज्य के लोग एतद्द्वारा निम्नलिखित समस्त बिंदु पाते व घोषित करते हैं:

(1) कैलिफोर्निया एक विनाशकारी मंदी से पीड़ित है जिसने एक मिलियन से अधिक कैलिफोर्नियावासियों को काम से बाहर कर दिया है।

(2) वर्तमान कर कानून बहुराजकीय कंपनियों को कैलिफोर्निया में नौकरी तलाशने और रोजगार पैदा करने वाली कैलिफोर्निया की कंपनियों को प्रतिस्पर्धात्मक नुकसान में डालने, दोनों के लिए हतोत्साहित करते हैं।

(3) इस समस्या का समाधान करने के लिए, अधिकाँश अन्य राज्यों ने अपने कानूनों में बहुराजकीय कंपनियों पर उस राज्य में बिक्री के प्रतिशत पर कर लगाने के लिए संशोधन किया है, जिसे एक "एकल बिक्री कारक" कर दृष्टिकोण के रूप में संदर्भित किया गया है।

(4) यदि कैलिफोर्निया एकल बिक्री कारक दृष्टिकोण को अपनाए, तो स्वतंत्र विधान विश्लेषक कार्यालय का अनुमान है कि राज्य के राजस्व प्रति साल 1.1 बिलियन डॉलर की वृद्धि होगी और 40,000 कैलिफोर्निया नौकरियों का शुद्ध लाभ होगा।

(5) इसके अलावा, बढ़े राजस्व के एक हिस्से को ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए समर्पित करके, कैलिफोर्निया सीधे दसियों हजार

38
39

अतिरिक्त नौकरियों का सृजन कर सकता है, जिससे बेरोजगारी में कमी होगी, हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, और ऊर्जा पर करदाताओं के पैसे की बचत होगी।

(6) अतिरिक्त राजस्व वर्तमान कैलिफोर्निया के कानून के साथ संगत सार्वजनिक स्कूलों के लिए उपलब्ध होगा।

खंड 2. प्रभाग 16.3 (धारा 26200 के साथ शुरू) को सार्वजनिक संसाधन संहिता में जोड़ा गया है, ताकि इस प्रकार पढ़ा जा सके:

प्रभाग 16.3. स्वच्छ ऊर्जा रोजगार सृजन

अध्याय 1. सामान्य प्रावधान

26200. इस प्रभाग को कैलिफोर्निया स्वच्छ ऊर्जा रोजगार अधिनियम के रूप में जाना जाएगा और उद्धृत किया जाएगा।

26201. इस प्रभाग के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:

(a) कैलिफोर्निया में अच्छा भुगतान करने वाले ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ ऊर्जा रोजगार का सृजन।

(b) कैलिफोर्निया के निवासियों को स्कूलों और सार्वजनिक भवनों की मरम्मत करने और उनको अद्यतन करने पर लगाना ताकि उनकी ऊर्जा दक्षता में सुधार हो सके और अन्य स्वच्छ ऊर्जा सुधार कर सकें जो रोजगार का सृजन करते हैं और ऊर्जा व पैसे की बचत करते हैं।

(c) वाणिज्यिक और आवासीय इमारतों की ऊर्जा दक्षता में सुधार करने वाले निजी क्षेत्र के नए रोजगार के सृजन को बढ़ावा देना।

(d) उपलब्ध फंड के साथ रोजगार सृजन और ऊर्जा लाभ की अधिकतम मात्रा को प्राप्त करना।

(e) कैलिफोर्निया ऊर्जा आयोग और कैलिफोर्निया सार्वजनिक सुविधा आयोग के साथ समन्वय में कैलिफोर्निया के लिए उन्नत आर्थिक और ऊर्जा लाभों को पैदा करने के लिए मौजूदा ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रमों को पूरित करना और उनसे लाभ उठाना।

(f) व्यय किए समस्त धन और रोजगार और प्राप्त लाभों का एक पूर्ण सार्वजनिक लेखा उपलब्ध कराना ताकि इस प्रभाग के अनुसार वित्त पोषित कार्यक्रमों और परियोजनाओं की समीक्षा और मूल्यांकन किया जा सके।

अध्याय 2. स्वच्छ ऊर्जा रोजगार सृजन फंड

26205. स्वच्छ ऊर्जा रोजगार सृजन फंड को एतद्द्वारा राजकीय फंड में स्थापित किया जाता है। धारा 26208 में उपलब्ध कराए गए को छोड़कर, पांच सौ पचास मिलियन डॉलर ($550,000,000) की राशि को वित्तीय साल 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17 और 2017–18 में सामान्य फंड में रोजगार सृजन फंड के लिए हस्तांतरित किया जाएगा। फंड में से धन उन परियोजनाओं के विनियोग के प्रयोजनों के लिए उपलब्ध होगा जो ऊर्जा दक्षता में सुधार करके और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का विस्तार करके कैलिफोर्निया में रोजगार के अवसर पैदा करती हैं, निम्नलिखित में से समस्त सहित:

(a) स्कूल एवं सार्वजनिक सुविधाएं:

(1) सार्वजनिक स्कूल: संबंधित सुधार और मरम्मत सहित ऊर्जा दक्षता मरम्मत और स्वच्छ ऊर्जा संस्थापन जो सार्वजनिक स्कूलों में परिचालन लागत को कम करने और स्वास्थ्य और सुरक्षा की स्थिति को बेहतर बनाने में योगदान करते हैं।

(2) विश्वविद्यालय और कॉलेज: ऊर्जा दक्षता मरम्मत, स्वच्छ ऊर्जा संस्थापन, और अन्य ऊर्जा प्रणाली सुधार जो लागत में कमी करते हैं और ऊर्जा एवं पर्यावरणीय लाभ प्राप्त करते हैं।

(3) अन्य सार्वजनिक भवन और सुविधाएं: सार्वजनिक सुविधाओं पर किफायती ऊर्जा दक्षता मरम्मत और स्वच्छ ऊर्जा संस्थापनों के लिए परिक्रामी ऋण फंडों, कम ब्याज ऋण, या वित्तीय सहायता सहित वित्तीय और तकनीकी सहायता।

(b) रोजगार प्रशिक्षण और कार्यबल विकास: ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं पर वंचित युवाओं, बुजुर्गों, और दूसरों को प्रशिक्षित करने और नियोजित करने के लिए कैलिफोर्निया संरक्षण कोर, प्रमाणित सामुदायिक संरक्षण कोर, यूथबिल्ड, और अन्य मौजूदा कार्यबल विकास कार्यक्रमों के लिए वित्पोषण।

(c) अन्य सार्वजनिक-व्यक्तिगत साझेदारी: संपत्ति मूल्यांकन स्वच्छ ऊर्जा (PACE) कार्यक्रमों को स्थापित करने और उनका सुधार करने में स्थानीय सरकारों को सहायता या इसी प्रकार की किफायती मरम्मतों के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता जिसमें चुकौती आवश्कताएं शामिल हैं। वित्त पोषण को प्राथमिकता रोजगार सृजन, ऊर्जा बचत, और भौगोलिक और आर्थिक इक्विटी को अधिकतम करने के लिए दी जाएगी। जहां संभव हो, चुकौती राजस्व का इस्तेमाल परिक्रामी ऋण फंडों को बनाने या इसी तरह के चालू वित्तीय सहायता कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा ताकि रोजगार सृजन के लाभ जारी रखे जा सकें।

26206. रोजगार सृजन फंड में से समस्त व्ययों के लिए निम्नलिखित मानदंड लागू होते हैं:

(a) परियोजना के चयन और निरीक्षण को ऊर्जा परियोजनाओं और कार्यक्रमों के प्रबंधन में विशेषज्ञता वाली मौजूदा राज्य और स्थानीय सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित किया जाएगा।

(b) सभी परियोजनाओं का चयन प्रत्येक परियोजना के प्रकार के लिए राज्य में रोजगार सृजन और ऊर्जा लाभ के आधार पर किया जाएगा।

(c) सभी परियोजनाएं किफायती होंगी: कुल लाभ समय के साथ परियोजना लागत की तुलना में अधिक होंगे। परियोजना के चयन में ऊर्जा के लाभ के अलावा स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे गैर-ऊर्जा लाभों पर विचार शामिल हो सकता है।

(d) सभी परियोजनाओं के लिए ऐसे अनुबंधों की आवश्यकता होगी जो परियोजना विनिर्देशों, लागतों और अनुमानित ऊर्जा बचतों की पहचान करते हैं।

(e) सभी परियोजनाएं लेखा परीक्षा के अधीन होंगी।

(f) कार्यक्रम की ओवरहैड लागत कुल वित्तपोषण के 4 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(g) वित्तपोषण को केवल उन एजेंसियों के लिए विनियोजित किया जाएगा जिनको ऊर्जा परियोजनाओं और कार्यक्रमों के प्रबंधन में विशेषज्ञता के साथ स्थापित किया गया है।

(h) सभी कार्यक्रमों को कैलिफोर्निया ऊर्जा आयोग और कैलिफोर्निया सार्वजनिक सुविधा आयोग के साथ समन्वित किया जाएगा ताकि दोहराव से बचा जा सके और मौजूदा ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ ऊर्जा के प्रयासों का अधिकतम लाभ उठाया जा सके।

(i) पात्र व्यय में तकनीकी सहायता से जुड़ी लागतें, और परियोजनाओं की लागतों को कम करने और विलंब से संबंधित लागतें, जैसे उन प्रक्रियाओं का विकास एवं कार्यान्वियन जो डिजाइन की लागत को कम करते हैं, जिससे परियोजना को पूरा करने और रोजगार सृजन की अनुमति या वित्तपोषण या अन्य बाधाओं की अनुमति।

26208. यदि वित्त विभाग और विधान विश्लेषक संयुक्त रूप से तय करते हैं कि राजस्व और कराधान संहिता की धारा 25128, 25128.5, 25128.7 एवं 25136 में संशोधन करने, जोड़ने, या निरसित करने के फलस्वरूप राजस्व में अनुमानित वार्षिक वृद्धि एक बिलियन एक सौ मिलियन डॉलर्स ($1,100,000,000) से कम है तो रोजगार सृजन फंड को हस्तांतरित राशि में राजस्व में अनुमानित वार्षिक वृद्धि के आधे के बराबर राशि को कम किया जाएगा।

अध्याय 3. जबावदेही, निष्पक्ष लेखा परीक्षण, सार्वजनिक खुलासा

26210. (a) नागरिक पर्यवेक्षण बोर्ड इसके द्वारा बनाया गया है।

(b) बोर्ड में नौ सदस्य होंगे: तीन सदस्यों की नियुक्ति कोषाध्यक्ष द्वारा की जाएगी, तीन सदस्यों की नियुक्ति नियंत्रक द्वारा और तीन सदस्यों की नियुक्ति अटॉर्नी जनरल

द्वारा की जाएगी। प्रत्येक नियुक्ति कार्यालय एक सदस्य की नियक्ति करेगा, जो निम्नलिखित मानदंडों में से प्रत्येक को पूरा करता है:

(1) भवन निर्माण या डिजाइन में ज्ञान और विशेषज्ञता के साथ कोई इंजीनियर, वास्तुकार, या अन्य पेशेवर।

(2) वित्तीय लेनदेन और कार्यक्रम की किफायत के मूल्यांकन में ज्ञान और विशेषज्ञता के साथ कोई लेखाकार, अर्थशास्त्री, या अन्य पेशेवर।

(3) ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ ऊर्जा, या ऊर्जा प्रणालियों और कार्यक्रमों में कोई तकनीकी विशेषज्ञ।

(c) कैलिफोर्निया सार्वजनिक सुविधा आयोग और कैलिफोर्निया ऊर्जा आयोग में से प्रत्येक बोर्ड पर सेवा करने के लिए पदेन सदस्यों को नामित करेंगे।

(d) बोर्ड निम्न में से सभी को करेगा:

(1) रोजगार सृजन फंड में से समस्त व्ययों के लिए वार्षिक समीक्षा।

(2) रोजगार सृजन फंड को कमीशन करना और वार्षिक निष्पक्ष समीक्षा करना और इस प्रभाग के उद्देश्यों को पूरा करने में व्यय की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए पूरी की गई परियोजनाओं का चयन।

(3) जानकारी को सार्वजनिक रूप से सुलभ इंटरनेट वेब साइट पर पोस्ट करते हुए प्रत्येक साल सभी व्ययों का पूरा लेखा प्रकाशित करना।

(4) विधायिका को इस प्रभाग के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक परिवर्तन की पहचान करने के लिए कार्यक्रम के मूल्यांकन को जमा करना।

अध्याय 4. परिभाषाएं

26220. निम्नलिखित परिभाषाएं इस प्रभाग पर लागू होंगी:

(a) "स्वच्छ ऊर्जा" का मतलब है एक उपकरण या प्रौद्योगिकी जो धारा 26003 में "अक्षय ऊर्जा" की परिभाषा को पूरा करता है, या उन्नत ऊर्जा प्रबंधन या दक्षता के लिए योगदान देता है।

(b) "बोर्ड" का मतलब है नागरिक धारा 26210 में स्थापित पर्यवेक्षण बोर्ड।

(c) "रोजगार सृजन फंड" का मतलब है धारा 26205 में स्थापित स्वच्छ ऊर्जा रोजगार सृजन फंड।

(d) "कार्यक्रम ओवरहैड लागत" में इस प्रभाग के अनुसार राज्य एजेंसी विकास और फंड कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए स्टाफ शामिल है, लेकिन तकनीकी सहायता, मूल्यांकन, मापन, और सत्यापन, या परियोजना दक्षता को बढ़ाने या निष्पादन से संबंधित लागतों, और स्थानीय कार्यान्वियन से संबंधित लागतों को छोड़कर।

खंड 3. राजस्व और कराधान संहिता की धारा 23101 इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

23101. (a) "व्यापार करने" का मतलब है वित्तीय या आर्थिक लाभ या फायदे के प्रयोजन के लिए किसी भी लेन-देन में सक्रिय रूप से लिप्त होना।

(b) 1 जनवरी 2011 को या उसके बाद शुरु होने वाले कर योग्य साल के लिए, एक करदाता इस राज्य में किसी कर योग्य साल के लिए व्यापार करता है यदि निम्न में से कोई भी शर्त संतुष्ट हो जाती है:

(1) करदाता इस राज्य में संगठित है या वाणिज्यिक रूप से अधिवासित है।

(2) धारा 25120 के उपखंड (e) या (f) में परिभाषित के अनुसार, जो कर योग्य साल के लिए लागू है, इस राज्य में किसी करदाता की बिक्री पांच सौ हजार डॉलर ($500,000) या करदाता की कुल बिक्री के 25 प्रतिशत में से जो भी कम हो, उससे अधिक है। इस पैराग्राफ के प्रयोजनों के लिए, करदाता की बिक्री में किसी एजेंट या करदाता के स्वतंत्र ठेकेदार द्वारा बिक्री शामिल हैं। इस पैराग्राफ के प्रयोजनों के लिए, इस राज्य में बिक्री का निर्धारण ~~धारा~~ *धाराएं* 25135 और ~~धारा~~ 25136 ~~के उपखंड (b)~~, और इनके तहत बनाए गए विनियमों, जिनको धारा 25137 के तहत संशोधित किया गया है, के तहत बनाए गए नियमों का उपयोग करके किया जाएगा।

(3) इस राज्य में कर दाता की अचल संपत्ति और मूर्त निजी संपत्ति पचास हजार डॉलर ($50,000) या कर दाता की कुल अचल संपत्ति और मूर्त निजी संपत्ति के 25 प्रतिशत, जो भी कम हो, उससे अधिक है। अचल संपत्ति और मूर्त निजी संपत्ति का मूल्य और यह निर्धारण कि क्या यह संपत्ति इस राज्य में स्थिति है, धाराओं 25129 से लेकर 25131, समावेशी, में निहित नियमों, और उनके तहत विनियमों के अनुसार किया जाएगा, जो धारा 25137 के तहत विनियमन द्वारा संशोधित किए गए हैं।

(4) इस राज्य में मुआवजे के लिए करदाता द्वारा भुगतान की गई राशि, जैसे कि धारा 25120 के उपखंड (c) में परिभाषित है, पचास हजार डॉलर ($50,000) या करदाता द्वारा भुगतान किए गए कुल मुआवजे के 25 प्रतिशत में से जो भी कम हो, से अधिक है। इस राज्य में मुआवजे का निर्धारण पेरोल को निर्दिष्ट करने के लिए धारा 25133 में निहित नियमों और उनके तहत विनियमों के अनुसार किया जाएगा, जो धारा 25137 के तहत विनियमन द्वारा संशोधित किए गए हैं।

(c) (1) फ्रेंचाइज टैक्स बोर्ड धारा 17041 के उपखंड (h) के अनुसार उपखंड (b) के अनुच्छेदों (2), (3) और (4) में राशि को सालाना संशोधित करेगा।

(2) अनुच्छेद (1) द्वारा आवश्यक समायोजन के प्रयोजनों के लिए धारा 17041 के उपखंड (h) को "1988" के एवज में "2012" को प्रतिस्थापित करके लागू किया जाएगा।

(d) करदाता की बिक्री, संपत्ति, पेरोल में करदाता का यथानुपात या पास-थ्रू संस्थाओं का वितरण पात्र हिस्सा शामिल है। इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, "पास-थ्रू संस्थाओं" का मतलब है एक साझेदारी या एक "S" निगम।

खंड 4. राजस्व और कराधान संहिता की धारा 25128 इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

25128. (a) धारा 38006 के होते हुए भी, *1 जनवरी 2013 से पहले शुरू होने वाले कर योग्य वर्षों के लिए* सभी व्यापारिक आय को व्यापारिक आय को एक अंश से गुणा करके इस राज्य के लिए विभाजित किया जाएगा, जिसका अंश संपत्ति कारक प्लस पेरोल कारक प्लस बिक्री कारक का दोगुना है, और उसका हर उपखंड (b) या (c) में प्रदत्त के सिवाय चार है।

(b) यदि विभाजित व्यापार या कारोबार अपनी "सकल व्यापार प्राप्तियों" के 50 प्रतिशत को एक या एक से अधिक पात्र व्यापारों को करके प्राप्त करता है तो समस्त विभाजित व्यापार या कारोबार की आय को व्यापारिक आय को व्यापारिक आय को एक अंश से गुणा करके इस राज्य के लिए विभाजित किया जाएगा, जिसका अंश संपत्ति कारक प्लस पेरोल कारक प्लस बिक्री कारक है, और उसका हर तीन है।

(c) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, एक "पात्र व्यावसायिक गतिविधि" का मतलब निम्नलिखित है:

(1) एक कृषि व्यापार गतिविधि।

(2) एक निष्कर्षित व्यापार गतिविधि।

(3) एक बचत एवं ऋण गतिविधि।

(4) बैंकिंग या वित्तीय कारोबार गतिविधि।

(d) इस धारा के प्रयोजनों के लिए:

(1) "सकल व्यापार प्राप्ति" का मतलब है धारा 25120 के उपखंड (e) या (f) में वर्णित सकल प्राप्ति (किसी विभाज्य व्यापार या कारोबार के भीतर निगमों के समूहों के सदस्यों के बीच लेन-देन के अलावा बिक्री से प्राप्ति जिनकी आय और प्रभाजन कारकों को धारा 25101, सीमित, यदि लागू है, के तहत धारा 25137 के तहत एक संयुक्त रिपोर्ट में शामिल किया जाना आवश्यक है, यदि लागू हो, 25110 धारा) के द्वारा, चाहे या नहीं प्राप्तियों बिक्री कारक से आपरेशन द्वारा बाहर रखा गया है।

(2) "कृषि व्यापार गतिविधि" का मतलब है किसी भी स्टॉक, डेयरी, मुर्गी पालन, फल, फर वाले पशु, ट्रक फार्म, वृक्षारोपण, खेत, नर्सरी, या सीमा से संबंधित गतिविधियाँ। "कृषि कारोबार गतिविधि" में मिट्टी की खेती करने या किसी भी कृषि या बागवानी वस्तु को उगाने या कटाई करने सहित संबंधित गतिविधियाँ शामिल

है, जिसमें शामिल हैं लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं, किसी फार्म पर पशुओं का उत्पादन, कर्तन, भोजन, देखभाल, प्रशिक्षण, या प्रबंधन और साथ ही फार्म पर किसी कृषि या बागवानी वस्तु का इसकी अनिर्मित अवस्था में रखरखाव, सुखाना, पैकिंग, ग्रेडिंग, या भंडारण करना, लेकिन केवल तभी जब अगर फार्म के मालिक, किरायेदार या ऑपरेटर नियमित रूप से किसी वस्तु के आधे से अधिक का उत्पादन करते हैं।

(3) "निष्कर्षित व्यावसायिक गतिविधि" का मतलब है तेल, प्राकृतिक गैस, या खनिज अयस्क के उत्पादन, शोधन, या प्रसंस्करण से संबंधित गतिविधियाँ।

(4) "बचत और ऋण गतिविधि" का मतलब है बचत एवं ऋण द्वारा या बचत बैंकों द्वारा निष्पादित गतिविधियाँ जिनको संघीय या राज्य कानून द्वारा चार्टर्ड किया गया है।

(5) "बैंकिंग या वित्तीय कारोबार गतिविधि" का मतलब है राष्ट्रीयकृत बैंकों के कारोबार के साथ पर्याप्त प्रतिस्पर्धा में धन या धन संबंधी लेन-देन के कारण गतिविधियाँ।

(6) "व्यापार या कारोबार का प्रभाजन" का मतलब है एक विशिष्ट व्यापार या कारोबार जिसकी व्यापारिक आय को धाराओं 25101 एवं 25120 के तहत, सीमित, यदि लागू हो तो धारा 25110 के द्वारा, प्रभाजित किया जाना आवश्यक है, प्रत्येक लागू पेरोल, संपत्ति, और बिक्री कारकों के लिए एक ही विभाजक का उपयोग करके।

(7) उपखंड (c) का पैराग्राफ (4) लागू होगा अगर फ्रेंचाइज टैक्स बोर्ड वित्तीय संस्थानों, या इसकी पर्याप्त समकक्षों से शुद्ध आय के एकसमान प्रभाजन के लिए प्रस्तावित बहुराजकीय कर आयोग फॉर्मूला स्वीकार कर लेता है, और उसी तिथि से ऑपरेटिव होगा जिससे कि अपनाया गया फॉर्मूला।

(8) किसी भी अवस्था में जहाँ दो या दो से अधिक बचत संघों या निगमों की आय और प्रभाजन कारकों को धारा 25101 के तहत, सीमित, यदि लागू हो, धारा 25110 के द्वारा एक संयुक्त रिपोर्ट में शामिल किया जाना वाँछित है, तो निम्न में से दोनों लागू होंगे:

(A) उपखंड (b) के 50 प्रतिशत से अधिक परीक्षणों का अनुप्रयोजन पूरे प्रभाज्य व्यापार या समूह के कारोबार की "सकल व्यापार प्राप्ति" के संबंध में किया जाएगा।

(B) समूह की पूरी व्यापार आय या तो उपखंड (a) या (b) के अनुसार, या ~~धारा 25128.5 के उपखंड (b),~~ *धारा 25128.5 या 25128.7* के अनुसार प्रभाजित की जाएगी, जैसा लागू हो।

खंड 5. राजस्व और कराधान संहिता की धारा 25128.5 इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

25128.5. (a) धारा 38006 के होते हुए भी, 1 जनवरी 2011 को या उसके बाद शुरू होने वाले कर योग्य साल के लिए, *और 1 जनवरी 2013 से पहले,* कोई भी प्रभाजक व्यापार या कारोबार, धारा 25128 के उपखंड (b) में वर्णित व्यापार या कारोबार के अलावा, एक मूल समयबद्ध दायर रिटर्न पर एक सालाना अपरिवर्तनीय वार्षिक चुनाव कर सकता है, जिसके तरीके और फॉर्म को फ्रेंचाइज टैक्स बोर्ड द्वारा इस धारा के अनुसार इसकी आय को प्रभाजित करने के लिए निर्धारित किया गया है और धारा 25128 के अनुसार नहीं।

(b) धारा 38006 के होते हुए भी, 1 जनवरी 2011 को या उसके बाद शुरू होने वाले कर योग्य साल के लिए, *और 1 जनवरी 2013 से पहले,* किसी प्रभाजक व्यापार या कारोबार, जो उपखंड (a) में वर्णित चुनाव को करता है, की समस्त आय व्यापार आय को बिक्री गुणक से गुणा करके इस राज्य को प्रभाजित की जाएगी।

(c) इस धारा के तहत चुनाव करने के संबंध में आवश्यक या उचित विनियमों को जारी करने के लिए फ्रेंचाइज टैक्स बोर्ड अधिकृत है, जिसमें वे विनियम शामिल हैं जो धारा 25113 के तहत चुनाव करने के लिए निर्धारित नियमों के साथ संगत हैं।

(d) यह धारा 1 जनवरी 2013 या उसके बाद शुरू होने वाले कर योग्य साल पर लागू नहीं होगी, और, अब 1 दिसम्बर 2013 को निरसित कर दिया गया है।

खंड 6. राजस्व और कराधान संहिता की धारा 25128.7 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

25128.7. धारा 38006 के होते हुए भी, 1 जनवरी 2013 को या उसके बाद शुरू हेने वाले कर योग्य साल के लिए, धारा 25128 के उपखंड (b) में वर्णित व्यापार या कारोबार के अलावा, किसी प्रभाजक व्यापार या कारोबार की समस्त आय व्यापार आय को बिक्री गुणक से गुणा करके इस राज्य को प्रभाजित की जाएगी।

खंड 7. राजस्व और कराधान संहिता की धारा 25136 इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

25136. (a) 1 जनवरी 2011 से शुरू होने वाले कर योग्य साल और 1 जनवरी 2011 को या उसके बाद शुरू होने वाले कर योग्य सालों के लिए, *और 1 जनवरी 2013 से पहले,* जिसके लिए धारा 25128.5 ऑपरेटिव है और धारा 25128.5 के उपखंड (a) के तहत चुनाव नहीं किया गया है, तो मूर्त व्यक्तिगत संपत्ति के अलावा बिक्री, इस राज्य में हैं, अगर:

(1) आय पैदा करने वाली गतिविधि इस राज्य में निष्पादित की जाती है; अथवा

(2) आय पैदा करने वाली गतिविधि इस राज्य के बाहर और भीतर दोनों में निष्पादित की जाती है और आय पैदा करने वाली गतिविधि का एक बड़ा अनुपात निष्पादन की लागत के आधार पर किसी अन्य राज्य की तुलना में इस राज्य में निष्पादित किया जाता है।

(3) 1 जनवरी 2011 को या उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी कर योग्य साल के लिए, *और 1 जनवरी 2013 से पहले,* जिसके लिए धारा 25128.5 किसी करदाता के लिए ऑपरेटिव नहीं है इस भाग के अंतर्गत लगाए गए कर के अधीन, यह उपखंड लागू होगा, और उपखंड (b) लागू नहीं होगा।

(b) 1 जनवरी 2011 को या उसके बाद शुरू कर योग्य साल के लिए, *और 1 जनवरी 2013 से पहले*:

(1) सेवाओं से बिक्री उस हद तक इस राज्य में है जिस तक सेवा के खरीदार ने इस राज्य में सेवा का लाभ प्राप्त किया हो।

(2) इस राज्य में अमूर्त संपत्ति से बिक्री उस हद तक है जिस तक संपत्ति का इस राज्य में प्रयोग किया जाता है। विपणन पात्र प्रतिभूतियों के मामले में, बिक्री इस राज्य में है अगर ग्राहक इस राज्य में है।

(3) अचल संपत्ति की बिक्री करने, पट्टे पर देने, किराये पर देन, या लाइसेंस देने से बिक्री इस राज्य में है अगर अचल संपत्ति इस राज्य में स्थित है।

(4) मूर्त व्यक्तिगत संपत्ति के किराए, पट्टे, या लाइसेंस से बिक्री इस राज्य में है यदि संपत्ति इस राज्य में स्थित है।

(5) (A) यदि धारा 25128.5 ऑपरेटिव है, तो ऐसे किसी भी कर योग्य साल जिसके लिए चुनाव को धारा 25128.5 के उपखंड (a) के तहत किया गया है, उपखंड (a) के एवज में यह उपखंड लागू होगा।

(B) यदि धारा 25128.5 ऑपरेटिव नहीं है, तो यह उपखंड लागू नहीं होगा और उपखंड (a) ऐसे किसी भी करदाता के लिए लागू होगा जो इस भाग के तहत कराधान के अधीन है।

(C) उप अनुच्छेद (A) या (B) के होते हुए भी, यह उपखंड धारा 23101 के उपखंड (b) के पैरा (2) के प्रयोजनों के लिए लागू होगा।

(c) फ्रेंचाइज टैक्स बोर्ड उन विनियमों की सिफारिश कर सकता है जो उपखंड (b) के प्रयोजनों का निष्पादन करने के लिए आवश्यक या उपयुक्त हों।

(d) यह धारा 1 जनवरी 2013 या उसके बाद शुरू होने वाले कर योग्य साल पर लागू नहीं होगी, और, अब 1 दिसम्बर 2013 को निरसित कर दिया गया है।

खंड 8. राजस्व और कराधान संहिता की धारा 25136 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

25136. (a) धारा 38006 के होते हुए भी, 1 जनवरी 2013 या उसके बाद शुरू होने वाले कर योग्य साल के लिए मूर्त व्यक्तिगत संपत्ति को छोड़ बिक्री इस राज्य में हैं, यदि:

(1) इस राज्य में सेवाओं से बिक्री उस हद तक है जिस तक सेवा के खरीदार ने इस राज्य में सेवाओं का लाभ प्राप्त किया हो।

(2) इस राज्य में अमूर्त संपत्ति से बिक्री उस हद तक है जिस तक संपत्ति का इस राज्य में प्रयोग किया जाता है। विपणन पात्र प्रतिभूतियों के मामले में, बिक्री इस राज्य में है अगर ग्राहक इस राज्य में है।

(3) अचल संपत्ति की बिक्री करने, पट्टे पर देने, किराये पर देन, या लाइसेंस देने से बिक्री इस राज्य में है अगर अचल संपत्ति इस राज्य में स्थित है।

(4) मूर्त व्यक्तिगत संपत्ति के किराए, पट्टे, या लाइसेंस से बिक्री इस राज्य में है यदि संपत्ति इस राज्य में स्थित है।

(b) फ्रेंचाइज टैक्स बोर्ड उन विनियमों की सिफारिश कर सकता है जो इस धारा के प्रयोजनों का निष्पादन करने के लिए आवश्यक या उपयुक्त हों।

खंड 9. राजस्व और कराधान संहिता की धारा 25136.1 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

25136.1. (a) 1 जनवरी 2013 को या उसके बाद शुरु होने वाले कर योग्य साल के लिए, एक पात्र करदाता जो धारा 25128.7 के तहत अपनी व्यापार आय को विभाजित करता है, वह निम्नलिखित प्रावधानों को लागू करेगा:

(1) 25137 धारा के होते हुए भी, इस राज्य को आवंटित पात्र बिक्री उस पात्र बिक्री की 50 प्रतिशत के बराबर होगी जो धारा 25136 के अनुसार इस राज्य को आवंटित की जाएगी लेकिन धारा के लागू होने को छोड़कर। शेष 50 प्रतिशत इस राज्य को आवंटित नहीं की जाएगी।

(2) अन्य सभी बिक्री को धारा 25136 के अनुसार आवंटित किया जाएगा।

(b) इस धारा के प्रयोजनों के लिए:

(1) "पात्र करदाता" का मतलब है किसी संयुक्त रिपोर्टिंग समूह, जो एक पात्र समूह भी है, का एक सदस्य, जैसा कि कैलिफोर्निया विनियम संहिता शीर्षक 18 की धारा 25106.5 के उपखंड (b) के अनुच्छेद (10) में परिभाषित है, जो इस धारा में जोड़ते हुए अधिनियम की प्रभावी तिथि पर प्रभावी है।

(2) "पात्र समूह" का मतलब है एक संयुक्त रिपोर्टिंग समूह, जैसा कि कैलिफोर्निया विनियम संहिता शीर्षक 18 की धारा 25106.5 के उपखंड (b) के अनुच्छेद (3) में परिभाषित है, जो इस धारा में जोड़ते हुए अधिनियम की प्रभावी तिथि पर प्रभावी है, जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करता है:

(A) उसने कर योग्य साल के लिए न्यूनतम निवेश की आवश्यकता को संतुष्ट किया है।

(B) कैलेंडर साल 2006 में संयुक्त रिपोर्टिंग समूह के लिए शुरू होने वाले कर योग्य साल के लिए, संयुक्त रिपोर्टिंग समूह ने एक या एक से अधिक केबल सिस्टम के आपरेशन से अपने संयुक्त राज्य अमेरिका नेटवर्क के सकल व्यापार प्राप्तियों का 50 प्रतिशत से अधिक व्युत्पन्न किया हो।

(C) उप-अनुच्छेद (B) की आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित नियम लागू होंगे:

(i) यदि किसी कर योग्य साल के लिए संयुक्त रिपोर्टिंग समूह का कोई सदस्य कैलेंडर साल 2006 में कर योग्य साल के शुरुआत के लिए उसी संयुक्त रिपोर्टिंग समूह का सदस्य नहीं था, तो उस गैर शामिल सदस्य की सकल व्यापार प्राप्तियों को संयुक्त रिपोर्टिंग समूह की सकल व्यापार प्राप्तियों का कैलेंडर साल 2006 में शुरू होने वाले कर योग्य साल के लिए निर्धारण करने में इस प्रकार शामिल किया जाएगा मानो वह गैर शामिल सदस्य कैलेंडर साल 2006 में शुरू होने वाले कर योग्य साल के लिए संयुक्त रिपोर्टिंग समूह का एक सदस्य था।

(ii) सकल व्यापार प्राप्तियों में किसी पात्र साझेदारी की सकल व्यापार प्राप्तियाँ शामिल होंगी, परन्तु केवल साझेदारी में एक सदस्य के हित की हद तक।

(3) "केबल प्रणाली" और "नेटवर्क" का अर्थ वही होगा जो सार्वजनिक सुविधाएं संहिता की धारा 5830 में परिभाषित है, जैसा कि इस अनुभाग में जोड़ने वाले अधिनियम की प्रभावी तिथि पर प्रभावी है। "नेटवर्क सेवाओं" का मतलब है वीडियो, केबल, आवाज, या डाटा सेवाएं।

(4) "सकल व्यापार प्राप्तियाँ" का मतलब है धारा 25120 के उपखंड (f) के अनुच्छेद (2) में परिभाषित सकल प्राप्तियाँ (किसी संयुक्त रिपोर्टिंग समूह के सदस्यों के बीच बिक्री या अन्य लेनदेन से सकल प्राप्तियाँ, सीमित, यदि लागू हैं, धारा 25110 के अनुसार)।

(5) "न्यूनतम निवेश की आवश्यकता" का मतलब है कैलेंडर साल के दौरान किसी संयुक्त रिपोर्टिंग समूह द्वारा कर योग्य साल की शुरुआत सहित कम से कम दो सौ पचास मिलियन डॉलर ($250,000,000) का पात्र व्यय।

(6) "पात्र व्यय" का मतलब है इस राज्य के लिए उन व्ययों का कोई संयोजन जो मूर्त संपत्ति, पेरोल, सेवाओं, फ्रेंचाइज शुल्क, या किसी भी अमूर्त संपत्ति के वितरण या अन्य अधिकारों के लिए किसी संयुक्त रिपोर्टिंग के किसी सदस्य के द्वारा या उसकी ओर से भुगतान किए जाते हैं या किए जाते हैं।

(A) मूर्त संपत्ति के अलावा किसी अन्य के लिए व्यय इस राज्य के कारण से हो सकता है अगर संयुक्त रिपोर्टिंग समूह के सदस्य ने इस राज्य में खरीदारी करने या व्यय करने का लाभ प्राप्त किया हो।

(B) मूर्त संपत्ति की खरीदारी या उसके लिए व्यय इस राज्य के कारण से हो सकता है अगर संपत्ति इस राज्य में सेवा के लिए स्थापित है।

(C) पात्र व्यय में किसी संयुक्त रिपोर्टिंग समूह द्वारा संपत्ति या सेवाओं को खरीदने, उनका प्रयोग करने, या इस राज्य में स्वतंत्र ठेकेदारों द्वारा प्रदान किए जाने के लिए व्यय शामिल होगा।

(D) पात्र व्यय में किसी पात्र साझेदारी द्वारा व्यय भी शामिल होगा, लेकिन केवल साझेदारी में सदस्य के हित की हद तक।

(7) "पात्र साझेदारी" का मतलब है एक साझेदारी अगर साझेदारी की आय और प्रभाजन कारकों को किसी संयुक्त रिपोर्टिंग समूह के किसी सदस्य की आय और प्रभाजन कारकों में शामिल किया जाता है, लेकिन केवल साझेदारी में सदस्य के हित की हद तक शामिल।

(8) "पात्र बिक्री" का तात्पर्य है ग्राहक परिसर उपस्कर की बिक्री और किराए पर लेने से सकल प्राप्तियों के अलावा किसी भी नेटवर्क सेवाओं के प्रावधान से सकल व्यापार प्राप्ति। "पात्र बिक्री" में किसी पात्र साझेदारी द्वारा पात्र बिक्री शामिल हैं, परन्तु साझेदारी में केवल किसी सदस्य के हित की हद तक।

(c) इस खंड में किसी पात्र साझेदारी द्वारा पात्र बिक्री के संबंध में नियमों का मंतव्य कैलिफोर्निया विनियम संहिता के शीर्षक 18 की धारा 25137–1 के उपखंड (f) के अनुच्छेद (3) के तहत साझीदारी के लिए नियमों के अनुरूप होना है।

प्रस्ताव 40

राज्यव्यापी सीनेट नक्शा जिसे 15 अगस्त, 2011 को सिटीज़ंस रिडिस्ट्रिक्टिंग कमीशन ने प्रमाणित किया है, को कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद XXI के खंड 2 की (i) उपश्रेणी के अनुसार मत-संग्रह के रूप में लोगों को प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तावित कानून

प्रस्तुत किया गया

कैलिफोर्निया राज्य के सेक्रेट्री ऑफ स्टेट के कार्यालय में 15 अगस्त 2011

स्वीकृत प्रस्ताव
कैलिफोर्निया सिटीज़ंस रिडिस्ट्रिक्टिंग कमीशन
राज्यव्यापी सीनेट नक्शे का प्रमाणन

15 अगस्त, 2011

जबकि, 29 जुलाई, 2011 को कैलिफोर्निया सिटीज़ंस रिडिस्ट्रिक्टिंग कमीशन (कमीशन) ने राज्यव्यापी सीनेट नक्शे (सीनेट नक्शा) को प्रकाशित करने व सार्वजनिक टिप्पणी हेतु स्वीकृति के लिए मत दिया है जिसे प्रारंभिक अंतिम सीनेट नक्शे के तौर पर उललेखित किया है; और,

जबकि, 15 अगस्त, 2011 को कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद XXI के खंड 2(c)(5) के अनुसार, कमीशन ने सीनेट नक्शे को अंतिम के तौर पर स्वीकार करने हेतु मत दिया है जिसे crc_20110815_senate_certified_statewide.zip और सुरक्षित हैश अल्गोरिथम (SHA-1) संख्या 14cd4e126ddc5bdce946f67376574918f3082d6b द्वारा चिह्नित किया गया।

इसलिए, अब यह स्वीकृत किया जाता है कि कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद XXI के खंड 2(g) के अनुसार, सीनेट नक्शा जिसे उपरोक्त उल्लेखित SHA-1 द्वारा चिह्नित किया गया, को एतद्वारा कमीशन द्वारा प्रमाणित किया जाता है और इसे कैलिफोर्निया के सेक्रेटी ऑफ स्टेट को तत्काल भेज दिया जाएगा; और,

आगे स्वीकृत किया जाता है कि कमीशन के सदस्यों ने इस स्वीकृत प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर किए हैं।

Gabino Aguirre, Commissioner (D)

Angelo Ancheta, Commissioner (D)

Vincent Barabba, Commissioner (R)

Maria Blanco, Commissioner (D)

Cynthia Dai, Commissioner (D)

Michelle DiGuilio, Commissioner (DTS)

Jodie Filkins Webber, Commissioner (R)

Stanley Forbes, Commissioner (DTS)

Connie Galambos-Malloy, Commissioner (DTS)

Lilbert "Gil" Ontai, Commissioner (R)

M. Andre Parvenu, Commissioner (DTS)

Jeanne Raya, Commissioner (D)

Michael Ward, Commissioner (R)

Peter Yao, Commissioner (R)

40

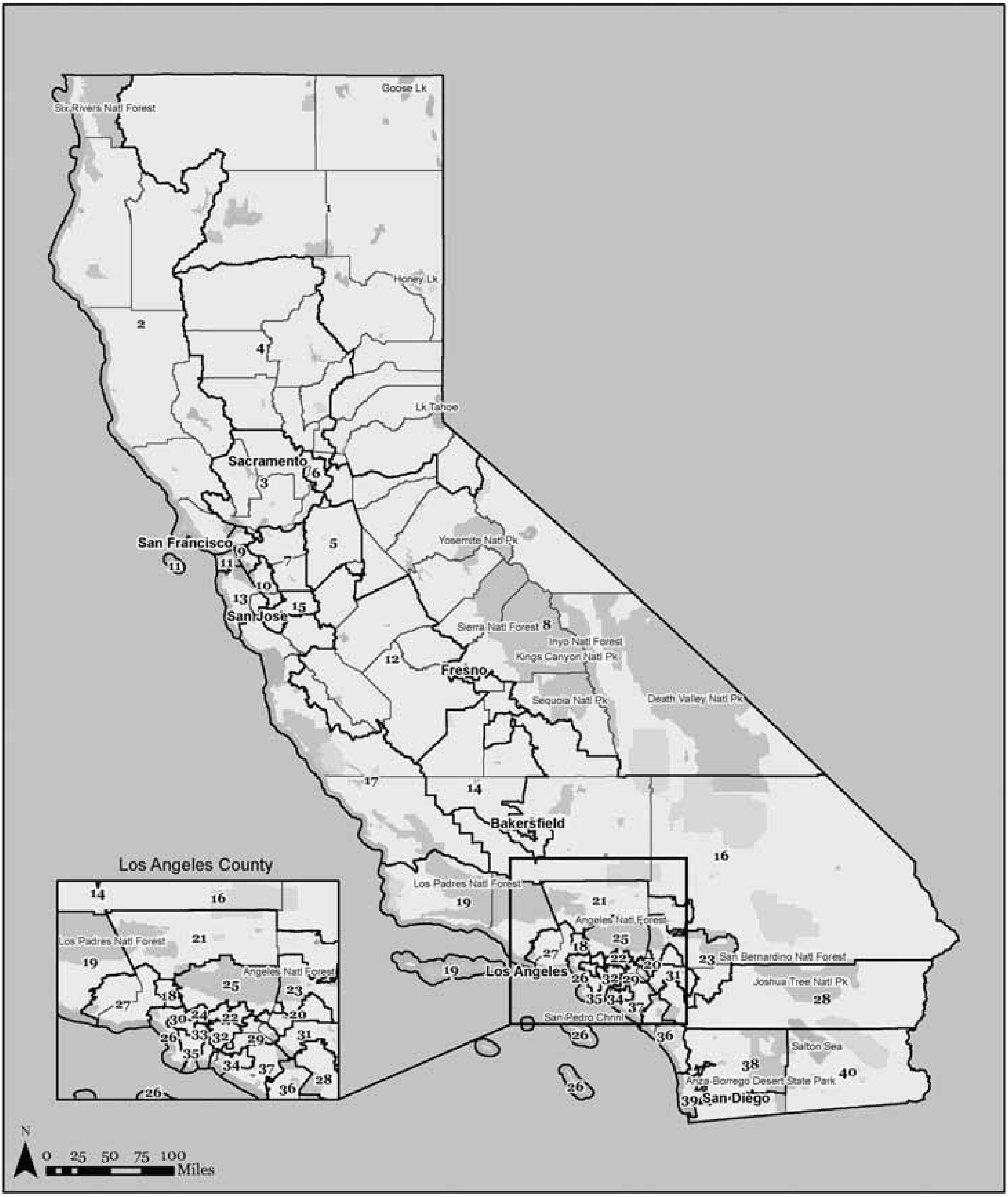

कैलिफोर्निया राज्य के सीनेट ज़िले

40

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 1

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 2

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 3

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 4

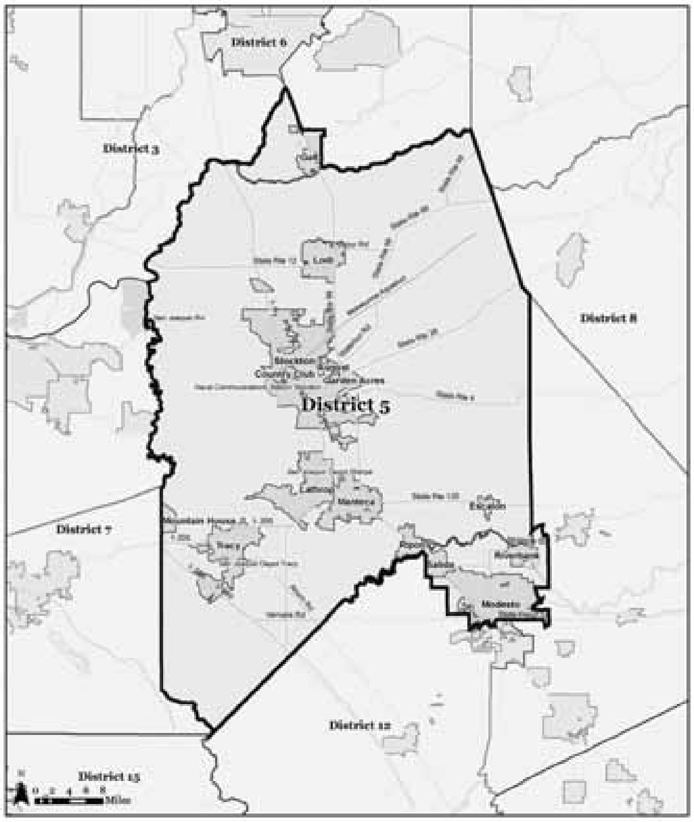

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 5

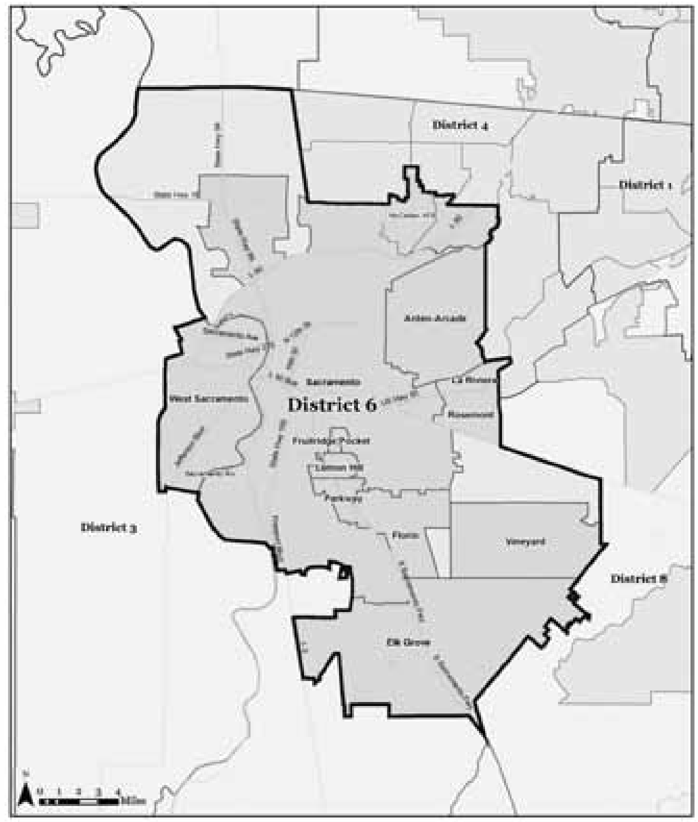

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 6

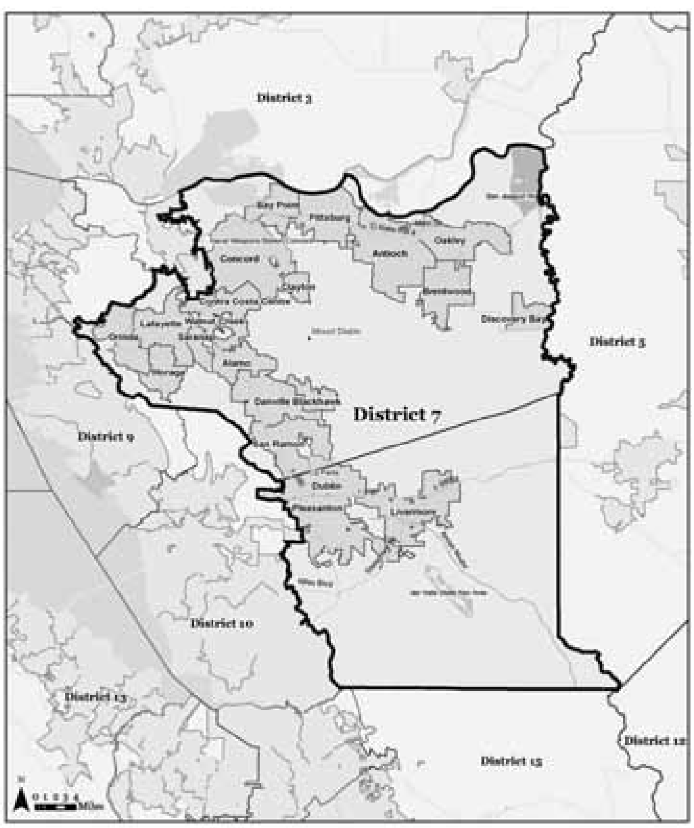

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 7

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 8

40

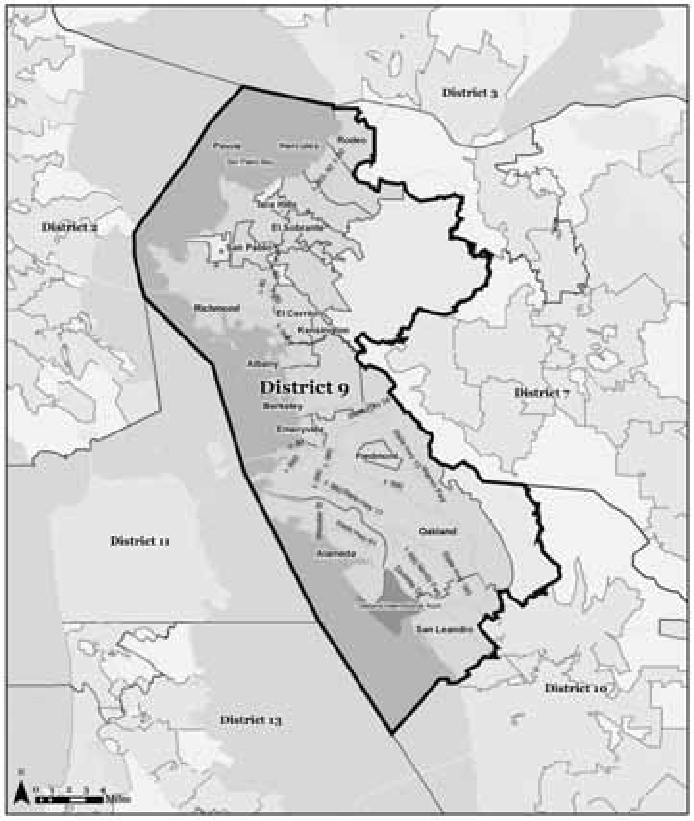

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 9

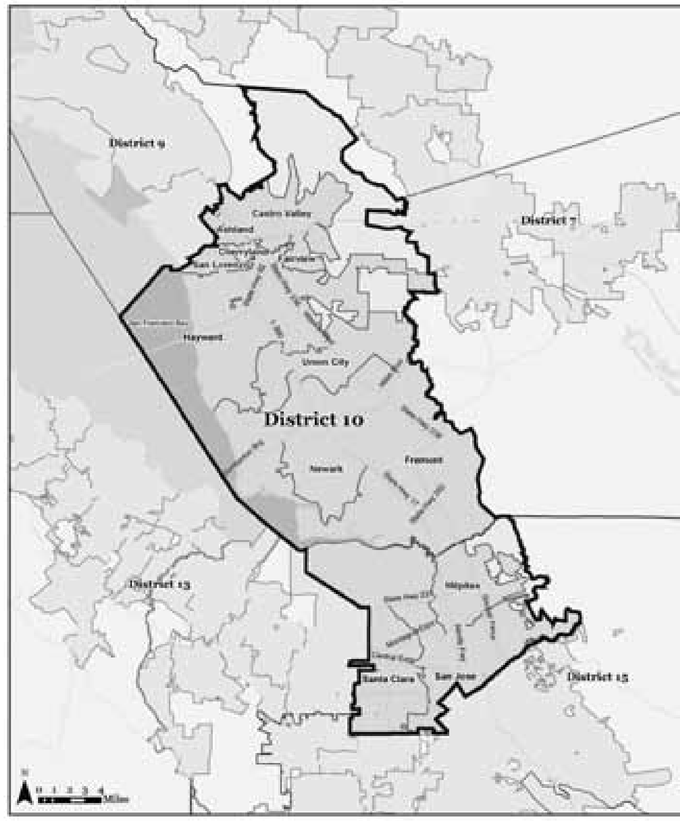

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 10

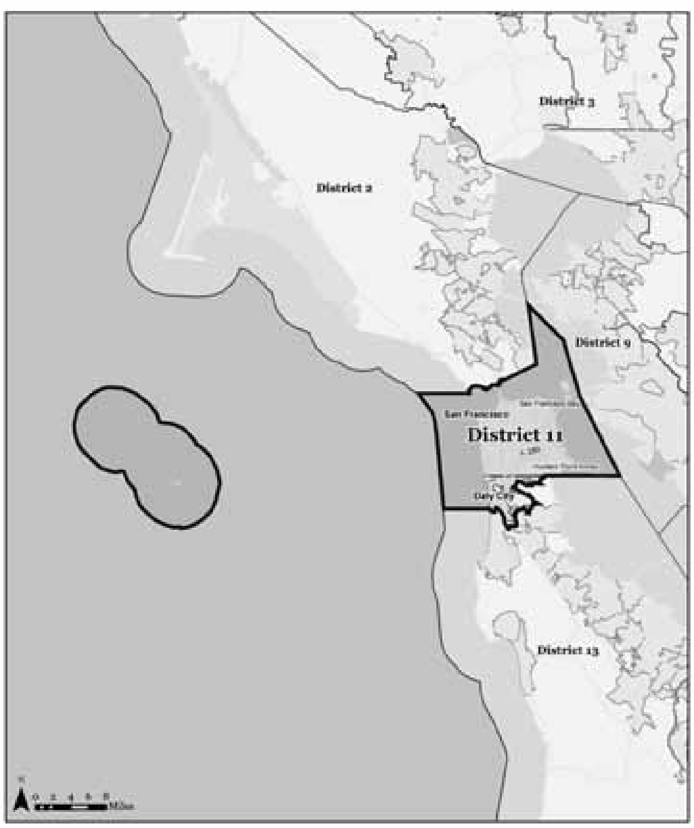

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 11

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 12

40

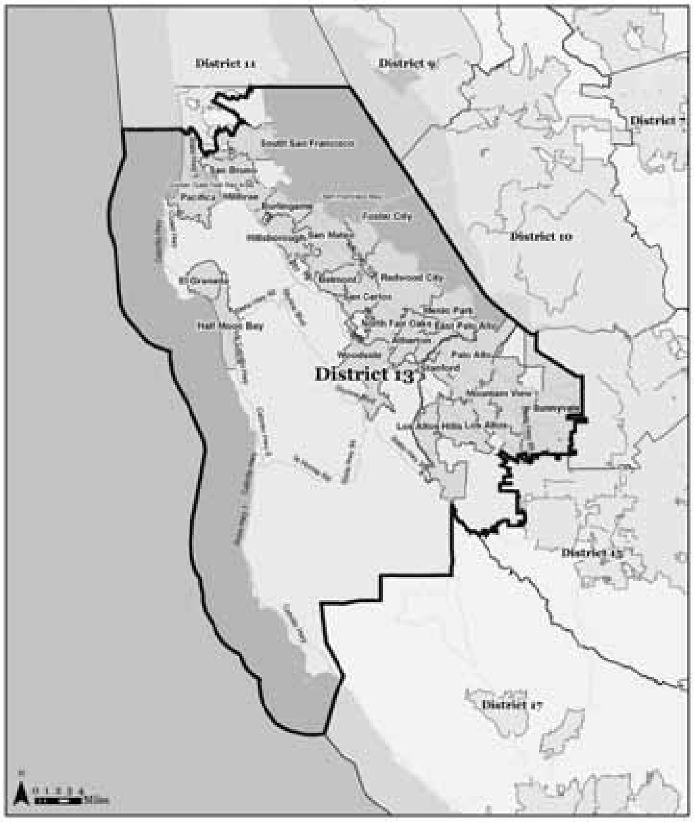

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 13

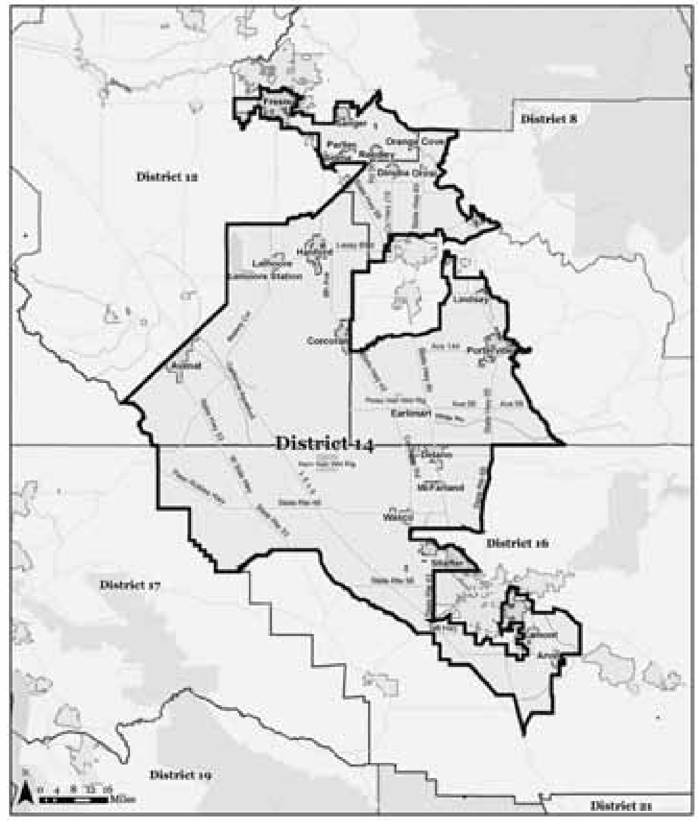

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 14

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 15

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 16

40

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 17

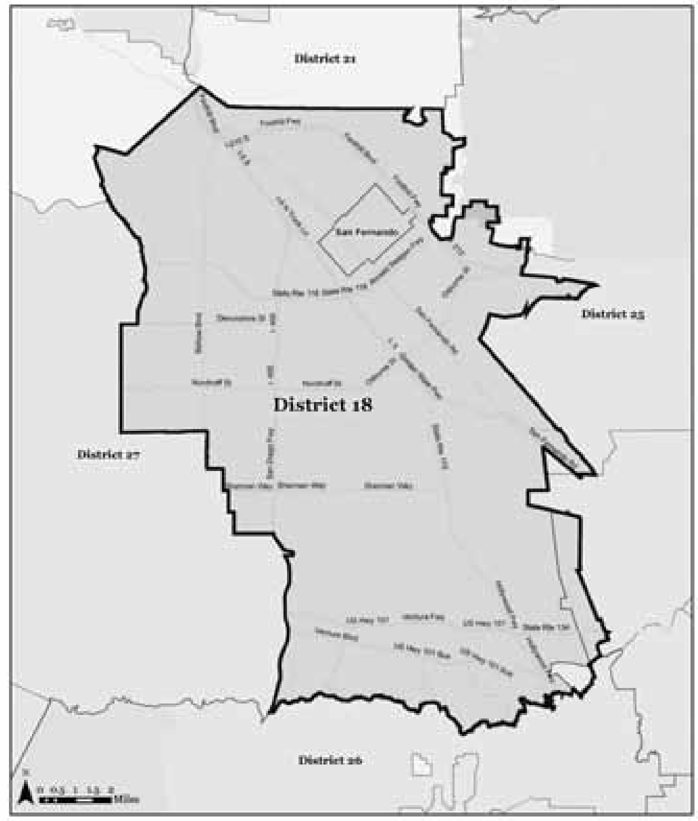

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 18

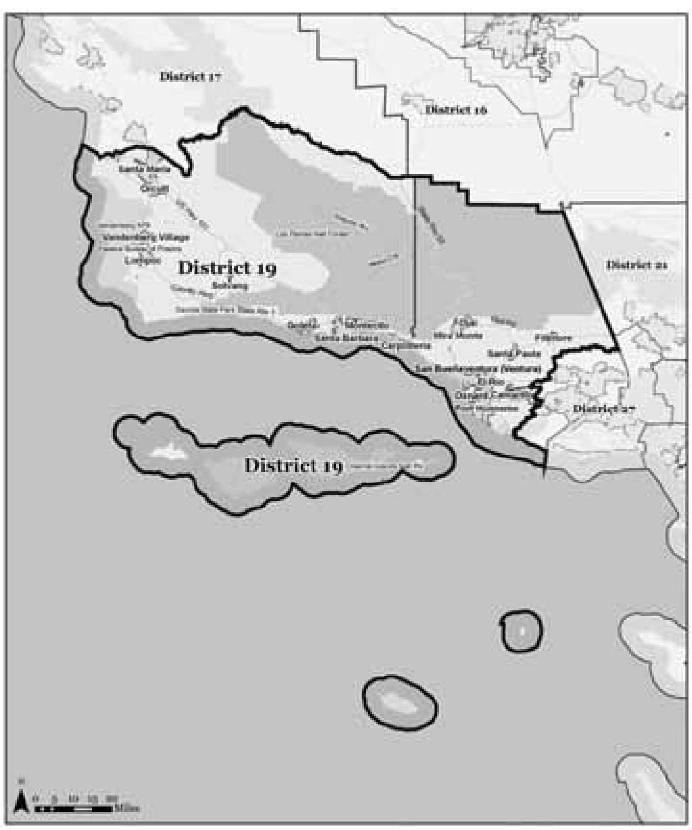

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 19

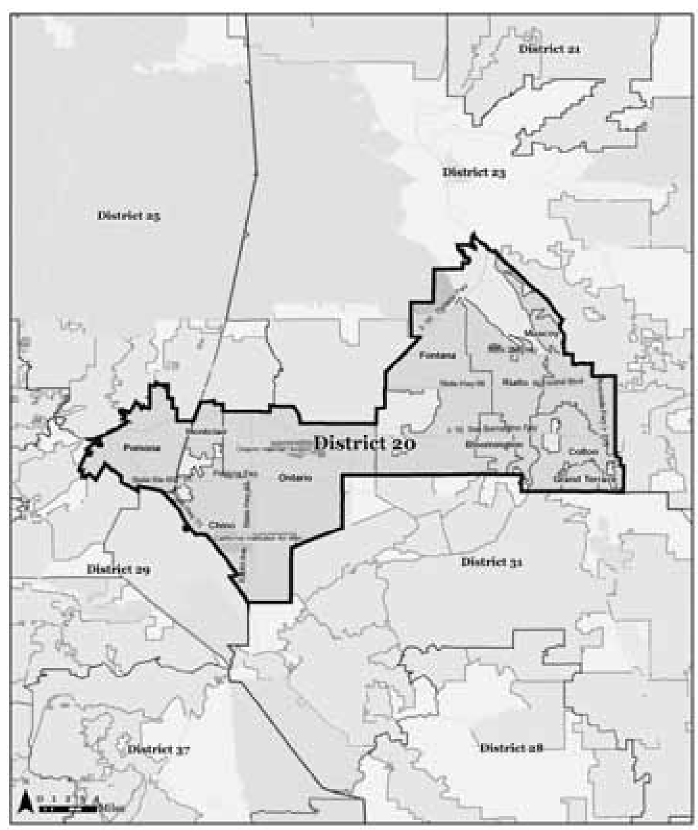

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 20

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 21

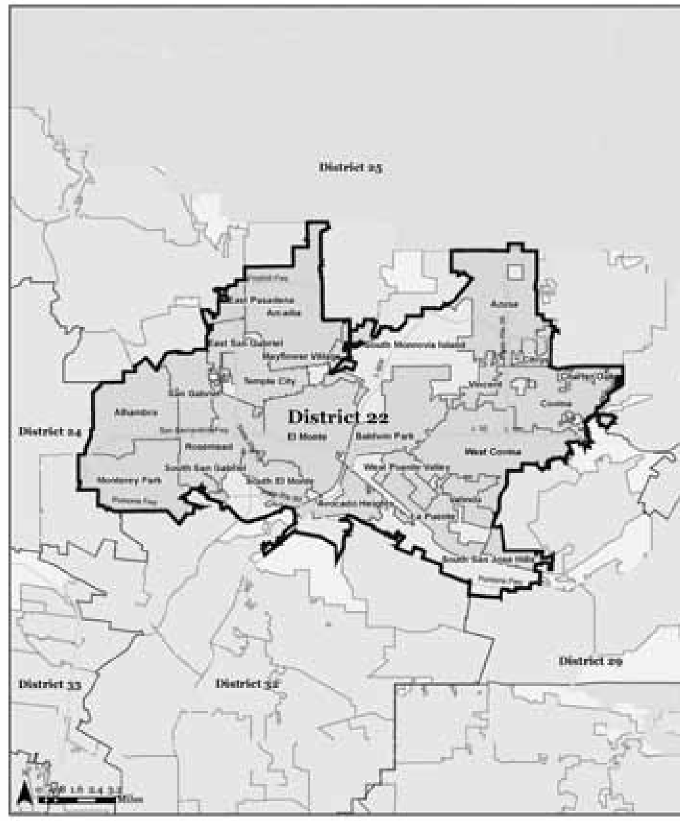

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 22

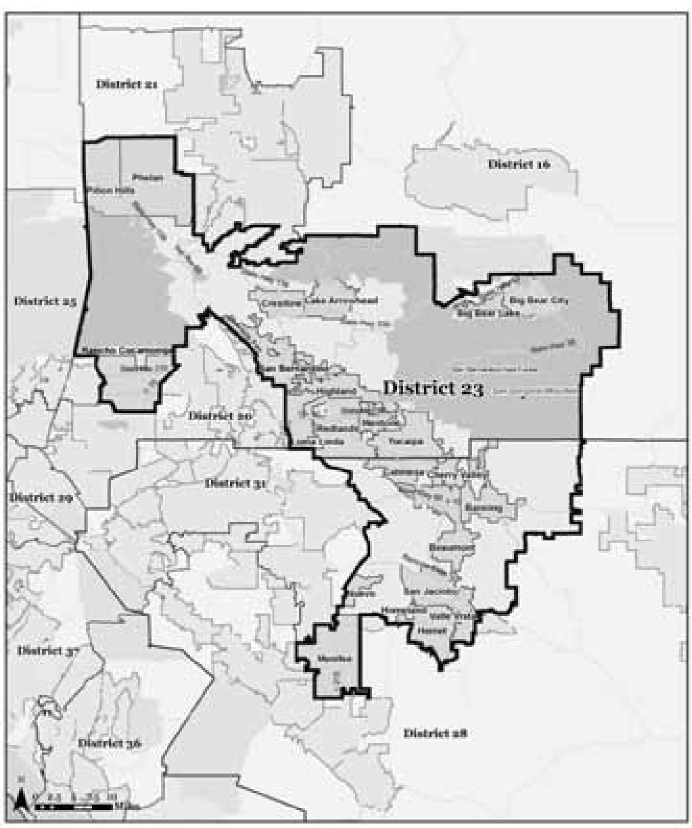

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 23

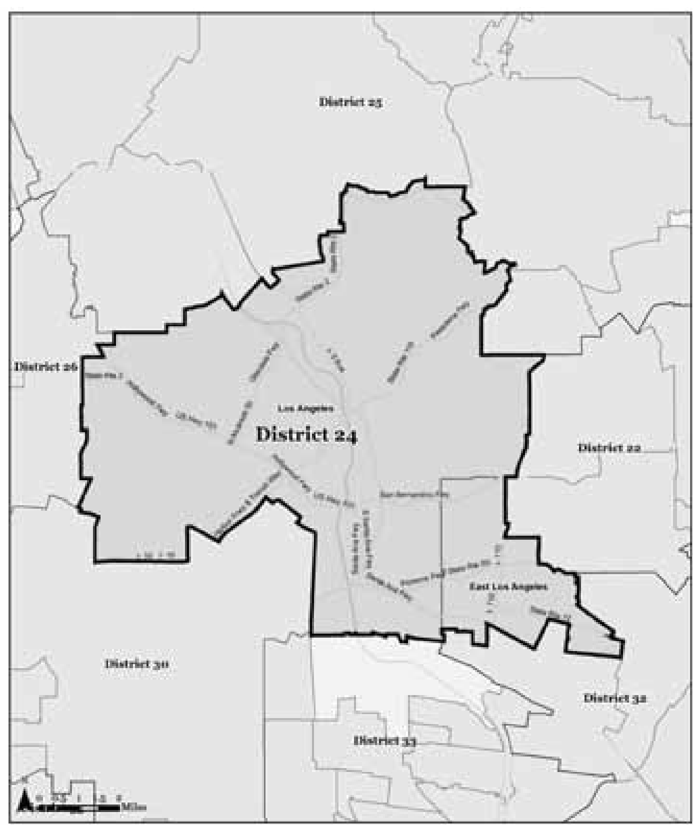

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 24

40

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 25

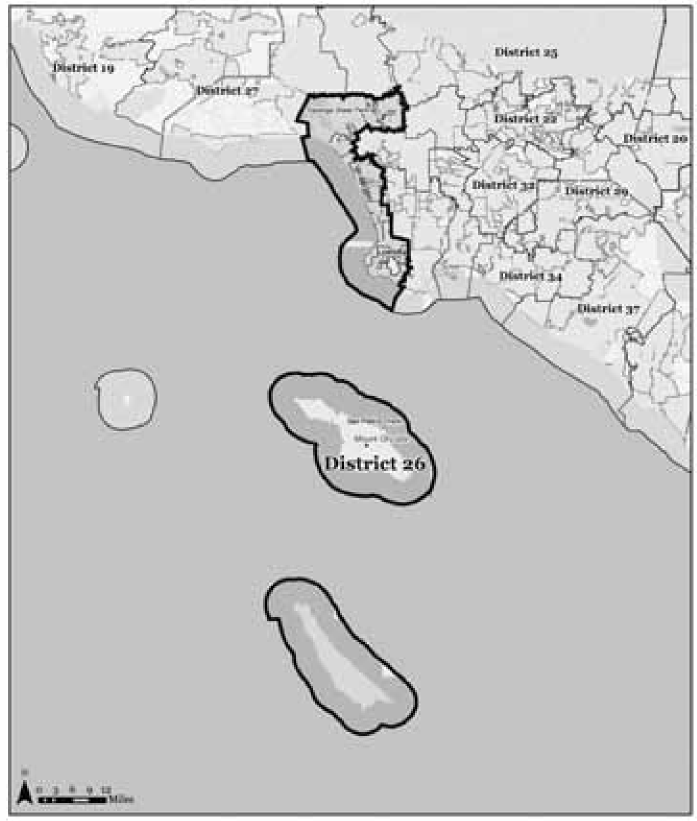

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 26

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 27

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 28

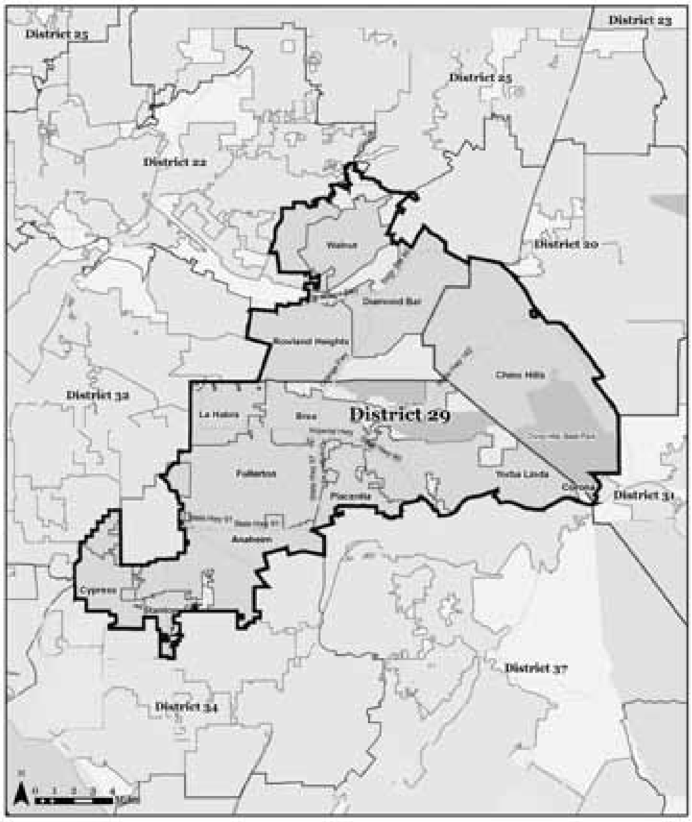

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 29

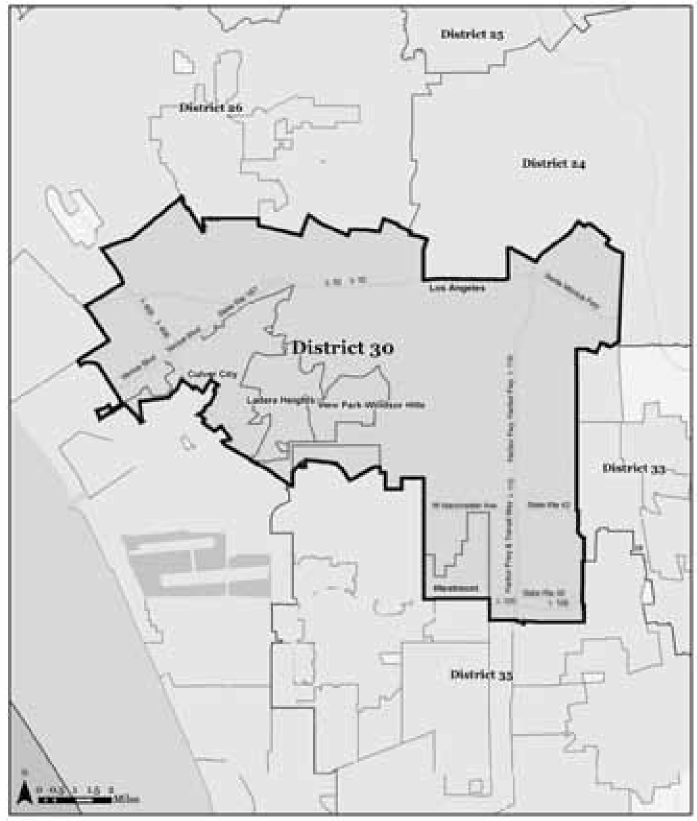

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 30

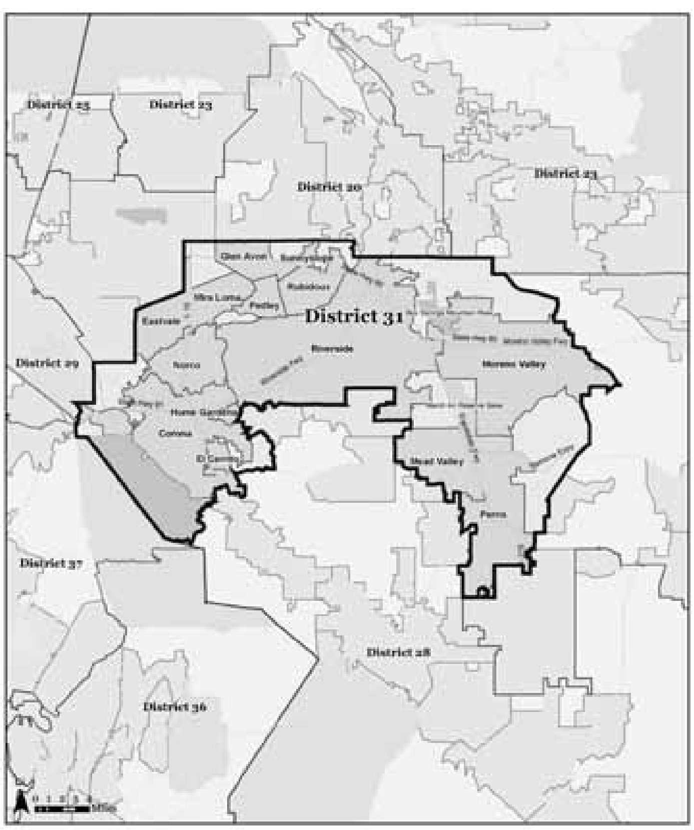

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 31

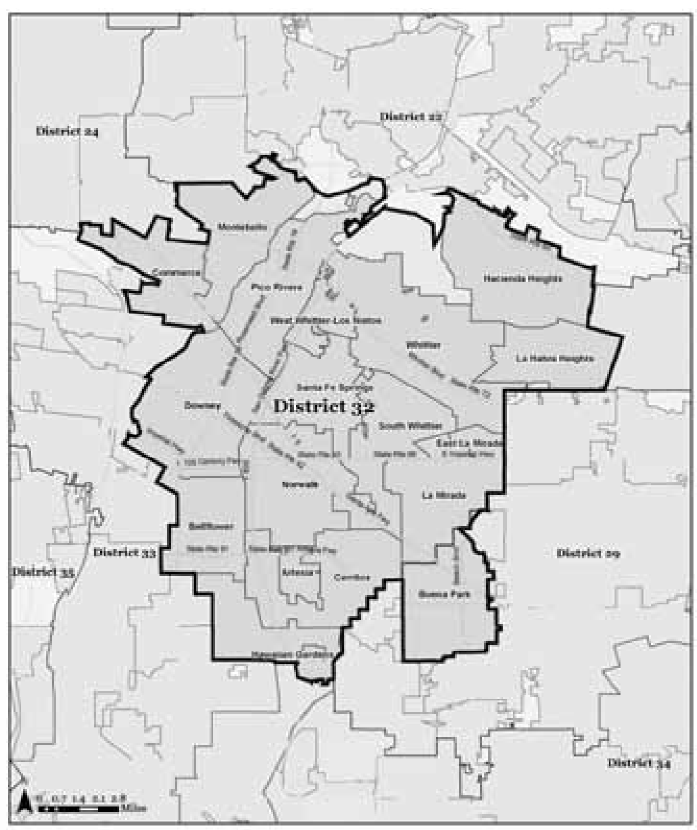

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 32

40

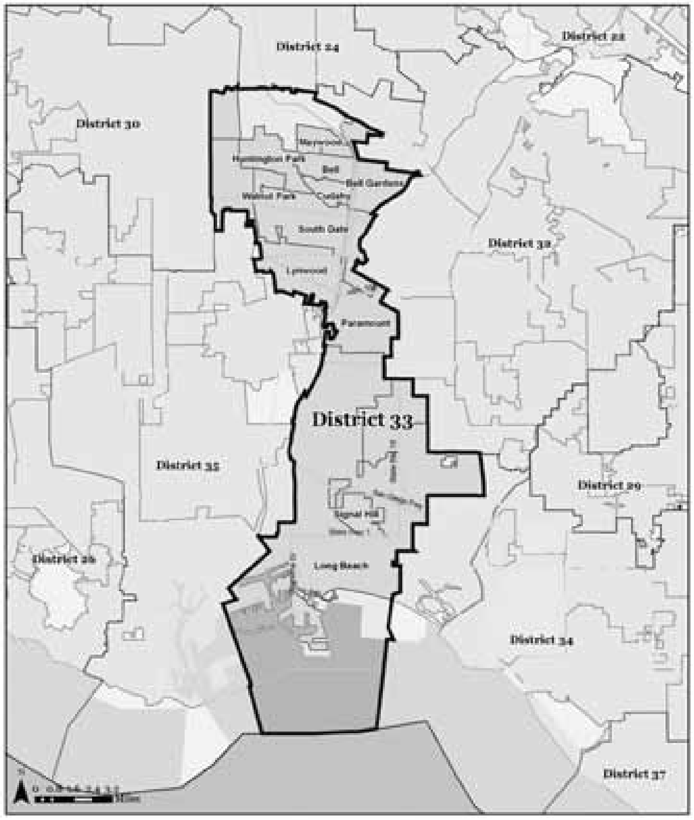

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 33

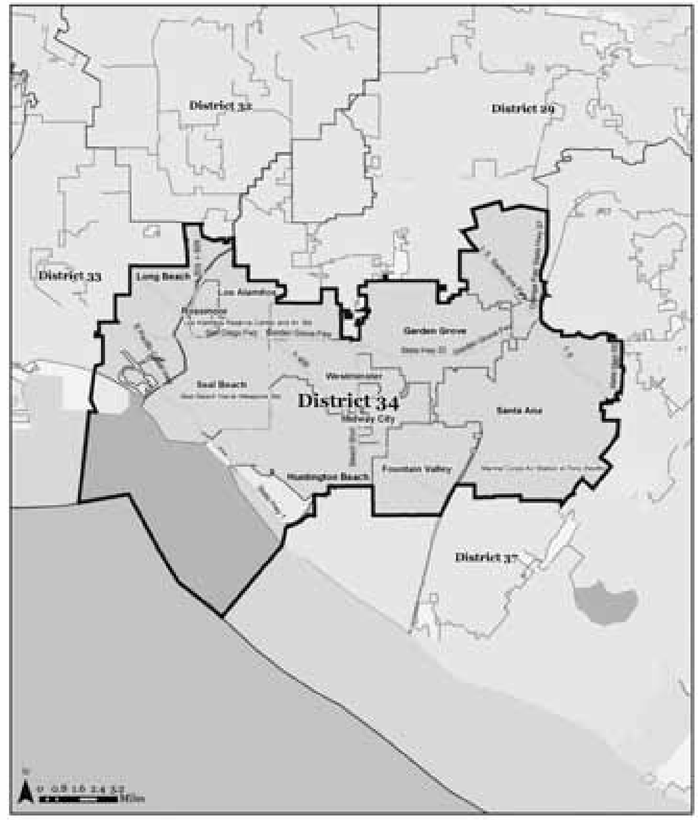

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 34

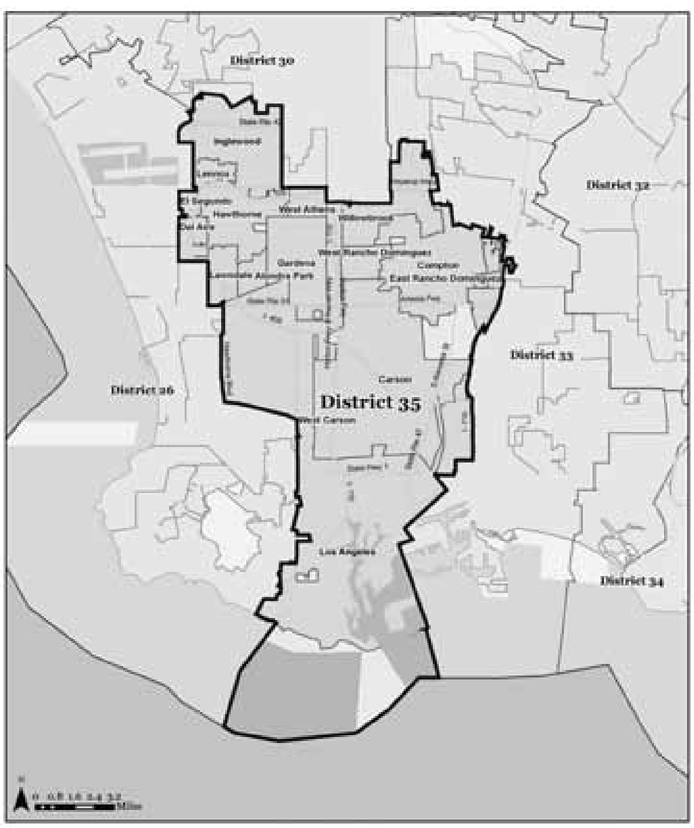

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 35

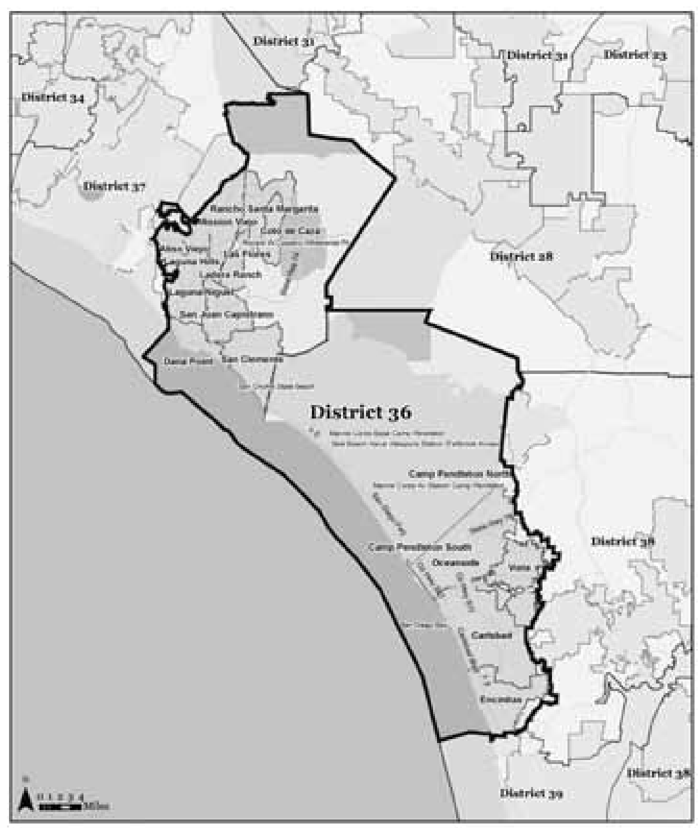

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 36

40

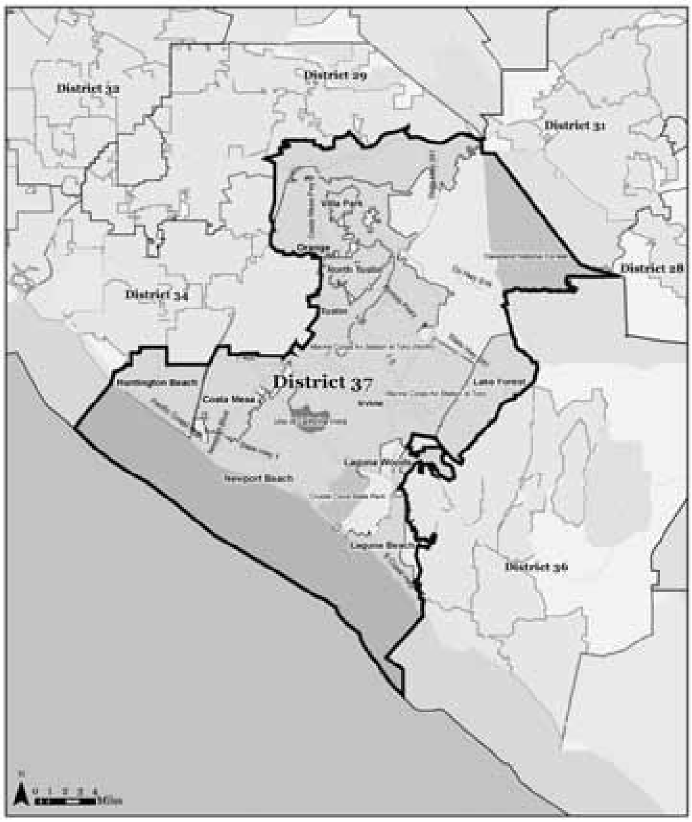

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 37

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 38

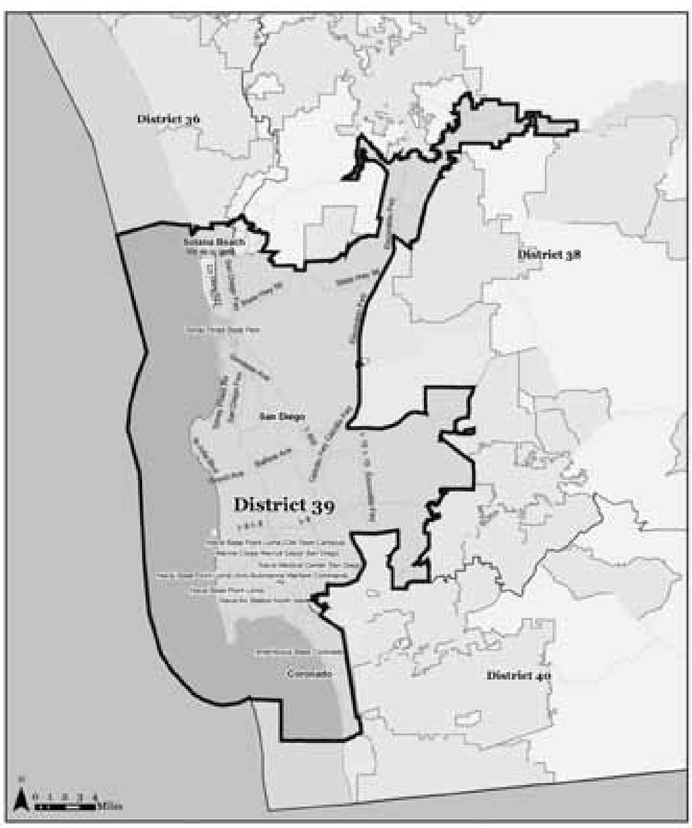

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 39

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 40